खण्ड-364, अंक-7
बुधवार, 3 फाल्गुन, शक संवत् 1905
(22 फरवरी, 1984 ई0)

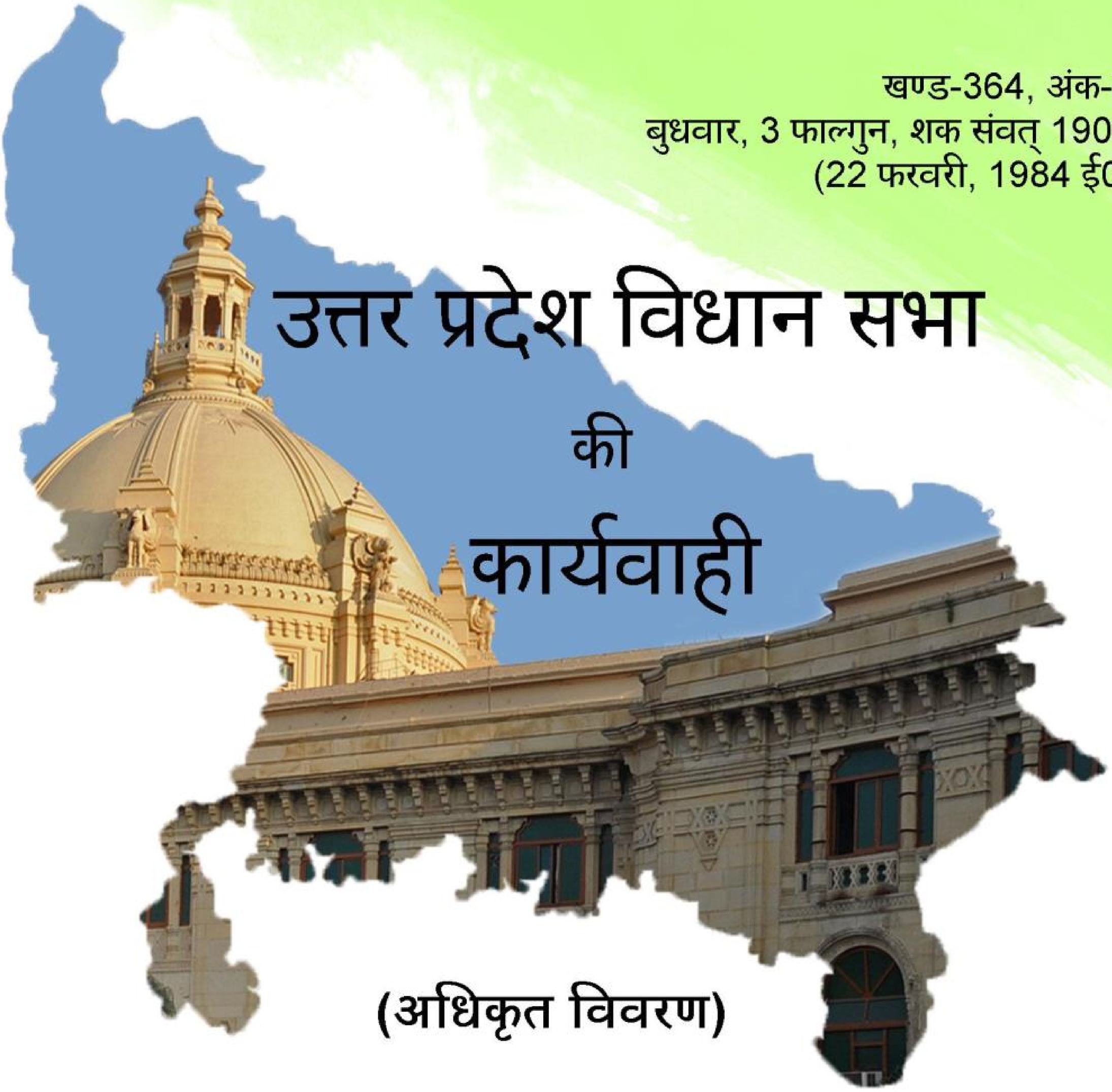

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 364 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	837–840
प्रश्नोत्तर (जारी)	841–845
प्रश्नों के उत्तर विधान सभा सचिवालय में समय से भेजने के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष का शासन को निर्देश	845–846
प्रश्नोत्तर	846–919
प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न	919–920
किशनपुर पम्प योजना के असफल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	920
उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के अध्यापकों की दयनीय दशा के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	920–921
जिला हरिजन अधिकारी, आगरा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	921
डुमरियागंज तहसील में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैन्डपम्पों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	921
इलाहाबाद की सोरांव एवं फूलपुर तहसील में नहरी पानी के जल भराव से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	922
कालपी तहसील में मुन्सिफ अदालत खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	922
आगरा जनपद के प्राइमरी शिक्षकों द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	923
फतेहपुर तहसील में भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	923–924
सचिवालय एनैक्सी के लिये विधायकों की पर्चियों पर पास जारी न करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	924–926
मदन मोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, भाटपाररानी, देवरिया में छात्रों द्वारा प्रस्तावित आत्मदाह के संबंध में सूचना की मांग	926–927
दिनांक 15 फरवरी, 1984 को श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मुहम्मद आजम खां के संबंध में कही गयी बात के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	927–928
श्री गुलाब सेहरा तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	928–9 29
विशेषाधिकार की कतिपय अन्य सूचनाओं को लिए जाने की मांग ..	929–930
विधान सभा की कतिपय समितियों तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना	930–931
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	931–942
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ..	943–976
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	976
राज्यपाल के अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच करने हेतु समिति के गठन का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	977–985
व्यापारियों के प्रदेश व्यापी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य ..	985–989
सरस्वती पूजा विसर्जन समारोह के अवसर पर लखनऊ नगर में गोमती में नावों के डूब जाने से लगभग 40 व्यक्तियों के मरने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य	889–992
नत्थियां	993–1067

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 22 फरवरी, 1984

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 349

अकबर अहमद, श्री — नैनीताल
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अजहर ईमाम, श्री — मिर्जापुर
अजीत कुमार सिंह, श्री — कानपुर
अजीत सिंह सेठी, श्री — मेरठ
अनवर खां, श्री — अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री — फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री — आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) — फतेहपुर
अमर सिंह, श्री — सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री — बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री — बरेली
अम्बिका सिंह, श्री — बस्ती
अम्मार रिजवी, श्री — सीतापुर
अलमेलु अम्माल, कुमारी — बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री — आगरा
इन्द्रजीत, श्री — फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) — बहराइच
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री — इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) — खीरी
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री — गोंडा
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी — एटा
ऊदल, श्री — वाराणसी
ए. सी. ग्राइस, श्री नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री — ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री — मथुरा
कन्हैयालाल महेन्द्रू, श्री — लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती — कानपुर
कमला प्रसाद सिंह, श्री — जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती — बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री — बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री — मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री — सहारनपुर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती — गोरखपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री — चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल) — हरदोई

कुबेर भण्डारी, श्री — देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री — राय बरेली
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज) — फतेहपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री — बाराबंकी
कृष्णवीर सिंह, श्री — बदायूं
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर — आगरा
केदार सिंह, श्री — आजमगढ़
केदारनाथ सिंह, श्री — गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री — जौनपुर
केशोराम, श्री — बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव, श्री (एडवोकेट) — एटा
कैलाश टण्डन, श्री — वाराणसी
कैलाश प्रसाद, श्री — गोरखपुर
खरपत, श्री — वाराणसी
खान गुफारान जाहिदी, श्री — फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री — मुरादाबाद
खुर्शीद अहमद, श्री — बहराइच
खैरुल बशर, श्री — आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री — अलीगढ़
गजेन्द्र सिंह, श्री — इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री — बाराबंकी
गंगा सागर शंखवार, श्री — कानपुर
गया सिंह, श्री — उन्नाव
गुलाब सेहरा, श्री — आगरा
गुलाब नबी, श्री — आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती — बस्ती
गोपाल राम दास, श्री — अल्मोड़ा
गोपीनाथ वर्मा, श्री — फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री — इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री — अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती — गोरखपुर
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री — इटावा
गौरी शंकर भैय्या, श्री — बलिया
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 — बांदा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री — आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री — बांदा
चन्द्रमोहन सिंह नेगी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
चारु चन्द्र ओझा, श्री — पिथौरागढ़

छत्तर सिंह, श्री — बुलन्दशहर
छेदा लाल चौधरी, श्री — खीरी
छेदी लाल, श्री — गोंडा
जंग बहादुर, श्री — जौनपुर
जगदीश नरायन, श्री — फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री — इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री — शाहजहांपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
जटा शंकर सिंह, श्री — बहराइच
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री — गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री — खीरी
जयदीप सिंह बरार, श्री — बरेली
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री — अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री — मथुरा
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री — मुरादाबाद
जितेन्द्र शाह, श्री — जालौन
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री — फैजाबाद
जैराज गौतम, श्री — सुल्तानपुर
जोगड़ सिंह, श्री — मेरठ
जोगेश्वर, श्री — आजमगढ़
तेजनारायन त्रिवेदी, श्री — खीरी
तेजबहादुर सिंह, श्री — जौनपुर
तेजपाल सिंह गहलौत, श्री — बिजनौर
त्रिपाल कृष्ण, श्री — मथुरा
दलजीत सिंह, श्री — रामपुर
दलसिंगार, श्री — आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री — मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री — बस्ती
दीनानाथ, श्री — बस्ती
दीपक कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
दीप नरायन बन महन्त, श्री — गोंडा
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री — देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री — आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री — बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री — कानपुर
द्वारिका नाथ धवन, श्री — देहरादून
धनेश्वरी देवी, श्रीमती — वाराणसी
धरमपाल, श्री, — बहराइच
धर्मपाल सिंह, डाक्टर — अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री — मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री — मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री — बुलन्दशहर
नकली सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
नत्थू लाल, श्री — हरदोई

नन्द किशोर सिंह, श्री — देवरिया
नन्द राम, श्री — बरेली
नरेन्द्र सिंह, श्री — मेरठ
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री — पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री — पिथौरागढ़
नियाज हसन खां, श्री — प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) — बलिया
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री — एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी — इलाहाबाद
पंचानन राय, श्री — आजमगढ़
पन्ने लाल, श्री — गोरखपुर
परमाई लाल, श्री — हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री — बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री — सीतापुर
पहलवान, श्री — जौनपुर
पार्वती देवी, श्रीमती — बाराबंकी
पुष्पा चौहान, श्रीमती — अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री — अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री — हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री — बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री — प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री — जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री — प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री — फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती — बदायूं
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती — लखनऊ
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री — गोरखपुर
बंशीधर, श्री — रामपुर
बंशीधर राज, श्री — खीरी
बच्चा पाठक, श्री — बलिया
बनवारी राम, श्री — वाराणसी
बल्बन सिंह, श्री — बलिया
बल्देव सिंह आर्य, श्री — उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री — पीलीभीत
बाबू लाल, श्री — गोंडा
बाबू लाल, श्री — हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री — अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री — नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री — फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह बुर्जवाला, श्री — बुलन्दशहर
बृजकिशोर मिश्र, डाक्टर — देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती — झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री — इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री — देहरादून

भगवती सिंह विशारद, श्री — उन्नाव
भगवानदीन कुशवाहा, श्री — कानपुर
भास्कर पाण्डेय, श्री — देवरिया
भीखा लाल, श्री — उन्नाव
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री — गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री — बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री — आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री — बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री — मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ, श्री — बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) — गोंडा
महाबीर सिंह, श्री — हारनपुर
महाराज सिंह, श्री — आगरा
महारानी दोहरे, श्रीमती — इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा — आगरा
महेश उपाध्याय, श्री — आगरा
महेश प्रसाद, श्री — देवरिया
माधव प्रसाद, श्री — फैजाबाद
मान बहादुर, श्री — गोंडा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री — गोरखपुर
मित्रसेन, श्री — फैजाबाद
मीर मजहर अली, श्री — बदायूं
मुईद अहमद, श्री — सुल्तानपुर
मुन्शी लाल, श्री — मैनपुरी
मुरलीधर मूनीम, श्री — गोंडा
मुहम्मद आजम खां, श्री — रामपुर
मेहदी असगर, श्री — मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री — कानपुर
मोहन लाल, श्री — हमीरपुर
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री — बदायूं
मोहम्मद अमीन, श्री — इलाहाबाद
मोहम्मद उमर, डाक्टर — गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री — बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री — लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी — रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री — वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री — मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री — बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
यशपाल सिंह, श्री — सहारनपुर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर — फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री — मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री — गोंडा
रघुवीर सिंह यादव, श्री — मैनपुरी
रणजीत सिंह जूदेव, श्री — झांसी
रतीराम, श्री — बिजनौर

रमाकान्त मिश्रा, श्री — इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री — रायबरेली
रवीन्द्र, श्री — आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री — बहराइच
राज कुमार राय, श्री — आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती — सुल्तानपुर
राजमंगल पांडेय, श्री — देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री — झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री — सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री — अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री — एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री — इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री — फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री — बस्ती
राम आसरे पासवान, श्री — बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री — हरदोई
राम करन, श्री — वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री — आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री — सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० — जौनपुर
राम गोविन्द, श्री — बलिया
राम चन्द्र, श्री — वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री — मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री — वाराणसी
रामजी राम, श्री — फैजाबाद
राम धनी, श्री — गाजीपुर
राम नारायण सिंह, एडवोकेट, श्री — गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री — प्रतापगढ़
राम प्यारे पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री — जालौन
राम प्रसाद, श्री — मुजफ्फरनगर
राम भजन लाल, श्री — खीरी
राम यश सिंह, श्री — सहारनपुर
राम रतन सिंह, श्री — सीतापुर
राम लाल, श्री — सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री — हरदोई
राम शिरोमणि, श्री — जौनपुर
राम समुझावन, श्री — जौनपुर
राम सागर, श्री — बाराबंकी
राम सिंह, श्री — सहारनपुर
राम सिंह खन्ना, श्री — बरेली
राम स्वरूप सिंह, श्री — सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री — कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री — बहराईच

राम हर्ष राय, श्री — गाजीपुर
रामेश्वर प्रसाद, श्री — बांदा
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री — बाराबंकी
रियासत हुसैन, श्री — मुरादाबाद
रुद्र प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
रूप राम, श्री — शाहजहांपुर
रूल्हा सिंह, श्री — सहारनपुर
लल्लू सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री — प्रतापगढ़
लालसा, श्री — आजमगढ़
लोकपति, श्री — मिर्जापुर
लोकमणि शर्मा, श्री — मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री — प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री — लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री — गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री — इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री — गाजीपुर
विजय सिंह राना, श्री — आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री — टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा० — पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री — फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती — सहारनपुर
विशन लाल, श्री — बिजनौर
विश्वनाथ, श्री — देवरिया
विश्राम दास, श्री — इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री — मैनपुरी
वीर बहादुर सिंह, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री — सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री — गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर — गाजियाबाद
वृद्धि नारायन सिंह, श्री — वाराणसी
शंकर सिंह, श्री — जालौन
शम्भूनाथ, श्री — आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री — मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री — बांदा
शिवदर्शन, श्री — रायबरेली
शिव नरेश, श्री — बांदा
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री — नैनीताल
शिव बालक, श्री — रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री — मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री — अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर — पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिवबाबू, श्री — गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री — फैजाबाद
शौनाथ सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम नरायन तिवारी, श्री — गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री — बाराबंकी
श्याम सिंह, श्री — बिजनौर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री — इलाहाबाद
श्रीनाथ सिंह, श्री — वाराणसी
श्रीपति मिश्र, श्री — सुल्तानपुर
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री — वाराणसी
संजय सिंह, श्री — सुल्तानपुर
सईदुल हसन, श्री — बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री — उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री — इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री — शाहजहांपुर
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री — नैनीताल
सन्त बख्श रावत, श्री — लखनऊ
सरजू प्रसाद सरोज, श्री — प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री — मथुरा
साहब सिंह, श्री — गाजीपुर
सिकन्दरअली खां नवाब, श्री — शाहजहांपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती — इटावा
सुखबीर सिंह गहलौत, श्री — गाजियाबाद
सुनीता चौहान, श्रीमती — रायबरेली
सुन्दर सिंह, श्री — बहराइच
सुमन लता, श्रीमती — कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री — सहारनपुर
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री — बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री — गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री — अलीगढ़
सुरेश दत्त पालीवाल, श्री — जालौन
सुल्तान सिंह, श्री — मुरादाबाद
सूबेदार सिंह, श्री — मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री — जौनपुर
सोमांश प्रकाश, श्री — मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती — लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री — बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री — हमीरपुर
हंसराज सिंह वर्मा, श्री — एटा
हरगोविन्द वर्मा, श्री — सीतापुर
हरदेव, श्री — बलिया
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री — बांदा
हरिद्वार पाण्डेय, श्री — गोरखपुर
हरि प्रसाद कुरील, श्री — उन्नाव
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री — कानपुर
हरी शंकर, श्री — हरदोई
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री — मुरादाबाद
हुकुम सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर

प्रश्नोत्तर

बुधवार, 22 फरवरी, 1984

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये धरने तथा मांगें

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री सरदार सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1983 के अन्तिम सप्ताह में प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तरप्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों के प्रतिनिधियों द्वारा दिये गये धरने में मुख्य मांगें क्या हैं तथा उन पर शासन का क्या दृष्टिकोण है ?

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मुख्य मांगें शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की हैं। सम्प्रति शासन ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय शिक्षा मंत्री इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शासन की नजर में मुख्य मांग सिर्फ शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की है जबकि प्रदेश की जनता की नजर में और भी बातें हैं। प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों एवं अन्य जनता की मुख्य मांग यह भी है कि जो दोहरी शिक्षा पद्धति है, उसको भी समाप्त किया जाए, दूसरे यदि इस समय सरकार के सामने शिक्षा के राष्ट्रीयकरण में कुछ कठिनाईयां हैं तो इसका दूसरा विकल्प है, निगमीकरण का? क्या इस ओर सिद्धान्ततः स्वीकार करने पर विचार कर रही है सरकार, दूसरे दोहरी शिक्षा पद्धति को समाप्त करने पर इस समय शासन का क्या दृष्टिकोण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

दोहरी शिक्षा पद्धति जो है, उसको भी इसी से जोड़ा जा सकता है। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो शासन को उसके सारे साधनों को जुटाना और सब कुछ देखना पड़ेगा जो अभी सम्भव नहीं है और जहां तक निगमीकरण की बात उठायी गयी है, शासन की इस वक्त नीति यह है कि अभी इस संबंध में किसी प्रकार का कोई विचार कर पाना संभव नहीं है।

श्री सरदार सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अल्पसंख्यकों के स्कूलों के जो अध्यापक हैं, उनका शोषण अकलियत के नाम पर किया जा रहा है, उस पर सरकार पूर्णतया हस्तक्षेप कर उनके हो रहे शोषण को रोकने की व्यवस्था करेगी और उनकी मांगों पर पूर्णतया ध्यान देगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

भारतीय संविधान की धाराओं को दृष्टि में रखते हुये जो भी इस ओर सम्भव कदम होंगे, शासन उठायेगा और हो रहे शोषण को दूर करने के प्रयास करेगा।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि अध्यापकों की मांगों में जो बिन्दु उभरे हैं, जिसमें पहला यह कि बीस-सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत बंधुआ मजदूरी प्रणाली को समाप्त करने जैसे विद्यालयों में काम करने वाले जो लोग हैं जिन्हें केवल 20रु0 से लेकर 100रु0 तक वेतन मिलता है ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी ? दूसरे मान्यवर, मैं तीन बिन्दुओं को और सरकार के समक्ष रखना चाहता हूं कि क्या सरकार सभी असहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व स्वयं लेगी और दूसरी बात यह है कि क्या सरकार दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर कोई ऐसा कानून बनाने पर विचार कर रही है

कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी विद्यालयों में शिक्षा शुल्क निर्धारित किया जायेगा और तीसरी बात मान्यवर यह है कि क्या सरकार शिक्षण का माध्यम राष्ट्र भाषा या मातृ भाषा निर्धारित करेगी और तीसरी बात मैं सरकार से यह मांग करूंगा कि अध्यापकों का एक सम्मिलित संवर्ग बनाया जाये। इन तीन बिन्दुओं पर सरकार की क्या राय है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जो तनख्वाह देने की जिम्मेदारी है वह अधिकतर जो विद्यालय रिकगनाइज्ड हैं, और ग्रान्ट एडेड हैं तो उनको सरकार द्वारा तनख्वाह दी जा रही है। लेकिन अगर कोई ऐसा विद्यालय है जो कि ग्रान्ट इन एड की लिस्ट पर नहीं है और सरकार के द्वारा उसे रिकग्निशन नहीं प्राप्त है और अपने अध्यापकों को तनख्वाह कम दे रहा है तो उसकी सूचना यदि हमको मिले तभी हम कार्यवाही कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत से पहलू हैं। इसमें एकदम से हार्ड ऐन्ड फास्ट रूल बनाना सम्भव नहीं है। प्रशासन विचार कर रहा है कि इसके लिये एक कमेटी बनायी जाय जिसमें जो इस संबंध में बहुत सी समस्याएं हैं शिक्षकों के संबंध में, उनके वेतन के संबंध में तथा विद्यालयों के संबंध में, उनके निराकरण कैसे किये जायं इस पर विचार किया जाय।

श्री भीखा लाल--

मान्यवर, पिछले चुनाव के समय चुनाव घोषणा-पत्र में कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि हर नागरिक को समान रूप से शिक्षा के अवसर प्रदान किये जायेंगे और जो शिक्षा को दोहरी नीति चल रही है उसको समाप्त किया जायेगा। सन् 1980 के बाद से आज तक सरकार ने इस दिशा में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो चुनाव के समय घोषणा की गयी थी उस पर अमल हुआ है। बात कही गयी थी कि शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जायेंगे, वह किये गये हैं। यह बात अलग है कि आपको हजरतगंज जाना है उसके लिये कहा गया कि आपको सेवायें उपलब्ध करायी जायेंगी परन्तु जो सेवा उपलब्ध करायी गयी आप उससे न जाकर अपनी गाड़ी से या कार से जाना पसन्द करते हैं तो इसमें क्या आपत्ति है ? बेसिक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल खोले गये, लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की गयी, किताबें वगैरह दिलायी गयीं। कुछ लोग अपने बच्चों को उन स्कूलों में न भेज कर दूसरे स्कूलों में भेजते हैं तो इसमें सरकार क्या कर सकती है ? उत्तर प्रदेश में सामान्य शिक्षा प्रणाली है परन्तु कोई अपने बच्चे को महाराष्ट्र भेजता है, कोई मद्रास पढ़ने के लिये भेजता है भावना यह है कि सबको शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिये, जो कि बराबर मिल रहे हैं किसी भी व्यक्ति पर रोक नहीं लगी है। अगर कोई अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल में नहीं भेजता है तो उसके लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये दोहरी शिक्षा प्रणाली पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकते। यहां पर प्रिविलेज क्लास और नान प्रिविलेज क्लास पैदा हो गया है। तो क्या शिक्षा मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि जो सरकारी मुलाजमत हैं वह केवल उन्हीं लोगों को दी जाय जो कि सरकारी खर्चे पर तालीम हासिल करके आयें, यह जो प्राइवेट स्कूल से आने वालों के कारण जो हर्डिल्स हैं इससे वह दूर हो जायगी और लोगों को मुलाजमत मिल सकेगी ?

श्री अम्मार रिजवी---

मान्यवर, जो माननीय सदस्य ने बात कही है यह संवैधानिक रूप से सम्भव नहीं है।

श्री हुकुम सिंह---

माननीय मंत्री जी ने जो सैद्धान्तिक रूप से कठिनाई बतलायी है तो इधर दो-ढाई वर्षों में सरकार की ओर से इस दिशा में जो कदम उठाये गये हैं कि जो माध्यमिक स्कूल्स है बेसिक स्कूल

हैं इसमें जहां तक दोहरी शिक्षा प्रणाली की बात है इसे समाप्त करके सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों जैसे कि आपके बेसिक स्कूलों में और प्राइमरी स्कूल्स में तथा जूनियर हाई स्कूल्स में यह देखने में आता है कि वहां ब्लैकबोर्ड नहीं है, टाट-पट्टी नहीं है, मेज नहीं है, कुर्सी नहीं है तो क्या इन स्कूलों के स्टैंडर्ड में आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस समय जो हमारी वित्तीय स्थिति है और फिर माननीय हुकुम सिंह जी तो इस, सदन के बहुत सीनियर मैम्बर हैं, वह जानते हैं कि इस क्षेत्र में 965 करोड़ रु0 टोटल रिसीट है जिसमें से 510 करोड़ रु0 हम सिर्फ वेतन में दे रहे हैं। जो शिक्षा का बजट है उसका 99 प्रतिशत के करीब सिर्फ वेतन पर ही व्यय हो जाता है, ऐसी स्थिति में कठिनाई है। इतना बड़ा प्रदेश है, जिसमें करीब 70 हजार जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी स्कूल मिलकर हैं और इन्टर मीडिएट कालेज हैं उनमें सारा पैसा तनख्वाहों पर जाता है। उस पर हमारी कोई रोक नहीं है। माननीय सदस्य ने कहा कि स्कूलों में टाट-पट्टियां नहीं हैं, मैं उससे सहमत हूं। जब तक वित्तीय साधन नहीं होंगे किसी भी सरकार के लिये यह संभव नहीं होगा।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह दोहरी शिक्षा प्रणाली को जब नहीं समाप्त कर सकते हैं तो क्या एकहरी शिक्षा प्रणाली है, उसको समस्त बालकों पर लागू करने की कृपा करेंगे, जिनको आज भी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और सरकार ने उनके लिए कोई भी विद्यालय नहीं खोला है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि 3 किलोमीटर की दूरी पर एक विद्यालय खुल जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जहां तक माननीय विद्यासागर जी के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस बात की व्यवस्था की गयी है कि अधिक से अधिक ग्रामीण अंचलों में स्कूल खोले जायें, जिससे वहां के बच्चे फायदा उठा सकें। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक गांवों के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें।

श्री यदुनाथ सिंह--

मान्यवर, 34 साल आजादी को मिले हो गये हैं। बनारस, रामनगर और चकिया में हाई स्कूल तक के विद्यार्थियों की शिक्षा निःशुल्क है। तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था सारे प्रदेश में लागू करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, जो हमारी वित्तीय स्थिति है, उसको देखते हुए यह संभव नहीं है।

श्री शेर बहादुर--

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो शिक्षक विधायक हैं उनके स्थान पर नियुक्ति इस समय प्रतिबन्धित है, तो इससे जो विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है, इसको देखते हुए क्या उनके स्थान पर नियुक्तियाँ करने की अनुमति देने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन पर व्यय को नियंत्रित करने हेतु लागू की गयी साख सीमा योजना

**2--श्री पंचानन राय--

क्या माननीय शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन भुगतान हेतु जो अनुदान विभिन्न जनपदों को आवंटित किया जाता है उसके पूर्व कोई कैश क्रेडिट सर्टीफिकेट उनके विभाग

द्वारा माँगा जाता है ? यदि हाँ, तो क्या ऐसी व्यवस्था अन्य विभागों के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु धन आवंटित करने के लिये भी लागू है ? यदि नहीं, तो इस भेदभाव पूर्ण नीति का क्या औचित्य है और विद्यालयों में बिलम्ब से वेतन भुगतान होने के लिये कौन लोग उत्तरदायी हैं तथा इस स्थिति से निपटने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं। सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं इन्टर कालेजों से कोई कैश क्रैडिट सार्टिफिकेट नहीं माँगा जाता। शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन पर होने वाले व्यय को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विनियोजन नियंत्रण की साख सीमा योजना 1 जुलाई, 1983 से लागू की गयी है। योजना के प्रारम्भ में कुछ प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के निवारण में वेतन वितरण में कहीं कहीं बिलम्ब हो गया था जो अब दूर हो चुका है। अधिक व्यय करने वाले विभागों में विनियोजन नियंत्रण प्रणाली लागू करने की शासन की पुरानी नीति है। यह प्रणाली शिक्षा विभाग के अतिरिक्त सार्वजनिक निर्माण, सिंचाई तथा वन विभागों में पहले से लागू है और इसके कारण कोई कठिनाई नहीं है। शिक्षा विभाग भी एक बड़ा विभाग है और इसके व्यय को नियंत्रण करने वाली प्रक्रिया को भेद भाव पूर्ण नीति की संज्ञा नहीं दी जा सकती।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के अंतिम हिस्से में कहा है शिक्षा विभाग भी एक बड़ा विभाग है, सरकार उसके कर्मचारियों और शिक्षकों को तनख्वाह देती है, उस पर होने वाले व्यय को कन्ट्रोल करने के लिए साख सीमा योजना लागू की गयी है। केवल जो सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं उन्हीं पर साख सीमा लगायी गयी है ? क्या जो अनुदान सरकार देती थी जितना पैसा अध्यापकों के वेतन के लिये चाहिये था उससे ज्यादा सरकारी खजाने से लगातार निकालते रहे और उसी कारण से सरकार मजबूर होकर साख सीमा वेतन भुगतान पर लगानी पड़ी ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इस प्रश्न का उत्तर स्वयं माननीय सदस्य ने दे दिया। यही कारण था ?

श्री पंचानन राय--

माननीय मंत्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि जितना पैसा वेतन के भुगतान के लिये चाहिये था उससे ज्यादा और भ्रष्ट तरीकों से सन् 71 से सन् 83 तक पैसा ब्रेन आउट होता रहा। हर जिले के किसी भी विद्यालय को देख लीजिये। लखनऊ के ही किसी विद्यालय को ही ले लीजिये यहाँ पर 5 लाख से अधिक रुपया इस तरह से निकाले जाने का मामला प्रकाश में आया है ? इसी तरह से ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न लखनऊ से सम्बन्धित नहीं है।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, यह साख सीमा इस बात के लिये लगायी गयी कि इतने रुपये से ज्यादा वेतन के भुगतान के लिये नहीं दिये जायेंगे। मान्यवर, यह सवाल फरवरी में आया है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से जिले ऐसे हैं, जिनके ऐसे कितने विद्यालयों में साख सीमा लगाने के बाद लाखों रुपये का गबन का मामला प्रकाश में आया है ?

श्री अध्यक्ष---

यह इससे संबंधित नहीं है। कृपया बैठें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने उत्तर के सन्दर्भ में इस बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि उन्होंने स्वत: ही स्वीकार किया है, शासन के पास इस तरह की सूचनायें मिली हैं कि अनेकों स्थान पर साख सीमा लगाने का कारण यह हुआ कि उससे ज्यादा पैसा निकाल लिया। इसी संदर्भ में इन दो वर्षों में जो अनियमित कार्य होता रहा और जिन विद्यालयों के प्रबन्धकों और प्रिंसिपल्स ने यह अनियमित कार्य किया उनके बारे में कार्यवाही करने के लिये या उस पैसे को समायोजित करने के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ? क्या सरकार ऐसे कालेजों की एक सूची बनाने का प्रयास करेगी जिन्होंने नियमों की अवहेलना की ? यदि यह सूची नहीं बनी है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव शासन के सामने है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, प्रदेश में केवल माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन वितरण के लिये यह साख सीमा लगायी गई है। यह नीति विषयक प्रश्न है और शासन ने लगायी है। मैं जानना चाहता हूं कि शासन के सामने वे कौन सी परिस्थितियाँ थीं जिनके कारण इन माध्यमिक विद्यालयों में वेतन भुगतान के लिये साख सीमा लगानी पड़ी ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जो सीमा लगायी गई, जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है, और विभागों में भी थी। माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने जो बात कही वह सत्य है और जैसा पंचानन राय जी ने कहा कुछ विद्यालयों में यह बात सामने आयी। (व्यवधान) मान्यवर, प्राचार्य और प्रबन्धक का जो अन्तर है वह आप माननीय ऊदल जी को बता दें।

मान्यवर, कहीं पर मैनेजमेंट की वजह से और कहीं पर गल्ती से ओवर पेमेंट हो गया। इस लिये यह सीलिंग लगायी गयी। यह अभी केवल माध्यमिक विद्यालयों में ही लगायी गयी है। हम विचार कर रहे हैं कि जो हमारा बजट है और जो पेमेंट है उसको हम सही तरीके से दे सकें। इस पर विचार कर रहे हैं। कहीं पर आवश्कयता होगी तो सीमा लगायी जायगी लेकिन किसी खास स्कूल या विद्यालय के साथ भेदभाव नहीं है।

प्रश्नों के उत्तर विधान सभा सचिवालय में समय से भेजने के संबंध में श्री अध्यक्ष का शासन को निर्देश

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के संबंध में शासन के लोग विशेष रूप से मेरी बात को सुनें और नोट करें। हो यह रहा है कि यहाँ पर मेरे कार्यालय से मेरे यहाँ जो प्रश्नों और उनके उत्तर से संबंधित पत्रावली आती है वह उसी दिन 10 बजे या 10-30 बजे तक आती है। नियम आपका यह है कि एक दिन पहले 6 बजे तक प्रश्नों के उत्तर हमारे यहाँ आ जाना चाहिये नहीं तो एजेंडा बनाने में हमको परेशानी होती है। हमारे कर्मचारी प्रात: 7 बजे से लेकर 10 बजे तक देखते रहते हैं और 10 बजे रात तक प्रश्न तथा उत्तर नहीं आते हैं। दिन प्रति दिन यह कठिनाई इससे आती है, भविष्य में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि 6 बजे शाम के बाद कोई प्रश्न आते हैं....

श्री ऊदल—

मान्यवर, नियमावली के अन्तर्गत आप इनको निर्देशित कर सकते हैं, निवेदन करने का सवाल कहाँ आता है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर 6 बजे के बाद आते हैं तो मेरे लिये यह संभव नहीं होगा कि मैं उनको शामिल कर सकूं। इसके लिए चाहे आप विशेष रूप से अपनी मीटिंग बुलायें या कोई और निर्णय करें। 6 बजे के बाद इस प्रकार से प्रश्न और उत्तर आयेंगे तो न मेरे लिये और न मेरे सचिवालय के लिय संभव होगा कि उनको हम ले सकें। भविष्य में इस बात का ध्यान रखें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, जो असुविधा आपको देर से प्रश्नों के उत्तर आने के कारण कल हुई या पहले हुई इसका मुझे अत्यन्त खेद है। आपने 'निवेदन' शब्द का इस्तेमाल किया यह आपका बड़प्पन है, इंसानियत है, आपकी शराफत है। आपका निवेदन हमारे लिये आदेश है और आपके आदेशों का पालन होगा। मैं मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को इस बात के लिये कहूंगा कि समय से आपके पास प्रश्न के उत्तर पहुंच जायं।

श्री रियासत हुसैन—

इनको निर्देशित कर दीजिये कि एक खेद मंत्री का पोर्ट फोलियो बढ़ा दिया जाय।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के जनपदों में नहरों के किनारे सीपेज की समस्या

*1—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन नहरों के किनारे किन-किन जनपदों में सीपेज की समस्या सरकार के संज्ञान में है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस गंभीर समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या उपाय कर रही है और वे उपाय कब तक क्रियान्वित हो सकेंगे जिससे कि प्रभावित कृषकों को राहत मिल सके?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, यह सवाल पहले अल्पसूचित में स्वीकार हुआ था उसके बाद शासन के अनुरोध पर तारांकित में परिवर्तित किया गया और अब जब जवाब आया है तो कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अगले बुधवार को सदन नहीं होगा तो यह तो 15-20 दिन के लिए चला जायेगा। मेरा अनुरोध है कि इसे जल्दी करा दें।

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, इसमें जो सूचना मांगी गयी है वह यह है कि किन-किन नहरों के किनारे किन-किन जनपदों में सीपेज की समस्या सरकार के संज्ञान में है। तो पूरे स्टेट में हमारी नहरें हैं। सारे जिलों के बारे में सूचना एकत्रित करनी है तो इतने समय में इतना करना आसान नहीं है। ज्यादा समय इसमें लग ही सकता है जब कोई ऐसा सवाल आता है तो उसके लिये पूरा समय देना चाहिये।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सीपेज की समस्या है यह सबसे ज्यादा शारदा सहायक और उसकी शाखा जो दरियाबाद ब्रांच है, उसमें है। जो सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, लखनऊ, रायबरेली आदि है वहां पर ज्यादा है। यहां पर यह बहुत जटिल समस्या है। इसके किनारे आपके ही कथनानुसार 45 हजार एकड़ जमीन प्रभावित हुई है और पिछले 8 वर्षों से प्रभावित है, तो क्या इसके निदान के लिये सरकार ने कोई उपाय किया है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि शारदा सहायक में सीपेज की बहुत बड़ी समस्या है। ऊदल जी ने जो बताया उससे हम लोग भी चिन्तित हैं कि सीपेज से नहर के किनारे लोगों को बड़ी परेशानी है जिसके लिये हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। और इसके पहले भी यहां हाउस में कहा

था कि एक कमेटी बनायी है जो जल्दी से जल्दी तैयार करेगी कि क्या क्या काम हमको करना है। इस पर विशेष रुचि है और प्रयास होगा कि प्राइरिटी देकर लोगों को जो सुविधायें दे सकते हैं वह जल्दी से जल्दी देंगे।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सीपेज की समस्या के निराकरण हेतु कमेटी बनायी गयी है उसका गठन कब हुआ और उसमें कौन-कौन लोग हैं? दूसरी बात मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस समस्या के हल के लिये पहले क्या क्या उपाय कर चुके हैं?

श्री बीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, सीपेज के लिये पहले ही ड्रेन बनाने के लिये तथा जो संभव हो सकता है वह काम हो रहा है और 45 हजार एकड़ में कम से कम 1/3 लोगों को बचा पाये हैं ड्रेन से और काम कर रहे हैं। कमेटी इसलिये बनायी है कि जल्दी से जल्दी काम हो सके।

[बुधवार, 22 फरवरी, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

पर्वतीय क्षेत्र में शक्ति चालित करघे लगाने की सुविधा

*1--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैदानी क्षेत्र के हरिजनों की सहकारी समितियों के लिए पावर लूम पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है और उनके लिये पावर लूम के कोटे निर्धारित कर दिये गये हैं? यदि हां, तो पर्वतीय क्षेत्र में यह सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्र में भी शक्ति चालित करघों को लगाने की सुविधा देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में हथकरघा सहकारी समितियों को भी शक्तिचालित करघे लगाने की सुविधा दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कुंवर सिंह नेगी --

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उत्तर में बताया कि पर्वतीय क्षेत्र में हथकरघा सहकारी समितियों को भी शक्तिचालित करघे लगाने की सुविधा दी जा रही है तो, क्या-क्या सुविधायें हैं और किन-किन समितियों को यह सुविधायें दी हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, एक सिद्धान्त रूप में मैंने माना है कि जो हमारी हरिजन सहकारी समितियां हैं वह जो भी शक्तिचालित करघे लगायेंगी उनको हम प्राइरिटी देते हैं पूरे राज्य में तो पहाड़ में भी हैं। इसलिये जहां मांग किया है वहां इसको बांट दिया है। कोशिश है कि जहां समितियां हैं उनको लाभ पहुंचायें। हमारे प्रदेश में 700 लाइसेंस भारत सरकार से मिले हैं जिनमें पूरे स्टेट में देना है, हर जगह को देखना है और पहाड़ को भी इसमें दिया गया है।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में जो हैन्डलूम हैं वह जरूर चले हैं लेकिन पावर लूम की व्यवस्था जैसी मैदानी क्षेत्र में है, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कठिनाई है कि पर्वतीय क्षेत्र में पावरलूम की सुविधा हरिजनों को नहीं दे रहे हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जो सुविधा है वह हरिजनों की सहकारी समितियां जो हैं उनको दी जा रही हैं और पावरलूम के उत्तर प्रदेश में 700 लाइसेंस भारत सरकार से कुल मिले हैं जो पूरे स्टेट में दे रहे हैं और प्रायरिटी हरिजन सहकारी समितियों को दे रहे हैं और जो पहाड़ में हरिजन समितियां हैं उनको भी दे रहे हैं।

जनपद हरदोई के नलकूप अधिशासी अभियन्ता, श्री रावेन्द्र सहाय सक्सेना की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच

*2---श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के नलकूप अधिशासी अभियन्ता, श्री रावेन्द्र सहाय सक्सेना के अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगस्त/सितम्बर, 1982 में अमर सिंह नामक व्यक्ति द्वारा की गयी शिकायत पर सतर्कता जांच कराई जा रही है? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री वीर बहादुर सिंह---

प्रश्न में उल्लिखित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध श्री अमर सिंह का शिकायती पत्र दिनांक 28-8-82 प्राप्त हुआ था, जिस पर सतर्कता विभाग द्वारा कोई जांच आदेशित नहीं की गयी।

विकास खंड गोसाई गंज एवं मोहनलाल गंज में विकास खण्ड अधिकारियों की देख रेख में हरिजन दुकानों का निर्माण

*3---श्री सन्त बख्श रावत---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज एवं मोहनलाल गंज में विकास खण्ड अधिकारियों की देख-रेख में हरिजन दुकानों का निर्माण वित्तीय वर्ष 81-82, 82-83 एवं 83-84 में कराया गया है? यदि हां, तो प्राविधिक राय देने के लिए कौन-कौन से सक्षम अधिकारी नियुक्त हैं? यदि नहीं, तो क्यों? इसका भुगतान करने के लिए खण्ड विकास अधिकारी को किस कारण से नियुक्त किया गया है?

हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)---

जी हां। प्राविधिक राय देने के लिये विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियुक्त हैं। इसका भुगतान करने के लिये खण्ड विकास अधिकारी की नियुक्ति जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा की गयी है ताकि कार्य सुगमतापूर्वक हो सके।

श्री सन्त बख्श रावत---

श्रीमन्, मेरा मूल प्रश्न देख लें, मैंने यह जानना चाहा था कि विकास खंडों पर प्राविधिक राय देने के लिए कौन सक्षम अधिकारी हैं, लेकिन जो उत्तर आया है, उसमें उन्होंने यह बताया है कि विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी, लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा नियुक्त हैं। यानी अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, जिनको एस्टीमेट बनाने का तो अधिकार है लेकिन उसकी स्वीकृति जिला सहायक अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी के नहीं हो सकती है, तो इतने बड़े स्तर पर निर्माण कार्य कैसे कराने की उनको स्वीकृति दे दी गयी और वह कौन से अधिकारी थे?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, यह कार्य जिलाधिकारी, जहां तक मेरी जानकारी है, के माध्यम से बी0 डी0 ओ0 के जरिये कराया गया और प्राविधिक राय देने के लिए यह दो अधिकारी थे, जिनके बारे में अभी मैंने सूचित किया है।

श्री सन्त बख्श रावत--

यह सहायक विकास अधिकारी, अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, यह प्राविधिक राय देने के लिए सक्षम नहीं हैं। जो भी दुकानें बनायी गयी हैं उनमें एक भी हरिजन नहीं गया है, उसका कारण यह है कि बहुत खराब दुकानें बनायी गयी हैं। तो जिलाधिकारी ने किस कारण से खण्ड विकास अधिकारी को दिया, जबकि निर्बल वर्ग आवास निगम, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा और सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे टेकनिकल विभाग मौजूद हैं ?

(एक सदस्य के सदन में तनकर आने पर)

श्री अध्यक्ष--

जब सदन में यहां कोई माननीय सदस्य आयें तो सदन के शिष्टाचार का पालन आपको करना चाहिये, सीधे आकर नहीं बैठ जाना चाहिए।

श्री सन्त बख्श रावत--

मैं यह जानना चाहता हूं कि खण्ड विकास कार्यालयों पर अवर अभियन्ता तो सक्षम अधिकारी नहीं है यहां पर निर्बल वर्ग आवास निगम, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा और सार्वजनिक निर्माण विभाग जैसे टेकनिकल विभाग मौजूद है। यह सारी इकाइयाँ हमारे विभिन्न विभागों के कार्यों को करती हैं, तो कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी को जिलाधिकारी ने यह दुकानें बनाने के लिये दिया ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, स्थिति यह है कि जो भी स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान की कार्यवाही होती है, निर्माण कार्य होते हैं, वह आर० ई० एस० के माध्यम से या कभी-कभी पी० डब्लू० डी० के माध्यम से भी होते हैं, लेकिन इस केस में यह बात सही है कि इनके माध्यम से न कराकर तत्कालीन जिलाधिकारी ने बी० डी० ओ० के माध्यम से यह कार्य कराया है। फिर भी इस संबंध में हमारे पास लिखित सूचना तो नहीं है, लेकिन शिकायत आई हैं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहाँ जो कार्य हुआ है वह अच्छे और कुशलरुप में नहीं हुआ है।

(प्रश्न संख्या 4 पुकारे जाने पर।)

श्री सन्त बख्श रावत--

मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर सन्तोषजनक नहीं दिया है, इसलिये मैं सदन का दो मिनट के लिए त्याग करता हूं।

(श्री सन्तबख्श रावत सदन त्याग कर चले गये।)

गोरखपुर जनपद में मानीराम-डोमिनगढ़ तथा मानीराम-माधोपुर बांध में मिट्टी का कार्य

*4--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद में मनीराम-डोमीनगढ़ तथा मानीराम-माधोपुर बाँध पर वर्ष 82-83 में मिट्टी का कार्य किसके आदेश से कब प्रारम्भ किया गया ? क्या यह सच है कि आदेश प्राप्त किये बगैर ही कार्य प्रारम्भ कर लगभग 5 लाख रुपए का अवैध भुगतान कर दिया गया तथा पुनः उस कार्य को बन्द करवा दिया गया ? यदि हाँ, तो उक्त सरकारी धन के दुरुपयोग की जाँच कराकर दोषी व्यक्ति को दंडित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

गोरखपुर जनपद में मानीराम-डोमिन गढ़ तथा मानीराम-माधोपुर बाँध में मिट्टी का कार्य उत्तर प्रदेश बाढ़ नियंत्रण परिषद की तकनीकी सलाहकार समिति की स्वीकृति के उपरान्त वर्ष 1981-82 में ही प्रारम्भ किया गया था।

तकनीकी स्वीकृति एवं धन उपलब्ध होने पर ही उक्त दोनों बाँधों पर जून, 83 तक 4.63 लाख रु0 व्यय हुआ है जो अवैध नहीं है। कार्य बन्द नहीं कराया गया वरन् धनाभाव के कारण धीमी गति से चलाया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती गौरी देवी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों बाँधों के निर्माण कराने के लिए विभागीय स्वीकृति कब और किस तारीख को दी गयी तथा निर्माण कार्य किस तारीख से शुरू हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यह तो प्रश्नोत्तर में ही बताया गया है कि इनका निर्माण वर्ष 1981-82 में शुरू हुआ। बाद में पैसा न होने के कारण और काम रुक गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय सदस्या ने प्रश्न यह पूछा था कि विभागीय स्वीकृति कब मिली, उसका उत्तर नहीं आया। मेरी निश्चित जानकारी यह है कि इन दोनों बाँधों पर कोई काम हुआ ही नहीं। जो काम हुआ है वह मनमाने ढंग से ठेकेदारों ने किया है और फर्जी भुगतान हुआ है और इसको विभागीय स्वीकृति मिली ही नहीं है। ठेकेदारों ने जबरदस्ती काम किया और जबरदस्ती भुगतान लिया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

मेरी जानकारी नहीं है कि जबरदस्ती किया गया। लेकिन जब 1981-82 में काम शुरू हुआ तो उसके पहले विभागीय स्वीकृति हो गयी होगी। लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं उसकी जाँच करा लूंगा।

श्री विजय सिंह राना--

अगर माननीय मंत्री जी यह बतला दें कि विभागीय स्वीकृति कब हुई और कब काम शुरू हुआ, तो सारी स्थिति साफ हो जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा है कि मैं इसकी जाँच करवा लूंगा, जो जानकारी थी वह मैंने बता दी है।

हैदरगढ़ क्षेत्र के ग्राम पोखरा एवं बहुता में हरिजनों के लिये निर्मित दुकानों में बरती गयी अनियमिततायें

*5--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता ने दिनाँक 30-7-83 को एक पत्र दिया था, जिसमें हैदरगढ़ क्षेत्र (बाराबंकी) के ग्राम पोखरा एवं बहुता में हरिजनों के लिए बनी दुकानों में बरती गयी अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया था ? क्या सम्बन्धित विषय पर कोई जाँच हुई ? यदि हाँ, तो जाँच परिणाम क्या निकले ? क्या शासन दोषी अधिकारियों पर प्रभावी कार्यवाही करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हाँ। प्रश्नगत पत्र को जिलाधिकारी बाराबंकी को जाँच कराने हेतु भेजा गया था जिलाधिकारी से प्राप्त सूचनानुसार प्रश्नगत पत्र पर अभी तक जाँच नहीं कराई जा सकी है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी बाराबंकी को शीघ्र जाँच कराये जाने हेतु पुनः कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने से पहले एक निवेदन करूंगा, आपसे। यहाँ पर प्रश्न करने का मतलब यह होता है कि कोई वाजिब उत्तर मिलेगा, वरना प्रश्न करने का मतलब ही नहीं रहता। एक ओर तो सरकार हरिजनों के नाम पर उनके उद्धार और उत्थान के लिये करोड़ों रुपये

खर्च करने के जाल बट्टे का ढिंढोरा पीटती है, दूसरी ओर हरिजनों के लिये जो दुकानें बनायी जाती हैं, जिन पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, बनने के बाद उन्हें देखने पर लगता है कि जैसे वे मोहन जोदड़ों के अवशेष हों।

मैंने 30–7–83 को एक पत्र लिखा था और आज फरवरी, 84 है, 9 महीने हो गये, बाराबंकी लखनऊ की नाक के नीचे है, और अभी तक जाँच नहीं हो पायी है। दूकाने बनने से पहले ही ढह गयी हैं। मैंने एक पत्र नहीं अनेकों पत्र लिखे, बारम्बार सरकार कहती है कि हरिजनों के लिये हम लुटे जा रहे हैं। तो मान्यवर, हरिजनों के नाम पर अधिकारी पोषण अभियान शुरु हुआ है, अधिकारियों की जेबें भरी जा रही हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो ए0 डी0 एम0 दोषी है वह तबादला होकर लखनऊ आ गया है। हरिजन समाज कल्याण विभाग के सचिव भी हरिजन हैं, लोक लेखा समिति में भी मैंने कहा है तो आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ? इसका उत्तर दे दें और मेरा जो पत्र है उसको सदन के सामने पढ़ कर सुनाने की कृपा करें ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, पहले तो मैं आपका पत्र पढ़कर सुना दूं।

श्री अध्यक्ष––

अगर पत्र लंबा न हो तो सुना दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

मान्यवर, छोटा सा पत्र है। दिनांक 30–7–83 का पत्र है। पत्र इस प्रकार है––महोदय, वैसे तो बाराबंकी जनपद में जिन भी विकास खंडों में हरिजन बंधुओं की दूकाने बनीं या हरिजनों के लिये जमीन खरीदी गयी है उसमें भारी घोटाला है। अपर जिलाधिकारी विकास श्री उमानाथ त्रिपाठी ने भरपूर रकम हजम की है। मेरा क्षेत्र हैदरगढ़ है। क्षेत्र के अन्तर्गत त्रिवेदीगंज ब्लाक में ग्राम पोखरा एवं बहुता में हरिजनों की दुकानें बनी हैं। अपर जिलाधिकारी उमानाथ ने ठेके पर बनवाया। क्षेत्रीय जनता ने घोटाले की आवाज उठायी। तत्कालीन बी0 डी0 ओ0 ने घोटाले की रिपोर्ट की जिसे हटवा दिया गया। 1–15 का मसाला लगवाया गया है। पूरा का पूरा फर्जी है। आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने विभाग से मुख्य अभियन्ता द्वारा हरिजन दुकानों पर लगाये गये मसाले की जाँच कराने की कृपा करें। बहुत भारी घोटाला सामने आयेगा। इस समय हरिजन के नाम पर भारी लूट हो रही है। (ह0) श्यामलाल बाजपेयी।

तो मान्यवर, यह पत्र 30–7–83 का है, यह सही है। दूसरे इसके विषय में अभी तक कोई विशेष कार्यवाही नहीं हुई है, यह भी सही है। हमने डी0 एम0 को 29–11–83 को लिखा कि इसकी जाँच करायें और रिपोर्ट दें लेकिन जाच नहीं हुई है तो जब हमारे सामने यह केस आया तो 17–2–84 को वायरलेस भेजा कि डी0 एम0 तुरन्त कार्यवाही करें। हरिजन उत्थान की जितनी विपक्ष को चिन्ता है उससे कम चिन्ता हमें नहीं है। माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी चिन्तित हैं उसके लिये मुझे खुशी है कि आप हरिजनों का मामला सामने लाये हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि इस विषय में तुरन्त जाँच करवाकर जो दोषी व्यक्ति है उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। जो डिले हुई है मैं उसके लिये क्षमा प्रार्थी हूं।

श्री श्याम लाल बाजपेयी––

मान्यवर, आपने मेरा पत्र सुना, कितने गंभीर आरोप पत्र में लगाये हैं। जिस ए0 डी0 एम0 (प्लानिंग) ने घोटाला किया है उसकी जाँच डी0 एम0 से कराने के लिये लिखा गया लेकिन डी0 एम0 ने जाँच नहीं किया। क्या आपके सचिव, उप सचिव छुट्टी पर या विदेश यात्रा पर चले गये हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के महामंत्री का नाम हरिजन उत्थान है जिसके नाम पर सरकार करोड़ों रुपये खर्च कर रही है लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह तुरन्त सदन में घोषणा करेंगी कि किसी उप सचिव या संयुक्त सचिव को बाराबंकी में मौके की जाँच करने के लिये भेजने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, बड़ा अच्छा सुझाव है। मैं फौरन भेजूंगी। कल भेज दूंगी, परसों भेज दूंगी, जब आपकी आज्ञा होगी। इसमें तुरन्त कार्यवाही होगी और ऐक्शन लिया जायेगा यह मैं आश्वासन देना चाहती हूं।

श्री जी० डी० दुबे, सहायक अभियन्ता बाढ़ कार्य, खण्ड देवरिया के विरुद्ध जांच

*6---श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा कोई शिकायती पत्र सितम्बर, 83 में श्री जी० डी० दुबे, सहायक अभियन्ता बाढ़ कार्य खण्ड देवरिया के विरुद्ध मिला है? यदि हाँ, तो इस पर अब तक की जाँच में कौन से तथ्य प्रकाश में आये और उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह---

जी हाँ।

प्रश्नगत शिकायती पत्र की जाँच के आदेश दे दिये गये हैं। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही प्रकाश में आने वाले तथ्यों पर कार्यवाही करना संभव हो सकेगा।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

मान्यवर, मैं आपका विशेष संरक्षण चाहूंगा इस प्रश्न के संम्बन्ध में। मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिकायती पत्र के संबंध में जाँच के आदेश कब दिये गये और कौन सा अधिकारी जाँच कर रहा है? हमारे शिकायती पत्र के बिन्दु 7-8 में स्पष्ट लिखा गया है कि संबंधित सहायक अभियन्ता विगत 6 वर्षों से वहाँ रह रहे हैं और उनका स्थानान्तरण आदेश बार-बार निरस्त किया जा रहा है। देव कली पंप कैनाल की विजिलेंस की जाँच हो चुकी है तो कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है? कार्यवाही न कराये जाने का कारण क्या माननीय मंत्री जी द्वारा 50 हजार रुपया ले लिया जाना है? यदि नहीं, तो क्या तत्काल उसका स्थानान्तरण करके विजिलेंस की इन्क्वायरी करवायेंगे?

श्री वीर बहादुर सिंह---

माननीय सदस्य का जिस तरह का सवाल करने का ढंग है, यह ठीक नहीं। कोई बात जांच करने के लिये लिख देना, आपके लिख देने से किसी व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाय, डिसमिस कर दिया जाए? यहाँ पर हम कोई काम नियम और परम्परा के खिलाफ करने के लिये नहीं बैठे हैं। इसकी जाँच चीफ इंजीनियर खुद कर रहे हैं। ए० ई० की जाँच चीफ इंजीनियर को दी गयी है और इस पर माननीय सदस्य ऊटपटाँग बात करना शुरू कर दिये। यहाँ पर नियम और परम्परा के खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता, जो भी काम होगा, नियम के अनुसार होगा।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

मान्यवर, मैंने एक प्रश्न आपके माध्यम से इसी सत्र के प्रथम बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के संबंध में अपने शिकायती पत्र दिनाँक 6-4-83 के बिन्दु में लिखा है कि सहायक अभियन्ता, श्री गिरधर दुबे सगर्व इस बात को कहते है कि मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी के गृह जनपद का रहने वाला हूं और मेरा उनका विभागीय लेन-देन का सम्बन्ध है, इस प्रकार जब तक मैं चाहूंगा इस जनपद में रहूंगा। मान्यवर, इस बात पर मैं बल दे रहा हूं कि इनको 10 वर्ष की सेवाओं के अन्तर्गत निषिद्ध स्थान पर जाना था, 13 वर्ष के सेवाकाल में नहीं गये, लगभग 6 वर्षों से देवरिया में बने हुये हैं और 5 वर्षों के अन्तर्गत गौरव आटोमोबाइल, गोरखपुर, गोरखपुर में मकान, प्राइवेट बस, देवरिया में मकान, कार, रिवाल्वर, टेलीविजन, ट्रक आदि इन्होंने लिया है। मान्यवर, हम 1500 रुपये पाते हैं, इसमें पारिजात के वृक्ष नहीं लगते, इनके वेतन के रुपये में कौन से गूलर के फूल लग जाते हैं?

श्री अध्यक्ष---

आप सूचना दे रहे हैं। आप प्रश्न करें।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र---

मान्यवर, माननीय मंत्री जी का कहना है कि इस प्रकार से माननीय सदस्य को नहीं कहना चाहिये था। मान्यवर, मेरी इन बातों में अगर तथ्य न हो, तो क्या तत्काल प्रभाव से इन्हें निलम्बित कर जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, जांच या निलंबन नियमतः ही किया जा सकता है, कोई काम धमकी देकर नहीं किया जा सकता है ।

ताजमहल को वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत इन्द्राज कराने की मांग

* 7---श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ तथा श्री मंजूर जाफरी---

क्या मुस्लिम वक्फ एवं कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ताज महल को वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत इन्द्राज करने के सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, जो किन्हीं कारणों से रुकी हुई है ? यदि हाँ, तो उसे रोकने के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो उसे वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराकर वक्फ बोर्ड की देखरेख में करने की कृपा करेंगे ?

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)---

मामले का परीक्षण किया जा रहा है ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ---

मान्यवर, इस मामले पर कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मान्यवर, ताजमहल एक केन्द्रीय सरकार एवं पुरातत्व विभाग के नियंत्रण में है। उसकी देख-भाल करने के लिये अभी आपके वक्फ बोर्ड द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया था, उसको इस्टेब्लिश कराने के लिए, कायम करने के लिये अपना इन्सपेक्टर भेजा है ? यह हमें सूचना भेजी है।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, कोई भी मजार, मस्जिद, तांग खानका, कब्रिस्तान ये सब मुस्लिम वक्फ परसनल ला के तहत वक्फ की जायदाद होते हैं। किसी किस्म की कोई तब्दीलियां इसमें नहीं की जा सकती हैं। शाहजहाँ के जमाने में एक तारीखी किताब शाहनामा शाहजहाँ जो उसी जमाने में लिखी गयी थी, उसमें वक्फनामे का जिक्र है, जिसके तहत शाहजहाँ ने ताजमहल को और उसके इर्द-गिर्द के 7 गाँवों को जो कई मीलों में फैले हुए हैं, ताजमहल के खर्च के लिए वक्फ किया था।

श्री अध्यक्ष---

इस पर कहाँ उठ रहा है ?

श्री मुहम्मद आजम खां---

ताजमहल इमारत होने से पहले एक कब्र है जिसको मुस्लिम परसनल ला के तहत डील होना चाहिये। लिहाजा जिस तरह के टीले वाली मस्जिद की खुदाई अभी दो दिन पहले रोक दी गयी, क्या उसी वसूल को ध्यान में रखते हुए और मुस्लिम परसनल ला को ध्यान में रखते हुए वक्फ बोर्ड को इसको देंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना---

मैंने शुरु में कहा कि इन सब बातों का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरान्त निर्णय लिया जायेगा ।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ---

कब तक हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष---

यह पूछ रहे हैं कि कब तक कर दिया जायेगा ।

श्री राम सिंह खन्ना---

यह केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण में है। सब चीजों को सरकार देख रही है।

जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर द्वारा हरिजन छात्रों का शोषण, भष्टाचार आदि की उच्चस्तरीय जांच

*8---श्री मोहन सिंह---(अनुपस्थित)

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर (श्री हरिश्चन्द्र कटियार तथा कु0 राम कली कन्नौजिया) द्वारा हरिजन छात्रों का शोषण, भ्रष्टाचार तथा लाखों रुपये के घोटाले आदि की उच्चस्तरीय जाँच के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र बाजपेई एडवोकेट, अध्यक्ष, यंग डेमोक्रेटिक लीग, उ0 प्र0 के पत्र दिनाँक 13-12-82 तथा 20-1-83 के प्राप्त हुए। आरोपों की जाँच किस माध्यम से कराई गयी तथा उसके आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

शिकायत पत्र प्राप्त हुए। प्रश्नगत शिकायतों की जाँच विभागीय सम्परीक्षकों से अवधि 81-82 तथा 82-83 के लेखों की सम्परीक्षा करायी गयी। यह आडिट रिपोर्ट कानपुर देहात के संबंध में दिनाँक 10-8-83 को तथा कानपुर नगर की सम्परीक्षा की आख्या दिनाँक 2-9-83 को पूर्ण होकर, निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय में प्राप्त हुई जिनके परीक्षणोपरान्त प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये स्पष्टीकरण निदेशक द्वारा प्राप्त किया जा रहा है तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

इस मध्य संबंधित दोनों जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

कानपुर स्थित "गणेश फ्लोर मिल" द्वारा आयात की गई चर्बी

*9---श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर स्थित गणेश फ्लोर मिल ने विगत तीन वित्तीय वर्षों में चर्बी आयात की? यदि हां, तो यह क्रमशः किन-किन जानवरों की कितनी मात्रा थी? उपरोक्त मिल ने इसका प्रयोग किस कार्य हेतु किया? सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि दो वर्ष पूर्व कितनी चर्बी का आयात भारत सरकार के माध्यम से इस फर्म को हुआ है, दूसरा आपने कहा कि आंकड़े भारत सरकार के पास रहते हैं। क्या भारत सरकार से आंकड़े लेकर आप उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे कि कितनी चर्बी गणेश फ्लोर मिल को दी गयी?

श्री बीर बहादुर सिंह---

जो हमारे पास था उतना उत्तर दे दिया। राज्य सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं हैं। इस फर्म से पूछा गया उसने कहा कि कोई आयात नहीं किया है। जो जानकारी थी इसकी सूचना हो उस को दे दी गई।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार से आंकड़े उपलब्ध करायेंगे कि कितनी चर्बी का आयात किया गया।

श्री वीर बहादुर सिंह--

माननीय सदस्य जैसा मुझसे कह रहे हैं, उसी तरह पत्र लिख कर भारत सरकार से पूछ सकते हैं।

अकबरपुर जिला फैजाबाद स्थित राज्य कताई मिल के श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल तथा मांगें

*10--श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित उ0 प्र0 राज्य कताई मिल के श्रमिकों द्वारा कोई हड़ताल माह जून, 1983 से चली थी? यदि हां, तो किस श्रमिक यूनियन द्वारा किन-किन, मांगों को लकर नियमतः हड़ताल की कोई नोटिस दी गयी थी? यदि हां, तो कब? अब तक हड़ताल से मिल को कितनी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कताई मिल मजदूर यूनियन अकबरपुर के सदस्यों के आवाह्न पर दिनांक 19-6-83 को दिन में 2.00 बजे से श्रमिकों द्वारा अवैधानिक हड़ताल की गयी थी जो कि दिनांक 1-8-1983 दिन में 2.00 बजे तक चली।

जी नहीं।

हड़ताल के कारण लगभग 12.66 लाख रुपये की हानि हुई।

श्री प्रियदर्शी जेतली--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त यूनियन द्वारा की गई हड़ताल में श्रमिकों की क्या मांगें थीं और जब हड़ताल समाप्त हुई तो वह किसी समझौते के तहत समाप्त हुई? यदि हां, तो वह समझौता क्या है?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसकी सूचना हमारे पास नहीं है?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त --

मान्यवर, आप प्रश्न देखने की कृपा करें। इसमें लिखा है कि उ प्र0 राज्य कताई मिल के श्रमिकों द्वारा कोई हड़ताल माह जून, 1983 में चली थी? यदि हां, तो किस श्रमिक यूनियन द्वारा किन-किन मांगों को लेकर और नियमतः हड़ताल की कोई नोटिस दी है? प्रश्न में यह पूछा गया है कि मांगें क्या थीं? मंत्री जी ने उत्तर दिया कि सूचना नहीं है। मैं आरोप लगाता हूं कि सूचना पत्रावली में है, मंत्री जी इसको छिपा रहे हैं। आप संरक्षण प्रदान करें। मंत्री जी बतायें, नहीं तो प्रश्न आगे नहीं चलेगा। क्योंकि मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो मेरी प्रार्थना है कि प्रश्न को स्थगित कर दें। मान्यवर, मैं जानना चाहूंगा कि जैसा मूल प्रश्नों में भेजा है कि बेचारे मजदूर कर्मचारियों ने हड़ताल की, मांग पत्र भी सरकार ने स्वीकार किया है तो मैं जानना चाहूंगा कि वह मांगें क्या हैं और एक-एक मांग पर सरकार ने क्या समझौता किया, इन पर क्या विचार हुआ है, इस पर क्या फैसला हुआ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, इसमें कहा गया है कि कोई नोटिस दिया था, मैंने कहा जी नहीं। मान्यवर, बिना नोटिस के हड़ताल कर दी गयी यही कारण था कि यह लोग आपस में बातचीत करके हड़ताल कर लिये और बिना नोटिस दिए हड़ताल करने पर दंडस्वरूप जो आठ दिन की तनख्वाह काटी जाती है वह भी काट ली गयी। जो बाद में इन्हें दे भी दी गयी। फिर यह अपने मन से ड्यूटी पर भी आ गये तो सब कुछ इन्होंने अपने मन से किया यह ठीक नहीं है।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, जैसा माननीय गुप्ता जी ने कहा कि प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा मेरे उत्तर पर, कि सूचना की आवश्यकता है, जैसा मैंने सुना गलत नहीं है। तो एक तरफ तो माननीय मंत्री जी कहते हैं सूचना की आवश्यकता है। दूसरी तरफ मेरे प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि क्या मांगें थीं ? मान्यवर, यह निश्चित रूप से सत्य से परे बात की जा रही है और मेरा स्पष्ट आरोप है कि सत्य को छिपाया जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट जानना चाहता हूं कि हड़ताल की समाप्ति के बाद जो समझौते की वह लिखित हुई या जबानी हुई ? यदि वह लिखित हुई तो वह कृपया सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

मान्यवर, मेरे पास सूचना नहीं है कोई उत्तर चाहेंगे तो मैं भेज दूंगा।

श्री प्रियदर्शी जेतली---

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि अगली बार उसकी सूचना जल्दी से जल्दी मंगा ली जाए। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित करें और दूसरे दिन सूचना मंगवाने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी जो शर्तें थीं उनको मंगवाकर माननीय सदस्य को भेज दें और उसकी प्रतिलिपि मुझे भी भेज दें।

जनपद जौनपुर में स्थित मोथहा पम्प कैनाल हेतु कृषकों की अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा देय मुआवजा

*11---श्री प्रभू नारायण सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जनपद जौनपुर में स्थित मोथहा पम्प कैनाल किन-किन गांवों से होकर जाती है ? क्या इस कैनाल में ली गयी समस्त भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है।

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बर्डघाट डिपो, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र

*12---श्री रियासत हुसैन---

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक बर्डघाट डिपो, गोरखपुर के विरुद्ध धन अर्जित करने, अनियमित कार्य तथा कमीशन लेने आदि से सम्बन्धित कोई शिकायती पत्र अक्तूबर, 1982 में विधायक श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री कुबेर भंडारी, व रोडवेज मजदूर सभा की क्षेत्रीय शाखा द्वारा भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, की गयी, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)---

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर इतने दिनों के बाद माननीय मंत्री जी से उत्तर आ रहा है जो नहीं प्रश्न नहीं उठता। मैं श्रीमन् माननीय मंत्री जी से एक बात की मांग करूंगा तो ज्यादा उचित होगा कि कौन से प्रश्न को पढ़कर उत्तर दे दिया ?

श्री गुलाब सेहरा--

जो प्रश्न इसमें लिख दिया है वह अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन एक पत्र 23 अगस्त, 1982 को विशेष रूप से सर्वश्री हरिवंश सहाय गौरी देवी, जनार्दन प्रसाद ओझा और रुद्र प्रताप सिंह का प्राप्त हुआ है। इसमें इन्क्वायरी करायी गयी है इसमें कोई चीज साबित नहीं हो पायी एक विशेष बात यह हुई कि श्री हरिवंश सहाय ने अपने पत्र में यह कहा कि किसी ने मुझे गलत सूचना दे दी और इसलिये मैंने यह शिकायत कर दी थी मैं शिकायत वापस लेता हूं। यह इस संदर्भ में शामिल है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने दो पत्र लिखे थे। एक तो संदर्भित पत्र जिसकी मंत्री जी ने यहां चर्चा की है और दूसरा एक पत्र और लिखा है जिस पर श्री कुबेर भंडारी जी ने भी हस्ताक्षर किये हैं। श्री हरिवंश सहाय जी ने जो लिखा है वह सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम। वह यहां पर हैं भी नहीं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरा आरोप सही है और उसकी जांच कराई ही नहीं गयी। मान्यवर, क्या मंत्री जी मेरी जानकारी को सही मानकर इस बात की जानकारी करायेंगे कि जांचकर्ता अधिकारी स्वतः उसमें सम्मिलित हैं और चूंकि जांचकर्त्ता अधिकारी स्वतः उसमें सम्मिलित है इसलिये किसी अन्य उच्चस्तरीय अधिकारी से पुनः जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन् एक ए0 आर0 एम0 का मामला है, इसकी जांच जोनल मैनेजर से, जिसके पास 4 रीजन रहते हैं, डी0 जी0 एम0 से करायी गयी। जांच आख्या आ गयी और कोई दोष साबित नहीं हुआ। आप श्री हरिवंश सहाय का पत्र व्यक्तिगत रूप से देख सकते हैं, उस पर उन्होंने लिखा है कि मेरे आदमियों ने गलत सूचना दी। अतः जांच पूरी हो चुकी है, जांच पूरी होने के बाद ही श्री हरिवंश सहाय का पत्र आया।

श्री रियाजत हुसैन--

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया है कि श्री ओझा का हस्ताक्षरित पत्र इनको मिला और उन्होंने जांच भी जोनल मैनेजर साहब से कराई। क्या उन्होंने श्री ओझा और अन्य शिकायतकर्त्ता सदस्यों को कोई सूचना दी कि इस सम्बन्ध में जांच हो रही है और आपको कुछ कहना हो तो बतला दें। यदि सूचना दी गई हो तो क्या सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो आरोप शिकायती पत्र में दिये गये थे, उन्हीं पर जांच कराई गई थी और जांच करने के बाद यह साबित हुआ कि जो कम्पलेन्ट की गयी थी, वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मैं पहले भी इस आदरणीय सदन को बता चुका हूं कि जब माननीय सदस्य कोई शिकायत करें तो, उस पर जांच करते समय इनसे तो पूछ लेना चाहिये। मैं यह पहले भी कह चुका हूं। यह जो शिकायत है, पूछताछ की जा रही थी, तो जिसने शिकायत की थी, उनसे भी कुछ पूछा गया ?

श्री गुलाब सेहरा--

श्रीमन्, जो प्रार्थना-पत्र दिया गया, इसमें उन्होंने कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करके कहा कि कृपया जांच करके शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें। श्रीमन्, यह उल्लेख नहीं किया गया था कि वे व्यक्तिगत रूप से साक्ष्य देंगे।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन---
यह क्या बात हुई ?

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---
मान्यवर, इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि ये सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सभी विधायकों के पास गये और उन्होंने हर तरह से इनको प्रलोभन देने की कोशिश की। मेरे पास भी आये थे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब यह जांच करायी गयी, तो मेरे आरोप बहुत स्पष्ट थे। मेरे पास लोग गये कि इसको वापस ले लें। उस समय भी मैंने कहा था। तो क्या मंत्री जी आरोप की गम्भीरता को देखते हुये फिर से जांच कराने का आश्वासन देंगे और जांच अधिकारी को निर्देशित करेंगे कि जांच के समय मुझे भी सूचना दी जाय ?

श्री गुलाब सेहरा---
श्रीमन्, बहुत स्पष्ट है। माननीय सदस्य को मेरी बात समझ में नहीं आयी। आपने जो तथ्य दिये और कहा कि उच्च अधिकारी से जांच करा लें, तो उन तथ्यों पर करायी गयी। अगर पत्र में उल्लेख होता कि ये भी साक्ष्य देंगे या. . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---
माननीय मंत्री जी, विधायक जी ने जो शिकायत की है, उस पर आप पुनः जांच करने पर विचार करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा---
मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जिन जिन विन्दुओं पर जांच करने के लिये कहा था, उन सभी पर जांच कराई जा चुकी है तथा प्रत्येक विन्दु पर विस्तार से आख्या भी आ चुकी है। डी0 जी0 एम0 की यह रिपोर्ट 4 पेज की है। वह रिपोर्ट मेरे पास है। माननीय सदस्य इसे देख लें, यदि वे संतुष्ट नहीं होते हैं तो जिस अधिकारी से भी वह इसकी जांच कराना चाहते हैं, मैं इसके लिये तैयार हूं।

श्री राज कुमार राय---
मान्यवर, रोजमर्रा की जिन्दगी में इस प्रकार की शिकायतें होती रहती है और इसमें व्यक्तिगत रूप से माननीय विधायक चश्मदीद गवाह रहते हैं। यदि किसी ऐसे केस में जिसमें माननीय सदस्य चश्मदीद गवाह हों, तो जांच के दौरान उनसे साक्ष्य लिया जाना चाहिये क्या माननीय मंत्री जी सरकार की ओर से इस सदन में यह स्पष्ट आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि ऐसे केसेज में माननीय विधायक जी का साक्ष्य लिया जायगा ?

श्री गुलाब सेहरा---
मान्यवर, आवश्यकता हुई तो साक्ष्य लिया जायेगा।

श्री राज कुमार राय---
मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि यदि कोई विधायक किसी अधिकारी या कर्मचारी को गलत काम करते हुए देखता है और उसकी वह शिकायत करता है, तो जांच के दौरान उस विधायक का साक्ष्य लिया जायगा, इस बात का स्पष्ट आश्वासन माननीय मंत्री जी सदन में देने की कृपा करेंगे ?

श्री गुलाब सेहरा---
मान्यवर, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक नियमगत प्रश्न है जो कम्पलेन्ट एम0एल ए0 भेजता है, लीगल कम्पलीनन्टी के बतौर भेजता है। वह न सिफारिश करता है और न ही वह सूचना का केन्द्र होता है। वह तो कम्पलीनेन्टी बनकर सरकार को शिकायत भेजता है कि इन बिन्दुओं पर जांच कराई जाय। क्या कहीं ऐसा नियम नहीं है कि कम्पलीनेन्टी से न पूछा जाय? मान्यवर, हम को कोई सूचना देता है और इस आधार पर हम कम्पलेन्ट भेजते है गवर्नमेन्ट को कम्पलीनेन्टी बनकर। क्योंकि शिकायतकर्त्ता हमें उसकी पूरी जानकारी देता है, जिसे हम पूरा का पूरा आपको नहीं लिख सकते हैं? जब उससे जानकारी की जायेगी तो तब वह पूरी बात बतायेगा। ऐसी स्थिति में माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह डाइरेक्ट करेंगे कि विधायक से भी इस संबंध में जांच से पहले साक्ष्य लिया जाय? क्योंकि विधायक ही सोर्स आफ इनफारमेशन होता है। विधायक के लेटर हेड पर यदि कोई शिकायत की जाती है, तो इस पर भी विधायक का साक्ष्य लिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

पहले भी यह बात कही जा चुकी हैं कि कोई माननीय सदस्य जब शिकायत करता है तो जहां तक सम्भव हो सके, इसकी गम्भीरता को देखते हुए, कि विधायक को तथ्य की पूरी जानकारी है, विधायक से इसके बारे में पूछा जाना चाहिये और पूछा भी करेंगे।

श्री राज कुमार राय---

मान्यवर, इसे मेन्डेटरी कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

जाँच करने से पहले थोड़ा यह देखना पड़ता है कि किस तरह की जांच है और क्या सामग्री की आवश्यकता हैं। मैं नुक्ताचीनी तो नहीं करता, किन्तु यह महसूस करता हूं कि यदि एक-एक दिन में एक एक विधायक 50-50 शिकायतें भेजें, तो शासन यह देखे कि कौन से केस में कैसी जांच होनी है और उसमें किस बात की आवश्यकता है और उसके साथ ही साथ उसमें क्या निर्णय लेना चाहिए।

(शोर)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, अभी प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हो पाया है। मुझे प्रश्न करने का पुनः मौका दे दें।

(व्यवधान)

श्री राज कुमार राय---

मान्यवर, "जहाँ तक संभव हो सके" यह शब्द जो आपने इस्तमाल कर दिये है, उससे मान्यवर, शासन को उसी प्रक्रिया से कार्य करने का बल मिल जायगा। आप कृपया इन शब्दों के बजाय पूरी तरह से शासन को निर्देशित कर दें।

श्री मारकण्डेय चन्द्र---

मान्यवर, जब आपकी पीठ से एक बार निर्णय हो गया है कि संबंधित विधायक से पूछा जाना चाहिये। तो, मान्यवर, उस पर बल दे दें कि विधायक से पूछा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आप लोग बैठिये। मैं पुनः इस मामले को देख लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप उसके लिये इजाजत दे दें, तो कहूं।

(व्यवधान)

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, जहाँ तक संभव हो सके, यह जो आपने निर्णय में कह दिया है, मान्यवर, उसको निकलवा दें। यह तो विधायकों के अधिकारों की बात है।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। आप लोग बैठिये। अब हम आगे बढ़ गये हैं।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, अभी प्रश्न का पूरी तरह स उत्तर कहाँ हो पाया है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

अगर प्रश्न के उत्तर से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं, तो नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा की माँग के लिये कह सकते हैं, उसे करा सकते हैं। मैं इस पर आज्ञा नहीं दे रहा हूं, आप लोग बैठिये।

श्री राज कुमार राय--

मान्यवर, जहाँ तक संभव हो सके, यह जो आपने निर्णय दे दिया है, इससे तो शासन को अपने हिसाब से कार्य करने का मौका मिल जायगा, उसे तो निकलवा दें। मान्यवर, यह तो विधायकों के अधिकारों की बात है।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, इसमें आप हम लोगों को संरक्षण दें।

श्री राधेश्याम पटेल--

मान्यवर, शासन को मनमानी करने का मौका न दें।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस मामले को देख लूंगा, और पुनः निर्णय दे दूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, एक मिनट इसमें दे दें। मान्यवर, उत्तर पूरी तरह से संतोषजनक नहीं मिल पाया है।

श्री अध्यक्ष--

यह संभव नहीं है। जो नियमानुसार कार्यवाही चल रही है, उसे चलने दें। मैंने आप लोगों की बातों को सुन लिया है, उस पर निर्णय भी दे दिया है। अब दूसरे माननीय सदस्य को बुला लिया है। आप लोग बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आप हम लोगों के संरक्षक हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि इस मामले में पुनः जाँच कराने के लिये शासन को निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, इस मामले की पुनः जाँच करायें और माननीय सदस्य को जिसने शिकायत की है, खासतौर से उनको बुलाकर के पूछें।

जिलों के नमूना लेखा परीक्षा में छात्रवृत्ति तथा अनावर्तक सहायता गोंड़ समुदाय को दिये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

*13--श्री पंचानन राय--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 12 जिलों के नमूना लेखा परीक्षण में यह पाया गया है कि लगभग 1-15 लाख रुपए की छात्रवृत्ति तथा 46,000 रुपए अनावर्तक सहायता गोंड़ समुदाय के 213 विद्यार्थियों को वर्ष 74-75 से वर्ष 80-81 की अवधि में दी गयी ? यदि हाँ, तो क्या गोंड़ समुदाय अनुसूचित जाति में आता है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान क्यों किया गया और उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, सूचना एकत्र करने की गति को थोड़ा कम करा दें । मान्यवर, 14 सवालों में अभी तक सूचना ही एकत्र हो रही है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करें ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, आप इसकी बाबत शासन को आवश्यक निर्देश दें। आप सवाल देखें 18–11–83 को दिया गया। महालेखाकार की रिपोर्ट सदन में बंटी, उसमें यह लिखा हुआ है, उसी के आधार पर मैंने यह सवाल यहाँ पर रखा। सवाल 18–11–83 को शासन को चला गया। महालेखाकार की रिपोर्ट शासन के संज्ञान में है ही, लेकिन चूंकि इसमें कुछ अधिकारियों का दोष सिद्ध हो रहा है, इसलिये उन्हें दंडित करने का शासन का इरादा शायद नहीं है, इसलिये टाल मटोल हो रहा है । मान्यवर, जिन सवालों के द्वारा अधिकारयों पर किसी प्रकार की कोई आंच आती है जानबूझकर के उन सवालों को इसी प्रकार से टाल दिया जाता है, ताकि उनका समुचित उत्तर न आवे । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इस सवाल का आप जल्दी उत्तर दिलवा दें। अगर एक बार यह स्थगित हो गया, तो, 15 दिन लग जायगा। इसका आप शीघ्र उत्तर दिला दें ।

श्री अध्यक्ष—

माननीया मंत्री जी इसकी बाबत जो निर्णय है, उसके अनुसार यथासंभव इस मामले में शीघ्र कार्यवाही कर लें।

विष्णु प्रयाग परियोजना, जोशीमठ, जिला चमोली पर व्यय

*14—श्री भीखा लाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु प्रयाग परियोजना जोशीमठ, जिला चमोली को स्थगित करने का शासन ने निर्णय ले लिया है ? यदि हाँ, तो क्यों और इस योजना पर अब तक कितना धन व्यय हो चुका है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं ।

विष्णु प्रयाग परियोजना पर दिसम्बर, 83 तक रुपये 1120.42 लाख व्यय हो चुका है ।

श्री भीखा लाल—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से इस योजना पर काम सुस्त कर दिया गया है और कुछ टेक्निकल और नान-टेक्निकल कर्मचारी और मजदूरों को अलग कर दिया गया है काम से, तो इसकी बाबत क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

यह बात सही है कि धनाभाव के कारण इसमें काम धीमा कर दिया गया है और उससे थोड़ी दिक्कत हो रही है । मान्यवर, यह ऐसी परियोजना है, जिसको बनाने से सरकार को फायदा है । मान्यवर, यह 262 मेगावाट का था और इसमें 104 करोड़ की बात थी । अब इसे संशोधित कर दिया गया है यह 480 मेगावाट का किया जा रहा है और अब 266 करोड़ लगने की बात है । इसमें लागत पर यूनिट 11 पैसा है और इतना सस्ता कोई हमारा प्रोजक्ट नहीं है, बल्कि कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। अब प्रोजेक्ट को संशोधित किया है। पहले यह 262 मेगावाट का था, अब 480 मेगावाट कर दिया गया है। इससे ज्यादा पावर जेनरेट होगी। इसमें भारत सरकार से भी स्वीकृति माँगी है। पहला प्रोजेक्ट स्वीकृत था, लेकिन इसकी स्वीकृति लेनी है । इसमें और भी बातें आ गयी हैं ।

श्री भीखा लाल--

मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य था ? अब जो वित्तीय कठिनाइयाँ आयी हैं और योजना को संशोधित किया गया है, अब कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

अभी जो प्रोजक्ट बन रहा है उसको 1994 तक पूरा करने का टाइम दिया गया है। अभी धन हमको मिल जाए तो पहले कर सकते हैं। जो धन हमारे पास है, समाप्त हो गया है। प्रयास कर रहे हैं कि धन ज्यादा मिल जाय और पहले मिल जाय । बाहर से भी बात कर रहे हैं। हम चाहते है कि अलग से कोई व्यवस्था हो जाय। इतना बड़ा प्रोजेक्ट चलाने के लिये हमारे पास धन नहीं है। भारत सरकार से बात कर रहे हैं, इसका रिस्पान्स भी मिल रहा है। अगर भारत सरकार द्वारा इसको ले लिया गया तो बाकी योजनायें हम अपने साधनों से चला सकेंगे।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

विष्णु प्रयाग परियोजना में अभी तक कुल कितने मजदूरों और कर्मचारियों की छटनी कर दी गयी है। इस परियोजना पर कार्य स्थगित करने के बाद क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समस्त विभागाध्यक्षों को एक परिपत्र जारी किया है "सीक्रेट" और उसमें यह लिखा है कि अगर कोई योजना धनाभाव के कारण रोकी जाती है तो जनता को न बताया जाय क्योंकि इससे शासन की छवि धूमिल होती है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

नहीं मान्यवर, ऐसी कोई बात नहीं है, जहाँ कि कोई चीज जनता से छिपाने की बात हो। धन जब रहता है तो काम करते रहते हैं, जब नहीं होता है तो काम धीमा हो जाता है। कितने लोग निकाले गये, इसकी जानकारी नहीं है, जानकारी करके बता दूंगा ।

जनपद सीतापुर में तेल उद्योग बन्द होने का कारण तथा समिति का गठन

*15--श्री मित्रसेन--

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद सीतापुर में इस समय 130 तेल उद्योग बन्द पड़े हैं जिससे लगभग 10 हजार श्रमिक बेरोजगार हैं ? यदि हाँ, तो इसके लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद सीतापुर में केवल 16 तेल उद्योग बन्द हैं जिसके कारण लगभग 107 श्रमिक बेरोजगार हैं। इस समस्या पर विचार के लिये एक समिति का गठन किया गया है ?

श्री मित्रसेन--

मैं जानना चाहता हूं कि यह उद्योग जो बन्द हैं, इनके बन्द होने का कारण क्या है और ये कब से बन्द हैं ? जो समिति गठित की है, उस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं, समिति कब गठित की गयी और उसके समक्ष विचारणीय बिन्दु क्या-क्या हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने कहा कि 16 उद्योग बन्द हैं। कारण यह बताया गया है कि मूंगफली की कमी हो गयी है, जितना प्रोडक्शन है, वह कम हो गया है। लोगों ने और दूसरी फसल बोना शुरू कर दिया है, गेहूं इत्यादि पैदा कर रहे हैं। तिलहन, सरसों की भी कमी हो गयी है। मूंगफली की कमी और उसकी क्वालिटी का खराब हो जाना, इससे ये बन्द हो गये हैं। हम चाहते हैं कि मिल फिर से कैसे चलायी जायं, इसके लिये कमेटी बैठाई गयी है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कौन-कौन मेम्बर हैं, तो इसमें 4-5 अधिकारियों की कमेटी बना दी गयी है। इसमें जिला उद्योग के जनरल मैनजर हैं, टेक्निकल लोगों को भी डाला गया है। यह ज्वाइंट डायरेक्टर हैं उसमें यह अध्यक्ष हैं।

नोट---तारांकित प्रश्न संख्या 15 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों से मांस, मदिरा की दुकानों को हटाने की कथित योजना

*16—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में समस्त पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थलों से माँस, मदिरा, की दुकानों को हटाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हाँ, तो योजना का प्रारुप क्या है ?

आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों—बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, वृन्दाबन, हरिद्वार, ऋषिकेश, देवबन्द, ग्राम कलियर शरीफ (सहारनपुर), अयोध्या, नैमिषारण्य (सीतापुर) चित्रकूट धाम, देवाशरीफ (बाराबंकी) में पूर्ण नशाबन्दी लागू है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी धार्मिक स्थल से मदिरा की दूकानों के हटाने का कोई प्रस्ताव इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है। माँस की दुकानों को हटाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। अन्य स्थानों पर अभी विचार नहीं बना है।

मथुरा जिले में हरिजनों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत ग्राम परखम-सनौरा, जमालपुर तथा परखम में क्रय की गयी भूमि

*17—श्री कन्हैया लाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले में हरिजनों को स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत बिना मूल्य वितरण हेतु सरकार द्वारा कुछ भूमि खरीदी गयी थी ? यदि हाँ, तो किस-किस ग्राम में एवं कितनी-कितनी ? क्या यह सही है कि परखम ग्राम में लगभग इस प्रकार से खरीदी गयी भूमि का वितरण कुछ हरिजनों को लगभग 1 वर्ष पूर्व किया गया था एवं उन भूखण्डों का कब्जा अभी एक भी व्यक्ति को नहीं मिला एवं बेचने वाले लोग ही उस भूमि पर काबिज हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। ग्राम परखम-सनौरा, जमालपुर तथा परखम में क्रमशः 5.04 एकड़, 2.10 एकड़ तथा 4 एकड़ भूमि क्रय की गई। परखम ग्राम में इस प्रकार की खरीदी गई 4 एकड़ भूमि का वितरण अभी तक किसी को नहीं किया गया है, अतः आवंटियों द्वारा भूखण्डों पर कब्जा का कोई प्रश्न नहीं उठता। बेंचने वाले लोग उक्त भूमि पर काबिज नहीं है।

शारदा सहायक नहर के अन्तर्गत ली गयी भूमि का मुआवजा दिलाये जाने के संबंध में पत्र

*18—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनाँक 28-2-83 (जिसके पाने की स्वीकृति आपके पत्र संख्या 439, दिनाँक 5-3-83 द्वारा दी गयी है) जिसमें शारदा सहायक नहर के अन्तर्गत ली गयी भूमि के मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में लिखा है, के सम्बन्ध में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या उन्हें मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

यू० पी० इन्स्ट्रमेंट लिमिटेड, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक श्री घई के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० इंस्ट्रमेंन्ट लिमिटेड, लखनऊ के प्रबन्ध निदेशक (श्री घई) के विरुद्ध गत एक वर्ष में जन प्रतिनिधियों, श्रमिक संगठनों आदि से जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं क्या उनकी जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। शिकायतों की जाँच वर्ष 1983 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के सामान्य प्रबन्धक द्वारा की गयी थी ?

जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा अशोकपुर लिंक ड्रेन के नाम से नया नाला बनवा कर पानी निकलवाने का प्रस्ताव

*20—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मार्च, 83 के 2रे सप्ताह में जिला बाराबंकी तहसील फतेहपुर परगना व विकास खण्ड रामनगर के अशोकपुर आदि लगभग 50 गाँवों के विनाशकारी जल जमाव के निकास (ड्रेन) के निर्माण के सम्बन्ध में जिला अधिकारी, बाराबंकी ने शासन से पत्राचार कर प्रार्थना की है कि आगामी वर्षा के पहले ड्रेन बनवा दी जाय ? यदि हाँ, तो उनकी प्रार्थनानुसार काम पूरा करवाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हाँ, तो कब और क्या ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

जिलाधिकारी, बाराबंकी ने अशोकपुर लिंक ड्रेन के नाम से नया नाला बनवा कर इस क्षेत्र का पानी निकलवाने का प्रस्ताव किया था। दूसरी जाँच की गई और पाया गया कि यह प्रस्तावित नाला वाटरशेड काटकर प्रस्तावित था जहाँ पर खुदाई 6.5 मीटर तक करनी पड़ती। इस पर एक सड़क के नये पुल का निर्माण और रेलवे पुल का निर्माण कराना होता। इतनी गहराई की खुदाई का नाला रखरखाव की दृष्टि से व्यावहारिक नहीं था। प्रस्तावित लेविल्स को देखते हुए भी प्रस्तावित नाले से भी वर्तमान नाले पर कोई लाभ नहीं मिलता है। अतः 1983 की वर्षा से पहले पुरानी अशोकपुर ड्रेन को रिग्रेड किया गया जिससे इस क्षेत्र को कुछ राहत मिली।

वर्तमान नाले पर रेलवे पुल का फर्श ऊंचा है। इसे नीचा करने या नया पुल बनाने के लिये रेलवे विभाग को लिखा गया है जिससे पूर्ण राहत मिल सकेगी।

अतारांकित प्रश्न

जनपद आजमगढ़ स्थित महुलागढ़वल बांध के रखरखाव पर व्यय

1—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 अप्रैल, 83 से 31 अक्तूबर, 83 तक आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध के रख-रखाव पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद आजमगढ़ में स्थित महुला गढ़वल बांध के रख-रखाव पर 1 अप्रैल, 83 से 31 अक्टूबर, 83 तक कुल 4,17,158.90 रुपये व्यय किया गया है।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी एवं घोसी तहसील में घाघरा के कटाव को रोकने में व्यय की गयी धनराशि

2—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी एवं घोसी तहसील में 1 अप्रैल, 83 से 31 अक्तूबर, 83 तक घाघरा के कटाव को रोकने में कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिये 1 अप्रैल, 83 से 31 अक्टूबर, 83 तक कुल रु0 8.17 लाख व्यय किया गया है। घोसी तहसील में घाघरा नदी के कटाव को रोकने के लिये 1 अप्रैल, 83 से 31 अक्टूबर, 83 तक कोई धन व्यय नहीं किया गया है।

3---श्री पंचानन राय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की सगड़ी एवं घोसी तहसील में घाघरा नदी के कटाव से बचाव के लिये 81-82 तथा 82-83 में अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

आजमगढ़ जनपद की सगड़ी तहसील में घाघरा नदी के कटाव से बचाव के लिये वर्ष 1981-82 में कोई धन व्यय नहीं किया गया तथा वर्ष 1982-83 में 13.01 लाख रु0 व्यय किया गया।

घोसी तहसील में घाघरा नदी के कटाव से बचाव के लिए वर्ष 1981-82 में 0.31 तथा 1982-83 में 5.01 लाख रु0 व्यय किया गया है।

जनपद आजमगढ़ स्थित महुला गढ़वल बांध के रख-रखाव पर व्यय की गयी धनराशि

4---श्री पंचानन राय---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध के रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 81-82 तथा 82-83 में अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह-

आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बांध के रख-रखाव पर वित्तीय वर्ष 81-82 तथा 82-83 में निम्न धनराशि व्यय की गई है ---

वर्ष	व्यय की गई धनराशि
	लाख रु0
1981-82	2.91
1982-83	2.49

जनपद आजमगढ़ स्थित सगड़ी समूह के नलकूप संख्या 39 के दक्षिणी-पश्चिमी नाली के निर्माण से संबंधित पत्र

5---श्री पंचानन राय---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित सगड़ी समूह के नलकूप संख्या 39 के दक्षिणी पश्चिमी नाली के निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र 9-9-83 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं।

अतः कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में राजकीय नलकूप

6—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने राजकीय नलकूप हैं और उसमें से कितने सितम्बर, 1983 में चालू हालत में थे और कितने खराब थे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 83 राजकीय नलकूप (77 विद्युत् कृत एवं 6 निर्माणाधीन) हैं। उसमें से 70 राजकीय नलकूप माह सितम्बर, 1983 में चालू हालत में थे तथा 7 राजकीय नलकूप यांत्रिक अथवा विद्युत दोष से बन्द थे।

श्री कोमल राम हरिजन निवासी ग्राम महुला विकलांग तथा निराश्रित को पेंशन स्वीकृत किये जाने की मांग

7—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कोमल राम, हरिजन ग्राम महुला, जनपद आजमगढ़ जो विकलांग तथा निराश्रित हैं, को पेंशन स्वीकृत किए जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 6-8-83 जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं।

संदर्भित पत्र दिनांक 6-8-83 का न होकर दिनांक 6-9-83 का है। निराश्रित विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान दिया जाता है, पेंशन नहीं। चूंकि माननीय विधायक ने आवेदनकर्त्ता को पेंशन स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की थी अतः जिलाधिकारी द्वारा यथोचित कार्यवाही न की जा सकी।

शारदा सहायक नहर पर पैदल पुलिया बनाये जाने तथा नालियों के कमजोर होने से संबंधित पत्र

8—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक नहर पर पैदल पुलिया बनाये जाने से सम्बन्धित श्री झिनकू सिंह, प्रधान, ग्राम सभा लुचुई तहसील, सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 6-9-83 के साथ प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित माननीय विधायक का पत्र उपलब्ध नहीं हो रहा है किन्तु श्री झिनकू सिंह, प्रधान ग्राम सभा लुचुई, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का पुल बनाने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांक 3-8-83 प्राप्त हुआ है।

मौके पर जांच की गई वांछित पुल के स्थल से ऊपर की तरफ 140 मीटर दूरी पर एक ग्रामीण पुल एवं नीचे की तरफ 300 मीटर दूरी पर दूसरा ग्रामीण पुल बना है अतः दोनों के मध्य इतने समीप अन्य पुलिया बनाने का औचित्य नहीं है।

9—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामलच्छन सिंह, ग्राम प्रधान चकलाल चन्द्र, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का प्रार्थना पत्र शारदा सहायक नहर की नालियों के कमजोर होने से सम्बन्धित, दिनांक 29-8-83 प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 24-9-83 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सगड़ी तहसील के ग्रामों के निवासियों का जल निकास की व्यवस्था से संबंधित प्रार्थना पत्र

10—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ की सगड़ी तहसील में ग्राम गठ मोहन तथा ग्राम ऊंचाडीह सलेमपुर के निवासियों का जल निकास की व्यवस्था से सम्बन्धित प्रार्थनापत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 29-10-83 के साथ जिला अधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

फैजाबाद-रसूलाबाद मार्ग पर चलने वाली बस की जीर्ण शीर्ण स्थिति

11—श्री निर्मल खत्री—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में फैजाबाद रसूलाबाद मार्ग पर चलने वाली नगर बस की जीर्णशीर्ण स्थिति को देखते हुए एक नई बस देने पर शासन विचार करेगा?

श्री गुलाब सेहरा—

फैजाबाद रसूलाबाद मार्ग पर कोई नगर बस नहीं चल रही है। इस मार्ग पर ग्रामीण बस सेवा चल रही है तथा इस मार्ग पर चलने वाली बस की दशा ठीक हो गयी है।

बांदा जनपद में सोनेपुर लिफ्ट सिंचाई योजना से धान की सिंचाई के क्षेत्रफल में कमी का कारण

12—श्री भीखा लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में सोनेपुर लिफ्ट सिंचाई योजना से वर्ष 81 व 82 के मुकाबले वर्ष 1983 में धान की सिंचाई का क्षेत्रफल बहुत कम हो गया है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

श्री वीर बहादुर सिंह—

बाँदा जनपद में सोनेपुर लिफ्ट सिंचाई योजना से वर्ष 81 में 18.62 हे0 व 82 में 20.29 हे0 के मुकाबले वर्ष 1983 में धान की सिंचाई का क्षेत्रफल 16.19 हे0 हुआ है।

वर्ष 1983 में कमी का कारण कृषकों द्वारा धान की फसल अपेक्षाकृत कम बोया जाना है।

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर एवं उसकी अल्पिकाओं का बहाव

13—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर एवं उसकी अल्पिकाएं किन-किन ग्रामों से होकर बहती है? क्या इस हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा सभी सम्बन्धित किसानों को आज तक नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर पम्प नहर एवं उसकी अल्पिकायें क्रमशः ग्राम सैदपुर नवाबाद जंगल, बदलपुर, शिवपुर, केशवपुर, बहरीपुर, बदलपुर, भगैरो एवं ग्राम सखोई राजेपुर से होकर बहती है।

इस हेतु ली गई भूमि का मुआवजा ग्राम सैदपुर तथा नवाबाद जंगल, बदलपुर के संबंधित किसानों को दिया जा चुका है। शेष ग्रामों की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूरी न होने के कारण मुआवजा संबंधित किसानों को नहीं दिया जा सका है।

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के अन्तर्गत ग्राम करमही के नलकूप को पुनः चालू किया जाना

14—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के अन्तर्गत ग्राम करमही का नलकूप गत दो वर्षों से बिगड़ा पड़ा है? क्या सरकार उक्त नलकूप को शीघ्र ठीक कराकर क्षेत्रीय कृषकों को सिंचाई हेतु उपलब्ध करायेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के अन्तर्गत ग्राम करमही का राजकीय नलकूप गत दो वर्षों से बिगड़ा हुआ नहीं पड़ा है बल्कि इस कूप का निकास मात्र 5000 गैलन प्रति घंटा रह जाने के कारण माह अगस्त 1982 से बन्द कर दिया गया था जिसको कि क्षेत्रीय कृषकों की प्रबल मांग पर दिनांक 15-11-83 से पुनः चालू कर दिया गया है।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुष्टाहार योजना

15—प्रो० चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में पुष्टाहार योजना कब से लागू की गयी? वर्ष 1980-81, 81-82, 82-83 तथा 83-84 में अब तक किन-किन ग्रामों को इस योजना में लिया गया तथा कितना-कितना धन व्यय हुआ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के महुआ विकास खण्ड में वर्ष 1982-83 से समन्वित बाल विकास परियोजना योजना (पूरक पुष्टाहार) हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा लागू की गयी वर्ष 82-83 से अब तक 78 ग्रामों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित किये गये। वर्ष 82-83 में 1,00,000 रु० का पुष्टाहार वितरित करने हेतु क्रय किया गया तथा वर्ष 83-84 में अब तक कार्यालय तथा अन्य मद में 1,19,890 रुपये व्यय हुआ। किन-किन ग्रामों में कितना-कितना धन व्यय हुआ इसकी सूचना एकत्रित की जा रही है। शिक्षा विभाग द्वारा चलायी जा रही पुष्टाहार योजना तथा ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलायी जा रही योजना के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर में सोन लिफ्ट परियोजना का निर्माण

16—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर में सोन लिफ्ट परियोजना निर्माणाधीन है? यदि हां, तो उक्त परियोजना कब और कितनी लागत से शुरू की गयी तथा निर्माण की स्थिति क्या है? निर्माण कार्य कब तक पूर्ण करा लिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

सोन पम्प नहर परियोजना 1974 में 5.64 करोड़ रुपये की लागत पर प्रारम्भ हुई थी। परियोजना का निर्माण कार्य चार स्टेजों में होना प्रस्तावित है।

(अ) स्टेज प्रथम तथा द्वितीय का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

(ब) स्टेज तीन पर फाउन्डेशन खुदाई का कार्य पूर्ण हो गया है एवं दो बार में दो तिहाई भाग में मिट्टी डाली जा चुकी है। शेष कार्य 6 पम्पों हेतु जून, 85 तक पूर्ण करने का आयोजन है।

(स) पम्प हाउस स्टेज चतुर्थ में फाउन्डेशन की खुदाई का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है तथा उसका शेष कार्य भी 6 पम्पों हेतु जून, 85 तक पूर्ण करने का आयोजन है। घावरा बैराज पर फर्श के लेविल तक मिट्टी डाली जा चुकी है।

ग्राम सभा अल्लाउद्दीन पट्टी, जनपद आजमगढ़ के निवासियों का साइफन बनाये जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

17—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा अल्लाउद्दीन पट्टी, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ के निवासियों का उक्त गांव के नलकूप संख्या 83 के पूरब नहर में साइफन बनाये जाने से सम्बन्धित प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 23-7-83 के साथ अधिशासी अभियन्ता नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद में स्थित ग्राम बछउर खुर्द के नालियों को ठीक कराये जाने से संबंधित पत्र

18—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित सगड़ी समूह के नलकूप संख्या-39, ग्राम बछउर खुर्द के नालियों को ठीक कराए जाने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 1-7-83 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के सगड़ी तहसील में स्थित नलकूप संख्या 37, जोथनपुर को ठीक कराये जाने से संबंधित पत्र

19—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित नलकूप संख्या-37 जोथनपुर को ठीक कराये जाने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 7-2-83 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील में स्थित नलकूप संख्या-37 सगड़ी समूह जोथनपुर को ठीक कराये जाने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 7-2-83 नहीं बल्कि 7-7-83 प्राप्त हुआ था ।

नलकूप संख्या 37 सगड़ी समूह को ठीक कराकर चालू करा दिया गया ।

20—श्री पंचानन राय—

[तीसरे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 118 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सगड़ी तहसील में नलकूप संख्या 82 के आपरेटर के विरुद्ध शिकायती पत्र

21—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अल्लाउद्दीन पटटी, विकास खण्ड, बिलारियागंज, जनपद आजमगढ़ के नागरिकों का सगड़ी तहसील के नलकूप संख्या-82 के आपरेटर के विरुद्ध शिकायती पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनाँक 23-7-83 के साथ नलकूप खंड आजमगढ़ के अधिकारियों को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

प्रमुख शिकायतें, कार्य से अनुपस्थित रहना एवं गलत हड़ताल करना था। कूप चालक की सेवाएं समाप्त कर दी गयीं।

ग्राम हाजीपुर, जनपद आजमगढ़ का राजकीय नलकूप खराब होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

22—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम हाजीपुर, तहसील मगड़ी, जनपद आजमगढ़ का राजकीय नलकूप, खराब होने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-8-83 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

स्टार्टर तथा पम्प की खराबी थी, जो ठीक करा दी गई है ।

जनपद आजमगढ़ में स्थित महुला गढ़वल बांध के उत्तर कैंची बांध बनाए जाने के संबंध में पत्र

23—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वल बाँध के उत्तर का एक दूसरा कैंची बाँध बनाये जाने के संबंध में ग्रामवासियों का पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनाँक 1-7-83 के साथ मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला-गढ़वल बाँध के उत्तर एक कैंची बाँध बनाये जाने से संबंधित ग्रामवासियों का एक पत्र प्राप्त हुआ किन्तु प्रश्नकर्ता का कोई पत्र उसके साथ प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस संबंध में विस्तृत सर्वेक्षण कराने के पश्चात् ज्ञात हुआ कि यह बाँध घाघरा नदी के बिल्कुल निकट होगा, जो तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है ।

श्री विजय कान्त राय, विकलांग छात्र को छात्रवृति स्वीकृत किये जाने से सम्बन्धित पत्र

24—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विजय कान्त राय, विकलाँग छात्र राजकीय सिटी इंटर कालेज गाजीपुर को विकलाँग छात्रवृत्ति स्वीकृति किये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 29-8-83 निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण उ० प्र० को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

वर्ष 82-83 की विकलाँग छात्रवृति की धनराशि निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1984 में उपलब्ध करायी जा सकी है। ऐसी दशा में विकलाँग छात्रवृति देने हेतु श्री विजय कान्त राय के मामले पर अब नियमानुसार विचार किया जायेगा।

ग्राम देउपुर, जनपद आजमगढ़ के राजकीय नलकूप खराब होने तथा नालियों के टूटे होने से संबंधित पत्र

25—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम देउपुर, विकास खण्ड आजमगढ़, जनपद आजमगढ़ के राजकीय नलकूप खराब होने के कारण बन्द होने तथा नालियों के टूटे होने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 28–8–83 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। नलकूप खराब नहीं बल्कि चालू हैं। नाली की विशेष मरम्मत का कार्य कराना है, जिसके लिये कार्यवाही की जा रही है एवं मरम्मत करा दी जायगी।

आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में स्थित नलकूप संख्या 86 के खराब होने से सम्बन्धित पत्र

26—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में स्थित नलकूप संख्या 86 के खराब होने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनाँक 15–8–83 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

नलकूप ठीक कराकर चालू करा दिया गया।

मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में स्थित ग्राम छित्तमपुर के नलकूप संख्या 29 के खराब होने से सम्बन्धित पत्र

27—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद की मोहम्मदाबाद गोहना तहसील में स्थित ग्राम छित्तमपुर के नलकूप संख्या–29 के खराब होने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता क पत्र दिनांक 15–8–80 अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

नलकूप की खराबी ठीक कराकर चालू कर दिया गया।

28—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

[मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने के कारण हटाया गया।]

जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में शैकवुड वाइरस नामक बीमारी से मधु मक्खियों में कमी

29—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री (पर्वतीय क्षेत्र) को ज्ञात है कि विगत वर्षों (1980–81 तथा 81–82 व 82–83) पर्वतीय क्षेत्रों विशेषकर जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ में मधुमक्खियों (मौनो) में अप्रत्याशित कमी हुई है जिसका कारण कोई बीमारी बताई जाती है ? यदि हाँ, तो इस बीमारी को चिन्हित (डाइग्नोसिस) करते हुए इसके उपचार व इससे बचाव हेतु अब तक क्या-क्या कार्य किए गये हैं ? इसके लिए क्रमशः कितना अनुदान निर्धारित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी)--

शैकवड वाइस नामक बीमारी के कारण पर्वतीय क्षेत्र के कुमाऊं मंडल में मधुमक्खियों (मौनो) में कमी हुई है। इस बीमारी का पता सर्वप्रथम जनवरी, 83 में लगा जिसके संबंध में अखिल भारतीय मधुमक्खी पालन अनुसन्धान केन्द्र, पूना एव विदेशों से जानकारी प्राप्त की गई, परन्तु इसका निश्चित उपचार ज्ञात नहीं हुआ है। वैज्ञानिकों का मत है कि बीमारी धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जायगी, साथ ही रजिस्टेंस विकसित होगी। इस बीमारी से बचाव हेतु अब तक निम्न कार्य किये गये हैं--

1--स्वस्थ मौन वंशों को अलग स्थानों में रखा जा रहा है, ताकि रोग ग्रस्त मक्खियों से बीमारी न फैल सके।

2--अत्याधिक रोगग्रस्त मौन वंशो को नष्ट किया गया है।

3- रोग ग्रस्त मौन वंशों को फौरनलीन दवा से ट्रीट किया गया है।

4--रेडियो द्वारा एवं साहित्य से मौन-पालकों को जानकारी दी जा रही है तथा विभाग द्वारा मौन वंशों का समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है।

5--मौन वंशों के लिए कृत्रिम भोजन की व्यवस्था की गई है।

6--चौपटिया प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र पर भारततीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से इस बीमारी पर शोध कार्य किया जा रहा है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्र के मौन-पालकों से कोई अनुदान की माँग प्राप्त नहीं हुई हैं, अतःअनुदान की कोई व्यवस्था नहीं की गई।

सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल में मोटर मार्गों का राष्ट्रीयकरण

30--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीमान्त जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के 1971 से अब तक कुल कितने व कौन-कौन से मोटर मार्ग अब तक राष्ट्रीयकृत किये जा चुके हैं? इनमें से किन-किन में निजी बस सेवा को अनुमति दी गयी है? किन-किन मार्गों का राष्ट्रीयकरण शासन के विचाराधीन है?

श्री गुलाब सेहरा--

वर्ष 1971 से अब तक जनपद पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल के निम्न पाँच मार्गों को राष्ट्रीयकृत किया गया--

(1) टनकपुर-पिथौरागढ़-धारचूला।

(2) हल्द्वानी-टाण्डा-रुद्रपुर।

(3) अल्मोड़ा-कपड़खान-बसौली ?

(4) अल्मोड़ा-दनियाघाट-पिथौरागढ़।

(5) रानीबाग-भीमताल-नौकुचियाताल।

उपरोक्त सभी मार्गों पर निजी बसों का संचालन पूर्णतया वर्जित है। उपरोक्त जनपदों में से निम्न मार्गों को राष्ट्रीयकृत किये जाने हेतु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 68-सी के अन्तर्गत अधिसूचित किया जा चुका है और वह अब शासन द्वारा नियुक्त विशेषाधिकार के सम्मुख विचाराधीन है।

(1) रुद्रपुर-काशीपुर

(2) नानकसागर-किच्छा-सिचारगंज।

हल्द्वानी-अल्मोड़ा वाया खैरना-सुपालवान्ड, जिसमें हल्द्वानी से खैरना तक का भाग पहले से राष्ट्रीयकृत है को भी मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट 1939 की धारा-68 सी के अन्तर्गत अधिसूचित किया गया है परन्तु यह योजना अभी शासन के विचाराधीन है।

शारदा सहायक खंड 28, हैदरगढ़, बाराबंकी में सींचपाल पद हेतु कथित चयन तथा प्रशिक्षण एवं स्थायी किये जाने पर विचार

31—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक खण्ड 28, हैदरगढ़, बाराबंकी में सींचपाल के लिए अक्टूबर, 81 में कुछ व्यक्तियों का चयन किया गया था और उनको प्रशिक्षण अलग-अलग स्थानों में दिया गया था ? यदि हाँ, तो क्या उनकी नियुक्ति कर दी गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अक्टूबर 1981 में शारदा सहायक खण्ड–28 हैदरगढ़ (बाराबंकी) में सींचपाल के लिये कोई चयन नहीं किया गया अतः-अलग-अलग स्थानों पर प्रशिक्षण दिये जाने का अथवा नियुक्ति किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

32—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 81 में चयन किये गये व्यक्तियों को ट्रेनिंग ले लेने के बाद 10 रु0 रोज पर मस्टर रोल पर लगाया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? ट्रेनिंग किये हुए व्यक्तियों को रेगुलर पोस्ट पर न रखने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

अक्तूबर, 81 में चयन नहीं किया गया। अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

33—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग नहर में बहुत से स्थान सींचपालों के रिक्त पड़े हुए हैं और बाराबंकी, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव में भी खाली हैं ? यदि हाँ, तो अस्थायी तौर पर नियुक्ति क्यों की गयी हैं उनको स्थायी क्यों नहीं किया गया है ? क्या सरकार को पता है कि सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं रायबरेली में कार्य करने वाले सींचपाल बहुत से अस्थायी है ? क्या सरकार उनको स्थायी करने पर विचार करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

नलकूप संख्या 57 धनंजयपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के आपरेटर के खिलाफ शिकायती पत्र

34—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप सं0 57 धनंजयपुर ब्लाक बड़ागाँव, जिला वाराणसी के आपरेटर के खिलाफ अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, वाराणसी को एवं सहायक अभियन्ता को उस गाँव के उप प्रधान एवं किसानों ने 14–6–83 को 17–6–83, 24–6–83 12–9–83 तथा 27–9–83 एवं अधीक्षण अभियन्ता को 29–9–83 को एवं जिलाधीश, वाराणसी को 5–7–83 को उप प्रधान सकल नारायण पाण्डेय ने शिकायती पत्र दिया ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

जाँच करायी गयी, किन्तु शिकायत निराधार पाई गयी।

बांदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य एवं व्यय की गयी धनराशि

35—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बाँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981–82, 1982–83 तथा 1983–84 में अब तक कौन-कौन से कार्य किये गये, इन पर कितना धन व्यय हुआ है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1983–84 में कौन-कौन सी योजनाएं और प्रस्तावित हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

बाँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वर्ष 1981–82, 82–83 तथा 83–84 में किये गये कार्य तथा उन पर व्यय किये गये धन एवं वर्ष 1983–84 में प्रस्तावित योजनाओं का विवरण † संलग्न है।

जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में अन्तर्राजकीय टसर रेशम विकास परियोजना का लक्ष्य

36—श्री विजय सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील में अन्तर्राजकीय टसर रेशम विकास परियोजना चालू करने का क्या औचित्य है ? क्या यह सही है कि उक्त परियोजना स्थानीय आदिवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये लागू किया गया है ? यदि हाँ, तो उक्त परियोजना में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त हैं और उनमें से कितने आदिवासी कर्मचारी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद मिर्जापुर में अन्तर्राजकीय टसर रेशम, परियोजना चालू करने का औचित्य यह है कि इस योजना के अन्तर्गत 1000 हेक्टयर भूमि में सघन अर्जुन वृक्षारोपण कराकर इस क्षेत्र के व्यक्तियों को रेशम योजना के द्वारा अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके।

उक्त परियोजना लागू हो जाने के उपरान्त स्थानीय लोग चाहे वे आदिवासी हों या गैर आदिवासी को अतिरिक्त रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे।

उक्त परियोजना के अन्तर्गत अभी तक किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं की गयी है। परियोजना का कार्य राज्य टसर योजना में नियुक्त कर्मचारियों से लिया जा रहा है, जिनकी नियुक्ति शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार की गई है।

ग्राम जोकहरा एवं रामपुर देवारा में बदरहवा नाले के उत्तरी तट पर निर्माणाधीन तट बन्ध बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

37—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में स्थित ग्राम जोकहरा एवं रामपुर देवारा में बदरहवा नाले के उत्तरी तट पर निर्माणाधीन तट बन्ध प्रस्तावित स्थान पर बनाये जाने से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 30 अप्रैल, 83 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

संबंधित मुख्य अभियन्ता की आख्या अभी हाल में ही प्राप्त हुई है, जो इस समय परीक्षण में है।

आबकारी आयुक्त के विरुद्ध शिकायती पत्र

38—श्री मलिक मुहम्मद कमाल युसूफ—

क्या आबकारी मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री, श्री मंगलराम प्रेमी और श्री राजेश कुमार सिंह, संसद सदस्यों का आबकारी के सम्बन्ध में 27 अगस्त, 83 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो पत्र में कौन-कौन से तथ्य हैं और सरकार द्वारा उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हाँ।

पत्र में आबकारी आयुक्त के विरुद्ध कुछ सामान्य एवं अस्पष्ट प्रकार के आक्षेप किये गये थे जिनकी पुष्टि में कोई विशिष्ट तथ्य नहीं दिये गये थे। शिकायतें निराधार पाई गईं।

† छापा नहीं गया।

जनपद बदायूं में औद्योगिक आस्थान हेतु ली गई भूमि

39—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बदायूं में इंडस्ट्रियल स्टेट के अन्तर्गत ली गयी जमीन अभी तक किस कारण उद्योगों हेतु आवेदकों को वितरित नहीं की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ग्राम सालारपुर जिला बदायूं में औद्योगिक आस्थान हेतु ली गई भूमि का विकास कार्य तथा बिजली की लाइन लगाने का कार्य पूरा हो गया है, किन्तु अभी भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। भवनों के निर्माण के उपरान्त भवनों, भूखंडों का मूल्यांकन होगा तथा मूल्यांकन के बाद ही भवनों/भूखंडों का आवंटन हो सकेगा।

जनपद बदायूं में उद्योग खोलने की योजना

40—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं में इस वर्ष कितने उद्योग और किस-किस श्रेणी के खोलने की योजना है ? जनपद बदायूं को उद्योग में पिछड़ा जनपद मानते हुए क्या सरकार उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने की कृपा करेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्राम टेढ़वा, तप्पा बांध को नदी के काटन से बचाने हेतु ठोकर की योजना

41—श्री मसरूर जाफरी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा विधान सभा क्षेत्र उतरौला में ग्राम टेढ़वा, तप्पा बाँध को नदी के कटान से बचाने के लिये जो ठोकर की योजना चल रही थी उसमें कितना खर्च हुआ है ? क्या यह सत्य है कि उस ठोकर लगाने में चिकने पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है ? यदि हाँ, तो इसका कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उक्त योजना पर 7,20,385.17 रुपया व्यय हुआ है।

इस कार्य के निकटतम खदान स्थल जरवा है, जिसका पत्थर, मितव्ययता को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया गया है। तकनीकी दृष्टिकोण से भी ऐसे पत्थरों के प्रयोग से कोई हानि नहीं है।

ग्राम शेरवा, जिला फैजाबाद में कृषि योग्य भूमि की कटाव से क्षति

42—श्री जियाराम शुक्ल विकल सांकेती—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष घाघरा नदी की बाढ़ में ग्राम शेरवा, जिला फैजाबाद का अधिकांश भाग कटाव में आ गया है ? इस गांव के संभावित खतरे से निपटने के लिए सरकार क्या उपाय सोच रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। वर्ष 1983 की बाढ़ में घाघरा नदी के दाहिने तट पर स्थित ग्राम शेरवा जिला फैजाबाद में लगभग 2.5 एकड़ केवल कृषि योग्य भूमि का कटाव हुआ था परन्तु आबादी को कोई क्षति नहीं हुई है।

उक्त ग्राम के कटान से सुरक्षा हेतु 13.42 लाख रुपये की लागत की एक परियोजना बनायी गयी है। इस परियोजना को स्वीकृति होने पर तथा धन की उपलब्धता पर इस पर कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

तटवर्ती बांध, बहराइच के रेनकट्स भरने हेतु मंगाई गयी मिट्टी का भुगतान

43—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तटवर्ती बांध बहराइच के कि0 मी0 93-900 से कि0 मी0 95 तक रेनकट्स भरने के लिये 1815-06 घनमीटर मिट्टी 27 रुपए 15 पैसे प्रतिघनमीटर की दर से कार्यस्थल से 56 कि0 मी0 दूर बाराबंकी जनपद के करवेहरा नामक स्थान से 15 सितम्बर से 22 सितम्बर के बीच श्री जीआउद्दीन ठेकेदार अनुबन्ध संख्या 5/ए0 ई0 111/82-83 दिनांक 14-9-82 द्वारा मंगाई गई थी ? यदि हां, तो 56 कि0 मी0 दूर से मिट्टी मंगाने का औचित्य क्या था और माप पुस्तिका नम्बर 1006 द्वारा जिसमें उपरोक्त कार्यों का माप हुआ है तथा 48283-00 रुपए का भुगतान किया है, जो अंकित है ? क्या यह सच है कि यह माप पुस्तिका जिसमें उक्त कार्य सहित 7 लाख रुपए के फर्जी भुगतान अंकित है, अभियन्ताओं द्वारा गायब कर दी गई है ? यदि हां, तो अभियन्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, किन्तु यह अनुबन्ध तटवर्ती बांध बहराइच के कि0 मी0 93.95 से था 93.90 कि0 मी0 से नहीं) इसके अतिरिक्त उक्त रेनकट्स का स्थल से केवल 13 कि0 मी0 दूर था न कि 56 कि0 मी0 । अतः 50 कि0 मी0 से दूर मिट्टी मंगाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

संबंधित माप पुस्तिका संख्या 1006 अवर अभियन्त के दिनांक 2-9-83 के दौरे से मोटर साइकिल के पीछे से बेग सहित गिर गई थी। इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट जनपद बहराइच के नानपारा थाना में दर्ज करा दी गई थी। पुलिस द्वारा इसकी जांच की जा रही है। माप पुस्तिका में 7 लाख रुपये के बीजक अंकित नहीं हैं बल्कि केवल 1.19 लाख रुपये के बीजक दर्ज हैं जिसमें से रुपये 1.16 लाख बीजकों का भुगतान किया जा चुका है । मात्र रुपये 3023 के बीजक का भुगतान करना शेष था ।

अतः इस समय किसी अभियन्ता के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं को प्रतिबन्धित स्थानों पर स्थानान्तरण किये जाने का विचार

44—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग के 118 सहायक अभियन्ताओं ने विभाग में कार्यरत रहते हुए अपनी सेवा की अवधि 10 साल पूरा करने के बाद भी प्रतिबन्धित स्थानों पर "सर्वे डिजाइन अथवा अनुसन्धान" में 3 वर्ष की, 2 वर्ष की अवधि तक कार्य नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या उन 118 सहायक अभियन्ताओं को जिनकी सेवा अवधि 10 साल से अधिक विभाग में हो गयी है प्रतिबन्धित स्थानों पर तुरन्त भेज दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

ऐसे सहायक अभियन्ता जिनकी सेवा अवधि 10 साल से अधिक हो गयी है तथा अभी तक प्रतिबन्धित स्थानों पर स्थापित नहीं रहे हैं, उनको प्रतिबंधित स्थानों पर विभागीय कार्यों एवं प्रशासनिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये स्थापित किये जाने हेतु सामान्य स्थानान्तरण में विचार किया जायेगा ।

सहायक अभियन्ता द्वारा तटवर्ती बांध बहराइच के कटवा देने के विरुद्ध जांच तथा कृत कार्यवाही

45—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई कार्य खंड, गोण्डा, उपखण्ड तृतीय, बहराइच के अन्तर्गत तटवर्ती बांध कि0 मी0 32, कि0 मी0 67-800 और कि0 मी0 68-500 पर बंधे को सहायक अभियन्ता द्वारा तीन स्थान पर कटवा दिया था, जिसके सम्बन्ध में जिला अधिकारी,

ने सितम्बर, 83 में कोई रिपोर्ट सचिव एवं मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग को भेजी थी ? यदि हां, तो क्या सितम्बर, 83 में ही उपरोक्त तथ्यों की जांच मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक श्री शेर सिंह द्वारा की गयी ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी नहीं। यह कथन कि सहायक अभियन्ता तृतीय ने उक्त बांध को कि0 मी0 32-00, 67-800 तथा 68-500 पर कटवा दिया, सही नहीं है। इसके विपरीत सितम्बर 13/14, 1983 की रात्रि में घाघरा नदी का बाढ़ जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ गया था। बांध के अन्दर आने वाले गांवों-अलीपुर दरौना एवं संगवा के ग्रामीणों ने बांध को कि0मी0 68-800 एवं 67-800 पर रात्रि को 12-00 बजे के लगभग काट दिया। इसी प्रकार 19/20 सितम्बर, 83 की रात्रि में लोवर सरयू नदी में अप्रत्याशित बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण जल भराव होने की स्थिति में संबंधित गांवों के ग्रामीणों ने बांध को कि0 मी0 31-00 पर काट दिया।

जिलाधिकारी बहराइच द्वारा शासन एवं मुख्य अभियन्ता सिंचाई विभाग, लखनऊ को इस संबंध में किसी रिपोर्ट भेजने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

मुख्य अभियन्ता शारदा सहायक श्री शेर सिंह द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गयी है।

46--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तटवर्ती बांध, बहराइच की वास्तविक लम्बाई क्या है तथा कि0 मी0 91-500 से कि0 मी0 95 तक सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं है ? क्या यह सच है कि सहायक अभियन्ता, तृतीय उप खंड सिंचाई कार्य खण्ड, गोंण्डा द्वारा विगत दो वर्षों 81-82 व 82-83 में इस बांध के उपरोक्त कि0 मी0 जो विभागीय बांध नहीं है, में लगभग 11 लाख रुपये फर्जी भुगतान किया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर, वाराणसी एवं लखनऊ में अवैध ढंग से चलाई जा रही बसें व उनका चालान

47--श्रीमती गौरी देवी--

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर, वाराणसी एवं लखनऊ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों के अन्तर्गत बिना रोड परमिट के अवैध ढंग से लखनऊ-गोंडा- लखनऊ-गोरखपुर तथा गोरखपुर-वाराणसी मार्गों पर लगभग 44 बसें चलाई जा रही हैं ? यदि नहीं तो क्या इस की जांच गुप्तचर विभाग से कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

कुछ बसों को अवसर पाकर बिना परमिट चलाने के प्रयास किये जाते हैं। ऐसी बसों की रास्ते में पड़ने वाले अधिकारियों द्वारा कड़ी चेकिंग की जाती है और पुलिस व निगम के अधिकारियों को साथ लेकर भी आकस्मिक चेकिंग करायी जाती है। अवैध रूप से चलती हुए वाहनों के पकड़े जाने पर नियमानुसार उनको चालान करके मोटर गाड़ी अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार गाड़ियों को थाने में बंद भी कराया जाता है दोषी व्यक्तियों के मामलों को न्यायालय या रजिस्टरिंग अथारिटी के समक्ष दण्डित करने के लिए भेजा जाता है।

वर्ष 1983 में गोरखपुर–वाराणसी मार्ग पर बिना परमिट संचालन के अभियोग में 108 बसों के 181 चालान तथा लखनऊ–गोरखपुर व लखनऊ–गोण्डा मार्ग पर 100 बसों के 174 चालान किये गये।

चूंकि प्रश्नगत बसों के चेक चालान किये ही जाते रहते हैं अतः गुप्तचर विभाग से जांच कराने की आवश्यकता नहीं है।

सहायक अभियन्ताओं के पदोन्नति के मामले

48––श्रीमती गौरी देवी––

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नवम्बर 83 से 34 सहायक अभियन्ताओं के पदोन्नति का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां तो कब तक निर्णय लेकर उन्हें पद स्थापित कर दिया जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह––

दस प्रभारी सहायक अभियन्ताओं के प्रोन्नति आदेश किये जा चुके हैं। शेष के सम्बन्ध में विधिक अवरोध समाप्ति के पश्चात् आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम बेलीपार व नौसड़ जनपद गोरखपुर में बस एवं बुकिंग स्टेशन कायम किये जाने की मांग

49––श्रीमती गौरी देवी––

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 27–8–82 को ग्राम बेलीपार व नौसड़, जनपद गोरखपुर में बस एवं बुकिंग स्टेशन कायम करने के सम्बन्ध में मन्त्री जी को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो बस एवं बुकिंग स्टेशन अब तक कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा––

जी हाँ। दिनाँक 27–8–82 का नहीं अपितु 26–8–82 का सदस्य महोदया का पत्र प्राप्त हुआ था। पत्र में ग्राम बेलीपार जनपद गोरखपुर में बुकिंग स्टेशन कायम किये जाने की माँग की गयी थी। ग्राम बेलीपार व नौसड़ में अस्थाई बुकिंग स्टेशन खोलकर सर्वे कराया गया किन्तु उपर्युक्त स्थानों की औसत आय निर्धारित मापदण्ड रु0 1000 प्रतिदिन से काफी कम प्राप्त हुई।

निर्धारित मापदण्ड से काफी कम आय प्राप्त होने तथा अलाभकारी होने के कारण उपर्युक्त स्थानों पर बुकिंग स्टेशन खोलना संभव नहीं है।

जिला कारागार कानपुर में कैदी श्री सादिक रसूल की मृत्यु की जांच

50––श्रीमती गौरी देवी––

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कारागार, कानपुर में 3 जुलाई, 83 को एक कैदी श्री सादिक रसूल की मृत्यु हो गयी ? क्या यह सही है कि जिला कारागार अधिकारियों एवं चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार भी सुचारु रूप से नहीं कराया ? यदि हाँ, तो मृत्यु एवं उपचार न कराने का कारण क्या है और इस घटना की जाँच हुई ? यदि हाँ, तो क्या तथ्य सामने आये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जेल मंत्री (श्री अब्दुल रहमान खां नश्तर)––

जी हाँ।

बन्दी का प्राथमिक उपचार जेल चिकित्सालय में यथासम्भव सुचारु रूप से किया गया था। घटना की जाँच उप कारागार महानिरीक्षक, कानपुर परिक्षेत्र द्वारा कराई गई। उनकी रिपोर्ट के आधार पर जेलर सहित 7 कर्मचारियों को कर्त्तव्यपालन में शिथिलता बरतने का दोषी पाया गया। जेल कम्पाउन्डर का स्थानान्तरण कर दिया गया है। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के आदेश कारागार महानिरीक्षक को दिनाँक 30–9–1983 को भेज दिये गये हैं।

इस मामले की मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच कराई जा रही है। जाँच रिपोर्ट प्रतीक्षित है। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में बंदी की मृत्यु का कारण ज्ञात न होने के कारण उसके विसरा का परीक्षण भी किया जा रहा है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

सिंचाई खण्ड, गोंडा उपखंड बहराइच के सहायक अभियन्ता सहित अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

51—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा सिंचाई खण्ड, गोण्डा उपखंड, बहराइच के सहायक अभियन्ता सहित कुछ अन्य अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती पत्र मुख्य मन्त्री जी को माह अगस्त, 83 में दिया था ? यदि हाँ, तो शिकायतें क्या थीं और अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

प्रश्नगत पत्र में शासकीय धन का अनावश्यक व्यय करने, मिट्टी के कार्यों में दरें अधिक देकर सरकारी धन को हड़पने व फर्जी कार्य दिखाकर भुगतान करने की शिकायतें हैं, जिनकी जाँच के आदेश दे दिये गये हैं।

सिंचाई के लिये प्रदेश की जल सम्पदा के उपयोग के योजना की रुपरेखा

52—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई विभाग द्वारा अभी तक प्रदेश की नदियों में बहने वाले सारे जल एवं उनमें सिंचाई के लिये प्रयोग हो सकने वाले जल की मात्रा का कोई आँकलन किया गया है ? यदि हाँ, तो वह कितना है और विभाग द्वारा उसे प्रयोग करने हेतु कोई रूपरेखा बनाई गई है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सिंचाई विभाग द्वारा प्रदेश में बहने वाली बड़ी नदियों के प्रमुख स्थानों पर जल उपलब्धता का प्रारम्भिक अध्ययन किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा गठित सिंचाई आयोग (1972) की रिपोर्ट के अनुसार गंगा बेसिन के विभिन्न सब–बेसिन में 548.54 लाख हे0 मी0 जल उपलब्ध है। सिंचाई आयोग (1972) ने यह भी अनुमान लगाया है कि उपरोक्त वार्षिक औसत सतही जल से लगभग 332.1 लाख हे0 मी0 पानी उत्तर प्रदेश से होकर बहता है।

उपरोक्त जल में अन्य प्रदेशों से आने वाला जल भी सम्मिलित है। जिस पर उनका अधिकार है। अतः इसके कुछ अंश को ही उत्तर प्रदेश में उपयोग में लाया जा सकता है।

सिंचाई के लिए प्रदेश की जल सम्पदा के लिये उपयोग की दीर्घकालीन योजना की रूपरेखा बनायी जा रही है।

मथुरा में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों हेतु दुकानों का निर्माण तथा आवंटन

53—श्री कन्हैया लाल—

क्या हरिजन कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्षों में मथुरा जनपद में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों के लिये कुल कितनी दूकानें बनवाई गई। उनमें से कितने का आवंटन हो गया एवं कितने का आवंटन शेष है ? आवंटित दुकानों में से कितनी पर आवंटी व्यक्तियों ने कब्जा ले लिया कितनों पर कब्जा लेना शेष है तथा कब्जा न लेने का क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इन दूकानों में से कितनी दूकान टूट चुकी हैं एवं कितनों की मरम्मत हो चुकी है ? क्या यह बात सही है कि जिन व्यक्तियों ने आवंटित दूकानों का कब्जा ले लिया है उनको योजना के अनुसार बैंक से 5 हजार रुपया ऋण नहीं मिल रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पिछले वर्षों में स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत मथुरा जनपद में अनुसूचित जातियों के लिये 150 दुकानें बनवाई गई। इनमें से 99 का आवंटन हो गया है तथा 51 दुकानों का आवंटन शेष है। आवंटित दुकानों में से 58 आवंटी व्यक्तियों ने कब्जा ले लिया है तथा शेष 41 आवंटियों द्वारा अभी तक अनुबन्ध पत्र न भरे जाने के कारण उन्हें कब्जा नहीं दिया जा सका है। 51 दूकाने, जिनका आवंटन शेष हैं, में अतिवृष्टि, जलप्लावन के कारण कुछ दरारें आदि पड़ गईं। इन टूटी दुकानों की मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है। जिन व्यक्तियों ने दुकानों पर कब्जा ले लिया है उनको ऋण दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र बैंकों को भेज दिये गये है तथा ऋण के भुगतान हेतु बैंकों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

जनपद झांसी के भगवन्तपुरा एवं सिमरघा गांवों में सिचाई की मांग

54—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद ब्लाक बड़ोना के ग्राम बड़ागाँव के न्याय पंचायत, भगवन्तपुरा, सिमरघा में पिछले 3 वर्षों से सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होने से फसलें सूख गयीं जिससे कृषि योग्य भूमि भी बंजर होती जा रही है? यदि हाँ, तो शासन द्वारा सिंचाई की क्या व्यवस्था की जा रही है? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद झांसी के बड़ागाँव ब्लाक के भगवन्तपुरा एवं सिमरघा गाँवों में शासकीय सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः सूखे फसलों के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

ग्राम भगवन्तपुरा की भूमि अधिकतर पथरीली है तथा ऐसे स्थान पर सिंचाई सुविधा प्रदान करना सम्भव नहीं है। सिमरघा गाँव को सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु राजघाट परियोजना के अन्तर्गत ढुकवा बाँध से नहर निकालने की योजना बनाई जा रही है। इस योजना के पूर्ण होने के पश्चात ही सिमरघा गाँव में सिंचाई सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

जनपद अल्मोड़ा के राजकीय हाई स्कूल नैनी, बिन्ता पिपली, चमतीला तथा देवीथल के भवनों का निर्माण

55—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत स्थित राजकीय हाई स्कूल नैनी, बिन्ता, पिपली, चमतीला तथा देवीथल के भवनों का 24 सितम्बर, 83 तक न बनने का कारण क्या है? इनके भवनों के लिये शासन द्वारा पृथक-पृथक कितना रुपया स्वीकृत किया गया है और अभी तक कितनी धनराशि का उपयोग भवनों के निर्माण में किया जा चुका है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

राजकीय हाई स्कूल नैनी, तथा बिन्ता के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1980–81 में क्रमशः 17.33 लाख तथा 15.26 लाख रुपये की लागत की स्वीकृति दी गयी थी किन्तु भवन निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था क्रमशः वर्ष 1982–83 तथा वर्ष 83–84 में हुई है। पिपली चमतीला तथा देवीथल के भवनों के निर्माण की स्वीकृति अभी नहीं दी गयी है। स्वीकृत/निर्माणाधीन शिक्षा भवनों की अवशेष लागत के सापेक्ष में वित्तीय व्यवस्था कम उपलब्ध होने के कारण तथा इस बात को देखते हुये कि अपूर्ण भवनों को पूर्ण कराया जाना अधिक आवश्यक समझा गया है, गत वित्तीय वर्ष (1982–83) तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष (1983–84) में आरम्भ कार्यों को प्रारम्भ न कराये जाने तथा नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति न दिये जाने का निर्णय लेना पड़ा जिसके फलस्वरूप प्रश्नगत स्वीकृति निर्माण कार्यों को प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है तथा उक्त नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति पर विचार नहीं किया गया है।

अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल द्योनाथल में अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति

56—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को जानकारी है कि अल्मोड़ा जनपद के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल शहरफाटक, खूटथामस, नगर खान, असगोली तथा द्योनाथल, हाई स्कूल घोषित होने से पूर्व संचालित जूनियर हाई स्कूलों की इमारत में ही चालू किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो उनमें हाई स्कूल की कक्षाओं को चलाने हेतु अतिरिक्त कक्षों का निर्माण अभी तक न करने का क्या कारण है ? क्या इस हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृति की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां। केवल द्योनाथल विद्यालय भवन के अलावा अन्य किसी विद्यालय के लिये अतिरिक्त कक्षों के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी है। द्योनाथल विद्यालय के अतिरिक्त कक्षों के निर्माण हेतु 1.44 लाख रुपये की लागत की स्वीकृत अप्रैल, 1981 में प्रदान की गयी थी। किन्तु निर्माणाधीन कार्यों की अवशेष लागत के सापेक्ष में वित्तीय व्यवस्था पर्याप्त न होने के कारण तथा इस बात को देखते हुए कि उपलब्ध वित्तीय व्यवस्था के अन्तर्गत पहले अपूर्ण भवनों को पूर्ण कराया जाना आवश्यक है, सम्प्रति स्वीकृत अप्रारम्भ कार्यों, जिसमें प्रश्नगत निर्माण कार्य भी शामिल है, को प्रारम्भ न किये जाने तथा नये निर्माण कार्यों की स्वीकृति न दिये जाने का निर्णय लेने के लिये वाध्य होना पड़ा है।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों हेतु बनाई जा रही माइक्रो हाइडिल परियोजना

57—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1983–84 में शासन द्वारा विद्युत् उत्पादन हेतु माइक्रो हाइडिल की कौन-कौन सी योजनायें पर्वतीय क्षेत्र में कितनी-कितनी लागत की बनायी गयी हैं ? जिनके कार्यान्वियन के लिये विश्व बैंक से आर्थिक सहायता का अनुरोध किया गया है ? इन योजनाओं में कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के लिये वर्ष 1983–84 में बनाई गयी तथा बनाई जा रही माइक्रो हाइडिल परियोजनाओं का व्योरा इस प्रकार है:—

परियोजना का नाम	जनपद	अधि0 क्षमता कि0 वाट	अनुमानित लागत (रु0 लाख)
(क) माइक्रो हाइडिल परियोजना जिसका प्राकलन तैयार किया जा चुका है और केन्द्रीय/प्रादेशिक सरकार को भेजने हेतु विद्युत् परिषद् के विचाराधीन है—			
1—सोवला लघुजल विद्युत योजना	पिथौरागढ़	600	746.7
(ख) माइक्रो हाइडिल परियोजना जिनके प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं—			
2—शेराघाट	पिथौरागढ़	500	126.50
3—ज्योलीकोट	नैनीताल	500	99.98
4—कन्योटी	पिथौरागढ़	2000	250.00
5—चिरकिला	पिथौरागढ़	1500	190.00

2—विश्व बैंक से आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु लघु जल विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिये एक परियोजना प्राक्कलन तैयार कर प्रेषित करने का प्रस्ताव है, जिसमें लगभग 4 या 6 परियोजनायें शामिल की जायेंगी।

भेड़ों के चारे हेतु बुग्याल में निर्माणाधीन कथित योजना

58—श्री गोवर्धन तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भेड़ों के चारे के लिए बुग्याल में उन्नत किस्म की घास लगाने, उसके रखरखाव करने तथा उसके विकास की क्या कोई योजना शासन की ओर से बनायी गयी है ? यदि हां, तो इस योजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ? क्या स्विस सरकार ने इस योजना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है ?

58—श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

59—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

[5वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 178 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पर्वतीय क्षेत्र में बादाम, अखरोट, जैतून आदि के रोपण, रखरखाव एवं विकास हेतु योजना

60—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में बादाम, अखरोट, जैतून आदि के रोपण, रखरखाव एवं विकास हेतु शासन द्वारा क्या कोई योजना बनायी गयी है जिसके लिए इटली सरकार से आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है ? यदि हां, तो इस योजना में कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां।

योजनान्तर्गत 5 वर्ष की अवधि में कुल 2.41 करोड़ रु0 का व्यय अनुमानित है।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा की स्थापना तथा भवन निर्माण

61—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा की स्थापना किस सन् में हुई थी ? क्या यह सही है कि अभी तक उक्त कालेज का भवन निर्मित नहीं हुआ ? यदि हां, तो अभी तक भवन निर्मित न होने का कारण क्या है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

प्रश्नगत विद्यालय की स्थापना माह सितम्बर, 1967 में हुई। भवन निर्माण हेतु भूमि की समुचित व्यवस्था न होने के कारण सम्प्रति विद्यालय किराये के भवन में चलाया जा रहा है।

पर्वतीय क्षेत्र में कतिपय बांधों पर अवरुद्ध निर्माण कार्य

62—श्री गोवर्द्धन तिवारी—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में जमरानी बांध, टिहरी बांध, मनेरी भाली बांध, विष्णु प्रयाग बांध, लखवाड़ बांध तथा धौली गंगा बांध की परियोजनाओं का निर्माण कार्य धनाभाव के कारण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो मार्च, 1983 तक इन योजनाओं पर पृथक-पृथक कुल कितनी-कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया में राजकीय नलकूपों की स्वीकृति तथा छिद्रण का कार्य

63—श्री मोहन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82–83 और 83–84 में देवरिया जनपद के अन्तर्गत कितने राजकीय नलकूपों की स्वीकृति मिली और राजकीय नलकूप निर्माण खंड देवरिया के कितने नलकूप छिद्रित किये ? इनमें कितने नलकूपों का लांग सेक्शन स्वीकृत हुआ तथा कितने नलकूप जुलाई, 1983 तक ऊर्जीकृत किये गये थे और कितने में नालियां बनाकर जल वितरण का कार्य आरम्भ हो गया ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982–83 तथा 83–84 में देवरिया जनपद में क्रमशः 44 एवं 20 (विश्वबैंक) राजकीय नलकूपों को स्वीकृति मिली और नलकूप निर्माण खण्ड गोरखपुर द्वारा वर्ष 1982–83 एवं 83–84 में क्रमशः 44 और 8 राजकीय नलकूपों का छिद्रण हुआ। नलकूप खंड देवरिया द्वारा छिद्रण का कार्य नहीं किया जाता है।

उपरोक्त सभी नलकूपों के लाग सैक्शन स्वीकृत है। जुलाई, 1983 तक कोई भी राजकीय नलकूप उर्जीकृत नहीं किये गये तथा 27 नलकूपों में नालियां बनायी गयी किन्तु उर्जीकृत न होने के कारण जल वितरण का कार्य आरम्भ नहीं हो सका।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों हेत पृथक निदेशालय स्थापित किये जाने की मांग

64—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये पृथक निदेशालय स्थापित किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो लघु उद्योगों को इस निदेशालय द्वारा क्या-क्या सुविधायें दी जायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति परियोजनायें

65—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उ0 प्र0 में नौ बड़ी व तीन मध्यम सिंचाई परियोजनायें केन्द्र सरकार ने लगाने की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो उक्त परियोजनायें प्रदेश में किन-किन स्थानों पर लगाये जाने हेतु सरकार ने अनुमति दी है ? सम्पूर्ण परियोजना पर कुल कितना व्यय होगा, सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

वर्ष 1988–79 से अब तक केन्द्र सरकार द्वारा नौ वृहद तथा तीन अन्य (रिमौडलिंग तथा नहर का शीर्ष बनाने को) योजनायें स्वीकृत हुई हैं। यह योजनायें उत्तर प्रदेश के बहराइच, गाजीपुर, ओखला, बिजनौर, सहानपुर, हमीरपुर, जालौन, बुलन्दशहर, झांसी तथा ललितपुर में बनाई जा रही हैं।

इन सब परियोजनाओं पर लगभग 395.0369 करोड़ रु0 का व्यय अनुमानित है।

सम्पूण विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'क'. आगे पृष्ठ 993 पर)

जौनपुर में बमइला सरवैला माइनर हेतु ली गई भूमि का मुआवजा

66—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर निर्माणाधीन के अन्तर्गत बमइला सरवला माइनर में ली गई भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों को अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हाँ, तो क्या यह सत्य है कि जौनपुर आजमगढ़ मार्ग पर इस माइनर पर बनने वाली पुलिया का निर्माण भी आज तक नहीं कराया गया ? क्या सरकार इस नहर में ली गई भूमि का शीघ्र मुआवजा दिलवायेगी एवं पुलिया का भी निर्माण करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित निर्माणाधीन माइनर हेतु ली गयी भूमि का मुआवजा सम्बन्धित किसानों को भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा 4 व 6 (1) के प्रकाशन के पश्चात वितरित किया जायगा। धन उपलब्ध होने पर पुलिया का भी निर्माण कराया जायगा।

नरेन्द्र देव इन्टर कालेज जलालपुर में प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा गबन व अनियमितताओं की जांच

67—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुध के लिए निर्धारित अता0प्र0 सं0 12 के उत्तर के संबंध में हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि नरेन्द्र देव इंटर कालेज, जलालपुर में प्रधानाचार्य व प्रबन्धक द्वारा लाखों रुपये के गबन एव अनियमितताओं की पुलिस विभाग द्वारा की जा रही जाँच कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि हाँ, जाँच अधिकारी का नाम क्या है और किस तिथि को जाँच शुरू की गयी और जाँच पूर्ण करने की तिथि क्या है ? जाँच रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है और अब तक जाँच रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ।

जाँच अधिकारी श्री निशा नाथ मिश्र, उप निरीक्षक थे। उनके स्थानान्तरण पर श्री दिवाकर सिंह, उप निरीक्षक, विशेष अनुसंधान इकाई जाँच अधिकारी थे।

हरिजन छात्रवृत्ति के आहरण के सम्बन्ध में जाँच दिनाँक 28-10-81 को प्रारम्भ हुयी और दिनाँक 7-8-82 को पूर्ण हुई। विशेष अनुसंधान इकाई की जाँचोपरान्त श्री सूर्य नारायण लाल प्रधानाचार्य के विरुद्ध 80-81 से सम्बन्धित हरिजन छात्रवृत्ति की धनराशि 11,222 रु0 के व्योवहरण आरोप सिद्ध हुये और चार्जशीट दिनाँक 7-9-82 को न्यायालय में दायर की गयी है।

छात्रवृत्ति की धनराशि के व्यवहरण में अनियमितताओं के लिये कालेज के प्रधानाचार्य के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दिनाँक 7-2-82 को प्रस्तुत किया जा चुका है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

बस्ती डिपो की मरम्मत हेतु कार्यशाला, कानपुर में भेजी गयी बसें

68—श्री गोपीनाथ वर्मा—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुध के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 110 के उत्तर के संबंध में परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगें कि 33 बसें कार्याशाला, कानपुर में मरम्मत हेतु भेजी गयीं ? यदि हाँ, तो उन पर कुल कितना धन व्यय हुआ ?

श्री गुलाब सेहरा—

जैसा विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के पहले बुधवार को अता0प्र0सं0 110 के उत्तर में बताया गया था, बस्ती डिपो की केवल 4 बसें मरम्मत हेतु एलन फारेस्ट कार्यशाला, कानपुर भेजी गयीं। इनमें से 2 बसें बनाकर वापस भेज दी गयी हैं, इस पर कुल रु0 1,40,410 व्यय हुआ।

दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान के संबंध में पत्र

69—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र 4 जुलाई, 1979 को हुई दुर्घटना में प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान के संबंध में 16 फरवरी, 1983 को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो पत्र का पूर्ण विवरण क्या है ? उक्त मामले की जाँच रिपोर्ट क्या है और क्या संबंधित प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर भुगतान कर दिया गया ? यदि हाँ, तो भुगतान धनराशि मदवार प्रति व्यक्ति क्या है ? इतनी लम्बी अवधि तक प्रतिकर भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनाँक 15–2–83 प्राप्त हुआ था जो दिनाँक 4–7–78 को हुई दुर्घटना से संबंधित था।

वह 4–7–79 को किसी दुर्घटना से संबंधित नहीं था।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जानेके संबंध में पत्र

70—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र फैजाबाद के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में दिनाँक 12–1–83 का उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या इस मामले की जाँच कराकर कृषकों को सिंचाई सुविधाएं दी गयीं ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम बिहरई व नन्दापुर के बीच पुलिया की स्वीकृति

71—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या विधान सभा प्रथम सत्र 83 के 2रे बुध के अता0प्र0सं0 61 के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम बिरहई व नन्दापुर के बीच टाँडा, फैजाबाद, राजबाद पैसरा पर स्वीकृत पुलिया निर्माण करा दी गयी है ? यदि हाँ, तो निर्माण स्वीकृत की तिथि क्या है ? स्वीकृत निर्माण पर मदवार व्यय क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, प्रश्नगत पुल का निर्माण अभी नहीं हो सका है।

प्रश्नगत पुलिया की स्वीकृति दिनाँक 5–2–83 को दी गयी। निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। अतः प्रश्न नहीं उठता।

72—श्री गोपीनाथ वर्मा—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

टांडा ब्लाक फैजाबाद में हरिजन आवास के विषय में कथित पत्र

73—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि टांडा ब्लाक, फैजाबाद में हरिजन आवास के विषय में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 3–1–83 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांचोपरान्त उचित कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो कार्यवाही के पूर्ण विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 3–1–1983 का पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ?

श्री पारसनाथ वर्मा, परिचालक ईदगाह, आगरा को पुनः सेवा में बहाल किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

74—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पारसनाथ वर्मा, परिचालक ईदगाह, आगरा को पुनः सेवा में बहाल किये गये जाने के संबंध में प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 24 मार्च, 1983 का प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त परिचालक को अन्य परिचालकों की भांति पुनः सेवा में लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

जी हां ।

श्री वर्मा को पुनः सेवा का अवसर प्रदान करने का औचित्य नहीं समझा गया ।

ग्राम सभा, मखदूमनगर, तहसील टांडा, फैजाबाद के ग्रामवासियों से सम्बन्धित पत्र

75—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम सभा मखदूमनगर, तहसील टांडा, फैजाबाद के ग्रामवासियों से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का दिनांक 18-1-83 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी तथा कार्यवाही का पूर्ण विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हथिनाताल ड्रेन की खुदाई तथा व्यय

76—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे बुध के लिए निर्धारित अता0प्र0सं0 11 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत ताल से हथिनाताल ड्रेन प्रस्तावित है, जो चौधरी पुर ड्रेन में मिलेगी ? यदि हां, तो क्या प्रस्तावित ड्रेन की खुदाई करा दी गई ? सम्पूर्ण निर्माण पर मदवार व्यय धन का विवरण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

शून्य ।

जनपद फैजाबाद में बुनकरों को पावर लूम चलाने में दी जा रही कथित पावर सबसिडी

77—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में बुनकरों को पावरलूम चलाने में पावर सब्सिडी दी जा रही है ? यदि हां, तो किन-किन कस्बों व नगरों में किन-किन बुनकरों को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद फैजाबाद में वर्तमान समय में किसी भी पावरलूम इकाई को पावर सब्सिडी नहीं दी जा रही है क्योंकि पावर सब्सिडी लघु स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत इकाइयों को विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष तक अनुमन्य है। फैजाबाद जनपद के उद्योग के अन्तर्गत गत वर्षों में लघु स्तरीय उद्योग के अन्तर्गत पावरलूम की कोई भी इकाई पंजीकृत नहीं हुई है। अतः उक्त योजनान्तर्गत उपादान प्राप्त करने की कोई भी पावरलूम इकाई पात्र नहीं है।

जनपद फैजाबाद में उमरापुर माइनर की कुल लम्बाई, निर्माण कार्य तथा व्यय की गई धनराशि

78—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में उमरापुर माइनर, ब्लाक बसखारी टांडा, फैजाबाद की कुल लम्बाई क्या है तथा सम्पूर्ण माइनर का निर्माण करा दिया गया है तथा सिंचाई हेतु पानी की सप्लाई की जा रही है? उक्त निर्माण पर सरकार का कुल कितना धन व्यय हुआ और अब तक सिंचाई से सरकार को कुल कितना धन वसूल हुआ है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उमरापुर माइनर की कुल लम्बाई 2.6 कि0 मी0 है। कृषकों के अवरोध के कारण हेड से 400 मीटर तक का नहर निर्माण कार्य शेष है जिसके कारण पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है।

1,51,039 रुपया व्यय हुआ है। नहर के निर्माण कार्य अवशेष होने के कारण सिंचाई सुविधा नहीं दी जा सकी और न ही कोई राजस्व प्राप्त हो सका है।

श्री चन्दन सिंह आदि विधायकों का आबकारी के संबंध में पत्र

79—श्री रामस्वरूप निम—

क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्दन सिंह आदि विधायकों का आबकारी के संबंध में पत्र संख्या 492, दिनांक 1 नवम्बर, 83 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में किन बातों का उल्लेख किया गया है और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां।

पत्र में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध सामान्य एवं अस्पष्ट आक्षेप थे, जिनकी पुष्टि नहीं हो सकी है।

राजकीय सड़क परिवहन निगम, शाहजहांपुर में रिटायर्ड बुकिंग क्लर्कों को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य भुगतान

80—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राजकीय सड़क परिवहन निगम, शाहजहांपुर में दिनांक 31-12-82 को रिटायर होने वाले बुकिंग क्लर्कों को पेंशन, ग्रेच्युटी उपार्जित अवकाश प्रावीडेन्ट फंड, जमानत की धनराशि एवं प्रतिनियुक्ति भत्ता का भुगतान कब किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक कर दिया जायेगा?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पिथौरागढ़ जनपद की इजड़ा पेयजल योजना का कार्य

81—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित पत्र सं0 6037/83 दिनांक 25-1-83 जिसमें पिथौरागढ़ में इजड़ा पेयजल योजना की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है, जिसके पीने की स्वीकृति अ0 शा0 पत्र सं0 म-54/28-8-8 (113-पे0) 83, दिनांक 4-2-83 पर्वतीय विकास अनुभाग-8 द्वारा की गयी है, के बारे में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी तथा कार्य की क्या प्रगति है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

माननीय सदस्य के पत्र दिनांक 24-1-83 (25-1-83 नहीं) पर उनको प्रेषित पर्वतीय विकास विभाग के अर्द्ध शा0 पत्र सं0 म-54/28-8-8 (13 ये0) '83, दिनांक 19-2-83 (न कि 4-2-83) में उल्लिखित पिथौरागढ़ जनपद की इजड़ा पेयजल योजना पर कार्य प्रगति पर है। अभी तक योजना के अन्तर्गत 12 राजस्व ग्रामों को पेयजल सचारु-रूप से उपलब्ध किया गया है। योजना का शेष कार्य पूरा कराने में लगभग 4 माह का समय लगने की संभावना है।

जनपद आजमगढ़ की कतिपय माइनरों पर निर्माण कार्य तथा कृषकों की भूमि अधिग्रहीत किये जाने पर विचार

82--श्री अबुल कलाम--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में तकिया माइनर तथा रसूलाबाद माइनर की कुराघाटमपुर माइनर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ है और किसानों की भूमि का मुआवजा (प्रतिकर) दिया गया है? यदि नहीं, तो मुआवजा कब तक दे दिया जायगा?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जनपद आजमगढ़ में तकिया माइनर रसूलाबाद माइनर तथा कोराघाटमपुर माइनर का निर्माण कार्य क्रमशः (वर्ष 1976-77, 77-78 तथा 78-79) में शुरू हुआ है। तकिया माइनर एवं रसूलाबाद माइनर की भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही की जा रही है। चकबन्दी अभिलेख अपूर्ण होने के कारण कोराघाटमपुर माइनर का स्थाई भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव विचाराधीन है, चकबन्दी पूर्ण होते ही भूमि अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की जायगी। भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने पर प्रतिकर वितरित कर दिया जायगा।

83--श्री अबुल कलाम--

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में रसूलाबाद माइनर, मईनुद्दीनपुर माइनर, हैवती माइनर का निर्माण कार्य कब से शुरू है तथा कब तक इन नहरों में पानी देने की व्यवस्था की जायगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

आजमगढ़ जनपद में रसूलाबाद माइनर, मइनुद्दीनपुर माइनर एवं हेवती माइनर का निर्माण कार्य क्रमशः वर्ष 1977-78 एवं 80-81 में शुरू हुआ है परन्तु भूमि उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण न कराया जा सका। कार्य पूर्ण होते ही नहर में पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दी जायगी।

84--श्री प्रभू नारायण सिंह--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

बारा और करछना तहसीलों में खरीफ में धान की सिंचाई न होने से छूट

85--श्री रेवती रमण सिंह--

क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद जनपद में टोन्स लिफ्ट नहर से दो तहसीलों बारा और करछना की सिंचाई होती है जबकि बारा तहसील के गाँव जो हेड पर आते हैं पिछली खरीफ में धान की सिंचाई न होने से वर्ष 82-83 के लिये छूट दी गयी है और करछना तहसील के गाँव जबकि टेल पर है और वहाँ के अधिकाँश गाँवों में पानी सिंचाई के लिए नहीं मिल पाया उनको छूट नहीं दी गयी? यदि हाँ, तो क्यों तथा उसका क्या आधार था?

श्री वीर बहादुर सिंह--

जी हाँ।

पिछली खरीफ 1982-83 में करछना तथा बारा दोनों ही तहसीलों में क्रमशः 30 गाँवों में रु0 32,027.14 तथा 36 गाँवों में रु0 37,758.58 पैसे की छूट दी गई है। उपरोक्त छूट का समायोजन रबी 1982-83 की जमाबन्दियों में करा दिया गया है। ऐसे खेतों में जहाँ नहर का पानी सींच के लिये उपलब्ध नहीं हो सका है उसकी सिंचाई दर्ज नहीं की गयी है और उस क्षेत्र में छूट देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में थल से रामगंगा नदी पर किनारे-किनारे मोटर मार्ग के निर्माण की मांग

86—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद पिथौरागढ़ में थल से रामगंगा नदी के किनारे किनारे एक मोटर मार्ग नाचनी तेंजम मुनस्यारी तक जाता है, जिसके दूसरी ओर गोल, लेजम, कौली, सुनेती, टुनेंती आमथल (बल्याऊं की ओर) अन्यारी गाड़, रिंगुड़िया, चिलती भकुना, हलद्वानी, महरगाड़ी, रमड़ी गाँवों में कोई यातायात सुविधा नहीं है ? यदि हाँ, तो इस परिस्थिति में इस सीमान्त क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु उपरोक्त गाँवों को होती हुई एक मोटर मार्ग शीघ्र बनाने के लिये सरकार ठोस कदम उठायगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जनपद पिथौरागढ़ में थल से रामगंगा नदी के एक ओर थल तेजम गिरगाँव मुनस्यारी मोटर मार्ग है तथा नदी के दूसरी ओर गोल, तेजम, कोली, सुनेती, ढुनेती, आमथल (बल्याँऊं की ओर से) अन्यारी गाड़ रिंगुड़िया, चिलपी, भकुना, हल्द्वानी, महरगाडी रमीडी है। इन गाँवों से होकर मोटर मार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन नहीं है। इन गाँवों को यातायात सुविधा देने हेतु रामगंगा नदी पर नाचनी में झूला पुल 3/83 में पूर्ण हो चुका है तथा नौलड़ा में झूला पुल 3/84 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पिथौरागढ़ जिले में थल नाम के धार्मिक स्थान हेतु विकास योजनायें

87—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री को ज्ञात है कि पिथौरागढ़ जिले में तहसील डीडीहाट के अन्तर्गत थल नाम के स्थान पर प्राचीनकाल से धार्मिक ऐतिहासिक व व्यापारिक दृष्टिकोण से पूरे जनपद में विशिष्ट स्थान रखता है ? यदि हाँ, तो उसके विकास के लिये शासन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हाँ।

इसके विकास के लिये विभिन्न विकास योजना के अन्तर्गत शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, विद्युत, परिवहन आदि के क्षेत्रों में विशेष प्रगति रही जिसके फलस्वरूप इस स्थान से चारों ओर को (थल मुनस्यारी, थल—बागेश्वर, थल—पिथौरागढ़, थल—अस्कोट तथा थल—धरमधर) मोटर मार्गों का निर्माण हुआ, राजकीय इन्टर कालेज खोला गया एवं इस स्थान पर सब पोस्ट आफिस के साथ सार्वजनिक टेलीफोन व्यवस्था तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा भी स्थापित है।

पर्वतीय आदर्श शिक्षा संघ, जिला अल्मोड़ा के संरक्षक और संचालक के कार्य क्षेत्र, आय के स्रोत पेयजल की उपलब्ध करायी गयी सुविधायें

88—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय आदर्श शिक्षा संघ (पंजीकृत) जिला अल्मोड़ा के संरक्षक और संचालक कौन कौन हैं ? इस संघ का कार्य क्षेत्र क्या है उसके आय के स्रोत क्या हैं ? इस संघ ने जिला अल्मोड़ा के किन-किन गाँवों को पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराई हैं तथा किसके आदेश से यह पेयजल योजनायें कार्यान्वित की गयी है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

महामंत्री, वर्तमान आदश शिक्षा संघ द्वारा जिला मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये बयानों के आधार पर पवतीय आदर्श शिक्षा संघ (पंजीकृत), दिल्ली, जिला अल्मोड़ा के संरक्षक सन् 1979 से सन् 1981 तक डा0 मुरली मनोहर जोशी, तत्कालीन संसद सदस्य रहे। सितम्बर, 1981 के पश्चात् माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी उद्योग मंत्री, भारत सरकार इसके संरक्षक संस्था द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं। संचालक मण्डल में सर्वश्री केदार दत्त तिवारी,

ग्राम ढेली, जिला अल्मोड़ा प्रधान, श्री हरिदत्त जोशी, ग्राम गाड़ी जिला अल्मोड़ा–कोषाध्यक्ष, श्री एन0 टी0 भट्ट, ग्राम बडगल भट्ट, जिला अल्मोड़ा महामंत्री, श्री शिवदत्त तिवारी, ग्राम घोलीखान, जिला अल्मोड़ा–उप–प्रधान, श्री दीवानरायन टम्टा, ग्राम सरही, जिला अल्मोड़ा–मंत्री, श्री मान सिंह, सन्तनगर, करौल–बाग, नई दिल्ली–संगठन मंत्री तथा श्री तिलोचन जोशी, ग्राम सुझगड़ा, जिला अल्मोड़ा–निरीक्षक हैं। उपरोक्त सभा पदाधिकारी अवैतनिक कार्यकर्त्ता हैं।

इस संघ का वर्तमान कार्यक्षेत्र अल्मोड़ा जिले के बारामण्डल–तहसील के पाँच ग्राम सभाओं के अन्तर्गत ग्यारह गाँवों तक सीमित है। ग्राम सभाओं के नाम पठूरा बडगल रौतेला, घोलीखान, बडगल भट्ट तथा बैसर हैं।

संस्था के आय के दो श्रोत हैं:—

(अ) जनता से चन्दा एकत्रित करके

(ब) स्विस ऐड के अन्तर्गत ऐसोसियेशन आफ वालेन्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेन्ट (एवाड) द्वारा अनुदान।

इस संघ ने जिला अल्मोड़ा के निम्न ग्रामों में पेयजल की सुविधायें उपलब्ध कराई है—

(1) पठूरा, (2) बडगल तल्ला (3) बडगल तल्ला (हरिजन बस्ती) (4) बडगल तल्ला (5) कपचाल (6) तिवारी खोला (7) बडगल रौतेला (हरिजन बस्ती), (8) डोल पोखरा (9) डोबरा (10) जूनियर हाई स्कूल बडगल भट्ट (11) हरिजन बस्ती, रूचिखेत

ग्राम पठूरा की पेयजल योजना की स्वीकृति कुमायूं गढ़वाल जल अधिनियम 1975 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा दी गई है। शेष ग्रामों की पेयजल योजनाओं पर उत्तर प्रदेश जल निगम की आपत्ति पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिए गए। किन्तु संस्था ने बिना अनुमति के लाइनें बिछा दी हैं इस पर संस्था के विरुद्ध जल अधिनियम 1975 की धारा 10/10 के अधीन कार्यवाई चल रही है

89—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

[तीसरे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 146 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी बांध के विस्थापितों की भूमि की सिंचाई हेतु निर्माणाधीन नहरें

90—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीयवाला देहरादून में टिहरी बाँध के विस्थापित की भूमि को सिंचाई हेतु नहर बनी है। यदि हां, तो क्या उस में पानी चल रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

टिहरी बांध के विस्थापितों के लिये जनपद देहरादून में माननीयवाला नहर निर्माणाधीन है। नहर का कार्य जून, 1984 तक पूर्ण हो जाने की आशा है। उसके बाद ही नहर में पानी चलाया जाना सम्भव हो सकेगा।

91—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

[दिनांक 9–9–83 को अतारांकित प्रश्न संख्या 170 द्वारा उत्तरित।]

रानीखेत के निकट गंगा नदी पर दड़माड़ स्थान पर बांध बनाने की कथित योजना

92—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत के निकट गंगा नदी में दड़माड़ स्थान पर एक बांध बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

रानीखेत के निकट गंगा नदी पर दड़माड़ स्थान पर बांध बनने की योजना विचाराधीन नहीं है। यह योजना लाभ लागत के निर्धारित मानकों के आधार पर व्यवहारिक नहीं है अतः इसका निर्माण किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

श्री मोहन सिंह, विधायक का आबकारी विभाग के संबंध में पत्र

93—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मोहन सिंह, विधायक का आबकारी विभाग के संबंध में दिनांक 10-1-82 का पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र में वर्णित तथ्य क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

जी हां।

उक्त पत्र में आबकारी आयुक्त एवं वैयक्तिक सहायक के विरुद्ध आबकारी सिपाहियों एवं लिपिकों के चयन में अनियमित रूप से चयन समिति गठित करने धनार्जन करने, चयन संबंधी विज्ञप्ति का वृहद् रूप से प्रचार न करने तथा छोटे स्थानों पर चयन केन्द्र बनाने की शिकायत की गयी है।

प्रश्न में वर्णित पत्र प्राप्त होने के पूर्व प्रसंगत शिकायतों पर जांच के निर्देश आबकारी आयुक्त को दिये जा चुके हैं।

94—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 162 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मोहान, जिला अल्मोड़ा में उद्योग स्थापित करने हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि

95—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहान अल्मोड़ा (नैनीताल) में जो इन्डस्ट्रीज इस्टेट बनाये जा रहे हैं उनमें शासन द्वारा कौन से उद्योग खोले गये/खोलें जा रहे हैं? यदि अभी तक उद्योग नहीं लगाये गये तो इसका क्या कारण है?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मोहान जिला अल्मोड़ा में शासन द्वारा कोई उद्योग स्थापित नहीं किया जा रहा है। इच्छुक उद्यमियों के लिए वन सम्पदा पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिये शासन द्वारा उक्त स्थान पर भूमि अधिग्रहीत की गयी थी और उनके लिए शेड्स भी बना लिये गये थे। इसी बीच भारत सरकार का एक उपक्रम इंडियन मेडिसिन्स फर्मास्यूटिकल्स लि० से औषधि निर्माण का कारखाना स्थापित करने हेतु सम्पूर्ण भूमि में निर्मित शेड्स लेने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। अतः भूमि का अधिकांश भाग व समस्त शेड्स उनको स्थानान्तरित कर दिया गया है। 2.72 एकड़ भूमि पर मे० टापीन प्रा० लि० द्वारा एक रसायनिक उद्योग स्थापित किया गया है।

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट नामक स्थान पर सीमेन्ट फैक्टरी खोलने की योजना

96—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट (चोनाला) नामक स्थान पर शासन द्वारा सीमेन्ट फैक्टरी की योजना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य आरम्भ होगा? तथा इसकी क्षमता क्या होगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां। सीमेन्ट की 50 टन तथा 200 टन की क्षमता की दो इकाइयां लगायी जा रही हैं। 50 टन की क्षमता की इकाई का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और 200 टन की क्षमता की दूसरी इकाई का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है।

97-98—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

मझौला मोरनोला मोटर मार्ग, जिला नैनीताल का निर्माण कार्य

99—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मझौला मोरनोला मोटर मार्ग जनपद नैनीताल का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मझौला—मोरनोला मोटर मार्ग जिला नैनीताल का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि के हस्तान्तरण के आदेश नहीं हुये।

मार्ग का निर्माण वन भूमि के उपलब्ध हो जाने के तीन वर्ष के अन्दर पूर्ण कर दिया जायेगा ?

शारदा नहर की मड़ियाहूं और केराकत राजबहा के किनारे की सड़क को पक्का करने की योजना

100—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद जौनपुर के अन्तर्गत बहने वाली शारदा नहर की मड़ियाहूं और केराकत राजबहा के किनारे की सड़क पटरियों को पक्का करने को कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें पक्का कर दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां।

योजना स्वीकृत होने पर कार्यवाही की जायगी।

जौनपुर से पुरेव राजेपुर एवं भुइली मदेवरा की स्थानीय बस सेवाओं को पुनः चालू किये जाने के संबंध में पत्र

101—श्री प्रभूनारायण सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अता० प्र० सं० 107 के उत्तर के संदर्भ में क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या प्रस्तगत मार्गों पर बस सेवायें अब नियमित रूप से चलने लगी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गुलाब सेहरा—

प्रथम सत्र 1983 के तीसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 107 के उत्तर में दी गयी स्थित में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

जौनपुर, पूरव बस सेवा संचालित है। शेष मार्गों की दशा अभी ठीक नहीं हुई है।

गोपालपुर पम्प कैनाल हेतु ग्राम बरईपुर के कृषकों की ली गयी भूमि तथा मुआवजा का भुगतान

102—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या मूसारवांड प्रखंड को गोपालपुर लिफ्ट कैनाल के अन्तर्गत पड़ने वाले जनपद मोरजापुर के अन्तर्गत ग्राम बरईपुर के किसानों को उनकी भूमि मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

गोपालपर पम्प कैनाल हेतु ग्राम बरईपुर के किसानों की ली गई भूमि का अभिनिर्णय 20—6—71 को घोषित किया गया था। स्थल पर जिन लोगों ने प्रतिकर नहीं प्राप्त किये थे उनकी धनराशि उनके नाम रेवन्यू डिपाजिट कर दी गई थी। इनमें से तीन किसानों ने प्रतिकर प्राप्त कर लिया है तथा शेष के जमा है। उनके उपस्थित होने पर भुगतान किया जायगा।

धर्मापुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत बंजीपुर ड्रेन पर पुलिया के निर्माण की मांग

103—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के विकास क्षेत्र धर्मापुर के अन्तर्गत गौराबादशाहपुर कस्बे से सटा हुआ बंजरिपुर ड्रेन खोदा गया है ? क्या यह सत्य है कि इस कस्बे के पूरब में उक्त ड्रेन पर पुलिया न होने से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में घोर असुविधा होती है ? क्या सरकार इस ड्रेन पर शीघ्र पुलिया का निर्माण करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, । धर्मापुर विकास क्षेत्र के अंतर्गत बंजीपुर ड्रेन खोदा गया है । इस ड्रेन पर प्रस्तवित पुल निर्माणाधीन है ।

बसंत पेपर मिल, रामनगर पर कृषकों की बकाया धनराशि के भुगतान की मांग

104—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या उद्योग मंत्री को जानकारी है कि जनपद वाराणसी के अन्तर्गत बसंत पेपर मिल रामनगर पर क्षेत्रीय किसानों का लाखों रुपए बकाया है ? क्या सरकार इस मिल को नियमित रूप से चलवा कर क्षेत्रीय किसानों के बकाये धन का शीघ्र भुगतान करायेगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विभिन्न जनपदों में स्थापित हरिजन छात्रावासों में छात्रों के प्रवेश की शासन की नीति

105—श्री कन्हैया लाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न जनपदों में स्थापित हरिजन छात्रावास में छात्रों के प्रवेश हेतु शासन की क्या नीति है एवं प्रवेश करने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है ? मथुरा के हरिजन छात्रावास में इस वर्ष अब तक कितने छात्रों को प्रवेश दिया जा चुका है ? इनमें से कितने हरिजन है एवं कितने गैर हरिजन ? क्या यह सही है कि समस्त गैर हरिजन छात्र एक ही विशेष वर्ग के हैं जिससे अन्य वर्ग के गैर हरिजन छात्रों को असंतोष व्याप्त है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सचना एकत्र की जा रही है ।

हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में बाई पास रोड बनाने की कथित योजना

106—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हल्द्वानी जनपद नैनीताल में बाई पास रोड बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कार्य कब तक आरम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

फिलहाल हल्द्वानी जनपद नैनीताल में बाई पास रोड का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शारदा सहायक नहर पर पैदल पुलिया बनाये जाने के सम्बन्ध में पत्र

107—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्रिका सिंह, ग्राम गंगापुर तहसील सगड़ी जनपद आजमगढ़ का शारदा सहायक नहर पर पैदल पुलिया बनाये जाने से संबंधित प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ उन्हें अक्टूबर, 83 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सुल्तानपुर के मुसहर परिवारों को पुर्नवासन हेतु दी गयी सहायता

108---श्री पंचानन राय---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 78-79 से 81-82 की अवधि में सुल्तानपुर के मुसहर परिवारों को 0.27 लाख रुपये की सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो इन्हें किन-किन मदों पर व्यय किया गया ? इनमें कौन-कौन सी मदें अनुमोदित नहीं थीं ? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

वर्ष 1978- 79से 1981-82 की अवधि में सुल्तानपर के मुसहर परिवार को पुर्नवासन हेतु कुल 1,67,067 रुपये की सहायता दी गयी ?

यह व्यय निम्नलिखित मदों पर किया गया :

1---गृह निर्माण के लिये।

2---गृह स्थल की लागत के लिये।

3---50 रु0 प्रतिमाह के हिसाब से 6 महीनों के लिये परिवार का भरण पोषण।

4---पाठशाला, परिश्रमालय तथा सामुदायिक कल्याण केन्द्र के भवन निर्माण पर लागत का अंशदान।

5---बच्चों के खेलकूद का पार्क, सफाई व्यवस्था तथा पेयजल सुविधा के लिये अंशदान।

6---दुधारू जानवरों के क्रय हेतु।

7---विविध व्यय।

सभी मदें अनुमोदित थीं अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में मुसहर जनजाति के परिवारों को बसाने हेतु योजना

109---श्री पंचानन राय---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुसहर जनजाति के परिवारों को फिर से बसाने की कोई योजना वर्ष 78-79 में प्रारम्भ की गयी ? यदि हां, तो यह योजना किन-किन जनपदों में प्रारम्भ की गयी है ? आजमगढ़ जनपद में इस योजना के प्रारम्भ न किये जाने का क्या कारण है ? इस योजना पर 78-79 से 82-83 की अवधि में प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि आवंटित की गयी और उसमे से कितनी प्रयुक्त हुई ? पूरे धन के प्रयुक्त न होने का क्या कारण था ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को मेडिकल प्रयोगात्मक परीक्षा से पूर्व कोचिंग की योजना में व्यय

110---श्री पंचानन राय---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतायेंगे कि अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को मेडिकल परीक्षण के लिये कोचिंग योजना प्रदेश के किन-किन जनपद में कब से चलायी जा रही है ? इस योजना पर प्रति वर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---

अनसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को मेडिकल प्रयोगात्मक परीक्षा के पूर्व कोचिंग योजना वर्ष 1975-76 से चलाई जा रही है। वर्ष 1975-76 से 1977-78 तक यह योजना लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद झांसी, मेरठ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी,

अलीगढ़, देहरादून तथा मुरादाबाद जनपदों में चलाई गई। वर्ष 1978–79 में यह योजना विभाग द्वारा केवल गोरखपुर, मेरठ, झांसी, लखनऊ तथा देहरादून जनपदों में चलाई गई। वर्ष 1979–80 में यह योजना कहीं नहीं चलाई गई। वर्ष 1980–81 से अबतक यह योजना मण्डलीय जनपदों तथा कानपुर जनपद में चलाई जा रही है।

इस योजना पर प्रतिवर्ष व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

	रु0 लाख में
1—1975–76	1.16
2— 1976–77	1.30
3—1977–78	1.12
4—1978–79	1.30
5—1979–80	बन्द रहीं।
6—1980–81	1.32
7—1981–82	1.9.27
8—1982–83	2613
9—1983–84	3.878

राज्य सड़क परिवहन निगम की अनुबन्धित बसों से आय तथा परिचालकों के वेतन पर व्यय

111—श्री पचानन राय—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 31 अक्तूबर, 83 को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम के पास कितनी अपनी निजी बसें थीं तथा कितने प्राइवेट बसों को अनुबन्धित किया गया था ? अनुबन्धित बसों से मास अक्टूबर, 83 में कुल कितनी आय हुई और उसमें से उन्हें कितना भुगतान किया गया तथा उन पर नियुक्त परिचालकों के वेतन पर कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

श्री गुलाब सेहरा—

सूचना एकत्र की जा रही है।

मेरठ तथा वाराणसी में छात्रवृत्ति वितरित करने की स्वीकृति जिला हरिजन कल्याण समिति से न लिया जाना

112—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सम्प्रेक्षण में यह पाया गया है कि वर्ष 80–81 तथा 81–82 की अवधि में मेरठ तथा वाराणसी में 2915 लाख रुपये छात्रवृत्ति वितरित करने की स्वीकृति सम्बन्धित जिला हरिजन कल्याण समिति से नहीं ली गयी है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन से अधिकारी उत्तरदायी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सत्य नहीं है कि वर्ष 80–81 तथा 81–82 की अवधि में मेरठ तथा वाराणसी में छात्रवृत्ति वितरित करने की स्वीकृति सम्बन्धित जिला हरिजन कल्याण समिति से नहीं ली गयी थी।

पूर्वदशम कक्षाओं की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में जिला हरिजन कल्याण समिति का अनुमोदन प्राप्त करके ही छात्रवृत्ति की धनराशि वितरित की गयी।

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को नयी छात्रवृत्ति स्वीकृत करने पर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

113—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विभागीय आदेशानुसार अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों (आय के आधार पर) के दूसरे तीसरे वर्ष आदि के लिए कोई नयी छात्रवृत्ति स्वीकृति नहीं करनी थी ? यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि आगरा जिले में वर्ष 80–81 तथा 81–82 की अवधि में 63 ऐसे विद्यार्थियों को 22000 रुपये का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु योजना

114—श्री पंचानन राय—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित करने हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो क्या उक्त मिनी प्लान्ट लगाने के लिये जो कच्चा माल प्रदेश में उपलब्ध है, उसका कोई सर्वेक्षण सरकार ने कराया है और उसके क्या परिणाम सामने आये हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वाल बांध पर ढालों का निर्माण

115—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित महुला गढ़वाल बाँध पर ढालों के निर्माण से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 13–4–83 अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

वित्तीय वर्ष 1983–84 में धन का आवंटन न होने के कारण ढालों का कार्य नहीं कराया जा सका।

कानपुर जिले में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत विद्यार्थियों को भुगतान

116—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जिले में 1980–81 तथा 81–82 की अवधि में दशमोत्तर छात्रवृत्ति के अन्तर्गत 14 विद्यार्थियों को 45000 रुपये का भुगतान सामान्य शैक्षिक सत्र से लम्बी अवधि के लिये किया गया है ? यदि हाँ, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कायवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमार बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सगड़ी समूह के नलकूप संख्या 89, ग्राम हाजीपुर के खराबी के कारण बंद होने से संबंधित पत्र

117—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी समूह के नलकूप संख्या 89 ग्राम हाजीपुर के खराबी के कारण बन्द होने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 6–4–83 अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हां, नलकूप की खराबी ठीक कराकर चालू कर दिया गया।

सगड़ी समूह के नलकूप संख्या 111 ग्राम शाहडीह के बन्द होने से सम्बन्धित-पत्र

118—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगड़ी समूह के नलकूप संख्या 111 ग्राम शाहडीह के खराबी के कारण बंद होने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 6–4–83 अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

नलकूप का दोष ठीक कराकर चालू करा दिया गया ।

आजमगढ़ में कल्यानपुर घाट के पास पुलिया बनाये जाने से सम्बन्धित पत्र

119—श्री पंचानन राय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित बदरहुवाँ नाले पर निर्माणाधीन तटबन्ध पर कल्यानपुर घाट के पास पुलिया बनाये जाने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 17–4–83 अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ ।

उक्त पुलिया प्रस्तावित सहनूपुर तट बंध की स्वीकृत लम्बाई से बाहर स्थित है । अतः इस पर पुलिया बनाने की कोई कार्यवाही नहीं हैं ।

गोरखपुर एवं कानपुर जनपद में दशमोत्तर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण

120—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर एव कानपुर जनपद में 36000 रुपये की दशमोत्तर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण विद्यार्थियों की पढ़ाई पूर्ण हो जान के बाद 80–81 तथा 81–82 की अवधि में किया गया ? इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी जनपद में मुसहर परिवारों के पुर्नवासन का निर्धारित लक्ष्य

121—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 78–79 से 81–82 की अवधि के बीच वाराणसी जनपद में 252 मुसहर परिवारों के पुर्नवास का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु इस अवधि में 10 परिवारों का ही पुर्नवास कराया जा सका ? यदि हाँ, तो उसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सही है कि वाराणसी जनपद में वर्ष 78–79 से 81–82 की अवधि के बीच 252 मुसहर परिवारों के पुनर्वासन का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विपरीत 115 परिवारों का पुनर्वासन कराया जा चुका है । शेष कार्य प्रगति पर है । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद तथा बांदा जनपद में कोल जनजाति के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन की योजना

122—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कोल जनजाति के सामाजिक तथा आर्थिक उन्नयन की कोई योजना इलाहाबाद तथा बाँदा जनपद में वर्ष 74–75 से प्रारम्भ की गयी है ? यदि हाँ, तो 74–75 से 82–83 की अवधि के मध्य इस योजना पर प्रतिवर्ष अलग-अलग कितनी धनराशि आहरित की गयी ? उसमें से कितनी वास्तव में व्यय हुई ? इस योजना में कितनी सड़कें प्रारम्भ की गयी और उन से कितनी पूरी हुईं और कितने का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जा सका ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ ।

जनपद बाँदा एवं इलाहाबाद के लिए वर्ष 74–75 से 82–83 तक आहरित अलग-अलग धनराशि का ब्योरा संलग्न है ।

बाँदा जनपद में रु0 8,79,000 तथा इलाहाबाद में रु0 11,71,900 धनराशि व्यय हुई । अवशेष धनराशि जो कि क्रमशः 1 लाख व 82,600 रुपये है का व्यय भुगतान कार्य पूर्ण होने पर किया जा सकेगा ।

कोल जाति के उत्थान हेतु इस विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से क्रमशः बाँदा में 19 खड़ंजा नाली निर्माण व 4 सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें से 15 खड़ंजा नाली तथा 4 सम्पर्क मार्ग का कार्य पूरा हो चुका है। जनपद इलाहाबाद में 13 खड़ंजा व 7 सम्पर्क मार्ग का कार्य प्रारम्भ किया गया जिसमें से 11 खड़ंजा व 3 सम्पर्क मार्ग का कार्य पूर्ण हो गया है। अवशेष कार्य प्रगति पर है ।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 994 पर)

हरदोई जनपद में ब्लाक संडीला, ग्राम बदिया के अखड्डी ड्रेन की सफाई कराने की मांग

123—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई में संडीला ब्लाक ग्राम बदिया के निकट से गुजरने वाली अखड्डी ड्रेन की सफाई 5–6 वर्षों से नहीं हुई जिससे वह बहुत चौड़ी हो गयी है उसमें बहायी पैदा हो जाने से वरियाँ गाँव की फसल व मकानों को काफी क्षति हुई है ? यदि हाँ, तो क्या सरकार उस ड्रेन की सफाई आगामी बरसात से पहले कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं । धनाभाव के कारण अखड्डी ड्रेन की पूर्ण सफाई 1982–83 एवं 1983–84 में नहीं कराई गई है। केवल कृषकों द्वारा सिंचाई हेतु बनाये गये बन्धों को हटाया गया है। ग्राम बदिया के निकट बेहायी हटाने का कार्य नहीं किया गया है। बारिश की गहनता अधिक होने पर ड्रेन का पानी नशेबी इलाके में फैल जाता जो लगभग सात दिन के अन्दर बारिश न होने पर निकल जाता है ।

वर्ष 1984–85 की बरसात से पूर्व धन उपलब्ध होने की दशा में ड्रेन की सफाई का कार्य आवश्यकतानुसार ही कराया जाना संभव हो सकेगा ।

124—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनाँक 15–2–84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 27 द्वारा उत्तरित।]

जिला उद्योग केन्द्रों में प्रबन्धक (खादी एवं ग्रामोद्योग) के पदों पर पदोन्नति के मामले

125—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशालय में वर्ष 83–84 को जिला उद्योग केन्द्रों में प्रबन्धक (खादी तथा ग्रामोद्योग) के पदों पर पदोन्नति हेतु मामला विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो उनमें से कितने पद सामान्य जाति व अनुसूचित जाति के हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य खनिज विकास में औद्योगिक अवैधानिक नियुक्तियों के सम्बन्ध में जांच की मांग

126—श्री रामस्वरूप वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनाँक 8 जुलाई, 83 को इस आशय का प्राप्त हुआ है कि उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम में आरक्षण कोटा पूरा न करके अवैधानिक रूप में नियुक्तियाँ की गयी हैं? यदि हाँ, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। प्रश्नकर्त्ता से इस आशय का एक पत्र दिनाँक 8 अगस्त, 1983 को प्राप्त हुआ था न कि 8 जुलाई, 1983 को। परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड में जो भी नियुक्तियाँ की गयी हैं वे नियमित रूप तथा वैधानिक रूप से की गयी हैं न कि आरक्षण कोटा पूरा न करके अवैधानिक रूप से। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

जे० ई० हल्का नं० 1 नहर खंड सिंचाई विभाग, रामपुर के विरुद्ध जांच की मांग

127—श्री रियासत हुसैन—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ज0 ई0 हल्का नं0 1 नहर खण्ड सिंचाई विभाग, रामपुर के फर्जी मस्टर रोल बनाने तथा अन्य भ्रष्ट तरीके से अपनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के द्वारा उ0 प्र0 भ्रष्टाचार निरोधक, कृ0 स0 समिति, रामपुर का शिकायती पत्र दिनाँक 27-6-83 को शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, शिकायती पत्र पर जाँच प्रारम्भ की गयी, किन्तु शिकायतकर्त्ता ने, लिखित रूप से सूचित किया कि साक्ष्य के अभाव में शिकायती पत्र को निरस्त कर दिया जाय। अतः कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की गयी।

उ० प्र० लघु उद्योग निगम, कानपुर में डाकूमेन्टरी आफिसर के पद पर नियुक्ति का औचित्य

128—श्री मित्रसेन—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 लघु उद्योग निगम, कानपुर में कोई व्यक्ति डाकूमेन्टरी आफिसर के पद पर कार्य कर रहा है? यदि हाँ, तो किस तिथि से और क्या उक्त पद बोर्ड से स्वीकृत है और क्या उक्त व्यक्ति की नियुक्ति बोर्ड से अनुमोदित है? यदि नहीं, तो वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है?

श्री वीर बहादुर सिंह—
जी नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय इन्टर कालेज, मयकोटी में इन्टर कक्षाओं में कृषि विषय खोलने की मांग

129—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, मयकोटी में इण्टर कक्षाओं में कृषि विषय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक इसकी स्वीकृति मिल जायगी?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हाँ। इस संबंध में यथाशीघ्र निर्णय ले लिया जायगा।

आई0टी0आई0 दुगड्डा (गढ़वाल) के अनुसूचित जाति के छात्रों को देय छात्रवृत्ति के भुगतान की मांग

130—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आई0 टी0 आई0 (दुगड्डा (गढ़वाल) में दीक्षारत अनुसूचित जाति के छात्रों को वर्ष 81 एवं 82 में विभाग द्वारा छात्र-वृत्ति दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें देय छात्रवृत्तियों का भुगतान कब तक हो जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

यूपिका, कानपुर में श्री राम औतार बाजपेयी का प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर भी पद पर कार्यरत रहने का औचित्य

131—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यूपिका, कानपुर में प्रति नियुक्ति पर कार्यरत श्री राम औतार बाजपेयी (विजिनेस मैनेजर) का प्रति नियुक्ति काल 31—10—82 को समाप्त हो गया है ? यदि हाँ, तो श्री बाजपेयी का उक्त पद पर कार्यरत रहने का क्या कारण है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

श्री राम औतार बाजपेयी को यूपिका द्वारा जनहित में कुछ समय के लिये रोक लिया गया था किन्तु वहाँ से 17—4—83 से कार्यमुक्त किये जा चुके हैं और अब अपने पैतृक विभाग में कार्यरत है।

सिंचाई निर्माण खण्ड कालसी, देहरादून में चतुर्थ श्रेणी नियमित अधिष्ठान हेतु चयनित अभ्यर्थियों में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों की संख्या

132—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई निर्माण खण्ड कालसी, जिला देहरादून में दिनाँक 30—9—82 को विभागीय चयन समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी नियमित अधिष्ठान हेतु अभ्यर्थी चयनित किये गये ह ? यदि हाँ, तो उनमें अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थी चयनित किए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। अनुसूचित जनजाति का केवल एक अभ्यर्थी चयनित किया गया।

सिंचाई निर्माण खंड, कार्यालय कालसी में चौकीदार के पद पर चयनित श्री हंसराम को पद मुक्त किये जाने का कारण

133—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या यह सही है कि श्री हंसराम जो कि पहले से विभाग में मस्टर रोल पर काम करते थे एक मात्र अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी चयनित हुए थे और उन्हें चयन के बाद सिंचाई निर्माण खण्ड कार्यालय, कालसी में चौकीदार के पद पर नियुक्ति किया गया था परन्तु नियुक्ति के 4 दिन बाद ही उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसकी क्या वजह है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, यह सही है कि श्री हंसराम, एक मात्र अनूचित जाजनजाति के अभ्यर्थी चयनित हुये थे। परन्तु, प्रान्तीय सिंचाई एवं बाँध योजना श्रमिक महापरिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा यह आपत्ति उठाये जाने पर कि शासन के आदेशों में काय प्रभारित कर्मचारियों को ही नियमित अधिष्ठान में चयन हेतु प्राथमिकता देने का प्राविधान है, चयन समिति ने श्री हंसराम का नाम चयनित सूची से काट दिया था।

ड्राफ्टसैन सिविल के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन

134—श्री कुंवर सिंह नेगी —

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 1ले बुध के अता0 प्र0सं0 109 के उत्तर के संदर्भ में क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत कितने अभ्यर्थी उक्त पदों हेतु चयनित किये गये हैं ? इनकी नियुक्ति कब तक हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

दो अभ्यार्थियों का चयन हुआ था परन्तु उस समय तदर्थ नियुक्तियों पर शासन द्वारा प्रतिबन्ध लगा होने के कारण इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकी थी। चूंकि उस समय तदर्थ नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा था अतः उस समय चयन को निरस्त कर दिया गया और इसके फलस्वरूप अब इनकी नियुक्ति का प्रश्न नहीं उठता।

गौणताल, जनपद चमोली में मरम्मत का प्रस्ताव

135—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गौणताल, जो कि 1970 में बाढ़ आने से टूट गया था, की मरम्मत की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हाँ, तो कब तक कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद चमोली में गौणताल जो कि सन 1970 में बाढ़ आने से टूट गया था, की मरम्मत हेतु व्ययभार वहन करने हेतु पर्यटन विभाग की सहमति माँगी गई थी।

पर्यटन विभाग ने यह अवगत कराया कि इस कार्य के निर्माण हेतु उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। चूंकि सिंचाई विभाग द्वारा उक्त ताल से पहले न तो कोई सिंचाई की जाती थी और न पुनर्निर्माण के बाद सिंचाई प्रस्तावित है।

अतः ऐसी स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा इसकी मरम्मत की योजना विचाराधीन नहीं है।

जनपद चमोली में तिलवाड़ा, कोठगी, बमोथ एवं मैठाण सिंचाई योजनाओं के विवरण की मांग

136—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चमोली में तिलवाड़ा, कोठगी बमोथ एवं मैठाण लिफ्ट सिंचाई योजनाएं कब पूरी हुयीं और इनके द्वारा अलग-अलग 1 मई, 83 तक कितनी हेक्टर भूमि सिंचित की गयी है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

वांछित सूचना निम्नवत है—

योजना का नाम	पूर्ण होने का वर्ष	सिंचित क्षेत्र			अभ्युक्ति
		वर्ष 1981–82	वर्ष 1982–83	वर्ष 1983–84 (1–5–83तक)	
1	2	3	4	5	6
1—तिलवाड़ा लिफ्ट सिंचाई योजना	1980–81	2.00	4.00	0.00	
2—कोठगी लिफ्ट सिंचाई योजना	1980–81	0.00	2.00	0.0	
3—मैठाण लिफ्ट योजना	योजना 1982–83 में बनी है।			0.00	
4—बमोथ लिफ्ट योजना	योजना अपूर्ण है।				

जनपद चमोली विकास क्षेत्र दशोली में सिंचाई हेतु नहर की मांग

137--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में विकास क्षेत्र दशोली के अन्तर्गत अमृतगंगा से दबलधर, ग्वाड़ सगर, गंगोल गांव, गोपेश्वर आदि ग्रामों में के लिए कोई नहर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस पर कब से कार्य शुरू हो जायेगा ?

श्री बीर बहादुर सिंह---

प्रश्नगत ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। जिसके उपरान्त परियोजना के उपयुक्त पाये जाने पर ही आगामी कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

जनपद चमोली में आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन एवं छात्रावास के निर्माण का प्रस्ताव

138---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? कब तक निर्माण कार्य कर दिया जायगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद चमोली के आश्रम पद्धति विद्यालयों के भवन एवं छात्रावास निर्माण का कोई भी प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

जनपद चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग को आवंटित पैदल मार्गों एवं पैदल पुलों के निर्माण कार्य का विवरण

139---श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82-83 में जनपद चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग को कितने कि0मी0 पैदल मार्गों एवं पैदल पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? 15 जुलाई, 83 तक कार्यों की क्या प्रगति रही है ? इन कार्यों के लिए धन कब आवंटित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी--

जनपद चमोली में वर्ष 1982-83 में सार्वजनिक निर्माण विभाग को किसी पैदल मार्ग का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया है।

वर्ष 1982-83 में चमोली में सार्वजनिक निर्माण विभाग को चार पैदल पुल दिनांक 13 मई, 1982 को तथा एक पैदल पुल दिनांक 1 सितम्बर, 1982 को कुल 66.89 लाख रु0 की लागत पर निर्माणार्थ स्वीकृत किये गये। इन निर्माणाधीन पुलों हेतु वर्ष 1983-84 में 16.50 लाख रु0 की धनराशि दिनांक 3 मई, 1983 को मुख्य अभियन्ता द्वारा आवंटित की गयी है। 31 जुलाई, 1983 तक एक पुल की भौतिक प्रगति 9 प्रतिशत है और शेष चार पुलों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है। 31 जुलाई, 1983 तक कुल 0.42 लाख रु0 व्यय किया गया है।

जिला योजनान्तर्गत जनपद चमोली से प्रस्तावित प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल एवं अस्पतालों की संख्या एवं स्वीकृति

140---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 83-84 के लिए जनपद चमोली से जिला योजना में कितने प्राइमरी विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल एवं अस्पताल प्रस्तावित किये गये हैं ? जिला योजना के प्रस्ताव के अनुसार क्या इनको स्वीकृति दे दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

जनपद चमोली से जिला योजना के मूल प्रस्ताव में 22 प्राइमरी तथा 11 जूनियर हाई स्कूल एवं 7 उप केन्द्र, 5 नये एलोपैथिक औषधालय, 1 महिला चिकित्सालय, 1 होम्योपैथिक औषधालय एवं एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रस्तावित थे। ये प्रस्ताव निर्धारित मानकों तथा मार्ग निर्देशिका के अनुसार नहीं थे। अतः जनपद की चालू योजनाओं के बचनबद्ध व्यय के समायोजना के पश्चात लक्ष्यों का पुनर्निर्धारण किया गया तथा 12 प्राइमरी तथा 3 जूनियर हाई स्कूल, एक महिला चिकित्सालय, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक आयुर्वेदिक औषधालय स्वीकृत किये गये। एक होम्योपैथिक औषधालय भी स्वीकृत किया गया।

जनपद चमोली में निर्माणाधीन विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य

141---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में निर्माणाधीन विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य रुक गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या यह परियोजना निर्धारित समय पर पूर्ण हो जायगी?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी नहीं।

वर्ष 1983-84 में धनाभाव के कारण कार्य की प्रगति कुछ धीमी हो गई है?

इस परियोजना के कार्यों को मार्च 1994 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

142---श्री कुवर सिंह नेगी---

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद चमोली में स्वीकृत मोटर मार्गों पर निर्माण कार्य एवं व्यय की गयी धनराशि

143---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 82-83 की स्वीकृत मोटर सड़कों पर 15 जुलाई, 83 तक कितना निर्माण कार्य हुआ है और निर्माण कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय हुई है?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

जनपद चमोली में वर्ष 82-83 को 67 कि0मी0 नए स्वीकृत मोटर मार्गों पर 15 जुलाई, 83 तक 4.75 कि0 मी0 में निर्माण कार्य हुआ है और निर्माण कार्यों पर 18.74 लाख रुपया व्यय हुआ है।

144---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में वर्ष 82-83 में किन-किन मोटर मार्गों को कितने कितने कि0 मी0 निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गयी? 15 जुलाई, 83 तक इनकी क्या प्रगति रही है? इनके लिए धन कब आवंटित किया गया?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

वांछित सूचना संलग्न तालिकानुसार है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 995 पर)

जनपद चमोली के विभिन्न मोटर मार्गों पर अलग अलग व्यय की गयी धनराशि, निर्माण कार्य एवं काश्तकारों को मुआवजा

145---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में गुप्तकाशी-जखोली मोटर मार्ग, ऊखीमठ-मनसूना मोटर मार्ग, गुप्तकाशी-कालीमठ-कोटमा मोटर मार्ग, देवरियाताल मोटर मार्ग, भोरी-प्रकंडी मोटर मार्ग, चन्द्रापुरी-क्यांज-कंडारा मोटर मार्ग, विजयनगर-पाठालोवार

मोटर मार्ग, रुद्रप्रयाग–कोटेश्वर–चौपड़ा मोटर मार्ग, सोनला–कोठुली–नारायण बगड़ मोटर मार्ग घाट–रामणी मोटर मार्ग, घाट–थराली मोटर मार्ग, देवाल–मुन्दौली मोटर मार्ग, गोपेश्वर–खड़ौरा मोटर मार्ग, चमोली–बैरासकुंड मोटर मार्ग पर 15 जुलाई, 1983 तक अलग अलग कितना धन व्यय हो चुका है कितनी कि0 मी0 मोटर सड़क मोटर यातायात हेतु तैयार हो गयी है ? क्या इन मार्गों के निर्माण के लिये ली गयी काश्तकारों की भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कब तक मुआवजा का भुगतान करा दिया जायगा ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

मार्ग का नाम	15 जुलाई, 83 तक व्यय (लाख)	यातायात योग्य कि0 मी0	काश्तकारों को भूमि मुआवजा की स्थिति
1—गुप्तकाशी–जखोली मोटर मार्ग।	131.00	23	मार्ग के भूमि के मुआवजे का वितरण संबंधित काश्तकारों को किया जा चुका है।
2—ऊखीमठ–मनसूना मोटर मार्ग।	28.28	7.9	मार्ग पर पड़ने वाले भूमि का मुआवजा संबंधित काश्तकारों को वितरण किया जा चुका है।
3—गुप्तकाशी–काली-मठ मोटर मार्ग।	47.64	0.75	मुआवजा वितरण की कार्यवाही लम्बित है क्योंकि भौसारी के काश्तकारों द्वारा शासन से निर्धारित दरों पर मुआवजा नहीं लिया जा रहा है यदि ग्रामवासी निर्धारित दरों पर मुआवजा लेने हेतु तैयार हो जाय तो भुगतान शीघ्र करा दिया जायगा।
4—कालीमठ–कोटमा मोटर मार्ग।	5.04	—	मार्ग पर पड़ने वाले लगभग समस्त भू-स्वामियों को उनकी भूमि का मुआवजा दिया जा चुका है केवल हरिजन काश्तकारों की भूमि पर भूमि हस्तान्तरण की अनुमति जिलाधिकारी चमोली द्वारा दी जानी अपेक्षित है। प्राप्त होने पर मुआवजा वितरित कर दिया जायगा।
5—ताला–देवरियाताल मोटर मार्ग।	11.86	4.00	मुआवजा का भुगतान कर दिया गया है।
6—काकड़ाघाट पर-कण्डी कन्डारा मोटर मार्ग (कि0 मी0 1 से 4)।	19.20	4.00	नाम भूमि का प्रस्ताव कार्यवाही में है कार्यवाही पूरा होने के उपरान्त मुआवजे का भुगतान कर दिया जायगा।
7—काकड़ागाड पर-कण्डी कंडारा मोटर मार्ग (6 कि0 मी0)	19.91	—	काश्तकारों के मुआवजा भुगतान के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायगा।
8—क्यूजा कण्डारा मोटर मार्ग।	27.46	7.50	मुआवजा भुगतान के प्रस्ताव कार्यवाही में है स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायगा।

1	2	3	4
9—पाढलीधार संपर्क मोटर मार्ग का निर्माण	17.48	--	ग्राम रामडी के काश्तकारों की नाप भूमि का मुआवजा राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित किया जा चुका है भुगतान की कार्यवाही की जा रही है इस माह के अन्त तक कर दिया जायगा । ग्राम फलई गुल क्यार्क के प्रस्ताव परगनाधिकारी ऊखीमठ को सत्यापन हेतु भेजे जा चुके है सत्यापन के पश्चात भुगतान कर दिया जायगा ।
10—सोनला–कोटली नारायण बगड़ मोटर मार्ग ।	52.46	8.50	केवल ग्राम काचुंला को छोड़कर अन्य ग्रामों का भुगतान किया जा चुका है ।
11—घाट रामणी मोटर मार्ग (कि0 मी0 0 से 3 तक)	11.32	3.00	ग्राम कुमार जौली लगा कुजग सिरोसैण ग्रामों को छोड़कर अन्य ग्रामवासियों को भुगतान किया जा चुका है । प्रस्ताव बनाये जा चुके हैं अनुमोदनोपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा ।
12—घाट रामणी मोटर मार्ग (कि0 मी0 3 से 18 तक)	13.30	--	
13—घाट थराली मोटर मोटर मार्ग (0 से 10 कि0 मी0 तक)	42.00	10.00	10 कि0 मी0 तक पड़ने वाले ग्रामों का मुआवजा भुगतान किया जा चुका है केवल पालीग्राम के मुआवजे के प्रस्ताव राजस्व विभाग को सत्यापन हेतु भेजे गये हैं । प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा । कि0 मी0 10 से 17 तक वन भूमि पड़ती है ।
14—घाट थराली मोटर मार्ग (कि0 मी0 10 से 17 तक)			
15—देवाल मुन्दौली मोटर मार्ग ।	53.85	20.00	6 ग्रामों को भुगतान किया जा चुका है शेष 3 ग्रामों के प्रस्ताव राजस्व विभाग को सत्यापन हेतु भेजे गये हैं प्राप्त होने पर भुगतान किया जायेगा ।
16—गोपेश्वर देवर खंडोरा मोटर मार्ग	17.86	0.50	ग्राम गोपेश्वर एवं देवर खडोरा के काश्तकारों को भुगतान कर दिया गया है अन्य ग्रामों के मुआवजे का भुगतान राजस्व विभाग की स्वीकृति के पश्चात कर दिया जायेगा ।
17—चमोली–पलेठी वैरासकुण्ड मोटर मार्ग ।	8.19	--	काश्तकारों के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है ।
18—रुद्रप्रयाग–कोटेश्वर चोपड़ा मोटर मार्ग	35.86	15.00	आंशिक रूप से मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है शेष के कागजात भूमि अध्याप्ति अधिकारी को भेजे गये हैं प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा ।

चमोली जनपद के मैनी-पलड़-डड़ंगरा मोटर मार्ग की स्वीकृति, व्यय तथा निर्माण कार्य

146—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में पैनी-सलड़-डुंगरा मोटर मार्ग कब तक स्वीकृत हुआ, ? इस पर 15 जुलाई 83 तक कितना धन व्यय हुआ है, कितने किलो मीटर मार्ग का निर्माण हो चुका है और मार्ग निर्माण की क्या प्रगति है ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जनपद चमोली में सलड़—डूंगरा नामक लिंक मोटर मार्ग की स्वीकृति 11 मार्च, 1981 को दी गयी थी। इस मार्ग पर 15 जुलाई 83 तक 5.11 लाख रुपया व्यय हो चुका है तथा 2.00 कि0 मी0 मार्ग का निर्माण कार्य हो चुका है।

जनपद चमोली में जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को अलग-अलग आवंटित धनराशि के विवरण की मांग

147—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 79—80, 80—81, 81—82 और 82—83 में जनपद चमोली के जूनियर हाई स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों के भवनों के निर्माण हेतु ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को अलग-अलग कितना धन विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए दिया गया है और उसमें से प्रत्येक वर्ष आवंटित धनराशि में से कितनी व्यय हुई है और कितनी नहीं हुई है तथा जिस कार्यों के लिए वह धनराशि दी गयी है, वे कब पूरे किये गये हैं।

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने से अवरुद्ध निर्माण योजनाओं का विवरण

148—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल एवं कुमायूं मंडलों में अनेक निर्माण योजनाएं वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के कारण अवरुद्ध हो गयी है ? यदि हाँ, तो अधिनियम लागू होने की तिथि से 1 नवम्बर, 83 तक प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावित योजनाओं के कुल कितने मामले केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु नियमानुसार भेज गये हैं ? इनमें से कितने मामलों में स्वीकृति मिल गयी है, शेष में स्वीकृति न देनें के क्या कारण दर्शित किए गए हैं ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हाँ।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने की तिथि से 1 नवम्बर, 1983 तक कुल 275 मामले केन्द्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजे गये हैं। इनमें से 147 मामलों में केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गयी है। शेष 128 प्रस्ताव में से 13 प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिये गये है, क्योंकि इनमें से 9 मामले वन भूमि पर भवन निर्माण से संबंधित हैं। इन भवनों को अन्य उपलब्ध भूमि पर निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा आदेशित किया गया है। तीन प्रस्ताव मोटर मार्ग से सम्बन्धित है जिनमें वन क्षेत्र की ढाल अधिक होने से वन भूमि के भूक्षरण की सम्भावनायें तीव्र होने, वन्य जन्तु एवं पर्यावरण कर कुप्रभाव पड़ने के कारण केन्द्र सरकार द्वारा निरस्त कर दिये गये हैं। एक प्रस्ताव को जिसमें सिंचाई विभाग द्वारा वन भूमि पर भण्डार के गृह, ट्रकों, मशीनों के लिये खुला स्थान, चौकीदारों के लिये आवास, गृह सहायक अभियन्ता कार्यालय के भवन निर्माण हेतु वन भूमि की माँग प्रस्तावित की गयी थी केन्द्र सरकार द्वार अस्वीकृत कर दिया गया है।

83 मामलों में भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त सूचना माँगी गयी है तथा 32 प्रस्ताव भारत सरकार में प्रारम्भिक स्तर पर परीक्षण हेतु लम्बित हैं। उक्त 83 प्रस्तावों में से 21 प्रस्तावों की अतिरिक्त सूचना केन्द्र सरकार को भेजी जा चुकी है तथा शेष 62 मामलों को पुनः केन्द्र सरकार को भेजने हेतु याचक विभागों से अतिरिक्त सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम बिसवल जनपद उन्नाव में कुंडरी ड्रेन (लुवारा) पर पुल निर्माण की मांग

149—श्री भीखा लाल—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में कुंडरी ड्रेन (लुवारा) परग्राम बिसवल के पास पुल बनवाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनाँक 16-4-83 मुख्य अभियन्ता शारदा कैनाल को प्राप्त हुआ ह ? यदि हाँ, तो इस विषय में अब तक क्या कायवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

मौके की जाँच कराई गई। इस पुल के निर्माण की अनुमानित लागत रुपया 40,000 आँकी गई है तथा ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत, इस पुल के निर्माण कार्य का प्रस्ताव है। स्वीकृति एवं धन प्राप्त होने पर ही इस पुल का निर्माण कराया जा सकेगा।

सहायक अभियन्ता, लोअर डिवीजन आगरा कैनाल उप खंड चतुर्थ के विरुद्ध जांच की मांग

10—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोअर डिवीजन आगरा कैनाल के उपखंड चतुर्थ के सहायक अभियन्ता के खिलाफ जिलाधिकारी (प्रोजेक्ट) मथुरा डी0 सी0 सी0, मथुरा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत शिकायतों की जांच कर रहें ? यदि हाँ, तो अब तक जाँच की प्रगति क्या है और उक्त जाँच कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

लोअर डिवीजन, आगरा कैनाल के चतुर्थ उपखण्ड के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों की जाँच जिला विकास अधिकारी, मथुरा द्वारा पूर्ण कर ली गयी है।

अलीगढ़ व मथुरा जनपद में बहने वाले पन्नापुरड्रेन को खुदवाने की मांग

151—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा व अलीगढ़ में बहने वाले पन्नापुर ड्रेन शासन उक्त नाले को शीघ्र खुदवाने की कृपा करगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। प्रभावित भूमि में जल-प्लावन की समस्या है।

पन्नापुर नाला खोदा जा रहा है यह नाला मथुरा व अलीगढ़ जनपदों में से गुजरता है मथुरा जनपद में पड़ने वाला भाग समाप्तप्राय है। अलीगढ़ जनपद की भूमि के बारे में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण निर्माण कार्य रुका हुआ है अतः स्थगन आदेश समाप्त होने पर ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

तहसील सादाबाद जनपद मथुरा के कतिपय ग्रामों की जल निकासी हेतु निर्माणाधीन नाला

152—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा की तहसील सादाबाद के गाँव जगदीशपुर, किशनपुर, अलीपुर, मनोहरपुर आदि गाँवों के पानी को निकालने के लिए माँट ब्रांच गंगा नहर के अधिकारी यमुना नदी तक कोई नाला खुदवा रहे हैं ? यदि हां, तो नाले की लम्बाई क्या है ? यह नाला कब तक खुदकर तैयार हो जायगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

प्रश्न में उल्लिखित ग्रामों का पानी निकालने के लिये जगदीशपुर ड्रेन के निर्माण की योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमोदित हो चुकी है।

उक्त योजना में 4.5 कि0 मी0 लम्बाई में नाला खोदा जाना है जिसमें से 3 कि0 मी0 की लम्बाई में नाला खोदा जा चुका है तथा शेष भाग पर कार्य प्रगति पर है। वर्षाकाल से पूर्व नाला खोदा जाना प्रस्तावित है।

मथुरा वृन्दावन व अन्य धार्मिक स्थलों पर पूर्ण नशाबन्दी तथा शराब बंदी की मांग

153—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मथुरा वृन्दाबन व अन्य धार्मिक स्थलों पर पूर्ण नशा बन्दी व शराबबन्दी करने की व्यवस्था करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वासुदेव सिंह—

जनपद मथुरा में केवल वृन्दाबन तीर्थस्थल में पूर्ण मद्य निषेध लागू है।

प्रदेश के अन्य प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थलों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेष, देववन्द, ग्राम कलियर शरीफ (सहारनपुर), अयोध्या, नैमिषारण (सीतापुर) चित्रकूटधाम देवा शरीफ (बारबंकी) में पूर्ण नशाबन्दी लागू है।

मथुरा जनपद के सादाबाद तहसील में अपूर्ण ब्योही बिजाहरी ड्रेन को शीघ्र पूर्ण किये जाने की मांग

154—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद में ब्योही बिजाहरी ड्रेन की खुदाई सादाबाद तहसील में अधूरी पड़ी हुई है जिसके कारण किसानों को प्रति वर्ष अपार क्षति होरही है है? यदि हाँ, तो क्या शासन प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र ही इस नाले को पूरा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

नाले को प्राथमिकता के आधार पर खोदे जाने की योजना है जिसके लिए भूमि अध्यापित की गयी थी और मथुरा तहसील में कार्य समाप्तप्राय है। सादाबाद तहसील की भूमि के बारे में न्यायालय द्वारा स्थगन आदेशों एवं कृषकों के अवशेष के कारण कार्य पूर्ण कराने में सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी किन्तु अब इन वादों की निषेधाज्ञाएं समाप्त हो गई है। केवल वाद समाप्त होने शेष है। निषेधाज्ञाओं के समाप्त होने से इस नाले की खुदाई के कार्य की प्रगति बढ़ गई है। कृषकगणों द्वारा अब भी नाले की खुदाई में अड़चन पैदा की जा रही है तथा पुलिस की मदद से शेष कार्य को कराने का प्रयास किया जा रहा है।

जनपद मथुरा में मथुरा सादाबाद मार्ग पर बसें चलाने की मांग

155—श्री सरदार सिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा-जनपद में मथुरा-सादाबाद मार्ग पर निजी स्वामित्व की बसें चलती है, जो 45 कि0 मी0 के मार्ग को तय करने में 2 घंटे से अधिक समय लेती हैं? यदि हाँ, तो क्या शासन इस मार्ग पर कुल मेल, एक्सप्रेस बसें चलवाने की व्यवस्था करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गुलाब सेहरा—

जनपद मथुरा में लौहबन टर्निंग (मथुरा) सादाबाद अराष्ट्रीयकृत 45 कि0 मी0 मार्ग पर निजी बस स्वामियों की 44 बसें चलती है जो एक घंटा चालीस मिनट का समय लेती हैं। इस मार्ग पर 2 अप एवं 2 डाउन मेल अथवा एक्सप्रेस गाड़ियों को संचालित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

मांट ब्रांच गंगा नहर के प्रत्येक उप खंड में नालों, राज बहों एवं अल्पिकाओं तथा स्पेक्स की लम्बाई का विवरण

156—श्री सरदार सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगें कि माँट ब्राँच गंगा नहर मथुरा चार उपखंड में विभाजित है ? यदि हाँ, तो प्रत्येक उपखंड अधिकारी (एस0 डी0 ओ0) के क्षेत्राधिकार में इस शाखा की कितनी–कितनी लम्बाई है और कितने-कितने नाले, राजबहा एवं अल्पिकाएं प्रत्येक उप खंड में हैं ? क्या शासन इस शाखा की कुल लम्बाई को बराबर-बराबर चार भागों में विभक्त कर मौजूदा विषमता को दूर करनें की कृपा करेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ।

प्रत्यक उप खंड अधिकारी (एस0 डी0 ओ0) के क्षेत्राधिकार में इस शाखा से संबंधित फीडर एवं मांट शाखा, राजबाहे एवं अल्पिकायें, नालें तथा स्केप्स की लम्बाई की सूचना संलग्न है।

कार्य भार मे विषमता नगण्य हैं।

पुनर्वितरण की आवश्यकता नहीं है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ 996 पर)

सीमान्त जनपदों में छात्रवृत्ति की दरों में असमानता को दूर करने हेतु धारित नई दरें

157—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीमान्त जनपदों के स्थायी निवासियों अभिभावकों पर निर्भर छात्रों को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने हेतु वहाँ की आर्थिक कमजोरी की पृष्ठभूमि में 1960 में एव राजाज्ञा (जी0 ओ0 नं0 2–9–13–28–बी0 डी0 ए0 66, दिनाँक 30 अप्रैल, 1960 द्वारा छात्रवृत्तियों की घोषणा की थी ? इसके बाद समय-समय पर अन्य विषयों के अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ दी गयीं। शासन द्वारा इसमें आई असमानता व छात्रवृत्ति की दरों में अत्यधिक कमी को दूर करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? नई दरों के आधार पर छात्रवृत्ति कब से दी जायगी ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हाँ, किन्तु छात्रवृत्तियों की राजाज्ञा 30 अप्रैल, 1960 को नहीं, वरन् 30 अप्रैल, 1966 में निर्गत हुई है।

असमानता को दूर करते हुए नई दरें निर्धारित कर दी गयी है।

नयी दरों के आधार पर छात्रवृत्ति दिनाँक 1–7–83 से देय है।

158—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मेसर्स लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज एन्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज फैजाबाद को स्वीकृत की गयी केन्द्रीय सब्सिडी

159—श्री निर्मल खत्री—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि फैजाबाद में नवस्थापित लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज को विगत 2 वर्ष बीत जाने पर भी पिछड़े जिले के लिए घोषित केन्द्रीय सबसिडी अभी तक उद्योग निदेशालय, उ0 प्र0 द्वारा नहीं दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

मेसर्स लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज एण्ड एलाइड इन्डस्ट्रीज, फैजाबाद को केन्द्रीय पूंजीगत उपादान रु0 6,75,450.00 स्वीकृत की गई है जिसमें से रु0 2,88,300 का भुगतान किया जा चुका है। शेष के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद में भारी उद्योग की स्थापना पर विचार

160—श्री निर्मल खत्री—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद में किसी भारी उद्योग की स्थापना के सन्दर्भ में शासन विचार कर रहा है ? क्या शासन की नीति प्रत्येक जनपद में एक भारी उद्योग स्थापित करने की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर में नलकूपों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा मरम्मत कार्य

161—श्री जंग बहादुर—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 82–83 के बजट में जनपद जौनपुर में 40 नलकूपों के निर्माण हेतु 80 लाख रुपए तथा अनपूरक बजट में 50 लाख रुपए मरम्मत के लिये दिये गये थे जिनमें मात्र 25 नलकूपों का छिद्रण कराया गया, जो अब तक पूरे नहीं हुए तथा मरम्मत का कार्य भी नहीं कराया गया ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कब तक यह कार्य पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

162—श्री जंगबहादुर—

क्या सिंचाई मन्त्री जी कृपया यह भी बतायेंगे कि वर्ष 83–84 के बजट में नलकूप निर्माण के लिए स्वीकृति कराने 1 1/2 करोड़ रुपए का कार्य अब तक क्यों प्रारम्भ नहीं किया गया ? कार्य न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

163—श्री राम आसरे वर्मा—

[दिनांक 15–2–84 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3–4 द्वारा उपस्थित।]

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, शाहजहांपुर द्वारा उप प्रधान प्रबन्धक, बरेली को भेजे गये पत्र पर कार्यवाही

164—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि परिवहन निगम के सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक शाहजहांपुर द्वारा उप प्रधान प्रबन्धक (उत्तरी जोन), बरेली को भेजे गये अर्ध शासकीय पत्र संख्या 1102 स0क्षे0 प्र0, शाहजहांपुर दिनांक 12 मई, 1983 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेहरा—

सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, शाहजहांपुर द्वारा उप प्रधान प्रबन्धक (उत्तरी जोन) बरेली को सम्बोधित अर्धशासकीय पत्र संख्या 1102, दिनांक 12 मई, 1983 के परिपेक्ष्य में कार्यवाही की गयी और 3 कर्मचारियों सर्व श्री आर0सी0 गुप्ता, तथा हरनाम सिंह चालक एवं श्री आलोक चन्द

तिवारी, परिचालक के स्थानान्तरण हरदोई से शाहजहांपुर के लिये दिनांक 7 सितम्बर, 1983 को कर दिये गये थे। परन्तु बाद में उक्त कर्मचारियों के प्रार्थना पर स्थानान्तरण रोक दिये गये।

हरदोई में तैनात कंडक्टर श्री एस० आर० पी० दीक्षित को सेवाच्युत करने के आदेश

165—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई में तैनात कंडक्टर श्री आर०एस०पी० दीक्षित को उनके अनियमित एवं भ्रष्ट कार्यों के कारण दिसम्बर, 1981 से सेवाच्युत करने के आदेश ए० आर० एम०, शाहजहांपुर द्वारा पत्रावली पर किये गये थे ? यदि हां, तो आदेश के क्रियान्वयन न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री गुलाब सेंहरा—

सूचना एकत्र जा रही है।

हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ को बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु कुल देय धनराशि

166—श्री पंचानन राय—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरिजन एवं निर्बल वर्ग आवास निगम लिमिटेड, लखनऊ को 1982 तक बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी तथा लड़कों के छात्रावास निर्माण हेतु निगम द्वारा कुल कितना ऋण एकत्रित किया गया ? इस धनराशि से नवम्बर, 83 तक कितना निर्माण कार्य हुआ है तथा इस प्रकार निर्मित छात्रावासों का क्या उपयोग किया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी

सूचना एकत्र की जा रही है।

कुमाऊं एवं गढ़वाल मंडल के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में च्युरा नामक पेड़ों का उत्पादन, वितरण और उपभोग

167—श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

क्या फल उपयोग मन्त्री को यह जानकारी है कि कमाऊं व गढ़वाल मण्डल के अपेक्षाकृत गर्म इलाकों में 'च्युरा' नामक एक ऐसा वृक्ष पाया जाता है जिसके फल से वनस्पति तेल व घी का उत्पादन किया जाता है ? यदि हां, तो सरकार ने इन पेड़ों की उत्पादन वितरण और उपयोग के लिए कौन-कौन से कदम उठाये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी—

जी हां।

इस प्रजाति के रोपण योग्य स्थल बहुत सीमित हैं। स्थलों की उपयुक्तता के अनुसार वृक्षारोपणों में इसे अन्य प्रजातियों के साथ उगाया जा रहा है, परन्तु उत्पादकों का उपयोग व्यापारिक स्तर पर वृक्षों की कमी तथा उनके दूर-दूर बिखरे होने के कारण व्यावहारिक नहीं है।

उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा इलाहाबाद जनपद में ऋण वितरण

168—श्री रेवती रमण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा इलाहाबाद में पिछले वर्ष 82–83 में कितना धन वितरित किया गया और प्रार्थना पत्र देने के कितने दिन बाद लोगों को रुपया मिला ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

वर्ष 1982–83 में उ० प्र० वित्तीय निगम द्वारा इलाहाबाद जनपद में कुल 70.15 लाख रुपये का ऋण वितरण किया गया। उक्त ऋण पाने वाली 122 इकाइयों में से अधिकांश इकाइयों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रार्थना-पत्र देने के बाद सामान्यतः 6 माह से 1 वर्ष की अवधि के बीच ऋण का भुगतान किया गया।

दुर्गापुर माइनर की खुदाई कराकर क्षेत्रीय किसानों को उपलब्ध सिंचाई सुविधा

169—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि क्या शारदा नहर के खण्ड 36 से सम्बन्धित दुर्गापुर माइनर को कुछ स्थानीय काश्तकारों ने पाट लिया है ? यदि हां, तो कब से ? क्या इस माइनर की विधिवत् खुदाई कराकर क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई सुविधा शीघ्र उपलब्ध करायेंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

शारदा सहायक खण्ड –36 से संबंधित दुर्गापुर माइनर को कृषक श्री भगवान सिंह ग्राम गौरा जनपद जौनपुर ने अपने खेत संख्या–136 में दिनांक 10–7–83 को पाट लिया था। अब यह माइनर खुद गयी है तथा क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है।

जनपद जौनपुर में बेसहारा विधवाओं को आर्थिक सहायता एवं पेंशन स्वीकृत किये जाने की मांग

170—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 82–83 में जनपद जौनपर की कितनी बेसहारा विधवाओं को आर्थिक सहायता एवं पेंशन स्वीकृत की गयी ? क्या यह सत्य है कि वांछित धन के अभाव में यह विभाग ऐसी बेसहारा विधवाओं या विकलांगों की आर्थिक सहायता नहीं कर पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन देकर ऐसे बेसहारा लोगों को आर्थिक सहायता करेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 82–83 में 195 विधवाओं को जौनपुर जनपद में अनुदान का नवीनीकरण स्वीकृत किया गया है। किसी अन्य विधवा को अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया।

आगामी वर्ष के बजट में प्राविधान किया जा रहा है।

सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत मुख्य, लिपिक आलेखक एवं प्रालेखक तथा नैत्यिक कोटि लिपिकों को पुनरीक्षित वेतनमान

171—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग के खंडीय कार्यालयों में कार्यरत मुख्य लिपिक आलेखक एवं प्रालेखक तथा नैत्यिक कोटि लिपिकों को पुनरीक्षित वेतन-मानों में वेतन निर्धारित करने हेतु कोई आदेश अब तक नहीं निर्गत हुए हैं जब कि उ0प्र0 के समस्त विभागों के राजकीय कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान के शासकीय आदेश जारी किये जा चुके हैं ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार करने का कारण क्या है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं, सिंचाई विभाग के खण्डीय कार्यालयों में कार्यरत मुख्य लिपिक, आलेखक एवं प्रालेखक तथा नैत्यिक कोटि लिपिकों के पुनरीक्षित वेतनमान निर्गत किये जा चुके हैं।

सिंचाई विभाग के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान न मिलने से पेंशन में कमी

172—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग के कतिपय कर्मचारी जो सेवानिवृत्ति हो चुके है, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान न मिलने के कारण सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली पेंशन कम मिलने के कारण जो आर्थिक कठिनाई उठानी पड़ रही है इसके लिये सरकार क्या कर रही है ? जिन कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतनमान में शासनादेश निर्गत नहीं हुए हैं उन्हें कम वेतन मिलने के कारण क्या सरकार उन्हें कोई भत्ता दे रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

उपरोक्तानुसार नये वेतनमान निर्धारित हो जाने के बाद यह कठिनाई स्वतः समाप्त हो गयी है।

सिंचाई विभाग में कर्मचारियों को स्थायी किये जाने की मांग

173—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने कर्मचारियों की सेवाएं 3 वर्ष से अधिक हो चुकी हैं और अब तक अस्थायी है और क्यों? क्या भविष्य में इन्हें स्थायी किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री वीर बहादर सिंह—

विभाग में लगभग 81,000 कर्मचारी हैं, जिनके अभिलेखों का रखरखाव विभिन्न स्तरों के अधिकारियों द्वारा किया जाता है। अतः प्रदेश के विभिन्न मंडलीय खण्डों से प्रश्नगत सूचना एकत्र की जा रही है, जिसमें समय लगेगा।

बाराबंकी में बसों की कार्यशाला स्थापित किये जाने का प्रस्ताव

174—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी रोडवेज स्टेशन से बसों की कार्यशाला को बाराबंकी-लखनऊ मार्ग पर स्थित सिविल लाइन्स, बाराबंकी में बनाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो 20 मार्च, 1983 तक इसमें क्या प्रगति हुई और नई कार्यशाला किस निश्चित तारीख से चालू हो जायेगी?

श्री गुलाब सेहरा—

बाराबंकी में कार्यशाला स्थापित करने का मामला परिवहन निगम में विचाराधीन है।

इस पर निगम के निदेशक मण्डल द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही सम्भव होगी।

चन्दोखा ड्रेन का निर्माण, भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में जारी की गयी नोटिसें

175—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के ब्लाक बछरावाँ स्थित चन्दोखा ड्रेन का निर्माण जो वर्ष 1971 से अभी तक लम्बित है, के निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 10 अप्रैल, 1981 को टेंडर आमंत्रित किये गये थे? यदि हाँ, तो टेंडर के बाद उक्त ड्रेन का निर्माण क्यों नहीं कराया गया?

श्री वीर बहादुर सिंह—

चन्दोखा ड्रेन का निर्माण 1971 से लम्बित नहीं है। इस ड्रेन के निर्माण हेतु 10 अप्रैल, 1981 को निविदायें आमंत्रित की गयी थीं।

कुछ कार्य हो जाने के बाद कृषकों द्वारा अवरोध करने के कारण कार्य रोकना पड़ा।

176—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या यह सत्य है कि ड्रेन के सर्वे मानचित्र एवं लैण्ड केस पर दिखाये गये मार्ग में अन्तर किया गया है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 1981 में डाले गए उक्त टेंडर को उक्त तिथि से लगभग 2 वर्ष बाद माह फरवरी, 1983 में काश्तकारों को उनकी भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में नोटिसें जारी की गयी हैं? यदि हाँ, तो नोटिसों में दी गयी मियाद के भीतर सम्बन्धित भूमि पर निशान आदि लगा दिये गये हैं? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं।

भूमि अध्याप्ति का प्रकरण दिनांक 12-10-81 को भूमि अध्याप्ति अधिकारी, रायबरेली को भेजा गया था तथा इसके पूर्व ही मौके पर निशानदेही करा दी गयी थी।

विधायक श्री प्रदीप कुमार यादव द्वारा नाले के निर्माण के सम्बन्ध में पत्र

177—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा शासन को दिनाँक 16 मार्च, 1982 को इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थनापत्र संलग्नकों सहित प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ। भूमि उपलब्ध न होने के कारण नाले का निर्माण रुका हुआ है। भूमि की अध्याप्ति होते ही जिला प्रशासन की सहायता से निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायगा।

जनपद बाराबंकी के ग्राम कुन्हरवा में राजकीय नलकूप का छिद्रण

178—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बाराबंकी के विकास खंड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम कुन्हरवा में वर्ष 1976 में राजकीय नलकूप बनाया गया था ? यदि हाँ, तो तब से लेकर फरवरी, 83 तक हर वर्ष में अलग-अलग कितनी भूमि सींची गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जनपद बाराबंकी विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत ग्राम कुन्हरवा में मार्च, 1977 में राजकीय नलकूप सं0 27 फतेहपुर ग्रुप का छिद्रण हुआ था। यह नलकूप सितम्बर 1981 में उर्जीकृत होने पर चालू हुआ है। नलकूप का वर्षवार माह फरवरी, 83 तक का सिंचाई आँकड़ा निम्न है:—

वर्ष	खरीफ		रबी	
	रकबा	घंटा	रकबा	घंटा
81–82	—	—	14 एकड़	78
82–83 } 2/82 तक	1 एकड़	4	13 एकड़	88

जनपद गोरखपुर के कतिपय मार्गों पर चलायी गयी बसों को पुनः चलाने की मांग

179—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अप्रैल, 83 में गोरखपुर जनपद के रवीन्द्र सिंह मार्ग, भैसाबाजार हरिहरपुर मार्ग, गजपुर-गगहरा मार्ग पर राजकीय परिवहन निगम की बसें चलाई गयी थीं ? यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त मार्गों पर मात्र 15 दिन बसें चलाने के बाद उन्हें बन्द कर दिया गया ? यदि हाँ, तो कारण क्या था और उनकी प्रतिदिन जितने दिन चली हैं क्या औसत आमदनी थी ? क्या वे तुरन्त पुनः चलाई जायेंगी ?

श्री गुलाब सेहरा—

रवीन्द्र सिंह मार्ग, भैसा बाजार हरिहर भुर मार्ग पर अप्रैल, 83 नहीं अपितु मार्च, 83 में परीक्षण के रुप में एक अप व एक डाउन बस सेवा तेरह दिन तक चलायी गयी थी।

गजपुर–गगहा मार्ग की सड़क खराब होने के कारण इस मार्ग पर बस सेवा नहीं चलायी गयी थी।

रवीन्द्र सिंह मार्ग, भैसा बाजार हरिहरपुर मार्ग पर बस सेवा अत्यधिक अलाभकारी होने के कारण बन्द करनी पड़ी। संचालन अवधि में इस बस से औसत आय 96 पैसे प्रति कि0 मी0 प्राप्त हुई।

प्रश्नगत बस सेवा अत्यधिक अलाभकार होने के कारण उसे पुनः संचालित करना संभव नहीं है ।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा बसों का कथित चालान

180—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री बतायेंगे कि वर्ष 82–83 में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा कितनी बसों का चालान विभिन्न अनियमिततायें बरतने के कारण किया गया तथा इनमें से कितने के पास उपयुक्त मार्ग परमिट नहीं थे ?

श्री गुलाब सेहरा—

वर्ष 1982–83 में सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गोरखपुर द्वारा किसी भी बस का चालान नहीं किया गया ।

सहजनवा-डुमरिया बाबू बांध के काटे जाने की मैजिस्ट्रीरियल जांच

181—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपु जनपद में वर्ष 82–83 में कुल कितने बाँध बाढ़ बचाव कार्य न होने पाने के कारण टूट गये ? क्या यह सच है कि सहजनवाँ-डुमरिया बाबू सहित सिंचाई निर्माण मण्डल गोरखपुर में 3 बाँध सहायक अभियन्ताओं द्वारा काट दिये गये हैं जिनके सम्बन्ध में सितम्बर, 83 में जिला प्रशासन द्वारा मजिस्ट्रेट से जाँच कराई गयी ? यदि हाँ, तो कब तक जाँच पूरी होगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी नहीं। गोरखपुर जनपद में वर्ष 1982–83 में समुचित बाढ़ बचाव कार्य किये गये हैं और कोई बाँध इस कारण नहीं टूटा है।

सिंचाई निर्माण मंडल गोरखपुर में सहायक अभियन्ताओं द्वारा कोई बाँध नहीं काटा गया है। सहजनवाँ डुमरिया बाबू बाँध असामाजिक तत्वों द्वारा बाढ़ के समय काटा गया था जिसकी मजिस्ट्रियल जाँच जिला प्रशासन द्वारा करायी गयी। उक्त जाँच में किसी सहायक अभियन्ता को बाँध काटने का दोषी नहीं पाया गया है।

गोरखपुर जनपद में कौड़ीराम सोहगोरा बांध में पिचिंग करने की व्यवस्था हेतु परियोजना

182—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में कौड़ीराम सोहगौरा बाँध इस वर्ष बाढ़ में आमी नदी और राप्ती के संगम स्थली मिलान क्षेत्र से कट गयी ? यदि हाँ, तो क्या कौड़ीराम सोहगौर बाँध की पत्थरों से पिचिंग कराने तथा उक्त बाँध के बचाव के लिए व्यवस्था की जायगी ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

जी हाँ, गोरखपुर जनपद में कौड़ीराम सोहगोरा में निर्माणाधीन बाँध वर्ष (1983) में आमी नदी और राप्ती नदी के संगम स्थल के समीप लहरों के प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो गया था।

इस कौड़ीराम सोहगोरा बाँध में पिचिंग करने की व्यवस्था करने हेतु एक परियोजना तैयार की जा रही है।

गोरखपुर से छपरा मार्ग पर बसों को पुनः चलाने की मांग

183—श्रीमती गौरी देवी—

क्या परिवहन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अगस्त, 83 से परिवहन निगम, उ0 प्र0 की बसें गोरखपुर से छपरा मार्ग पर चलाई जाना बन्द कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो क्या कारण है और पुनः बसें उक्त मार्ग पर चलानी कब से प्रारम्भ हो जायगा।

श्री गुलाब सेहरा—

जी हाँ ।

राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से परमिट लेकर प्रश्नगत मार्ग पर परिवहन निगम द्वारा बस सेवायें संचालित की जा रही थी किन्तु परमिट बिहार राज्य परिवहन प्राधिकरण पटना द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न किये जाने व उत्तर प्रदेश परिवहन की वाहनों को जब्त कर दिये जान के कारण उक्त बसों का संचालन दिनाँक 10 अगस्त, 1983 से बन्द कर दिया गया।

बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य प्रश्नगत मार्ग पर बस सेवा चलाये जाने हेतु पारस्परिक यातायात समझौता किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सर्वोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवई, उन्नाव के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता का आवेदन पत्र एवं स्वीकृत की गई धनराशि तथा वितरण

184—श्री भीखा लाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, नवई जनपद उन्नाव के वर्ष 80–81 में कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता हेतु आवेदन-पत्र विद्यालय के माध्यम से जिला हरिजन एवं समाज कल्याण कार्यालय में प्राप्त हुए थे ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हाँ। सर्वोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवई, जनपद उन्नाव के वर्ष 1980–81 में 40 अनुसूचित जाति तथा 44 पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता हेतु आवेदन पत्र विद्यालय के माध्यम से जिला हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय में प्राप्त हुए थे।

185—श्री भीखा लाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय, नवई जनपद उन्नाव में वर्ष 80–81 में कितने हरिजन तथा कितने पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता स्वीकृत की गयी और कितना धन वितरित किया गया तथा उक्त धन किस प्रकार वितरित किया गया ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां, सर्वोदय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नवई जनपद उन्नाव में वर्ष 1980–81 में 79 अनुसूचित तथा 30 पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तथा पुस्तकीय सहायता स्वीकृत की गयी। कुल 8,568 रु0 की धनराशि वितरित की गयी तथा यह धनराशि नकद एवं पासबुक के माध्यम से वितरित की गयी।

186—श्री भीखा लाल—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वोदय माध्यमिक विद्यालय, नवई जनपद उन्नाव में विद्यालय से प्राप्त आवेदन-पत्रों में कुछ आवेदन-पत्र पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के थे परन्तु उनको हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वीकृति की गयी और कुछ छात्रों के आवेदन-पत्र भी प्राप्त नहीं हुए थे परन्तु उनको छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी और भुगतान किया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया और इस प्रकार छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों की अलग-अलग संख्या क्या है और यह धनराशि किन-किन विद्यार्थियों को दी गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

जी हां। सर्वोदय पूर्वमाध्यमिक विद्यालय नवई जनपद उन्नाव से प्राप्त आवेदन पत्रों में से 14 आवेदन पत्र पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों के थे किन्तु उन्हें अनुसूचित जाति के विद्यार्थी दर्शाकर छात्रवृत्ति नहीं वरन पुस्तकीय सहायता स्वीकृत की गई और 12 छात्रों के आवेदन-पत्र भी नहीं थे परन्तु उनको भी अनुसूचित जाति दर्शाकर केवल पुस्तकीय सहायता स्वीकृत की गई किन्तु इसका भुगतान छात्रों को नहीं किया गया और यह धनराशि 2,232 रु0 चालान संख्या –67 दिनांक 28–7–1983 द्वारा विभागीय रसीद मद में जमा करा दी गयी।

इलाहाबाद जनपद का नलकूप संख्या-2 (फतूहा) को चालू किया जाना

187---श्री राधेश्याम पटेल---

क्या सिंचाई मन्त्री को ज्ञात है कि ग्राम फतूहा विकास खण्ड सैदाबाद, जिला इलाहाबाद का ट्यूबवेल सं0 2 पा0 (फतूहा) अप्रैल, 1983 से बन्द पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन लोग जिम्मेदार हैं। उक्त नलकूप कब तक चालू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। इलाहाबाद जनपद का नलकूप संख्या 2 पी0 (फतूहा) सैदाबाद विकास खंड में न होकर बहादुरपुर विकास खण्ड में है। यह नलकूप दिनांक 13-3-83 से 18-9-83 एवं 28-9-83 से 21-12-83 तक पम्पसेट की खराबी एवं 14-1-84 से 18-1-84 तक मोटर जलने के कारण बन्द रहा।

यह बन्दी पुराने माडल के पम्प सेट के अतिरिक्त पुर्जे उपलब्ध न होने के कारण हुई है। अतः किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

कूप इस समय सुचारु रूप से चल रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री एस० पी० मिश्र, जूनियर इंजीनियर, ड्रेनेज डिवीजन, बस्ती के संबंध में शिकायती पत्र

188---श्री भीखा लाल---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री गुरु प्रसाद, भू0 पू0 एम0एल0सी0 का एक पत्र दिनांक 28-4-83 जो राज्य सिंचाई मन्त्री को सम्बोधित था और जिसमें एक जूनियर इंजीनियर (श्री एम0पी0 मिश्र) ड्रेनेज डिवीजन बस्ती द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों का उल्लेख किया गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी और प्रत्येक बिन्दु पर जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। श्री एस0पी0 मिश्र जूनियर इंजीनियर के संबंध में पत्र दिनांक 28-4-83 प्राप्त हुआ था। पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच की जा रही है।

रिठवा ड्रेन हरदोई डिवीजन के मील नं० 3 व 4 की मछली विभाग के कर्मचारियों द्वारा कथित नीलामी

189---श्री भीखा लाल---

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अनिल कुमार सिंह, निवासी हाथीखेड़ा, मणए पूराचांद, जिला उन्नाव का प्रथम प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र जनवरी, 1983 के साथ तथा द्वितीय प्रार्थना पत्र प्रश्नकर्त्ता के पत्र दिनांक 22-4-83 के साथ उनको प्राप्त हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गयी है कि रिठवा ड्रेन हरदोई डिवीजन शारदा कैनाल के मील नं0 3 व 4 को मछली विभाग के कर्मचारियों द्वारा तीन बार अलग-अलग तीन व्यक्तियों को नीलाम की गयी और पैसों का गोलमाल किया गया ? यदि हां, तो इस मामले की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री वीर बहादुर सिंह---

जी हां। रिठवा ड्रेन के मील 3 व 4 की मछली विभाग के कर्मचारियों द्वारा नीलामी नहीं की गयी। अतः पैसे का गोलमाल किया जाना व दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

रोझांहा माइन्स एवं विन्ध्याचल एमरी प्रोजेक्ट में बांदा जनपद के कर्मचारी

190---श्री भीखा लाल---

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य खनिज विकास निगम द्वारा बांदा जनपद में संचालित रोझांहा माइन्स एवं विन्ध्याचल एमरी एक्रेशिव प्लान्ट में कितने कर्मचारी बांदा जनपद के रखे गये हैं और कितने बांदा से बाहर के? क्या सरकार बांदा जनपद के लोगों की उक्त नियुक्त में प्राथमिकता दिये जाने की व्यवस्था करेगी?

श्री वीर बहादुर सिंह---

रोझांहा (रजहुंआ) बाक्साइड माईन में बांदा जनपद के दो और 69 बाहर के कर्मचारी कार्यरत हैं।

विन्ध्याचल एमरी प्रोजेक्ट में बांदा जनपद के दो तथा बाहर के 4 कर्मचारी हैं। नियमानुसार स्थानीय लोगों को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की नीति का पालन किया जा रहा है।

अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, बरेली में दिये जाने वाले अनुदानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच

191---श्री भीखा लाल---

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली जनपद की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित और मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-10-83 जिसमें अनुसूचित जाति वित्त एवं निगम बरेली में बीस सूत्रीय कार्यक्रम और विशेष समन्वित योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनुदानों में व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की गयी है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, उसकी जांच कराई गयी? यदि नहीं, तो क्यों? यदि जांच कराई गयी तो क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

जी हां। जांच कराई गई। जांच में कोई ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे किसी अनियमितता अथवा भ्रष्ट आचरण की पुष्टि होती हो अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

कोठली में हाई स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार

192---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड नारायण बगड में स्थान कोठली में राजकीय हाई स्कूल खोलने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक हाई स्कूल स्वीकृत हो जायगा?

श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी---

कोठली में हाई स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव पर शासन द्वारा विचार किया गया। निर्धारित मानकों की पूर्ति न होने के कारण उक्त स्थान पर हाई स्कूल की स्वीकृति दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है।

उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को जनरेटिंग सेट की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

193---श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखीमपुर जिले से मार्च तथा अप्रैल, 83 में किन-किन औद्योगिक इकाइयों द्वारा उ0प्र0 वित्तीय निगम को जनरेटर की खरीद में सब्सिडी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र मिले? क्या सब्सिडी दे दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक दे दी जायगी?

श्री वीर बहादुर सिंह--

लखीमपुर जिले से मार्च तथा अप्रैल, 1983 में उ0 प्र0 वित्तीय निगम को जनरेटिंग सेट की खरीद पर सब्सिडी के लिये कुल 6 औद्योगिक इकाइयों से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये। इनमें से मे0 शिवान इण्डस्ट्रीज तथा मे0 लंसल मार्डर राइस मिल को सब्सिडी स्वीकृत की जा चुकी है जिसका वितरण शासन द्वारा निगम को धनराशि उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जायेगा।

मे0 लखीमपुर डीजल्स के प्रार्थना पत्र के साथ कुछ आवश्यक कागजात प्राप्त नहीं हुये थे। वांछित कागजात इकाई से प्राप्त होने पर उनके प्रार्थनापत्र पर विचार किया जायेगा।

मे0 जगदीश प्रसाद अग्रवाल खण्डसारी उद्योग, लखीमपुर की इकाई का निरीक्षण करने पर वहां जनरेटिंग सेट नहीं पाया गया। इकाई ने पुनः प्रार्थनापत्र दिया है जिस पर पुनः उसका निरीक्षण कराये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

मे0 गोयल ब्रदर्स तथा मे0 श्याम बिहारी लाल श्री राम के प्रार्थना पत्र विचाराधीन है।

शारदा सहायक नहर के पानी से गांवों को क्षति एवं प्रतिकर का भुगतान

194--श्री पंचानन राय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के सगडी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 83 में शारदा सहायक नहर के पानी से किन-किन गांवों में कितनी-कितनी हानि हुई है ? इसके लिए कितना प्रतिकर दिया गया है तथा हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय अध्यक्ष जी, आप यह अपेक्षा करते है कि सदन की गरिमा सभी माननीय सदस्य बनाये रक्खें, इसलिय मैं प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था चाहता हूं कि आपने माननीय मंत्री महोदयों को कई बार निर्देश दिये है कि जो भी विधायकगण शिकायत करते है उनकी शिकायतों को पूरी तरह सुना जाए और उनकी सहायता की जाए। परन्तु आप मान्यवर, चाहे जिस दिन की भी कार्यवाही उठाकर देख लें उनमें इस प्रकार के आपके किसी निर्देश का पालन नहीं हो रहा है। मान्यवर, हम लोग जो भी यहाँ पर शिकायत करते है वह अपने यहाँ की जनता की नियत को लेकर सदन में रखते है, लेकिन इन शिकायतों की खुल्लम-खुल्ला अवहेलना की जाती है। मान्यवर, हम लोग संसदीय परम्पराओं से बंधे हुए है, अगर इस तरह कार्य नहीं करेंगे और आपके दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो मान्यवर, सदन की गरिमा फिर किस प्रकार से मेन्टेन हो सकेगी, यह एक जबर्दस्त मुद्दा बनता जा रहा है, मान्यवर, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने जैसा कि निवेदन किया है कि इस प्रकार के आदेश मैंने माननीय मंत्री जी को दे दिये है कि जो शिकायतें माननीय सस्दयों द्वारा की जाती है, उस पर पूरा ध्यान दिया जाए, आप इस बात का निर्णय माननीय संसदीय कार्य मंत्री ले लें ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई बात दोहराई न जाय। इस पर कृपया ध्यान दें।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मैं प्रश्नों के संबंध में आपकी एक व्यवस्था चाहता हूं और दूसरे यह कि मैं सभापति आश्वासन समिति की हैसियत से भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक प्रश्न अभी शिक्षा के संबंध में हुआ था कि एक विधायक है जो मास्टर भी है, उनको इन दिनों की तनख्वाह न दी जाए, तो इस प्रश्न पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह उत्तर देते है कि इस पर विचार

[श्री रियासत हुसैन—]
किया जा सकता है। तो श्रीमन्, हमारे जो आश्वासन होते है, उसमें इस प्रकार के कथन से आश्वासन नहीं बनता जब तक साफ तौर से यह न कहा जाए कि इस पर विचार किया जायेगा या विचार किया जा रहा है, तब तो यह हमारे आश्वासन में आ जायगा। तो मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से इसे स्पष्ट करवा दें कि इस पर विचार किया जायगा बजाए इसके कि विचार किया जा सकता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैंने इस संबंध में जो कुछ कहा था वह सोच समझकर कहा था कि अगर परिस्थितियाँ ऐसी हुई तो इस पर विचार किया जा सकता है।

किशनपुर पम्प योजना के असफल होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 की मुझे 12 सूचनायें प्राप्त हुई है जिसमें से मैंने सर्वश्री ईश्वरशरण विद्यार्थी राजेन्द्र कुमार गुप्त, नन्द राम, मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, राधे श्याम पटेल, शंकर सिंह, विजय सिंह राना की सूचनाओं को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है। माननीय राम स्वरुप वर्मा जी, जो आपने सूचना दी है, मैं चाहूंगा कि आप मेरे कक्ष मे आ जायं और अपनी बात को कहें। उस पर बाद में निर्णय हो जायेगा।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अत्यन्त लोकमहत्व की स्थिति की ओर ले जाना चाहता हूं। मान्यवर, जहाँ पर एक ओर हमारी जनप्रिय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी किशनपुर पम्प जैसी योजना को देकर इलाहाबाद में मझनपुर ब्लाक को सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाना चाहती थी वहीं पर अब शासन की उपेक्षापूर्ण नीति से क्षेत्रीय जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है। उनका कहना है कि जहाँ एक ओर अन्य निर्वाचन क्षेत्र में सरकार की लाखों करोड़ों की योजनाएं दी जा रही है, वहाँ पर हमारे क्षेत्र में विकास तथा सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण सूत्र पर भी अधिकारियों (शासन) का दृष्टिकोण उदासीन रहा है। किशनपुर पम्प पूर्ण रूप से असफल हो चुका है। भविष्य में पम्प पक्का हो जाता है तो भी पूर्णतया सिंचाई क्षमता असम्भव है। नहरी कमाँड को अलग कर केवल नलकूप ही विकल्प है।

अतः मान्यवर, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर में 300 नलकूप लगाने की व्यवस्था करें जिससे सिंचाई की समस्या का स्थायी निदान हो सके।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल, लखनऊ के अध्यापकों की दयनीय दशा के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के अध्यापकों की दयनीय दशा को शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। वर्ष 1966 से एक पंजीकृत सोसायटी केअधीन चल रहा है। तब से अब तक सभी अध्यापक एक वर्ष के प्रोबेशन पर नियुक्त करने के बाद भी अभी तक एक भी अध्यापक स्थायी नहीं हुआ। उनकी सेवा सुरक्षा के बारे में कोई सेवा नियमावली अभी तक नहीं बनी और न शासन का कोई नियम इस पर लागू होता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रधानाचार्य को सुविधायें और अधिकार अनन्त है। सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी वहाँ से पेंशन भी लेते है तथा 2300–2700 का विशेष ग्रेड पाकर अभी स्थायी कर दिये गये। परन्तु अध्यापकों का जहाँ 1979 के पूर्व 450–950 का ग्रेड था वह 690–1420 के ग्रेड में है, जबकि 450 वालों का वेतन आयोग ने 770--1600 का ग्रेड दिया है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रधानाचार्य का हुक्म ही सेवा नियमावली है। वर्ष 75 से 5 अध्यापक बिना किसी प्रक्रिया को अपनाये निकाल दिये गये। एक ओर यह निजी संस्था बताई जाती है दूसरी ओर सेवा निवृत्ति की अवधि 60 के बजाय 58 वर्ष की अर्थात् राजकीय कमचारियों की ही भांति है।

मान्यवर, अध्यापकों को शोषण से बचाने हेतु सेवा नियमावली तत्काल बनायी जाय तथा शासकीय सुविधायें दी जायं।

जिला हरिजन अधिकारी, आगरा द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द राम—

मान्यवर, जिला हरिजन तथा समाज कल्याण कार्यालय में भीषण भ्रष्टाचार व्याप्त है। अनुसूचित जाति के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति की रकम में गबन तथा फर्जी नामों से बाँटना आम बात है।

एस0 पी0 इन्टर कालेज, एटा में पिछड़ी जाति के कक्षा 11 व 12 में वर्ष 1982 में मात्र 56 छात्र थे। परन्तु छात्रवृत्ति 199 छात्रों की निकाली गयी। इनमें 143 फर्जी छात्रों की छात्रवृत्ति का 8477 रुपये का फर्जी भुगतान 4 हजार रुपये रिश्वत लेकर हरिजन अधिकारी ने कर दिया।

कन्या पाठशाला बैबर के 960 रुपए छात्रवृत्ति के प्रधानाध्यापिका के नाम फर्जी दिये गये। इनमें से हरिजन अधिकारी ने 560 रुपए और प्रधानाध्यापिका ने 400 रुपए लिये। उप निदेशक आगरा ने डा0 अम्बेदकर छात्रावास शिकोहाबाद का वर्ष 82–83 का भुगतान रोकने का आदेश कर दिया था, परन्तु 9 हजार का भुगतान हरिजन अधिकारी ने रिश्वत लेकर कर दिया कौशल्यादेव छात्रावास सिरसाँगंज के 14 छात्रों की फर्जी 6 हजार रुपये की छात्रवृत्ति निकाली गयी। इनकी जाँच को लेकर 17 जनवरी 1984 से वहाँ छात्रों ने क्रमिक अनशन किया। परिणाम स्वरूप जिला हरिजन अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया, परन्तु राजनीतिक दवाव के कारण पुनः रोका जा रहा है। मान्यवर, स्थानान्तरण आदेश प्रभावित हों तथा आरोपों की जाँच की जाय।

डुमरियागंज तहसील में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैन्डपम्पों में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय अध्यक्ष, तहसील डुमरियागंज, बस्ती के अन्तर्गत जल निगम द्वारा अभावग्रस्त ग्रामों में जिसकी सूची पहले से तैयार है। नये ढंग का हैण्डपम्प लगा रहे है जिसकी लागत प्रति हैण्ड पम्प दस से पन्द्रह हजार रुपये के बीच बतायी जाती है। पूरी तहसील के समस्त विकास खंडों में घोर अनियमितता तथा भ्रष्टाचार इस सम्बन्ध में किया जा रहा है। 120 और 125 फीट का जगह 60–70 फीट बोर करके उससे अधिक पाइप दिखाया जाता है। गाँव के लोगों से बेगार लेकर फर्जी मस्टर रोल पर अधिकाशतः भुगतान किया गया है। अधिकतर ग्राम प्रधानों का प्रस्ताव न लेकर मनमाने ढंग से हैण्डपम्प लगाये गये हैं। क्षेत्र समिति डुमरियागंज और भनवापुर ने अपनी बैठक में 11 व 12 फरवरी को सर्व सम्मत्ति से जल निगम के क्रियाकलापों और भ्रष्टाचार पर चिन्ता व्यक्त की है और पारित प्रस्ताव द्वारा खुली जाँच की माँग की है। मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले में आपके माध्यम से माँग करता हूं कि मुझे तहसील डुमरियागंज में लगाये समस्त हैण्डपम्पों का पूर्ण विवरण, कब लगे और कितने फिट पाइप प्रयोग हुआ, दिलाने का आदेश करें जिससे मैं सारे तथ्य आपसे समक्ष प्रस्तुत कर सकूं।

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इलाहाबाद की सोरांव एवं फूलपुर तहसील में नहरी पानी के जल भराव से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम पटेल---

मान्यवर, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर माननीय सदन एवं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। इलाहाबाद में शारदा सहायक खंड 30 व 48 के अन्तर्गत तहसील सोरांव एवं फूलपुर में बहने वाली रजबहों एवं माइनरों के टेल के पानी का समुचित निकास न होने के कारण हजारों एकड़ जमीन जल मग्न एवं फसलहीन हो गयी है। सोरांव के भावापुर, डिघिया, खुटहना, रईया चांदपुर, पुरखीपुर, समराबियर भानपुर, मगनपुर, सेवइथ, युसूफपुर, शेख पुरसठवा, सघनगंज तथा फूलपर के ग्राम करनाईपुर, सिंघलदीप, मिसिउरा, महुली, भवानापुर, सारीपट्टी, सरायमदन, सराय मोहम्मदी, महपुरा, मंसूरपुर, सराय अरजानी अतरपुर गौहानी आदि बुरी तरह क्षतिग्रस्त एवं संत्रस्त है। सम्पूर्ण क्षेत्र में समुचित नालों एवं ड्रनों का निर्माण नहीं किया गया और जो भी निर्माण हुआ है वह भी अधूरा एवं मात्र कागज पर हुआ है। रइया, मरी, जोगीपुर, उमरन, सराय मदन ड्रेन, मनसैता, वरना नदियां भावापुर, सेवइथ नालों आदि की सफाई, खुदाई एवं विस्तार के नाम पर सरकारी धन का भारी घोटाला किया गया है, परन्तु मौके पर निर्माण कार्य बिलकुल शून्य है। अतः शासन से मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही तथा जल निकास की तत्काल व्यवस्था की जाय अन्यथा नहरों एवं बरसाती पानी के जल भराव से ग्रामीण लोगों एवं कृषकों का जीवन दूभर हो जायेगा।

(श्री यमुना प्रसाद के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय यमुना प्रसाद जी आप क्या बोलना चाहते हैं ?

श्री यमुना प्रसाद---

मान्यवर, एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

बाद में आपकी बात सुनूंगा।

कालपी तहसील में मुन्सिफ अदालत खोले जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, जालौन जनपद की चार तहसीलों में से तीन तहसील मुख्यालयों पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट अदालतों की स्थापना हो चुकी है परन्तु कालपी तहसील में अभी तक मुन्सिफी अदालत नहीं खोली गई। विगत कई वर्षों से कालपी तहसील क्षेत्र की जनता तहसील मुख्यालय पर मुन्सिफी खोले जाने की मांग करती चली आ रही है। जनपद मुख्यालय उरई से 20 कि0मी0 जालौन, 28 कि0मी0 कोंच में तो मुन्सिफी की स्थापना हो चुकी है परन्तु कालपी की दूरी उरई से 35 कि0 मी0 है। वहां अभीतक मुन्सिफी नहीं खोली गई। दिसम्बर, 1983 और जनवरी, 1984 के महीनों में बार एसोसियेशन कालपी द्वारा उक्त मांग को लेकर अदालतों का बहिष्कार किया तथा धरना भी दिया। क्षेत्र की जनता तथा अधिवक्ताओं में मुन्सिफी न खोले जाने के कारण भारी क्षोभ है। अतः मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाकर कालपी में मुन्सिफी खोले जाने की मांग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आगरा जनपद के प्राइमरी शिक्षकों द्वारा किये जा रहे अनशन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जिसमें आगरा जनपद के प्राइमरी विभाग के शिक्षक अपनी कतिपय मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन क्रमिक अनशन कर रहे है। उनकी मांगें है कि 1979 से बढ़े वेतनमान के एरियर भुगतान किये जायं, 1961-62 के बाद की भविष्य निधि का हिसाब किया जाय, प्राइमरी विभाग के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 1977 से मिले वेतनमान के अवशेष धन का भुगतान किया जाय। पंचायत चुनावों में जिन अध्यापकों को नियुक्त किया गया था उनके टी0 ए0 बिलों का भुगतान किया जाय आदि है। शिक्षकों ने इन न्याय संगत मांगों को तुरन्त स्वीकार न किये जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की सूचना दी है। यह एक गम्भीर स्थिति है। मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि प्राइमरी शिक्षकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर समस्या का शीघ्र निराकरण करें अन्यथा समस्या गम्भीर हो जायेगी।

फतेहपुर तहसील में भूमि विकास बैंक के कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री यमुना प्रसाद--

मान्यवर, एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दीजिये, जबानी बात नहीं होती।

श्री यमुना प्रसाद--

मान्यवर, आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

वह बात सुनी जाती है जो सदन के सम्मुख हो। उस बात का क्या औचित्य है, क्या नहीं है, यह देखा जाता है। यहां यह पद्धति है और यही नियम है।

श्री यमुना प्रसाद--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अपने और सदन की अवमानना के सम्बन्ध में आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर 20-2-84 को मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र तहसील फतेहपुर गया था। वहां के कृषकों ने मुझे बताया कि जो वहां पर स्थानीय भूमि विकास बैंक के कर्मचारी है वे ऋण के लेन देन में काफी पैसा लेते है और मांगते हैं। मान्यवर, वहां ग्राम प्रधान श्री जयन्ती प्रसाद गौरा सैलख कोजो भुगतान किया जा चुका था तो उसके नो ड्यूज सर्टिफिकेट की समस्या को लेकर मैं बैंक में गया। वहां के कर्मचारियों से जब मैंने उनसे 15 रुपये घूस के रूप में मांगने की बात कही। वे इस बात से इन्कार किये और इस पर वहां के कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया और रज्जन नामक अमीन मुझसे मारपीट पर उतारू हो गया और मारपीट की नौबत आ गयी।

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपकी बात सुन ली। आप लिख कर दे दें।

श्री यमुना प्रसाद--

मैं चाहता हूं कि इस पर आप ध्यान दें और इससे सदन की अवमानना हुई है।

श्री अध्यक्ष--

आप लिख कर दे दें। बात हो गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री यमुना प्रसाद---

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोलेंगे, वह नहीं लिखा जायेगा। कृपया बैठें।

सचिवालय एनेक्सी के लिये विधायकों की पर्चियों पर पास जारी न करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री रामस्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पिछले सेशन में एक प्रश्न उठा था कि एनेक्सी में हमारे लिखे पर पास नहीं देते हैं आपने कहा था बतायेंगे। तो क्या व्यवस्था आपने की क्योंकि विधायकों का वहां पर एनेक्सी के लिए पास नहीं माना जाता है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, विधायकों द्वारा जो पास दिया जाता है एनेक्सी में जाने के लिए उस पर चर्चा हुई थी। उस पर आपने आश्वासन दिया था, और मैंने भी कहा था, इसको देखेंगे। जो प्रश्न अभी माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने उठाया है उस पर क्या निर्णय हुआ ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्बार रिजवी)---

जहां तक विधायकों का संबंध है उसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है और लोगों के जाने में रोक है, क्योंकि वहां पर काफी भीड़ हो जाती है और काम करने में कठिनाई होती है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उनके खिलाफ उठा रहा हूं। सचिवालय में या तो एनेक्सी को न माना जाय। अन्यथा मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाता हूं...

श्री अध्यक्ष---

आप लिख कर दें।

श्री रामस्वरूप वर्मा---

विशेषाधिकार की अवहेलना सदन के सामने हुई है इसलिये तुरन्त इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

काहे पर ?

श्री रामस्वरूप वर्मा---

उन्होंने कह दिया है कि सदस्यों के पर्चे पर प्रवेश देना संभव नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

इसमें चर्चा किस बात पर हो जाय ? विशेषाधिकार के हनन का नोटिस पहले दीजिये।

श्री रामस्वरूप वर्मा---

यह किसी को घुसने दें किसी को न घुसने दें। सदस्यों का अधिकार एक सम्मान है वह किसी को अधिकृत करते हैं तो वह सचिवालय में जायगा। अगर यह प्रथा डाल दी गयी तो गड़-बड़ हो जायगी। इससे यह हमारे विशेषाधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं इस पर विचार होना चाहिये, तुरन्त विचार होना चाहिये।

नोट---(× × ×) यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

वर्मा जी, आप बैठ जायं। आपने एक बात उठायी तो मैंने उनसे पूछा जिसका उन्होंने उत्तर दे दिया। अब उसमें यह कहना कि विशेषाधिकार की अवहेलना हो गयी है मैं उसको नहीं मानता। आप लिख कर दें किस नियम के अन्तर्गत यह आता है उस पर यह भी विचार करेंगे और मैं भी विचार करूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है.....

श्री रामस्वरूप वर्मा—

माननीय शिक्षा मंत्री ने विशेषाधिकार का हनन किया है। आप कहेंगे तो लिख कर दे देंगे, लेकिन पहले आप सुन लें। सारे सदस्य यहाँ पर बैठे है यह उनके अधिकारों का हनन है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसके बारे में बात करूंगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

नियम 63 में दिया है कि घटना सदन के सामने हुई है तो तुरन्त सदन उस पर विचार करेगा। सारे सदस्य यहां पर बैठे हैं तो क्या वह अपने अधिकारों को देने के लिए तैयार हैं कि वह लिख कर दें और एनैक्सी में उनको पास न दिया जाय। यदि सब सहमत हैं कि उनके अधिकारों का हनन हो जाय तो फिर मैं अकेला क्या करूंगा?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...

श्री अध्यक्ष—

किस बात का?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें। यह समूचे सचिवालय तथा जो दूसरी जगह सचिवालय है उनमें जाने के बारें में एक नियम बनाने की बात पर आपके कक्ष में चर्चा हुई है। उसमें तय हो गया कि एनेक्सी और जनपथ जो ऊंचा भवन बना है उसमें सचिवालय के कुछ भाग है, उनको सचिवालय का अंग माना गया है। नियमों में संशोधन कर दिया है। स्टेंडिंग कमेटीज की जो बैठकें होती है उसमें यह था कि यहाँ पर बैठक होने पर भत्ता मिलेगा। लेकिन इन दो स्थानों के लिए नहीं था तो उनके लिये भी नियमों में संशोधन कर दिया है कि वह भवन भी मान्य होंगे। मुख्य सचिवालय, एनेक्सी और जनपद तीनों इसके अंग हो गये है तो कानून विभेद कहीं नहीं हो सकता है। हमारी सूचनाओं पर अधिकार पत्र पर एक आदमी इस सचिवालय में आ सकता है और एनेक्सी में नहीं जायगा, तो यह हमारे अधिकारों का करटेलमेंट है। जब तीनों सचिवालय एनेक्सी और जनपद भवन एक ही हो गयें आपके आदेश पर, तो जब आपका आदेश यहाँ सचिवालय में और जनपथ भवन में चलेगा किन्तु एनेक्सी में नहीं चलेगा, तो यह आपके आदेशों की खुली अवहेलना है। इसलिये व्यवस्था के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके आदेशों का करटेलमेंट शासन द्वारा किया जा सकता है।

हमारे नियमों में व्यवस्था है कि यह जो सचिवालय है इसमें प्रवेश के लिये विशेष व्यवस्था और नियम आप बनायेंगे और यह करण में व्यवस्था दी गयी है। इसलिय जब आपकी व्यवस्था है, जब आपने नियमों में हमारे और हमारे सहयोगियों को आने की व्यवस्था कर दिया है और आपकी व्यवस्था से तीनों सचिवालय एक हो गये तो उसके बाद एनेक्सी में हमारे सहयोगियों को न जाने देना हमारे अधिकारों और आपके आदेशों का करटेलमेंट है, इसपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। और इस बात पर बल देता हूं कि श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने जो इस सदन के सामने मा० सदस्यों के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]
अधिकारों का मामला उठाया है, और हमारे अधिकारों में यह व्यवस्था है कि सचिवालय में हम और हमारे सहयोगी आ सकें तो मा0 सदन के नियमों के अनुसार मा0 सदस्यों के प्रदत्त अधिकारों पर यह चुनौती है, इसलिये यह ब्रीच आफ प्रिविलेज का मामला है, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

जैसा श्री रामस्वरूप वर्मा ने कहा और श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने सदन का ध्यान आकर्षित किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप नियमों का और जो निर्णय हुये है उनको देखें, और उसके बाद यदि आवश्यक हुआ तो मैं मीटिंग भी बुलवाऊंगा और उसके बाद शासन को आदेश दूंगा कि उसके अनुसार कार्यवाही करे ।

मदन मोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजएट कालेज, भाटपाररानी, देवरिया में छात्रों द्वारा प्रस्तावित आत्मदाह के सम्बन्ध में सूचना की मांग

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैंने कल नियम 56 में कार्य स्थगन का प्रस्ताव, मदन मोहन मालवीय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, भाटपार रानी, देवरिया में छात्रो द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन और आत्मदाह के संबंध में, दिया था । वहाँ दो-तीन छात्रों ने आत्मदाह की सूचना शासन को दिया है । मान्यवर, आपने मुझे अपनी बात गंभीरतापूर्वक कहने का मौका दिया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, आपन शासन को और संसदीय कार्य मंत्री को इस संबंध में त्वरित कार्यवाही करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि आवश्यक समझें तो मुझसे और श्री कुबेर भंडारी से बात कर लें । मान्यवर, मेरी जानकारी है कि वह लड़के तीनों छात्र आत्मदाह के लिये तैयार है, किन्तु शासन ने कोई कार्यवाही नहीं किया है । उनकी माँग है केवल यूनियन बनाने की । शायद मंत्री जी उसकी गंभीरता का अहसास नहीं कर रहे है । मैं वहाँ की मुख्य बात बताना चाहता हूं कि उस कालेज के प्रबन्धक श्री केशव चन्द्र मिश्र है, वह वहाँ प्रधानाचार्य भी रहे है । उनके छोटे भाई इंटर मीडिएट कालेज में प्रिंसिपल है और उनका लड़का डिग्री कालेज में लेक्चरार है । वह कालेज बिहार बोरडर पर है जिससे बिहार के लड़कों से 10–10 हजार रुपये लेकर कालेज में बी0एड0 में प्रवेश दिया जाता है । मेरा निश्चित आरोप है कि यदि वहाँ यूनियन बन गयी तो इस बात का पर्दाफाश हो जायेगा, इसलिये वहाँ के प्रबन्धक यूनियन नहीं बनने देना चाहते है । कालेज के 60 लड़कों का नाम काट दिया गया है, दो अध्यापकों को निलम्बित कर दिया है । हास्टेल में सफेदपोश गुन्डे असलहा लेकर रह रहे है और वहाँ आसामाजिक तत्व बैठें हैं ।

मान्यवर, इस संबंध में आपने शासन को निर्देशित किया था कि तत्काल प्रभावी कार्यवाही करें और यह सुनिश्चित करे कि छात्र आत्मदाह न करें । आपके निर्देशों की शासन ने खुली अवहेलना किया है जिसको आप बरदाश्त कर लेते है लेकिन इसको हम लोग बरदाश्त नहीं करेंगे । इसलिये अनुरोध है कि पुनः आप शासन को निर्देशित करें और चेतावनी दें कि आज 2 बजे अपराह्न तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया छात्रों से सम्पर्क स्थापित करके उनकी यूनियन की माँग को स्वीकार करें और लड़के आत्मदाह न करने पावें, इसको सुनिश्चित करके वह आपको सूचित कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

जब यह मामला नियम 56 में आया था. . . .

*संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

इस संबंध में मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कल आपने इस पर आदेश दिया था कि माननीय कुबेर भंडारी और ओझा जी मुझसे सम्पर्क स्थापित करें । तो मैं कल 8, साढ़े 8 बजे तक अपन कार्यालय में इन माननीय सदस्यों की प्रतीक्षा करता रहा. . . . . .(व्यवधान) आप जिस वक्त तक कहें, सारी रात कहें तो मैं उनका इंतजार करता रहूंगा । तो वह लोग कल हमारे पास सम्पर्क करने नहीं आए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कल निवेदन किया था। साढे तीन बजे कृपया आप मेरे कक्ष में आयें, ओझा जी, कुबेर भंडारी और डाक्टर मिश्रा जी और आप भी आइयेगा। उस वक्त तक जानकारी मिल जाएगी, उस वक्त तक निर्णय हो जाएगा। तब तक आप कार्यवाही कर लें।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आज 4 बजे उनके आत्मादाह की सूचना है और हम साढे तीन बजे आपके कक्ष में बैठेंगे। इसके पहले मंत्री जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, देवरिया को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

यह मैंने कह दिया है कि वह आवश्यक कार्यवाही करें।

दिनांक 15 फरवरी, 1984 को श्री अध्यक्ष द्वारा श्री मुहम्मद आजम खां के सम्बन्ध में कही गयी बात के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री मुहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आज मुझे औचित्य का प्रश्न एक ऐसे मामले पर उठाना पड़ रहा है, जो अध्यक्ष पीठ से सम्बन्ध रखता है। मैं अपने प्रश्न के बारे में आपका ध्यान 15 फरवरी की कार्यवाही के पृष्ठ 76 की 12 वीं लाइन की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें आपने कहा था "चुपचाप जो मेरे मित्र आजम खां यहाँ बैठे हुये है आए और कागज मेरे हाथ से छीनकर ले गये।" अब मुझे इसके अलावा सारा एतराज इसके अगले जुमले पर है और इस जुमले के बारे में मैं अपनी बात को इस वाकये के साथ कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी जिस तरह से हमने बरदाश्त की, उसी तरह से काँग्रेस की गुलामी भी हम बरदाश्त कर रहे है। उस जमाने में भी सही बात कहने वाले लोग थे, और जब उन लोगों ने हुक्मरानों के सामने यह कहा कि यह सही है और यह गलत है तो उस समय भी शासकों ने उसे मानने से इंकार कर दिया उस वक्त भी आवाजें हक बुलन्द करने वालों को चाहे भगत सिंह हो या अशफाक उल्ला खां की जिनको फांसी दे दी गई। इन लोगों ने भी अंग्रेजी साम्राज्य के काले कानूनों के खिलाफ बगावत की थी और यही बात कहने की उनको सजा दी गयी। लेकिन इतना संगीन इल्जाम एक सदस्य पर आप जैसी ऊंची कुर्सी पर से लगाया जाए कि आपको एक सदस्य गोली मार देगा, न केवल मेरे लिए शर्मनाक है बल्कि आप जैसे निष्पक्ष व्यक्ति को भी गौर करना पड़ेगा जिससे हम विरोध पक्ष के लोग पूर्ण इंसाफ की उम्मीद करते है। मान्यवर, यह तारीखी हकीकत है कि हमेशा जुल्म इंसाफ की कुर्सी से हुए है ताकतवर लोगों न ही इन्साफ के नाम पर कमजोरों का गला घोटा है। चुनाँचे मैं फिर से आप से कह रहा हूं, हालाँकि आप पर यह जाती इल्जाम नहीं है, हो सकता है किसी गुस्से में आपसे यह जुमला निकल गया हो या बिना इरादे गैर इत्तफाकी तौर पर निकल गया हो, लेकिन यह सही है कि हिन्दुस्तान की किसी असेम्बली या पार्लियामेंट में इस तरह के जुमले का इस्तेमाल किसी माननीय सदस्य के लिए नहीं किया गया होगा इतने ऊंचे मुकाम से इतना छोटा जुमला काबिले एतराज है। मैं इसका भरपूर विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि इस जुमले की अदायगी से आपको खुद भी अफसोस होगा और यह भी उम्मीद करता हूं कि ऐसे जुमले का इस्तेमाल आप की तरफ से भविष्य में किसी भी माननीय सदस्य के लिए नहीं किया जाएगा और इस को कार्यवाही से निकाला जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

मैंने माननीय आजमखां की बात को सुना है। एक वातावरण इस प्रकार से था और मुझे अफसोस है इस बात का। कभी कभी जो आदमी काम करना नहीं चाहता है, इस तरह का एक वातावरण पैदा हो जाता है, कुछ ऐसी बात हो जाती है जो नहीं होनी चाहिये वह हो जाता है। जहाँ तक

[श्री अध्यक्ष--]
कार्यवाही का संबंध है, मैं उस अंश को निकाल दूंगा। यह बात जिस तरह से हो गई, उस मैं भी नहीं कह सकता हूं। मेरा कोई अभिप्राय नहीं था कि आपको नुकसान पहुंचाऊं, मेरा कोई अभिप्राय नहीं था, कि मैं आपकी नीयत पर कोई हमला करूं। मेरा कोई अभिप्राय नहीं था कि ऐसी बात कहूं जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे। इसलिये जो शब्द लिखे हैं, मैं कार्यवाही से इनको निकलवा दूंगा।

श्री शंकर सिंह--

कार्यवाही मे आपके हाथ से पर्ची छीनने वाली बात जो लिखी है, कृपया उसे भी निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष--

उसको भी निकलवा देंगे।।

श्री गुलाब सेहरा, तत्कालीन हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा ने तत्कालीन मा0 राज्य मंत्री, हरिजन तथा समाज कल्याण के विरूद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना इस आधार पर दी है कि उन्होंने दिनांक 25-8-1982 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 148 के विषय में जानबूझ कर गलत उत्तर देते हुये सदन को गुमराह करने का प्रयास किया है। माननीय सदस्य द्वारा पृच्छित प्रश्न यह था कि क्या समाज कल्याण मंत्री को प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की सहायक अध्यापिता श्रीमती माधुरी पाँडेय की सेवा समाप्ति के विषय में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के आदेश तथा प्रश्नकर्त्ता सदस्य के कतिपय पत्र प्राप्त हुये थे? यदि हाँ, तो उनका पूर्ण विवरण क्या था और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की? उपरोक्त अतारांकित प्रश्न का जो उत्तर तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री द्वारा दिया गया, वह इस प्रकार था :--

"जी हाँ, आदेश शिक्षा विभाग के श्रीमती माधुरी पाँडेय, अध्यापिका, प्रगति आश्रम हाई स्कूल, बालागंज, लखनऊ की सेवा में पद स्थापित कर उन्हें नियमित करने तथा अद्यावधिक अवशेष भुगतान करने विषयक आदेशों के अनुपालन न करने के आधार पर विद्यालय को हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग से मिलने वाले अनुदान को रोकने के संबंध में है। चूंकि श्रीमती माधुरी पाँडेय ने माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच लखनऊ में अपनी याचिका प्रस्तुत कर रखी है, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयोपरान्त ही तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।"

माननीय सदस्य ने अपनी सूचना में उपरोक्त उत्तर को निम्नलिखित 3 कारणों से गलत बताया है :--

(1) विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1982 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या (1) के उत्तर में तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री ने उत्तर दिया था कि हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग को कविपय कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत विभागीय अनुदानों से पोषित विद्यालयों को, जिन्हें इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट, 1921 तथा बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है, उपरोक्त अधिनियमों और उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों से मुक्त नहीं किया गया है।

(2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के आदेश दिनाँक 20-1-82 तथा 10-2-82 में निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण से मात्र इतना अनुरोध किया गया है कि वे इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करावें। उनमें अनुदान रोकने की बात नहीं कही गयी है।

(3) प्रश्नगत सहायक अध्यापिका ने निदेशक, हरिजन तथा समाज कल्याण से निवेदन किया था कि आदेश दिनाँक 20-1-82 तथा 10-2-82 का अनुपालन तुरन्त सुनिश्चित कराया जाय। 14-3-82 तक प्रतीक्षा करने के उपरान्त उपरोक्त अध्यापिका ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। अतः याचिका का विवरण सत्यता पर पर्दा डालने के लिये दिया गया है।

मैंने माननीय सदस्य के तीनों तर्कों पर विचार किया तथा समस्त संबंधित सामग्री का अवलोकन भी किया। मेरे विचार से तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री द्वारा दिया गया प्रश्नगत उत्तर त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अतः सम्पूर्ण मामले पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उक्त माननीय राज्य मंत्री के विरुद्ध गलत उत्तर देने अथवा सदन को गुमराह करने का आरोप आधारहीन है। अतः विशेषाधिकार के रूप में इस उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

मैंने माननीय राम आसरे वर्मा को भी इस बारे में सुन लिया है और वे मुझसे सहमत थे, उसी आधार पर यह निर्णय दिया है।

विशेषाधिकार की कतिपय अन्य सूचनाओं को लिए जाने की मांग

(मद संख्या 5 पुकारे जाने पर)

श्री राम कुमार भार्गव—

मान्यवर, मैंने एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

मैं उस पर विचार कर रहा हूं।

श्री यमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने एक विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपकी बात सुन ली है। आप लिखकर दीजिये।

श्री यमुना प्रसाद—

मैंने लिखकर भिजवा दिया है। कल लिखकर भिजवा दिया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इन्होंने कल आपको विशेषाधिकार की अवहेलना की एक सूचना दी है। दो प्रतियों में दी है। विषय यह है कि एक बैंक कर्मचारी ने इनको प्रताड़ित किया और इस तरह का लाँछन लगाया जो विधान सभा की कार्यवाही से संबंधित है। यह परम्परा रही है कि अगर कोई माननीय सदस्य अपने बारे में कोई बात कहना चाहता है तो उनको सुना जाता है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इनकी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य ने वहाँ बैठकर अपनी बात सुना दिया है।

श्री यमुना प्रसाद—

मान्यवर, मैंने कल सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष—

उस पर निर्णय दूंगा। मुझे जानकारी तो प्राप्त करने दीजिये। मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं आप बैठें।

श्री यमुना प्रसाद—

मान्यवर, बैंक कर्मचारियों ने कहा कि विधान सभा में आप हमारा क्या कर लोगे जाकर।

श्री अध्यक्ष—

मैं खड़ा हूं, आप बैठें।

(श्री अध्यक्ष---)

आपने अभी विशेषाधिकार के बारे में कहा। मैंने आपकी बात सुनने के बाद कहा कि इसको लिखकर दे दीजियेगा डिटेल में ताकि गहराई से मैं उसको देख सकूं। आप कहते है कि कल मैंने सूचना दी है। तो आप मुझे मौका दीजियेगा उसको देखने का और उसके बाद ही निर्णय हो सकेगा। इस संबंध में पूरी जानकारी मैं कर लूंगा फिर उस पर निर्णय लूंगा और निर्णय लेने से पहले मैं आपको कक्ष में बुलाऊंगा, आपसे बात करूंगा यदि आवश्यक हुआ तो सदन में आपको सुनूंगा। इस समय इस स्थिति में मैं नहीं हूं कि इस पर निर्णय दे सकूं।

श्री यमुना प्रसाद---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह जो बोल रहे हैं एक शब्द भी नहीं लिखा जायगा।

श्री यमुना प्रसाद---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

किस बात के लिए मैं सुन लूं, आप बैठें।

श्री यमुना प्रसाद---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

सुनाइए, सुनाइए, एक शब्द नहीं लिखा जायगा।

श्री यमुना प्रसाद---

आप संरक्षण दें, हमें आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा?

श्री अध्यक्ष---

आप जो कह रहे हैं इसको कई बार कह चुके हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां---

आपको सुनाना है चाहे लिखा जाय या न लिखा जाय।

श्री अध्यक्ष---

मुझे नहीं सुनना है, लिखा जाना आवश्यक है।

विधान सभा की कतिपय समितियों तथा स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन को यह सूचना देता हूं कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए सदन की लोक लेखा समिति के लिए 21 सदस्यों, प्राक्कलन समिति के लिए 25 सदस्यों, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति के लिए 25 सदस्यों, अनसूचित जातियों, जन-जातियों एवं विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए 21 सदस्यों, तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के लिए, प्रत्येक के वास्ते, 16-16-सदस्यों, के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है---

नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय	दिनांक 1 मार्च, 1984 को अपराह्न 4 बजे तक।
नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	दिनांक 2 मार्च, 1984 को अपराह्न 2 बजे (सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में)।

नोट---[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

नामों की वापसी की अन्तिम तिथि तथा समय : दिनांक 9 मार्च, 1984 को अपराह्न 4 बजे तक।

निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम समिति तथा अनसूचित जातियों, जन जातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए दिनांक 22 मार्च, 1984 को तथा मन्त्रियों को परामर्श देने वाली स्थायी समितियों के लिए दिनांक 23 मार्च, 1984 को पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह्न 4.30 बजे तक विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में होगा।

1—उक्त निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा।

2—इन निर्वाचनों से सम्बन्धित नाम-निर्देशन-पत्र आपको विधान सभा सचिवालय के पटल कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मुझको नियम 56 के अन्तर्गत 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, वह इस प्रकार हैं —

पहली सूचना माननीय कुंवर सिंह नेगी की केन्द्र सरकार को राज्य सरकार द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण में विलम्ब होने से घोर उदासीनता एवं राज्य सरकार की लापरवाही से पर्वतीय क्षेत्र में विकास अवरुद्ध होने के सम्बन्ध में है। यही सूचना माननीय नरेन्द्र सिंह भण्डारी, माननीय विद्या सागर नौटियाल, माननीय जसवन्त सिंह विष्ट की भी है। दूसरी सूचना माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की नैपाल सीमा पर खाद्यान्न वस्तुओं की तस्करी के मामलों में परिवहन निगम की बसों के पकड़े जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना माननीय श्याम नारायण तिवारी की है, गोरखपुर डिवीजन के वन टांगिया मजदूरों एवं ठूंठ लिपिकों द्वारा जीवन निर्वाह हेतु अपनी मांगों के लिए अनशन करने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना माननीय सरदार सिंह की है, प्रदेश में हुई ओला वृष्टि से क्षति के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की उसी प्रकार की है। छठी सूचना माननीय राम स्वरूप निम की है, उन्नाव के ग्राम प्रधान तथा बच्चों और औरतों को पुलिस द्वारा पीटने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना माननीय शंकर सिंह की है, शाहजहांपुर में मलेरिया के प्रकोप के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना माननीय सत्यपाल सिंह की उसी प्रकार की है। नवीं सूचना माननीय गोपी नाथ वर्मा, मसरूर जाफरी, श्री मुहम्मद आजम खां, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की है, प्रदेश के जेलों में जेल कर्मियों की साजिश से बन्दियों को जहर खिलाने से हुई हत्या के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना माननीय जसवन्त सिंह विष्ट की है, पर्वतीय अंचल में नशीली पदार्थों से कई लोगों के मरने के सम्बन्ध में।

श्री राम स्वरूप निम—

मान्यवर, मेरी सूचना नहीं है ?

श्री अध्यक्ष—

आपकी सूचना तो है, उन्नाव के ग्राम प्रधान तथा बच्चों और औरतों को पुलिस द्वारा पीटने के सम्बन्ध में।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, इस अधिनियम के अनुसार वन भूमि का प्रयोग वनीकरण की योजनाओं के अलावा किसी अन्य कार्य के लिए यदि वन भूमि का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक है और यह अनुमति लेने के लिए केन्द्र सरकार ने एक लम्बा परिपत्र निर्धारित

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कुंवर सिंह नेगी]

किया है, जिसको भर कर वन भूमि के हस्तान्तरण के प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पड़ते हैं। मान्यवर, इस कानून के अनुसार हमारे पर्वतीय क्षेत्र में एक उत्तर प्रदेश में जब यहां पर थे लेफ्टीनेंट गवर्नर, उत्तर प्रदेश का 1893 का कोई आर्डिनेंस है, उसके अनुसार कुमायूं मण्डल में जितनी भी बंजर भूमि थी, उसको प्रोटेक्टेड़ फारेस्ट में ले लिया गया था और वह अभी तक चल रहा है तो इसके अनुसार, यह हो गया कि पहाड़ों की खुदकाश्त भूमि के अलावा जो भी भूमि है, वह इस बंजर भूमि की परिधि में आती है। अगर कोई भी इसमें स्कूल बनाना चाहे, कोई भी निर्माण कार्य कराना चाहे, नहर निकालना चाहे, तो उसके लिए प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने पड़ते हैं। इस प्रस्ताव की वजह से आज हमारे पर्वतीय क्षेत्र में हजारों योजनाएं अवरुद्ध हो गई हैं। हम हमेशा इसकी मांग कर रहे हैं, प्रधान मन्त्री को हम ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्य मन्त्री से हम मिल रहे हैं, वन मन्त्री से कह रहे हैं, मान्यवर, कोई सुनता नहीं है।

यह सरकार कह रही है कि हमने सारे प्रस्ताव दिल्ली भेज दिए हैं। इसी 19 तारीख को हमारे यहां के विधायक डा0 शिवानन्द नौटियाल, नरेन्द्र सिंह भण्डारी, त्रेपन सिंह, एम0पी0 और मैं स्वयं केन्द्रीय कृषि मन्त्री राव वीरेन्द्र सिंह से मिला, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वन भूमि स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव नहीं भेज रही है तो मैं अनुमति कैसे दूं। सारे भारत से केवल 30 प्रस्ताव उनके पास लम्बित हैं, जिस पर वह शीघ्र निर्णय लेने जा रहे हैं। इस प्रकार जब मसले उठते हैं, तो राज्य स्तर से प्रस्ताव जिले स्तर पर भेज दिए जाते हैं और यह कहा जाता है कि इसमें यह कमी है इसको दूर करें। छोटी कमियों के कारण इसमें वर्षों लग जाता है और हमारी जो योजनाएं हैं वह अधिकारियों की आपसी तालमेल न होने के कारण अधिकारियों की लापरवाही के कारण हमारे यहां का सारा विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम का का क्रियान्वयन रुक गया है। हरसनी झूला पुल सन् 79 में स्वीकृत हुआ था इस पर साढ़े 6 लाख रुपया खर्च हो चुका है। एक तरफ का स्तम्भ बन गया है और दूसरी तरफ के स्तम्भ का प्लिन्थ बन गया है। अब कहा जा रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम कानून उस पर लागू हो गया है और –078 हेक्टेयर का प्रस्ताव अभी तक इस सरकार ने पास नहीं किया है। हमारे यहां की सारी विकास योजनाएं बन्द पड़ी हैं। लालकुआँ नैनीताल में बिड़ला की पेपर एण्ड पल्प फैक्ट्री को 4 सौ एकड़ जमीन दी गयी और केवल 12 सौ रुपए एकड़ पर दी गयी और 10 हजार पेड़ काटे गये।

श्री अध्यक्ष––

आप संक्षेप में कहें। आप बहुत विस्तार में कह रहे हैं।

श्री कुंवर सिंह नेगी––

यह गम्भीर मसला है और यह कानून हमारे पहाड़ के लिए काला कानून बन गया है। सरकार जानबूझ कर पहाड़ के साथ ऐसा कर रही है। पहाड़ के लोगों के दिलों में यह बात आ गयी है कि यह सरकार वन संरक्षण अधिनियम को लागू करके हमारे विकास कार्यों को रुकवा रही है। यह गम्भीर मसला है और अविलम्बनीय महत्व का है। इससे हमारे पहाड़ का विकास जुड़ा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसको कार्यस्थगन के रुप में स्वीकार करके इस पर चर्चा करायें। यदि आप चर्चा नहीं करायेंगे, तो हम सदन को चलने नहीं देंगे।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट––

वन संरक्षण के बारे में मैंने बार–2 प्रश्न उठाया है। एक तरफ सरकार डंके की चोट पर कहती है कि हम पहाड़ के लिये करोड़ों रुपये दे रहे हैं और पहाड़ का विकास कर रहे हैं। 4 वर्ष हो गये विधायक बने। 80 में आये थे आज तक जितनी योजनायें बिजली की, स्कूल की, हाई स्कूल या इन्टर स्कूल की मंजूर थी, एक पर भी काम नहीं चला, वन संरक्षण अधिनियम की वजह से। मैंने वन मंत्री से कहा इसको हटाइये। हमारे वन मंत्री जी ने यहाँ प्रस्ताव रखा था वन संरक्षण

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिनियम के समर्थन का, तो हमने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रही है, अपना अधिकार केन्द्र सरकार को दे रही है। मैदान में जो जमीन बेनाप की है वह ग्राम समाज के पास है लेकिन पहाड़ में जो जमीन बेनाप की है वह ग्राम समाज के पास नहीं है। पहले भूमि डी0 एम0 को देने का अधिकार था। पहले हम अर्जी दे देते थे वह मंजूर कर देते थे स्कूल आदि के लिए। लेकिन अब यह सारे अधिकार केन्द्र सरकार ने ले लिए हैं और अब उसके कारण पहाड़ों में कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि इस पर चर्चा हो।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाएं।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, रुपया पहाड़ों को दिया जा रहा है लेकिन कोई विकास कार्य नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाएं, समय नहीं है।

श्री बिहारी लाल—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो बात माननीय सदस्य ने कही वह सही है, और जो बात सही है उसका समर्थन हमें निश्चित रूप से करना चाहिये। पर्वतीय क्षेत्र में सारी विकास योजनायें चाहे वह पेयजल योजना हो या सड़क के रख-रखाव की हो, कई अन्य चीजें भी रखी गयी हैं। मान्यवर, पिछले वर्ष मैंने हाउस में प्रश्न किया था यह मेरे क्षेत्र खटीमा की बात नहीं पूरे कुमाऊं मंडल की बात है। पूरे 35 लाख रुपये के पेड़ खटीमा क्षेत्र में काटे गये। जिन असामाजिक तत्वों ने पेड़ काटे हैं आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। मैं मान्यवर, निवेदन करूंगा कि 10 हजार ऐसे लोग बिन्दूखत्ता जिला नैनीताल में बैठे हुए हैं जिन्होंने लाखों रुपये के पेड़ काट दिये और इसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार, श्रीपति मिश्र की सरकार और मंत्रिमंडल के सहयोगियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक फर्लांग सड़क बनी पड़ी है, पेयजल योजना अधूरी रह गई है और सारा निर्माण रुका हुआ है। पर्वतीय क्षेत्र में पानी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की सरकार इस पर विचार करे। बन मंत्री जी बैठे हुए हैं वह कार्यवाही करें कि किन असामाजिक तत्वों ने पेड़ काटे हैं हमारे जिले में, और अभी तक इस पर कार्यवाही नहीं हुई है। इसी के साथ जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जो काम रोको प्रस्ताव है, इसका समर्थन सत्ता पक्ष भी कर रहा है इसको स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष—

यह बहुत हो चुका है, मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं, और यह तो सबका है सारा सदन इसका समर्थन कर रहा है। माननीय बन मंत्री.....

(अनेक सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने की अनुमति माँगने लगे)

समय सबको नहीं दिया जा सकता है कुछ माननीय सदस्यों को समय दे दिया है। इसमें सबका आ तो गया है। वन मंत्री जी बैठ जायें।

(श्री विद्यासागर नौटियाल एवं कुछ अन्य सदस्यों के खड़े होने पर)

आप सब बैठ जायें। यह संभव नहीं है कि सब सदस्यों को सुना जा सके और हर सदस्य एक ही बात कहना चाह रहा है। यह कैसे संभव है, यह कैसे सही होगा कि मैं आपकी तरफ से बुलवाऊं और उधर से न बुलवाऊं ?

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, एक शब्द भी नहीं लिखा जायगा। सबको समय नहीं दिया जा सकता है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

[× × ×]

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी आचार संहिता इस सभा मण्डप के लिये बनायेंगे कि जिसकी वजह से जब आप उठें तो सब लोग बैठ जायं। इधर के लोग उठें तो उधर के लोग बैठ जायं और उधर के लोग उठें तो इधर के सब लोग बैठ जायं। इधर के नेता उठें तो उधर के लोग बैठ जायं। और. . .

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

तो मान्यवर, हमारे यहाँ के जो पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर्स हैं, उनके खिलाफ मुकदमें चलाये जा रहे हैं। सरकार की तरफ से उनके खिलाफ मुकदमें चल रहे हैं और वह रोज काम छोड़कर कोर्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ से करोड़ों रुपया पहाड़ के लिये दिया जाता है और वहाँ जब उस पर अमल होना होता है तो अमल करने वाले अधिकारी के खिलाफ मुकदमें चलाते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री से लेकर मुख्य मंत्री तक कई बार कह चुका हूं। आप जो पैसा दे रहे हैं उस पैसे का सही खर्च तो होने दें। एक पाइप लाइन पड़नी होती है तो इजाजत नहीं मिलती। मैंने कल भी मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया। सभी माननीय सदस्यों की माँग है, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का कि वन संरक्षण अधिनियम पहाड़ के अन्दर जो लागू किया गया है, उसे समाप्त किया जाय। लिहाजा मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में इस सरकार की ओर से अन्तिम निर्णय चाहता हूं।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष जो वन विभाग द्वारा अधिनियम लागू किया गया है, उस पर जो कठिनाई हो रही है, उनको दूर करने के लिये कुछ कहना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि आपके जो विभाग हैं चाहे वन विभाग हो, पी0 डब्लू0 डी0 हो, राजस्व हो या और कोई विभाग हो उनमें आपस में तालमेल नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह जेब से क्या निकाल रहे हैं ?

(हंसी)

श्री शिव नारायण सिंह नेगी—

तो मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि यह जो अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है उस कार्य नहीं हो पा रहा है। यह तभी संभव है, जब सारे विभागों में और यू0 पी0 भारत सरकार में तालमेल हो। देखने में यह आता है कि तालमेल न होने से शास नहीं पहुंच पाता है जिसके कारण विकास कार्य रुका हुआ है। इसी तरह से

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निक

वन अधिनियम भी बन गया है। वहाँ विकास कार्य नहीं होगा तो जनता को परेशानी होगी। इस अधिनियम के कारण वहाँ की जनता को जलाने की लकड़ी नहीं मिल पा रही है। इन तमाम बातों को देखकर आपको यह विचार करना है कि वहाँ की जनता को किस तरह से राहत पहुंचाई जा सकती है। अगर वहाँ राहत नहीं होगी तो जिस तरह से सन 1930–32 में पिकेटिंग हुये थे, वैसे ही वहाँ पर पिकेटिंग शुरू हो जायेंगे, जिसको दबाने के लिये काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। यह सही है कि जंगलों की कटान होने से मैदानी भाग में जो बाढ़ का प्रकोप हो रहा है और उससे पर्यावरण दूषित हो रहा था, उसके लिए यह आवश्यक भी था लेकिन वहाँ की जनता की जो आवश्यकतायें हैं, उनको पूरा करना भी आपका और हमारा कर्त्तव्य बनता है। इस पर विचार किया जाय। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही साथ वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्हें बन-सम्पदा भी दी जाय। विकास के कार्यों जैसे पेयजल की योजना, मार्गों पर बिजली के पोलों, का लगना और छोटी-छोटी पुले आदि के बनने की इजाजत वहां दी जाय। आपके विभागों के बीच जो तालमेल नहीं है, उनमें ताल मेल बिठाने के लिये आप उन्हें आदेश दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

*डाक्टर शिवानन्द नौटियाल––

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम जो विधायक पर्वतीय जन के बीच से आये हुए हैं, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर देना चहता हूं कि पर्वतीय जन वन काटने के खिलाफ नहीं है। जंगलों से मिलन वाले हक-हकूक, जो कि वहाँ के पर्वतीय लोगों को बहुत पहले से मिलता आ रहा था, अब वह इस अधिनियम के आ जाने से उन लोगों को नहीं मिल पा रहा हैं। आज इस अधिनियम को गलत तरीके से जोड़ा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि आज हम जंगल से लकड़ी नहीं ला सकते हैं, आज हम अपन जानवरों को अपनी ही सरहद से चारा नहीं दे सकते हैं, फलस्वरूप आज हर आदमी के खिलाफ वहाँ मुकदमा चल रहा है और वहाँ का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो चुका है। आज जो जंगली जानवर हमारे खेतों में वहाँ आ रहे हैं, और उन्हें हम अपनी सुरक्षा के लिये मारना चाहत है, तो हमें पुरस्कार की जगह पर दण्ड दिया जा रहा है, उल्टा फंसाया जा रहा है।

मान्यवर, विकास के बारे में हमारे माननीय साथी श्री नेगी जी ने तथा अन्य लोगों ने कहा। आज हालत यह है कि यदि एक तरफ पुल बन गया है या सड़क बन गयी है तो दूसरी तरफ एक मीटर, दो मीटर तथा तीन मीटर के कारण पुल या सड़क नहीं बन पायी है।

मान्यवर, यदि एक पेड़ हम काटना चाहते हैं, तो हम 10 पेड़ लगाना भी चाहते हैं। हम आपको सहयोग देना चाहते है हम आपके पर्यावरण की रक्षा में सहयोग देना चाहते हैं। आज इस अधिनियम की वजह से पर्वतीय जन में काफी असंतोष फैल गया है। इसीलिए यह जरूरी है कि एक ऐसा रास्ता निकाला जाय, जिससे संतुलन स्थापित हो सके। पर्यावरण की रक्षा के साथ ही साथ वहाँ के लोगों को जो हक-हकूक पहले से मिलते आ रहे हैं, पूर्ववत् मिलते रहें।

वन एवं पशुधन राज्य मंत्री (श्री संजय सिंह)––

माननीय अध्यक्ष महोदय, भाई नेगी जी ने अपने प्रस्ताव में जो प्रमुख शिकायत की है, वह यह है कि गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया को प्रदेश से कोई भी योजना नहो भेजी जा रही है संबंध में हमारी जो लिस्ट है, उसे मैं पेश करना चाहता हूं। कुल अभी तक, जब से यह ऐक्ट सबका अं, 310 केसेज आये थे। जिसमें से गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने 165 कसज एप्रूव कर दिय (श्री जिस विभाग से वे संबंधित थे, उन्हें इन पर कार्यवाही करने के लिए कह दिया है। रिजक्ट हुए है, उनकी संख्या 12 है। 106 केसेज ऐसे हैं जिन पर गवर्नमेंट आफ इंडिया आप सब लगा रखा है, जिनके जबाव दिये जा रहे हैं, और कई केसेज के दिये जा चुके हैं। 27 एक ही बात कहन जिन पर भारत सरकार का जबाव आना बाकी है, ज्योही उनका जबाव आ जायेगा और उधर से न कार्यवाही की जायेगी।

ग का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री संजय सिंह]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि यदि किसी योजना में कोई आब्जेक्शन लग जाता है, तो उसमें कुछ देर अवश्य लग जाती है। लेकिन जहाँ तक देखा जाय, जिस विभाग से संबंधित योजना है, चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 की हो, बिजली की हो, वाटर सप्लाई की हो, इन सबका हमने एक सेल बनाया है, जो समय समय पर मानिटरिंग करता रहता है कि योजना चल रही है कि नहीं और उसकी रिपोर्ट आ रही है कि नहीं। मान्यवर मैं आपके माध्यम से, माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि किसी भी योजना को बिना किसी कारण के रोकने की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी उतने ही हमदर्द है पर्वतीय क्षेत्र के लिये, जितने आप लोग उनके लिये हमदर्द हैं। यह समस्या उनकी ही नहीं, प्रदेश सरकार की समस्या है। मान्यवर, किसी भी प्रकार के कार्य में कोई ढिलाई नहीं है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, यह कोई संतोषजनक जबाव नहीं है। आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मंत्री जी का उत्तर संतोषजनक नहीं है। मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय न होने दें।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। मैं ने श्री सरदार सिंह को बुला लिया है।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

आप इस पर चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं ने आपकी बात सुन लिया है, माननीय मंत्री जी की बात को भी सुन लिया है। मैं बाद में निर्णय दूंगा।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, एक कमेटी बनवा दें, जो सारे मामलों को देख लें।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठें। इस पर मैं अपना निर्णय दूंगा।

श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी—

मान्यवर, हम पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिये मैं सदन का त्याग कर रहा हूं।

(श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, इस तरह की बातें करके केवल बहाना बनाया जा रहा है। यह पर्वतीय जनता के साथ अन्याय है। लिहाजा मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री विद्या सागर नौटियाल सदन त्याग कर चले गये।)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

माननीय मंत्री जी ने जो यहाँ पर उत्तर दिया है, बहुत ही मीठा भाषण दिया है, परन्तु मान्यवर, वह सत्यता से कोसों दूर है। पर्वतीय जनता के लिये उन्होंने एक प्रकार से चपटु उत्तर दिया है। इसलिय मैं पर्वतीय क्षेत्र के विधायकों के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(डाक्टर शिवानन्द नौटियाल और श्री कुंवर सिंह नेगी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मान्यवर, मैं भी पर्वतीय क्षेत्र के समस्त विधायकों के साथ सदन का त्याग कर रहा हूं।

श्री बिहारी लाल—

समस्त विधायक पर्वतीय क्षेत्र के बाहर नहीं जा रहे हैं। आप ही लोग जा रहे हैं।

(श्री जसवन्त सिंह बिष्ट भी सदन त्याग कर चले गये।)

*श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, कल प्रदेश में कई जगहों पर भारी ओलावृष्टि हुई। जिसमें से प्रदेश के जनपद हमीरपुर, उन्नाव, फैजाबाद, बाराबंकी, बरेली, बाँदा, रामपुर, मथुरा, सहारनपुर आदि जनपदों में भारी नुकसान हुआ है। महोबा में तो मान्यवर, बहुत से व्यक्ति मारे गये और पशु पक्षियों का भारी नुकसान हुआ है, फसलों की बहुत क्षति हुई है। मान्यवर, यह पूरे प्रदेश का मामला है। अतः इसकी गम्भीरता को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर आप चर्चा करा दें।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

माननीय अध्यक्ष जी, पिछली 17–18 तारीख को प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा और दूसरे अधिक ओला गिरने से, जो पकने वाली इस समय की फसलें थीं, रबी की फसल थी विशेषकर तिलहन की फसल जो थी, वह पूरी तरीके से चौपट हो गयी है। मान्यवर, इस ओला वृष्टि और भारी वर्षा से कम से कम प्रदेश के 40 प्रतिशत जनपद प्रभावित हुए हैं। मान्यवर, 3 दिन हो गये अब इस सरकार को निकम्मी न कहा जाय, तो क्या कहा जाय, अभी तक न मुख्य मंत्री महोदय का और न राजस्व मंत्री महोदय का इससे उत्पन्न स्थिति पर किसी प्रकार का कोई वक्तव्य ही आया है। मान्यवर, इससे रबी की फसल चौपट हो गयी है। और इस स्थिति से, जहाँ जहाँ पर भी यह ओलावृष्टि और भयंकर वर्षा हुई है, वहाँ का किसान परेशान है और विशेषकर खेतिहर मजदूर, जिसको कि प्रतिदिन काम मिलता है, प्रतिदिन की आय से जिसकी रोजी रोटी चलती है, आज वह वर्ग रोटी का मोहताज हो गया है और चौराहे पर आ गया है। मान्यवर, झांसी जनपद के चिरगाँव ब्लाक, बड़ागाँव ब्लाक और मोठ और मुरानीपुर ब्लाक में, ललितपुर के मरोनी और बार ब्लाकों में, हमीरपुर जनपद के बमरोवा, समेरपुर और पुरारा ब्लाकों में यह विनाश लीला प्रकृति की हुई है। इसी प्रकार से बाँदा जनपद के 4 ब्लाकों—कमासिन, बबेर, तिदंवारी और जसपुरा में यह घटित हुआ है। मान्यवर, बुन्देलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उस पिछड़े क्षेत्र में पिछले 4 वर्षों से इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं आ रही हैं। वहां पर इस का विकास शून्य है। इस विपदा के पश्चात भी इतनी हृदयहीन सरकार है। मैंने राजस्व मंत्री को जानकारी दी। जब उन्होंने इस जानकारी पर कोई कार्यवाही नहीं की तब मुझे आज कार्य स्थगन का प्रस्ताव आपके सम्मुख रखना पड़ा। मैंने इस सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत भी सूचना दी है। इस प्रकार की विपदा होते हुए भी पिछड़े क्षेत्र में सरकार की राजस्व की वसूली इतनी तेजी के साथ हो रही है कि घरों के अन्दर घुसकर सामान को निकाला जाता है और नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। मैं मांग करता हूं कि सदन में इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री बल्देव सिंह आर्य)—

मान्यवर, इसकी सूचना पहले से मुझे नहीं है, इसलिये अगर समय दें तो तैयार होकर आऊंगा।

(श्री सत्यपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री शंकर सिंह—

मान्यवर, मुझे बोलने का अवसर दें।

अध्यक्ष—

आप बैठ जाइए, अभी मैंने माननीय सत्यपाल सिंह को बुला लिया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री सत्यपाल सिंह---

मैंने जो कार्यस्थगन दिया है, वह इसलिये दिया है कि शाहजहांपुर के अन्दर पिछले दिनों में दो हजार से ज्यादा मौतें मलेरिया की बीमारी के कारण हो गयीं। इनसे केवल शाहजहांपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान में चर्चा हुई कि यह कौन सी बीमारी थी। हमारे शाहजहांपुर में विकास खण्ड निगोही है, वहां एक दिरासिन गांव है, उसकी आबादी 400 लोगों की थी, 400 में 250 आदमी एक महीने के अन्दर काल के गाल में समा गये। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य मंत्री और केन्द्रीय कमेटियां आयी थीं, उन्होंने अवलोकन किया। वहां के मुख्य चिकित्साधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया, बहुत से डाक्टर निलम्बित कर दिये, दो हजार से ज्यादा लोग मरे हैं। 15 लाख की आबादी शाहजहांपुर की है, वहां पर दो-ढाई हजार आदमी बुरी तरह से बीमार हुए। अब जाड़े की शुरुआत हुई, बीमारी पर कन्ट्रोल हुआ लेकिन इस सरकार ने कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया कि जिससे जानकारी हो पाती कि इसका कारण क्या था, और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। जो भी परिवार इस बीमारी से प्रभावित हुए, उनके लिये राहत कार्य नहीं किया गया और न ही कोई सर्वेक्षण किया गया।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप एक बात बतायेंगे कि यह घटना कब की है ?

श्री सत्यपाल सिंह---

यह सदन जब प्रारम्भ हुआ है तो हमारे लिये प्रथम अवसर है जब इस घटना को आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। घटना के समय सदन नहीं चल रहा था। आज भी लोग बीमार हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि लोकमहत्व की इस सूचना पर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष जी, इस मामले को रखने का हमें अब मौका मिला है, इसलिये अब आपके समक्ष रख रहा हूं।

श्री शंकर सिंह---

मान्यवर, आज सम्पूर्ण प्रदेश में.....

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, शाहजहांपुर से संबंधित मामला माननीय सदस्य सत्यपाल सिंह जी सदन में ला चुके हैं, इसलिये अब मैं इसकी आवश्यकता नहीं समझता, आप कृपया बैठें।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, अब मैं जनपद शाहजहांपुर के संबंध में कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूं, मैं मान्यवर, पूरे प्रदेश के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री शंकर सिंह---

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं और यह जो आप कह रहे हैं, वह लांछन है। कोई शब्द लिखा नहीं जायेगा।

श्री शंकर सिंह---

[× × ×]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट---[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष--

कोई शब्द लिखा नहीं जायेगा। काम नियमों के अनसार ही होगा, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठिये।

श्री शंकर सिंह-

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

कोई शब्द लिखा नहीं जायेगा। आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, कृपया बैठ जाएं।

श्री शंकर सिंह--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

श्री शंकर सिंह जी आप कृपया बैठिए, आप कृपया बैठ जाएं, बैठ जाएं, जो निर्णय दे दिया, वह ठीक है। माननीय गोपीनाथ वर्मा को मैंने बुला लिया है, इसलिये आप कृपया बैठ जाएं। जब माननीय सदस्य बिना आज्ञा के बोलेंगे तो सदन का कार्य किस प्रकार से चलेगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा--

मान्यवर, मैं कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जेल कर्मचारियों द्वारा जेल बन्दियों के साथ किये जा रहे उत्पीड़न के संबंध में मान्यवर, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदेश की जेलों में बन्दियों को जिसमें आम तौर पर पिछड़ी, हरिजन अल्प संख्यक जातियों को जहर खिला करके हत्या की जा रही है। अभी 18 जनवरी, 84 को लखनऊ जेल में राजाराम जो हरिजन था उसको खाने में जहर खिला कर उसे मार डाला गया। हमीरपुर में इसी तरह से 6 लोगों की हत्या कर दी गयी। इन हत्या की घटनाओं से पूरे प्रदेश में असन्तोष व्याप्त है। सरकार द्वारा जेल के अधिकारियों को दण्डित किये जाने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये। प्रदेश में जेल बन्दियों के साथ उक्त वारदात की गयी है। मैं सदन में मांग करता हूं कि सदन में इस पर चर्चा की जाय।

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, बहुत सी चीजें हैं जो आपके सामने रखना हैं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री मसरुर जाफरी--

मान्यवर, आप सुन तो लें।

श्री अध्यक्ष--

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं।

श्री मसरुर जाफरी--

[× × ×

श्री अध्यक्ष--

आपका कोई शब्द लिखा नहीं जायेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, श्री गोपीनाथ वर्मा जी ने और श्री मसरुर जाफरी ने जो बातें कहते और जिसे कार्य स्थगन के लिये उपस्थित किया है कि जेलों में कैदियों को जहर दिया जा रहा है, यह बात बिलकुल सत्य से परे हैं? कोई निश्चित जानकारी हो तो दो-एक बतायें। कहीं भी कभी रेस्टोरेन्ट में

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री अम्मार रिजवी—]
में खाने से फूड प्वाइजनिंग हो सकती है। तन्दुरुस्त आदमी भी कभी कभी घर का ही खाना खा के कर बीमार हो जाता है, उसकी तबियत खराब हो जाती है, इसलिये इसमें कोई साजिश की बात नहीं है जो उदाहरण उन्होंने दिया है उसकी जांच करा ली जायेगी और भी जानकारी यदि वे देंगे उसकी भी जांच करा लेंगे, परन्तु इससे कार्य स्थगन का प्रस्ताव बनता है, यह किसी प्रकार से सत्य नहीं है।

श्री मसरूर जाफरी—
मान्यवर.....

श्री अध्यक्ष—
आप बैठिये।

श्री मसरूर जाफरी—
उन्होंने निश्चित जानकारी माँगी है, आप सुन तो लीजिये।

श्री अध्यक्ष—
आप बैठिये। जानकारी उनको दे दीजियेगा।

*श्री मसरूर जाफरी—
मान्यवर, हमीरपुर में रऊफ क. और लखनऊ में राजाराम की मौतें कैसे हुई। बाँदा जेल से बन्दियों से डाका डलवाते, वहाँ के डी0 आई0 जी0 जेल ने वहाँ से रिवाल्वर बरामद किये है। राजा राम हरिजन की 18 जनवरी, 1984 को हत्या साजिश करके की गयी। उस साजिश को मान्यवर, आप सुन लें। 18 तारीख की सुबह को उसे दलिया में जहर मिलाकर खिलाया गया था जबकि वह रोज जेल अधीक्षक को प्रणाम करता था। वह तन्दुरुस्त आदमी था पहलवान टाईप का, उससे जेल अधीक्षक को बड़ी तकलीफ थी। वह अनपढ़ था। जेल अधीक्षक ने उसकी तरफ से एक चिठ्ठी लिखवायी उसके घर वालों को कि वे उससे आकर 18 तारीख को मिलें। घर वाले चिट्ठी पाकर सोच में पड़ गये कि वह तो अंगूठा लगाने वाला अनपढ़ आदमी है, चिठ्ठी में दस्तखत उसने कैसे किये। और, घर वाले चिठ्ठी पाकर आ गये और अपने साथ कुछ खाने का सामान भी लाये थे। लेकिन यहाँ सुबह ही जेल अधीक्षक ने उसे दलिया में जहर दे दिया। दलिया खाते ही उसे कपकपी आयी और वह पेशाब करने गया और वहीं पर गिर पड़ा और चिल्लाता रहा। परन्तु कोई डाक्टर नहीं आया और जेल अधीक्षक भी घण्टों तक नहीं आये। इसी तरह की घटना हमीरपुर में रऊफ के साथ हुई जो कि बेचारा 25 साल का लड़का था जिसकी फोटो मेरे पास है।

(बच्चे की फोटो को सदन में दिखाया)

मेरा माननीय मंत्री जी से कहना है कि माननीय सदस्यों की एक समिति भेज दें और जाँच करा लें उ के बाद सही हो तो जेल मंत्री इस्तीफा दें और यह भ्रष्ट सरकार इस्तीफा दे। यह बात अच्छी नहीं है। यह सरकार हरिजनों का नारा देती है, पिछड़ी जातियों का नारा देती है मुसलमानों से वोट लेने के लिये नारा देती है। यह मान्यवर, अच्छी बात नहीं है।

*श्री श्याम नारायण तिवारी—
मान्यवर, हजारों परिवार और लाखों लोगों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। यह लोग मान्यवर, टाँगिया मजदूर और जंगलों में काम करने वाले ठूंठ लिपिक जिनको हमारे समाज में गिरी हुई स्थिति है। उत्तर प्रदेश के वनों को लगाना, उनको तैयार करना उनका मुख्य काम है। इससे राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है, आज वे उजाड़े जा रहे हैं। जंगल विभाग के अधिकारी उन पर जुल्म कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उनको जल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भेज रहे हैं। वह लोग मजबूर हो रहे हैं। जंगल विभाग के अधिकारी उनसे एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कराते हैं, इसको मैं आपके पास दे दूंगा। टाँगिया मजदूरों से उस एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर कराने की बात की जा रही है, यह निहायत अपमान जनक एग्रीमेन्ट है। इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं जिस पर हस्ताक्षर करने से उनकी स्थिति बन्धुआ मजदूरों की तरह से हो जायगी। वह उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं इस कारण उनको जो सुविधायें मिली हुयी हैं, जो जमीन के टुकड़े मिले हुये हैं, उनको इन लोगों ने रोक दिया है। जो जंगल की लकड़ी इनको मिलती है उसको रोक दिया है। टाँगिया लोग अधिकतर गोरखपुर डिवीजन में रहते हैं। अचलगढ़, खोरनपुर, सोपपा, कनमियार गंज, तिनकुनिया आदि जगह के लोगों को पकड़ कर जेलों में भेज दिया गया है उनको पकड़कर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। इस कारण वन नहीं लग रहे हैं और वनों का विनाश हो रहा है। जो टाँगिया लोग हैं वह सत्य का आग्रह कर रहे हैं। वह जंगल लगाने को तैयार नहीं हैं। यह लोग जंगलों में रहने के लिये मजबूर हैं इनके लिए दूसरी जगह नहीं है।

इनके कुछ प्रतिनिधि, लखनऊ में आये हैं और दो दिन से अनशन पर हैं। कल माननीय वन मंत्री जी से बात करने के लिये समय निश्चित हुआ था परन्तु पता नहीं किन कारणों से बात नहीं हो पायी। हो सकता है आज समय मिल जाय और उनकी बात माननीय मंत्री जी से हो जाय। लाखों लोग हैं जो सत्य का आग्रह कर रहे हैं जो एग्रीमेंट है उस पर वह हस्ताक्षर नहीं करना चाहते हैं। कोई सम्मानजनक शर्तें अगर सरकार रखे तो उनको वह मानने के लिये तैयार हैं। उनके रहने के लिये मकान नहीं है, जमीन नहीं है। सरकार को इस बारे में कोई उपाय निकालना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह बड़ा ही गम्भीर मामला है, उनके प्रतिनिधि अनशन पर हैं और सत्य का आग्रह कर रहे हैं। बहुत से लोग जेल पहुंच गये हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इसको हल करने का कोई रास्ता निकाले। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आये हुए हैं। माननीय मंत्री जी को आप निर्देशित करें कि समय देकर उनसे बातचीत करें और इस मसले को हल करें।

श्री संजय सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से हमारे साथी माननीय तिवारी जी ने जो शिकायत की है कि जो टाँगिया मजदूर गोरखपुर में हैं, उनसे एक एग्रीमेंट भराया जा रहा है। मान्यवर, कुल 4802 टाँगियां मजदूर वहाँ पर हैं जिसमें से 2287 मजदूरों ने एग्रीमेंट भर दिया है, और 2515 लोग उसको नहीं भर रहे हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग वे हैं जिनको कि प्लांटेशन के लिये जमीन दी गई थी और जिनके मन में कोई दूसरी धारणा है कि वह किसी तरह से उस जमीन में कब्जा कर लें। इसलिये विभाग की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वे एग्रीमेंट भर दें.....

(श्री श्याम नारायण तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

बाद में पूछ लीजियेगा।

श्री संजय सिंह—

इसके अतिरिक्त जो शिकायत आपने की है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं स्वयं मान्यवर, वहाँ गया हूं। उनके लिये आवासी व्यवस्था का मैंने उद्घाटन किया है, पीने के पानी तथा रहने आदि की व्यवस्था वन विभाग कर रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जिस डीड की बात कर रहे हैं कि वह गड़बड़ है, मैं इसको दिखवा लूंगा अगर इसमें कोई सुधार हो सकता है, जो जेन्यूइन बात होगी, वह कर दिया जायेगा। लेकिन जहाँ तक एग्रीमेंट की बात है उसे बिना भराये कुछ नहीं कहा जा सकता। सब के मन में अच्छाई हो, ऐसे सब लोग नहीं हैं। जहाँ तक असुविधा की बात कही गई है, मैं इसको दिखवा लूंगा और जो हो सकेगा वह सुविधा उन्हें प्रदान की जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि आप माननीय तिवारी जी तथा जो अन्य लोग आये हैं उन्हें अपने कक्ष में बुला लें और उनसे डिटेल में पूरी स्थिति सुन लें ताकि समस्या का निवारण हो सके।

श्री संजय सिंह—

मान्यवर, आपके आदेश का पालन करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई थीं उन्हें मैंने अस्वीकार किया है। माननीय कुंवर सिंह नेगी तथा अन्य लोगों की सूचना के बारे में मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। माननीय सरदार सिंह की सूचना, जो कि ओलावृष्टि के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिय स्वीकार किया है। श्री शंकर सिंह और श्री सत्यपाल सिंह की सूचना को मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये उसके पास भेज दिया है। माननीय गोपीनाथ वर्मा, मसरूर जाफरी, मोहम्मद आजम खां तथा माननीय मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ की सूचना को मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिये और जाँच के लिये भेज दिया है।

(व्यवधान)

श्री राजन्द्र अग्निहोत्री—

वक्तव्य की तिथि बता दें ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, इस पर वक्तव्य कब होगा ?

(व्यवधान)

माननीय राजस्व मंत्री जी, आप इसको पुनः देख लें। जहाँ इस बात की आवश्यकता हो कि जल्दी ही राहत मिले, जहाँ ओला वृष्टि हुई है, उस पर क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है, उसके अनुसार आप कार्यवाही करने की कृपा करें।

श्री रामस्वरूप निम—

मान्यवर, यह सोयी हुई सरकार है।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न सारे सूबे से सम्बन्धित नहीं है माननीय निम साहब, आप अपनी सूचना पर अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न कर लें और लिख कर दे दें।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो प्रश्न किया गया है उसकी एक प्रति मुझे दे दी गई होती तो मैं उस पर तैयार होकर आता और उनके प्रश्नों का उत्तर दे देता। लेकिन मुझे पहले इनकी सूचना नहीं मिली, इसलिये क्षमा चाहता हूं, कह नहीं सकता।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

मेरा भी मान्यवर, नियम 56 में एक प्रश्न था हजारों लोग उजड़ रहे हैं.....

श्री अध्यक्ष—

5—5 और 6—6 माननीय सदस्य बोल चुके हैं और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ गया है, उसके बाद कौन सी बात रह जाती है ? अगर आपकी कोई बात रह जाती है यदि निराकरण नहीं हो पाया है, तो लिख कर भेज दीजिये माननीय वन मंत्री को, उसके अनुसार वह कार्यवाही करेंगे।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

इस पर कार्य स्थगित कर चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

जब नेता सदन और नेता विरोधी दल खड़े हों तो माननीय सदस्यों को बैठ जाना चाहिये। यह यहां की प्रथा रही है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, कल में ग्रामीण विकास और हरिजन उत्थान के बारे में बोल रहा था। हरिजनों का उत्थान करने मे यह कितनें कारगर हो रहे हैं या कितना ध्यान दे रहे हैं, उसके संबंध में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप पौन घंटा करीब बोलेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

हरिजन उत्थान में कितनी सफलता मिल रही है उसमें जो आंकड़े शासन की तरफ से दिये जा रहे हैं वह कितने सत्य हैं और कितने असत्य हैं, उस पर दो तीन आंकड़े और दूंगा। माननीय मंत्री जी के जनपद सीतापुर के कसमंडा ब्लाक में कमलापुर गांव में एक फर्जी हरिजन बस्ती का निर्माण दिखाया गया। वहां के जिलाधिकारी ने 21-1-84 को निरीक्षण किया लेकिन वहां पर कोई भी बस्ती नहीं थी।

(इस समय 2 बजकर 1 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

इसी तरह हरिजनों को पट्टे देने की बात है झांसी में मऊरानीपुर ब्लाक में निमली गांव में 17 हरिजनों के नाम पट्टे किये गये, उनमे से 13 ऐसे व्यक्ति हैं जो इस दुनियां में नहीं हैं। यहां फर्जी पट्टे दिखा दिये गये। तो मैंने कल भी कहा था कि यदि आपकी नीति और नियत साफ है तो सदन की एक कमेटी बना दीजिये।

श्री ऊदल--

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल यह जो सुना रहे हैं कोई सुनने वाला नहीं है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, वह सुन रहे हैं।

श्री शंकर सिंह--

माननीय मुख्य मंत्री जी को यहां रहना चाहिये। माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे हैं।

श्री ऊदल--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जब जनरल बजट या महामहिम राज्यपाल के संबोधन पर चर्चा चल रही हो, तो ज्यादा से ज्यादा और विभागों के कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को यहां पर रहना चाहिये, हालांकि अन्य को छूट है लेकिन कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को रहना चाहिये। मान्यवर, इस सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहिये, शिष्टाचार बरतना चाहिये और ज्यादा से ज्यादा कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को रहना चाहिये। शिष्टाचार का तकाजा है कि जब नेता विरोधी दल बोल रहे हों तो सदन के नेता जो हैं उनको रहना अतिआवश्यक है। नेता सदन भी आज गैरहाजिर हैं। इसलिये मैंने टोका कि माननीय नेता विरोधी दल किसको सुना रहे हैं। यह ऐसे लोग हैं "मूंदहु आंख सुनहु कुछ नाहीं"।

श्री भृगुनाथ चतुर्वेदी--

मान्यवर, इसके साथ यह जोड़ दें कि जब नेता विरोधी दल बोलते हैं तो विरोधी दल के कम से कम 10 सदस्य तो हाजिर रहें।

---

†दिनांक 21 फरवरी, 1984 की कार्यवाही से।

श्री अधिष्ठाता—

यहां प्रश्न परम्परा का नहीं है। जब कैबिनेट मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री मौजूद हैं, इसलिये व्यवस्था का यह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, क्योंकि आपका निर्देश हुआ है कि मैं बोलूं, लेकिन परम्परा तोड़ने के यह आदी हैं, इसलिये ऊदल जी से निवेदन करूंगा कि गम खाना सहन करें, इन्हें तो परम्परा तोड़ना है। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि क्योंकि ऐसी संभावना बढ़ती जा रही है कि माननीय श्रीपति मिश्र कहीं उत्तर प्रदेश के अंतुले न बन जायं, इसलिये अंत में जब मैं कुछ कहूं तो वह हाजिर हो जायं।

मान्यवर, मैंने कहा कि सत्ता पक्ष के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने जो सदन के अन्दर हैं उन्होंने भी हरिजनों को आवंटित की हुई भूमि जबरदस्ती कब्जे में कर रखी है। आप कहेंगे कि मिसाल दें तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि तब उन चीजों को हटा दिया जायेगा। मैं तैयार हूं इस बात के लिये और जिम्मेदारी लेने के लिये कि सदन की उसी सत्ता पक्ष की एक कमेटी हरिजन भाइयों की बना दें, मैं उनको उस स्थान पर ले जाऊंगा जहां पर सत्ता पक्ष के बड़े लोगों ने जो फ्रंट सीट पर बैठते हैं, हरिजनों की भूमि पर कब्जा कर रखा है, कागज के अन्दर उनको पट्टे मिले हैं और आज उनके कब्जे में है।

मान्यवर, एक बात मैं और कहूंगा कि आज ही तारांकित प्रश्न सं0 8 आया था, लेकिन श्री मोहन सिंह उपस्थित नहीं थे, इसलिये पास हो गया, जिसको श्री सुरेन्द्र बाजपेयी एडवोकेट ने जांच के संबंध में उठाया था कि कानपुर के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी, श्री हरिश्चन्द्र कटियार तथा कु0 रामकली कन्नौजिया द्वारा की गयी भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतें की गयी हैं। दो बार शिकायतें की गयीं, तो हरिजन की विजीलेन्स सेल ने इंक्वायरी पहले किया और 10-2-83 को रिपोर्ट दिया। विजीलेन्स सेल विभाग ने रिपोर्ट में लिखा कि हरिजन के नाम पर उस अमुक विद्यालय के अन्दर छात्रावास के अन्दर, जो वहां का अधीक्षक है वह हरिजनों के नाम पर ठाकुर के बच्चों का रिइम्बर्समेंट ले रहा है। लेकिन वह पहुंच का आदमी था इसलिये शासन स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। दूसरे उन्होंने कहा कि संपरीक्षण होना चाहिये, तो वरिष्ठ संपरीक्षक ने 10—7—83 को रिपोर्ट दिया और अंत में दोनों ही अधिकारियों एवं संबंधित सहयोगियों के अविलम्ब स्थानान्तरण के लिये कहा क्योंकि चीजें सत्य पायी गयीं हैं और उनके खिलाफ गबन के चार्जेज सही पाये गये हैं। लेकिन स्थानान्तरण एक का हुआ किन्तु वह पहुंच का आदमी था इसलिये 21—5—83 को स्थानान्तरण रुक गया। शर्म की बात है कि कुमारी रामकली कन्नौजिया को सस्पेंड करने के बजाय उसका प्रोमोशन कर दिया गया जिसने कि गबन और धन का अपव्यय किया। श्री हरिश्चन्द्र कटियार का ट्रांसफर इटावा को 8—9—83 को किया गया है।

अब मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 20-सूत्री कार्यक्रम में जिलास्तरीय और ब्लाक स्तर पर कुछ कमेटी बनी हैं। आपको अधिकार है कि नामिनेशन जब आप लेते है तो किसी को नामिनेट कर सकते हैं। कुछ जिलों में अपने नाम से नामिनेशन किया है चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हों और चाहे आपके जिले के और कांग्रेस के अधिकारी हों। कुछ हद तक यह ठीक है, आपको विश्वास है उन पर और आपने उन्हें किया है, लेकिन एक पत्र डा0 जे0 पी0 सिंह, सचिव का अभी गया है 10—2—84 को, उसमें जो आपने कमेटी बनाई थी, उसमें लिखा है ब्लाक कांग्रेस (आई0) कमेटी अध्यक्ष। तो मैं समझता हूं कि यह गलत परम्परा है, आप उन्हें बाई डेजिग्नेशन न कर, बाई नेम करें। नहीं तो आप एक बहुत ही गलत परम्परा डालेंगे। आप गलत परम्परा न डालें, इसके लिये मैं आपको सुझाव दूं, यह मेरा कर्तव्य है और इसीलिये यह सुझाव मैंने आपको दिया है।

अब मैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर आता हूं, उसका उद्देश्य है गरीबों, पिछड़े लोगों और गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न आदि उपलब्ध कराने का। लेकिन अभी एक कमेटी हुई थी, जो केन्द्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री की अध्यक्षता में नवम्बर, 83 में हुई थी। उसमें हमारे प्रदेश के खाद्य मंत्री भी गये थे, वहां शुरू में उन्होंने अच्छी बात कही---जैसे ज्यादा दुकानें खुलनी चाहिये, दो हजार की आबादी पर एक दुकान होनी चाहिये और ज्यादा प्रकार का सामान उनके द्वारा वितरित किया जाय। लेकिन इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है, जो हमें बराबर देखने को मिलता है। सरकार कहती है कि हम इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना चाहते हैं, लेकिन जितना खाद्यान्न का उत्पादन होता है, उसका सिर्फ साढ़े 12 परसेंट यह प्रोक्योर करते हैं। गेहूं 50 फीसदी और धान 30 फीसदी और बाकी यह प्राइवेट व्यापारियों को खरीदने के लिये छोड़ देते हैं। तो जब हम यह साढ़े 12 प्रतिशत ही खरीदेंगे तो यह बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इनका केवल सप्लीमेंटरी रोल हो सकता है, नियंत्रण करने का रोल नहीं हो सकता है। बाजार की कीमतों को यह थोड़ा इससे प्रभावित कर सकते हैं, कन्ट्रोल नहीं कर सकते हैं और यह इनकी नीयत भी नहीं है।

इसके मैं दो उदाहरण दूंगा—कल बरार साहब ने कहा है कि इनके सामने चीनी के उत्पादन की बहुत समस्या है। ठीक है चीनी का इतना उत्पादन हुआ, लेकिन इसके बावजूद आज बाजार में चीनी के दाम नहीं गिराना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि आप लेवी चीनी और फ्री चीनी, इसके वितरण की आप दो प्रणाली रखे हुये हैं। लेवी की चीनी रिलीज करने से पहले भारत सरकार यह देखती है कि इन दोनों की स्थिति क्या है और बाजार में चीनी की कीमतें न गिरने पायें क्योंकि इनका उद्देश्य यह है कि जो चीनी उत्पादित करता है उसको किसी भी हालत में नुकसान न होने पावे। शासन की यह नीयत नहीं है कि उपभोक्ता को कम मूल्य पर चीनी बाजार में मिले। यह समझते हैं कि अगर बाजार में चीनी का मूल्य गिर जाएगा तो चीनी मिल मालिकों को नुकसान होगा और उनको मार्जिन आफ प्राफिट कम होगा।

अब एक दूसरी बात मैं मिट्टी के तेल के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले सत्र में ऊर्जा मंत्री ने यह कहा था कि हम इसके लिये दो तरह का सिस्टम कर रहे हैं---एक कन्ट्रोल प्राईज और दूसरा फ्री प्राईज। दोनों का दाम अलग होगा और कन्ट्रोल का प्राईज कम होगा, लेकिन यह नीति अपनी पूरी नहीं कर पाये कि यह गरीब उपभोक्ता को कम दाम पर मिट्टी का तेल उपलब्ध कराना चाहते हैं। लेकिन 3 सप्ताह के अन्दर ही वित्त मंत्री ने यह कहा कि यह दो तरह की प्रणाली सम्भव नहीं है। इसमें प्रशासनिक कठिनाई आयेगी। तो मिट्टी का तेल भी यह सरकार गरीबों को कम कीमत पर उपलब्ध नहीं करा रही है। मैं माननीय भगवत झा आजाद ने जो कहा है उसकी कछ पंक्तियां सुनाना चाहता हूं---

"दि स्कोप ऐंड स्केल आफ अवर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नाट टु इश्यू राशन्स, दैट टू एट सबसीडाइज्ड रेट्स टू क्लीयरली डीमार्केट वीकर सेक्शन्स आफ सोसायटी बट टू हैल्प स्टैब्लाइज सप्लाईड एण्ड प्राइसेस आफ सम कमोडिटीज फार आल कन्ज्यूमर्स विथ एडीक्वेट पर-चेजिंग पावर टू बी इफेक्टिव इन दि ओपन मार्केट।"

यह जो माननीय खाद्य मंत्री ने कहा है उसका मतलब यह है कि उनकी मंशा राशन सप्लायी करने की नहीं है। फिर जो आदमी आज गाँवों से शहरों में आता है मजदूरी करने के लिये, उसके लिये क्या व्यवस्था है। मलिन बस्तियों में रहने वालों के लिये क्या व्यवस्था है? जो लोग शहरों में रहते हैं उनको ही कन्ट्रोल प्राइस पर राशन दिये जाने की व्यवस्था की जाती है। मलिन बस्तियों में रहने वाले, नगरों के पुनर्वासित श्रमिक तथा गाँवों के भूमिहीन मजदूर आपकी इस योजना से कोई लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

अब मैं शिक्षा पर आना चाहता हूं। माध्यमिक शिक्षक संघ की हड़ताल चली, वह समाप्त हो गयी, ठीक है। माननीय पंचानन राय जी की एक पुस्तक निकलती है उसमें 20 मार्च,

[श्री राजेन्द्र सिंह]

1983 को शिक्षा का राष्ट्रीयकरण एवं भावी कार्यक्रम के बारे में उन्होंने लिखा है—"वेतन समानता के लक्ष्य को पार करने के बाद नवीन पुनरीक्षित सत्रह वर्षीय वेतनमान तथा उससे सम्बद्ध सोलह वर्ष की सेवा पर चयन वेतनमान की विशिष्ट उपलब्धियों के वर्ष में व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को समूल नष्ट करने के लक्ष्य की अन्तिम मंजिल पर हम पहुंच रहे हैं।" इनको शासन की तरफ से सभी सहूलियतें मिलीं, चाहे वे इनके पेंशन की हों, चाहे वेतन की हों, चाहे प्रोमोशन की हों, सभी चीजें राजकीय कर्मचारियों के समकक्ष मिल रही हैं। इनसे आशा यह की जाती है कि यह भावी पीढ़ी को प्रशिक्षित करेंगे, लेकिन माध्यमिक शिक्षक संघ के उद्देश्यों को मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं वे इस प्रकार हैं:—

(1) शिक्षा को देश के बहुमुखी विकास का साधन बनाने का प्रयास करना।

(2) राष्ट्रीय एवं संचालित शिक्षा व्यवस्था को विकसित करना।

(3) समाजवाद, धर्म निरपेक्षता तथा जनतंत्र के राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था के निर्माण हेतु प्रयास करना।

(4) शिक्षकों में एकता की भावना का प्रसार करना।

(5) सदस्यों एवं जनता में उन शिक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों, प्रयोगों तथा अनुसंधानों का प्रचार करना जिससे समाज का हित हो।

(6) शिक्षकों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा करना।

(7) संघ के दिवंगत तथा उपर्जनाक्षप सदस्यों के संकटापन्न परिवारों की सहायता करना।

(8) सामान्य हित के सभी कार्यों में देश तथा विदेश के अन्य शिक्षक संघों के सहयोग से कार्य करना।

(9) राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक एकता के संरक्षण में योगदान।

(10) शैक्षिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयनों में शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा शिक्षा क्षेत्र से व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को समाप्त कर शिक्षा की राष्ट्रीय व्यवस्था के की स्थापना के लिये प्रयास करना।

मान्यवर, जिस भावी पीढ़ी को शिक्षा देने का दायित्व इनके ऊपर शासन ने, देश ने छोड़ रखा है उनके लिये इन्होंने कोई उद्देश्य नहीं रखा है। मैंने इसको पूरा पढ़ा है माध्यमिक शिक्षक संघ का कोई उद्देश्य देश की भावी पीढ़ी के बौद्धिक विकास के लिये नहीं है। यह वह पीढ़ी है जो आगे आने वाले दिनों में देश का भार अपने कंधों पर उठायेगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरा नियंत्रण इनके पास है। माध्यमिक शिक्षा परिषद में इनके 22 सदस्य जाते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी माध्यमिक शिक्षा परिषद की कार्यवाही मंगा लीजियेगा। कमेटी में 50-55 आदमी होते हैं, अधिकारी होते है लेकिन उस बैठक में अधिकारी नहीं आते हैं, जिस तरह का दुर्व्यवहार उनके साथ वहाँ होता है। परचे बनाने का काम इनके पास है, पेपर सेट करने का काम इनके पास है, निरीक्षण इनके पास है। फेल करने या पास करना सब कुछ इनके पास है। पिछले साल की जो परीक्षायें हुयीं तो रेड हैंडेड, जो पकड़े गये 1000 लोग "क" श्रेणी में हैं। शिक्षा मंत्री जी जानते हैं कि "क" श्रेणी, जो मौके पाकर नकल करते पकड़े जाते हैं वह "क" श्रेणी में आते हैं। यह रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता। चूंकि कमेटी में इनके ही लोग भेजे हैं इसलिये मेरा चार्ज है कि पैसा लेकर, प्रलोभन के आधार पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। तो मेरा कहना है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि पूरी शिक्षा का नियंत्रण इन के पास हो जाय। इनके पास पढ़ाने का नियंत्रण है, पेपर सेट करने का नियंत्रण है, ये पास करेंगे, सब कुछ इनके पास है लेकिन इनका कोई उद्देश्य देश की भावी पीढ़ी को बनाने का नहीं है।

मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। इसमें एक सदस्य हैं श्री भगवान बख्श सिंह। वह उत्तर प्रदेश की कांग्रेस (आई) के सदस्य हैं और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य हैं। पिछले साल इन्होंने एक लेटर लिखा सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद को 31 मई को 1, 13, 14 जून को रिजल्ट निकलना था, और 31 मई को व्यक्तिगत पत्र लिखा कि फलाँ शिक्षा संस्थान के बच्चों ने नकल

किया है ऐसी मुझे सूचना है। कोई मि0 चन्द्र सेन अग्रवाल थे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 15-6-83 को सचिव ने कहा पूर्ण टीप दी जाय, टीप अधूरी एवं अस्पष्ट है। उसके बावजूद भी आदेश हो जाता है कि फलाँ-फलाँ बच्चों का रिजल्ट रोक लिया जाय। चूंकि वह हाई हैटेड है, पूरा अधिकार है इसलिये ऐसा कर दिया गया। डाग इन द मैंजर, ऐसा न करें। यह संस्था इस तरह का खिलवाड़ न कर सके इस तरफ आप कदम उठायें। उन्होंने हड़ताल वापस ले ली है, अच्छी बात है, स्वागत है। लेकिन उन्होंने एक धमकी दी है कि बोर्ड के इम्तहान में मदद नहीं करेंगे। तो एक विषय जो भावी पीढ़ी से संबंधित है उसके लिये आपको तय करना है। आपने नियंत्रण करने का प्रयास किया है लेकिन आपके जो निर्णय हों उनको दृढ़ता से कार्यान्वित करने का प्रयास कीजिये वरना भावी पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान, इस देश और प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान, माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा हो रहा है। मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहूंगा। काल्विन कालेज इस प्रदेश की मानी हुयी संस्था है, उसका रिजल्ट बहुत ऊंचा रहता था। इन लोगों के कदम उसमें चले गये जिसका कारण है कि प्रदेश की सबसे खराब संस्था वह हो गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि इस पर आपको विचार करना चाहिये।

मान्यवर, फिर मैं ऊर्जा पर आऊंगा। ऊर्जा हमारे लिए अति आवश्यक है। लेकिन जिस तरह से ऊर्जा का काम हो रहा है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी जिम्मेदार हैं। पनकी में दो बार आग लगी, हरदुआगंज, मुरादनगर और फर्रुखाबाद में आग लगी। 30 अक्टूबर, 1983 को आग लगी और भयंकर आग लगी। ओबरा में जो वहां का एम0 डी0 माथुर है, वह अनुपस्थित था। 48 घंटे क बाद वहां पर पहुंचे। कोई अनुभव नहीं था। मान्यवर, जिसको थर्मल पावर का तजुर्बा नहो, उसको क्यों वहां पोस्ट किया? हमारे प्रदेश में ओबरा सबसे ज्यादा उत्पादन का केन्द्र है, जिसको इसका तजुर्बा नहीं था, उसको क्यों पोस्ट किया गया? आपका जो राज्य विद्युत परिषद का अध्यक्ष है, उसकी और माननीय मुख्य मंत्री जी की जिम्मदारी है। बगैर मुख्य मंत्री जी की राय से उसकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिये थी। मान्यवर, जो क्रिमिनल है, जिसके जमाने में आग लगी, वही व्यक्ति उसकी जांच कर रहा है। उसी व्यक्ति ने उसको पोस्ट कराया था। 8 व्यक्ति उस कमेटी में थे। 5 व्यक्ति सबोटेज में पाये गये, परन्तु कोई ऐक्शन नहीं हो रहा है। मान्यवर, इसको देखना होगा, क्योंकि इससे जनजीवन के प्रति खिलवाड़ हो रहा है। दो अधिकारियों को तनख्वाह देते हैं, इसके लिये कोई इमीडिएट व्यवस्था नहीं हो सकी। दो अधिकारियों में कोई भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा अगर महाप्रबन्धक एबसेंट थे, वह 48 घंटे बाद पहुंचे, तो किसी ने उस कैबिल गैलरी की विद्युत आपूर्ति को क्यों नहीं काटा? इस की वजह से इस प्रदेश को अंधकार में डूबना पड़ा। हो क्या रहा है? 40 रुपय प्रति हार्सपावर किसान से वसूल किया जा रहा है। आप यह कहकर ले रहे हैं कि ओबरा जल गया, इसलिये आप ले रहे हैं।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूं। इस प्रदेश के अन्दर थाने नीलाम होते हैं। आप कहेंगे कैसे? इस प्रदेश के डायरेक्टर जनरल अलीगढ़ गये थे, एम0 पी0 बैठे हुये थे, संयोगवश हमारे बाबू सिंह यादव वहां पर थ, उन्होंने डायरेक्टर जनरल स कहा कि जिले के अन्दर थाने नीलाम होते हैं, डी0 आई0 जी0 उठकर चले गये। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और वह एस0 एस0 पी0 प्रोमोट होकर चला गया। मान्यवर, आपकी एक मण्डी परिषद है कोसीकलां, जिला मथुरा में, रामस्वरूप सिंह को आपने सेवा से निकाल दिया, उसने रिट पेटीशन किया। रिट पेटीशन पेंडिंग है और अतिरिक्त मण्डी निदेशक श्री शर्मा हैं, वह किस प्रकार से लिखते हैं श्री रामस्वरूप सिंह भूतपूर्व पर्यवेक्षक, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कोसीकलां (मथुरा) के संबंध में मैं माननीय लोक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के परिपेक्ष में श्री राम स्वरूप सिंह, पर्यवेक्षक, मण्डी समिति, कोसी कलां की न्यायालयों के निर्णय के अनुसार मण्डी पर्यवेक्षक श्री राम स्वरूप सिंह, मण्डी समिति कोसीकलाँ की सेवायें लोक सेवा प्राधिकरण तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के दिनांक से सेवा में रखे जाने के निदेश दिये जाते हैं। श्री राम स्वरूप सिंह के तदनुसार सेवा में लिये जाने की

[श्री राजेन्द्र सिंह]
कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने यह नहीं बताया कि आदेश कब आया। 35-36 हजार रुपये का बिल आ गया है। ट्रिब्यूनल से उसने अपना रिट वापस ले लिया। बगैर देखे-समझे इस प्रकार से मान्यवर, आदेश भेज रहे हैं।

इसके बाद आता हूं लखनऊ विकास प्राधिकरण पर। हम सभी जानते है कि लखनऊ में भैन्साकुंड में श्मशान घाट है। यहां पर 79 में विद्युत शवदाह बनाने हेतु मेसर्स ब्रोउन बोबी को 16 लाख में ठेका दिया गया। मेसर्स ब्रोउन बोबी ने उक्त काम को पूरा नहीं किया। लेकिन कोई हरिनारायण दुबे मुख्य अभियन्ता है जिन्होंने बिना टेण्डर मंगाये पुनः उसी फर्म को इस काम को 4 गुनी कीमत पर दे दिया। इससे बड़ा और कौन सा सबूत आप चाहते हैं। 79 में जिस फर्म ने काम पूरा नहीं किया उसी को आप पुनः चार गुनी कीमत पर वह काम दे रहे है। हमारा तो सूघने का काम है, पता आप लगाये कि भ्रष्टाचार कहां है। इन्होंने सीवर पाइप सप्लाई का एक करोड का आर्डर बिना निविदा आमंत्रित किये हुये फरीदाबाद हरियाणा की एक फर्म को दिया है। आगे चलिये आपका तराई बीज निगम है। आप सभी जानते है कि तराई बीज निगम किसानों को सीड सप्लाई करता है। इस पर जो सीड सप्लाई की गई वह सब स्टैन्डर्ड थी, और जमी नहीं। आप मेरी बात न माने कृषि सचिव श्री भूरे लाल की जो रिपोर्ट है उसको माने। श्री भूरे लाल ने कहा है कि सीड सब स्टैण्डर्ड था और ठीक प्रकार से जमा नहीं। गोण्डा और बहाराइच में उन्होंने जो खाद सप्लाई की गई है, उसको चेक किया और कहा कि खाद में मिलावट थी, मै चाहता हूं कि एम0डी0 के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

हमारे भूतपूर्व खाद्य सचिव थे, जिनका 52 करोड़ का मामला था। सदन में भी उठा था। जांच कमेटी बैठायी गई, मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया कि दोषी हैं, वह इस समय यहां नहीं है विदेश में है। सजा क्या मिली पिछले दिनों पढ़ने को मिला कि एक छोटी कमेटी बैठाली गई है कि सजा क्या मिले। सजा क्या मिली उनको वारनिंग दी गई। 52 करोड़ रुपये पर वारनिंग। राजा साहब के जमाने में बड़ा तूफान उठा था। हरदोई में गुसवां डोंगा और रायसन गांव की 5 सौ एकड़ जमीन का उच्च अधिकारी अपनी पत्नी के नाम पट्टा करा रहे हैं। यह देखने की बात है। मंत्रि परिषद ने यह निर्णय लिया कि सीलिंग की जमीन अधिकारियों को दे दी जायेगी। यह गुलामियत है इस सरकार का ब्यूरोक्रेसी के सामने। विधायकों को आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई एक वर्ष हो गया एक भी विधायक को मकान नहीं मिला। यह तय नहीं हो सका कि कौन सी जगह मकान मिले गा।

(कुछ सदस्यों के आपस में बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यगण, जब नेता विरोधी दल या नेता सदन बोल रहे हैं तो आपस में जो बात करें वह दूर तक न सुनायी दे।

श्री राजेन्द्र सिंह--

मैं निवेदन कर रहा था अधिष्ठाता महोदय, कि जो साइड यह विधायकों को चूज करते हैं, उसको अधिकारी कहता है इसको तो अधिकारियों को वितरित कर चुके हैं। पैसा ले चुके हैं। हमारे लिये मकान विकास प्राधिकरण बनायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि अधिकारियों के मकान को क्यों विकास प्राधिकरण नहीं बनाता है, आप कर्जा क्यों देते हैं। यह इसलिये कि विधायकों का मकान बालू का बनेगा। नीयत आपकी ठीक है लेकिन जो उनके लिये सहूलियत अपनायी वही मेरे लिये भी हो। सीलिंग की जमीन विधायकों के आवास के लिये क्यों नहीं देते अधिकारियों को क्यों दे रहे हैं। लखनऊ और प्रदेश के अन्दर मान्यवर, जो जमीन नजूल की है उसको पहले से ही अधिकारियों ने हथिया लिया और अब मंत्रिपरिषद् के इस निर्णय से उसको

रेगुलराइज करा रहे हैं। अब मैं राज्य भण्डारागार निगम के बारे में कहना चाहता हूं। पिछले दिनों जो बाई-इलेक्शन हुये उसमें राज्य भण्डारागार निगम के अध्यक्ष और डायरेक्टर ने विभाग की गाड़ियों से इलेक्शन का प्रचार किया। पीलीभीत, मावोगढ़ और देवरिया में प्रचार किया। मेरे पास फोटोस्टेट कापी है। आप कहेंगे तो मैं दे दूंगा।

श्री राज कुमार राय—

जो चर्चा आप कर रहे हैं पहले इसकी प्रति अधिष्ठाता महोदय को दीजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह—

यह आपका काम नहीं है। माह दिसम्बर, 1983 की कार्यकलाप की समीक्षा है। एक अजीब बात है। इस भण्डारागार निगम का जो गोदाम है उसमें दिसम्बर 82 में 102 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा माल रखा गया है और दिसम्बर, 83 में 91 प्रतिशत क्षमता का माल रखा गया लेकिन मुनाफा 83 में ज्यादा है। जब माल ज्यादा रखा गया तो मुनाफा कम और जब माल कम रखा गया तो मुनाफा ज्यादा। मैं चाहूंगा कि आप इसको देख लेंगे। इसमें गलती जरूर कहीं है। इसमें खर्च भी बढ़ा होगा कर्मचारियों के इंक्रीमेंट लगे होंगे लेकिन तनख्वाह वही दिखाई गई है। इसी के साथ कानपुर में एक राठौर साहब हैं उन्होंने एक डेढ़ लाख की खाद बेच दिया लेकिन जो अध्यक्ष हैं जिनका मुख्यालय कोटद्वार में है रहने वाले पहाड़ के हैं। इन्होंने यहां लखनऊ में भी एक स्थायी निवास बनाया है। यहां पर रहते हुये यह दूर दर्शाते हैं। और 100 रु0 प्रतिदिन का दौरा दिखाते हैं। विभाग ने जो डेढ़ लाख की खाद बेची गई इस मामले को दबाया। इसकी जांच जिला कृषि अधिकारी ने किया और 1-12-83 को लिखा कि श्री राठौर कारण स्पष्ट करें क्यों न उनके विरुद्ध पुलिस में सूचना कर दी जाय। खाद की बोरियों में कोयला और रोड़ी पाई गयी। एक किलो में 10 किलोग्राम तक वजन कम पाया गया। यह जिला कृषि अधिकारी की रिपोर्ट है। गदरपुर वेयरहाउस में इसी तरह का हुआ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पिछले दिनों जब सदन बैठा तो हमने इस देश की आजादी की लड़ाई में स्वतंत्रतासंग्राम की लड़ाई में अपने प्राणों को अर्पित करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जो इस माननीय सदन के सदस्य थे और स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लिया। 17 और 19 दिसम्बर को आल इण्डिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मेलन हुआ। कितनी बुरी व्यवस्था थी उनकी जिन्होंने आपके देश को आजाद कराया और अपने प्राणों की आहुति दी। आपके अधिकारियों ने उनके खाने और ठहरने की व्यवस्था नहीं की। मान्यवर, जवाब में आया रु0 1500 पेमेन्ट होता है। 1500 रुपये में पेमेन्ट ले सकते हैं लेकिन स्वतंत्रता सेनानी पर खर्चा नहीं हो सकता है। माननीय नेता सदन बैठे हुए हैं उन्हें इसका पता नहीं है। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मेलन का उदघाटन बाबा पृथ्वी सिंह ने किया जबकि उसमें श्री कमलापति त्रिपाठी जी को आना था, वह नहीं आये। हमारे जो मंत्री हैं वह भी आधे से अधिक नहीं आये। मान्यवर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का भूतकाल जितना ही उज्ज्वल और अविस्मरणीय रहा है, वर्तमान उतना ही अभावग्रस्त और दुखद है। आजादी की लड़ाई में फांसी चढ़ने और गोली खाकर मरने वाले शहीदों ने देश की मौजूदा बदतर हालत की स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। मान्यवर, मुझे ज्यादा समय नहीं चाहिये। संक्षेप में अपनी बात कह दूंगा। मान्यवर, 19 दिसम्बर को माननीय प्रधान मंत्री ने काकोरी में शहीद स्मारक का शिलान्यास किया। वहां जो भाषण उन्होंने दिया उसके कुछ अंश मैं आपको सुना दूं आजादी की लड़ाई के दौरान काकोरी में ट्रेन लूटने की जो वारदात की गई थी, वह हिंसक थी। वास्तविक आजादी तो अहिंसा से मिली थी। हमारी माननीय प्रधान मंत्री के यह शब्द सुनकर उन बूढ़े शेरों के चेहरे लटक गये वह कह रही थीं कि हिंसा की लड़ाई थी।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय अधिष्ठाता जी, जो माननीय प्रधान मंत्री की स्पीच माननीय नेता विरोधी दल पढ़ रहे हैं, मेरा कहना है कि स्पीच का स्त्रोत क्या है यह शब्द उन्होंने वहाँ पर नहीं कहे। चूंकि वह यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और उनके बारे में बात कही जा रही है। जो स्त्रोत है वह सही नहीं है इसलिये मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

स्त्रोत बता दे।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, अखबार से पता चलता है।

श्री अधिष्ठाता—

स्त्रोत देख लिया जायगा। स्त्रोत देखने के बाद अगर अंश इस तरह का होगा कि स्त्रोत में नहीं है तो वह कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं चुप रहना चाहता था लेकिन.....

(श्री राज कुमार राय के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप कृपया बैठें। माननीय नेता विरोधी दल खड़े हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इतने पर मैं चुप रहना चाहता था लेकिन मान्यवर, श्रीमती इन्दिरा गाँधी जो हमारे देश की प्रधान मंत्री हैं उनके साथ श्रीमती अनवरी बेगम थीं, जिन्होंने अशफाक उल्ला साहब को, जिन्हें हम देश का स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं उन अशफाक साहब को पकड़वाने में श्रीमती अनवरी बेगम के भाई ने मदद की। एक तरफ तो हम सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ उनको मंच पर ले जाते हैं जिन्होंने अशफाक साहब को पकड़वाने में मदद की।

(विपक्षी सदस्यों ने शेम शेम कहा)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं मैं बता दूं, जब माननीय प्रधान मंत्री गयीं तो मैं स्वयं उनके साथ गया था। मान्यवर, मंच पर माननीय श्रीपति मिश्र, श्री सुनील शास्त्री, मैं और वह स्वतंत्रता सेनानी मौजूद थे, जिनको काकोरी केस में सजा हुई थी। मैं उस वक्त स्वयं वहाँ पर मौजूद था।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों न मेजें थपथपाईं)

जो माननीय नेता विरोधी दल ने बात कही है उसमें सत्यता नहीं है।

श्री राज कुमार राय—

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री के चश्मदीद बयान के बाद क्या माननीय नेता विरोधी दल अपनी बात वापस लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया इस बात का ध्यान रखें कि जो व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं है, उनके ऊपर कोई आरोप जैसी बात न करें जिसका वह यहाँ आकर उत्तर न दे सकें।

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, मैं आगे चलता हूं। मुझे दुख के साथ नेता, विरोधी दल के कर्त्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। मैंने पहले कहा कि इस प्रदेश में धीरे धीरे कुछ खुसुर फुसुर बढ़ती चली जा रही है, इसलिये ऐसी बातें कहनी पड़ रही हैं। मान्यवर, 15–21 जनवरी के रविवार में कुछ न्यूज आयी, इसी प्रकार आज ही फरवरी 29 के इंडिया टुडे में एक आर्टिकिल निकला और बहुत से लोग मुझसे टेलीफोन पर प्रश्न करते हैं, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कहने जा रहा हूं, वह सही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं जो कहने जा रहा हूं, सत्य न हो। लेकिन यदि यह चीजें चलती रहीं तो एक दिन प्रदेश में भयंकर विस्फोट हो सकता है। माननीय श्रीपति मिश्र जी इस प्रदेश के अंतुले न बन जायं। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। मैं इसे आपके सामने रख रहा हूं और कोई सामग्री मेरे पास जाँच के लिये नहीं है। यदि यह चीज गलत निकले तो बतायें। अभी दो पत्रिकाओं में यह आया है, यह न्यूज बढ़ भी सकती है। मैंने आपको सोर्स बता दिया मैं चाहता हूं कि इस पर विचार करके माननीय मुख्य मंत्री अपना जवाब दें तथा इन सब चीजों को स्पष्ट करने का प्रयास करें। मैं इस प्रदेश के हित में और सत्ता पक्ष के हित में यह कह रहा हूं कि ऐसी स्थिति न बनने पाये। इन दोनों खबरों में बटलर रोड स्थित एक मकान के बारे में कहा गया है। मैं चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इसको पढ़ लें और जवाब देने का प्रयत्न करें।

मान्यवर, दो सहकारी समितियाँ बनी हैं प्रदेश में,—संजय गाँधी सहकारी आवास समिति और दूसरी त्रिवेणी आवास सहकारी समिति। मान्यवर, इसके सदस्यों के नाम मैं पढ़ दूं, श्री योगेन्द्र नारायण, सचिव, मुख्य मंत्री, श्री के0 सी0 मिश्रा, विशेष कार्याधिकारी, मुख्य मंत्री, श्री आर0 एन0 त्रिवेदी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, लखनऊ। इसके अलावा तीन और व्यक्ति हैं राकेश मिश्रा, प्रमोद मिश्रा और आलोक मिश्रा। यह मेरी सूचना है। गन्ना विकास संस्थान जो बटलर रोड पर है, जो किसानों के लिये एक संस्था है, उसकी भूमि दोनों सहकारी समितियों को ट्रांसफर की गयी है। यह कब हुआ, जब श्री आर0 एन0 त्रिवेदी गन्ना आयुक्त थे। एक हैं श्री दयाराम मिश्रा पहले क्या थे, पता नहीं। सन् 80 से ठेकेदार हैं। अब बड़े ठेकेदार बन गये हैं। अधिष्ठाता महोदय, स्पीकर भवन के पीछे एक एनेक्सी है। वह राजस्व मंत्री जी को कागजातों के लिये आवंटित है। उसमें ये दया राम मिश्र जी रहते हैं। उसे स्पीकर एनेक्सी कहा जाता है। उन्हें अभी 25, न्यू बेरी रोड पर एक मकान भी एलाट हुआ है। आसाम कैडर के एक आई0 ए0 एस0 अधिकारी उसके मालिक हैं। मान्यवर, मुझे श्री दयाराम जी के बारे में यहाँ क्यों कहना पड़ा, इसलिये कि वह एनक्सी में रहते हैं। यह आवास सरकारी है। यह सरकारी आवास उन्हें कैसे एलाट हो गया ?

मान्यवर, दो-तीन चीजें और हैं। एक गाड़ी है, जिसका नम्बर यू0 एच0 ई0 4273 है। यह डीजल जीप है, जो श्री दया राम मिश्र के नाम है और इसे फाइनेंस किया है—बैंक आफ बड़ौदा ने। इसके गारीन्टियर कौन हैं, इसे माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें। क्योंकि इसके बताने से कुछ तथ्य सामने आयेंगे। दूसरी गाड़ी है यू0 आर0 एल0 3309। यह एक डीजल एम्बेसेडर है। रजिस्टर्ड ओनर इसका पलिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी लखीमपुर-खीरी है, किन्तु अब यह ट्रांसफर हो गई है श्री प्रमोद मिश्रा को। यह कैसे ट्रांसफर हुई और किस हालत में यह हुई, इसकी सूचना माननीय मुख्य मंत्री जी देने की कृपा करें ?

मान्यवर, इसके साथ ही इस प्रदेश में दो नियुक्तियाँ ऐसी हुई हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। मैं इन नियुक्तियों के बारे में इसलिये एतराज कर रहा हूं क्योंकि इनका इन सभी मामलों से सम्बन्ध है। इसका भी जवाब आना चाहिये। एक श्री एच0 के0 माथुर, बी0 डी0 ओ0 थे, उन्हें अब डिप्टी डायरेक्टर लाटरी बना दिया गया है, जबकि यह पोस्ट लोक सेवा आयोग द्वारा भरी जानी चाहिए थी। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर किन हालात में यह पोस्ट भरी गई। दूसरे हैं श्री अरुण नागर, जो केवल हाई स्कूल

[श्री राजेन्द्र सिंह]
पास है, उन्हें जनरल मैनेजर पर्यटन निगम का बनाया गया है। मालूम पड़ा कि वह मुख्य मंत्री जी के सचिव के रिश्तेदार हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश के हित में इन सभी का जवाब माननीय मुख्य मंत्री जी को इस सदन में देना चाहिये, इन पर वह अपना भाव प्रकट करें।

इन्हीं शब्दों के साथ जो संशोधन का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं पुनः उसे पेश करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

धन्यवाद के प्रस्ताव पर कार्य सूची में दिये गये अन्य माननीय सदस्यों का जो संशोधन है' उसे उपस्थित किया गया मान लिया जाय। मैं एक बात इस सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा, आज बहस का तीसरा दिन है। बहुत से माननीय सदस्यों को इस पर बोलना है और कुछ समय इस पर माननीय नेता सदन भी लेंगे। कल 10 मिनट इसके लिये तय हुआ था। समय बहुत कम है, इसलिये मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यगण इस पर केवल 5-5 मिनट बोलें। दलों के नेता और माननीय मंत्रीगण 20–20 मिनट बोलें। ताकि सभी लोग इस पर अपने विचार व्यक्त कर सकें।

(श्री राज्यपाल अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत अन्य सदस्यों के संशोधनों के लिए देखिए नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 997 पर)

*श्री सोमांश प्रकाश—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं, कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर, जो माननीय श्री जयदीप सिंह बराड़ जी ने पेश किया है, बोलने का अवसर दिया। मैं इसके समर्थन में बोल रहा हूं। मैं कल से करीब 3–4 घंटे से माननीय विरोधी दल के विचार सुन रहा था। मुझे बड़ा दुख है कि उन्होंने कोई भी ठोस सुझाव नहीं दिये और न ही कोई ऐसी बात कही जिसमें दम हो। मान्यवर, 21 महीने का जो जनता शासन रहा। उस 21 महीने में जनता शासन ने इस प्रदेश को डकैतों की समस्या दी, जातिवाद के झगड़े की समस्या दी, भाषा–वाद की समस्या दी और आर्थिक विषमता की समस्या दी। उसके बाद वह जनता सरकार इस प्रदेश से चली गई। लगभग साढ़े चार साल से इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार है।

मान्यवर, सबसे पहले कानून–व्यवस्था प्रशासन की जिम्मदारी होती है। मैं इस बात को फख्र के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे प्रदेश में जो बड़े–बड़े कुख्यात डाकू थे, करीब करीब सभी मारे गये हैं और कई डाकुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि चोरी पूर्ण तरह से समाप्त हो गई है और डकैती पूर्ण रुपसे समाप्त हो गई है, यह तो पुरातन काल से चली आ रही है। परन्तु यह निश्चित बात है, मान्यवर, आँकड़े भी मेरे पास हैं, जिन्हें मैं अभी पेश करूंगा, हमारे भतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो यज्ञ शुरू किया और जिसे हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र जी ने पूर्ण रुप से कार्यान्वित किया, फलस्वरुप मान्यवर, यह निश्चित बात है कि आज जो हमारी कानून व्यवस्था है, उसके ऊपर प्रभावी ढंग से, शासन ने उसके ऊपर मजबूती के साथ, कदम उठाया है। हमारे पुलिस के कई लोग, कई पुलिस कर्मी तमाम घटनाओं के सम्बन्ध में मारे गये। उन्होंने कानून व्यवस्था को बनाने में अपनी आहुति दी। मान्यवर, हमारे शासन में डकैती, लूट, हत्या, दंगा, चोरी इन सबमें काफी प्रशंसनीय सुधार हुए हैं। आपके समक्ष इस संबंध में मैं कुछ आँकड़े रखना चाहता हूं। 1982 की तुलना में वर्ष 1983 में अपराध स्थिति में कमी संबंधी आँकड़े हैं—इन्हें देखें—डकैती 6.74 प्रतिशत, लूट–6.67 प्रतिशत, हत्या–4.28 प्रतिशत, दंगा–12.01 प्रतिशत, चोरी 8.21 प्रतिशत की कमी आयी है।

एक सदस्य—

गलत आंकड़े क्यों पढ़ रहे हैं। आपकी सरकार में तो अपराध बढ़े हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सोमांश प्रकाश--

ऐसी बात कहने से कोई लाभ नहीं है, इसका फैसला तो जनता करेगी। मान्यवर, जहां तक कृषि और औद्योगिक प्रगति का सवाल है, कृषि और औद्योगिक प्रगति में यह कहना पड़ेगा कि खाद्यान्न के संबंध में मान्यवर, हमारे प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन हुआ है और तिलहन और दलहन का भी रिकार्ड उत्पादन हुआ है। यह कोई ऐसे नहीं हो गया। हमारे विशेषज्ञों ने नयी-नयी विधियां निकाली, नये-नये बीज निकाले, जिससे ज्यादा पैदावार हुई और ज्यादा संशोधन हमने किसान को दिये। मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बढ़ती हुई आबादी के प्रदेश में, जिस हिसाब से हमारे प्रदेश में आबादी बढ़ रही है, उसके बारे में माननीय नेता विरोधी दल ने कोई अपने विचार नहीं रखे हैं। जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है, उसके हिसाब से उत्पादन कैसे बढ़ सकता है, यह कभी नहीं हो सकता है। लेकिन, उस बढ़ती हुई आबादी के बाद भी हमने आज कीमतों को बढ़ाया नहीं है, स्थिर रखा है, और खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है। मान्यवर, जिस तरह से कृषि के क्षेत्र में हमने उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त की हैं, उसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारे प्रदेश में काफी प्रगति हुई है। मान्यवर, जहां तक गन्ने और चीनी की बात चल रही थी, मैं कहना चाहूंगा और मैं समझता हूं कि जिस समय कि जनता शासन था, उस समय गन्ने की जो दशा थी, वह सर्वविदित ही है। मान्यवर, आज गन्ने का उत्पादन उस समय से दुगुना हुआ है।

(लाल बत्ती जलने पर)

श्री सोमांश प्रकाश--

मुझे थोड़ा समय दे दें, मान्यवर।

श्री अधिष्ठाता--

आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, आप देखें उस समय किसान की क्या दशा की गयी थी, किसान का गन्ना किस प्रकार लूटा गया था, गन्ने की कीमत की क्या हालत थी ? आज जब कि उससे दुगुना उत्पादन हुआ है तब भी मान्यवर, किसानों के हित में उनका पूरा गन्ना पेरा जा रहा है, पूरी कीमत अदा की जा रही है। मान्यवर, चीनी के दामों की बात कही गयी, क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि क्या उस समय चीनी के दाम घटाये गये थे ? मान्यवर, उस समय किसानों में त्राहि त्राहि हो गयी थी। मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल ने जो चीनी की बाबत बात कही, मैं उसे गलत मानता हूं, चीनी के दाम सही हैं, गन्ने की कीमत सही मिल रही है। मान्यवर, आप देखें पिछले दिनों हमारे प्रदेश में कीमतों के बाबत इन लोगों ने हड़ताल करानी चाही, वह उनकी फेल हो गयी।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, अभी तो बहुत सी बातें कहनी है।

श्री अधिष्ठाता--

आप बैठें। बहुत से माननीय सदस्यों को अभी इस पर कहना है।

श्री सोमांश प्रकाश--

मान्यवर, अन्त में मैं आशा करूंगा कि सदस्य अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए शासन की उपलब्धियों का ध्यान अवश्य रखेंगे और जो संशोधन प्रस्ताव रखे गये हैं उन पर औपचारिक बहस करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सर्वसम्मति से पास करेंगे।

*श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं चाहूंगी मुझे 5 मिनट से अधिक का समय दें। 5 मिनट में पूरी बात नहीं कह पाऊंगी। महिला होने के नाते 5 मिनट से ज्यादा का समय दें।

श्री अधिष्ठाता--

आप बोलना तो शुरू करें।

श्रीमती गौरी देवी--

मान्यवर, मैं आपकी बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण शासन की नीतियों को दृष्टिपात करता है और वह शासन की एक निधि होता है लेकिन केवल उन्होंने अपने भाषण में जनता को गुमराह किया है और बहकावा दिया है हमारा देश और प्रदेश भीषण मंहगाई के दौर से गुजर रहा है हमारे नौजवान आज सड़क पर रोजी रोटी के लिये भटक रहे हैं। कानून व्यवस्था की हालत प्रदेश में दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मंहगाई अपनी चरम सीमा पर है और दूसरी ओर मान्यवर, आप लोग कहते हैं कि हमारी सरकार बधाई की पात्र है। एक तरफ पुलिसजनों की आप बड़ाई करते हैं, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कहना चाहती हूं कि पुलिस निरीह लोगों को परेशान कर रही है गरीब जनता को पीड़ित कर रही है। गरीब जनता को पकड़ पकड़ करके इनकाउन्टर किया जा रहा है। मान्यवर, हमारे देश की प्रधान मंत्री एक महिला है। मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे गांवों में रहने वाली लाखों लाखों महिलाएं अपने बच्चों को आंचल में लिपटाकर समय बिता रही हैं, अपने बच्चों को लिटा पाने में असमर्थ हैं। नरक की जिन्दगी हमारी मां-बहनें बिता रही हैं। महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा हैं, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। मेरी मांग है कि महिलाओं की समस्याओं के समाधान के एक महिला आयोग का गठन किया जाय।

मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र कौड़ीराम की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। वहां पर पाण्डेपुर एक गांव है, वहां पर बेकारी काफी हैं। मैं चाहूंगी कि वहां पर कोई ऐसा उद्योग खोल दिया जाय जिससे बेकारी दूर हो और नौजवानों को काम मिल सके। कौड़ीराम क्षेत्र में तितौली एक बाजार है, वहां पर लाखों बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं। इसके अलावा वहां पर पीतल बनाने वाले कारीगर हैं। मैं चाहूंगी कि वहां पर एक सूत मिल खोल दी जाय और पीतल बनाने का एक उद्योग स्थापित कर दिया जाय जिससे वहां की बेकारी दूर हो और नौजवानों को और गरीबों को रोटी मिल सके। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं, मैं कई बार लिखकर भी दे चुकी हूं कि वहां पर एक उच्चीकृत 30 शैय्या का हास्पिटल खोल दिया जाय। महावीर छपरा में जमीन भी उपलब्ध है। अगर हास्पिटल खुल जाय तो मैं समझती हूं कि वहां पर दवा की सुविधा हो सकती है। वहां पर काफी एरिया में कोई हास्पिटल नहीं है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कई स्थान है जहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं है, किसान पानी के लिये तरस रहे हैं। वहां ट्यूबवेल लगवा दिया जाय तो किसानों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को पानी की सुविधा हो सकती है। जो भी ट्यूबवेल है, वे खराब पड़े हैं, उससे पानी की कोई सुविधा किसानों को नहीं है। उनकी नाली टूटी हुई है तथा ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। कई बार अधिकारियों से कह चुकी हूं लेकिन वे यह कहकर टाल देते हैं कि पैसे नहीं है, धन का अभाव है, आप तो शासन में बैठी हैं, शासन से दिलवाइए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुछ बाहरी इलाका ऐसा है जहां पर कोई सड़क नहीं है और जनता को बड़ी ही परेशानी है। मैं चाहूंगी कि माननीय मन्त्री जी इसको ध्यान में रखें और जो कछार का इलाका है, वहां सड़क दे दी जाय। यह सरकार बहुत जोर से ढिंढोरा पीटती है कि गरीबों का उत्थान कर रहे हैं। और लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा रहे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि हमारे हरिजन भाइयों को, जिनको जमीन मिली है, उनको अभी उस पर कब्जा नहीं मिला है और वे उस पर कब्जा करने में असमर्थ हैं और इसमें बहुत से लोगों की जान चली जाती है। मैं चाहूंगी कि शासन के माध्यम से हरिजनों को कब्जा दिलाने के लिये एक सैल बनाया जाय। इसके अलावा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक चीनी मिल खोल दी जाय जिससे किसान को बाहर न जाना पड़े। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है और बहुत सी जगहें ऐसी हैं, जहां पर कि बन्धा नहीं है। हमारे क्षेत्र की जनता जो है, वह बहुत ही कष्ट में है, इसलिये मैं चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में एक बांध की व्यवस्था की जाये। साथ ही में यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में एक राजकीय इण्टर कालेज भी खोल दिया जाए जिससे वहां पर जो परेशानियां छात्र व छात्राओं को उठानी पड़ रही हैं क्योंकि कोई करीब में स्कूल है नहीं, इसलिए दूर पढ़ने के लिये जाना पड़ता है, जो छात्रों के लिये बहुत ही बड़ी समस्या है।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त हो गया।

श्रीमती गौरी देवी---

मान्यवर, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण पर घोर विरोध प्रकट करती हूं।

*श्री लाल प्रताप सिंह---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी पक्ष की बातें गम्भीरतापूर्वक और ध्यानपूर्वक कल से आज तक बराबर सुन रहा हूं। माननीय नेता विरोधी पक्ष ने कल भी और आज भी माननीय प्रधानमंत्री के संबंध में कुछ कहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं यदि माननीय नेता विरोध पक्ष थोड़ा सा भी सोचकर बोलते तो ऐसी बात न करते, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बिना सोचे समझे कुछ बातें कहीं है, इन्होंने ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा है जो पूरे मुल्क को चला रहा है, पूरे मुल्क को सस्टेन किये हुए है, बल्कि यूं कहा जाय कि पूरे मुल्क को बिल्ड कर रहा है, सेफगार्ड कर रहा है, तो बेहतर होगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो इतने विशाल देश का प्रधान मंत्री हो उसके लिए कम से कम सम्मान जनक भाव का प्रदर्शन करना चाहिए और जो भी हो कुछ कहने से पहले सोच-समझकर कहना चाहिये। मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर आज कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो इतने बड़े देश को इस प्रकार कुशलतापूर्वक चला सके, इतने बड़े मुल्क को सस्टेन कर सके। इसलिये जो भी कहा जाय इस पद की मर्यादा और गरिमा को सामने रखकर कहा जाए, सोच समझ कर।

माननीय नेता विरोधी पक्ष ने कल एक बात और कही कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय हम लोग ऐसा प्रदर्शन न करते यदि कांग्रेस (आई0) के लोग कश्मीर और बंगाल में ऐसा-ऐसा न करते। वहाँ भी वह भूल कर गये। वहाँ पर जो हुआ, वह किन परिस्थितियों में हुआ, इस पर तो आप विचार करते नहीं लेकिन अनुकरण करने लगे। किसी भी चीज का अनुकरण से पहले उसकी स्थिति के बारे में जान लेना चाहिये। अगर इस तरह से हम और आप करेंगे तो एक नई पद्धति का विकास करेंगे। दूसरी बात यदि हमें अनुकरण करना ही है तो किसी अच्छी बात का अनुकरण करें, जिससे कुछ फायदा भी सामने आये। इसके अलावा और भी बहुत सी बातें उन्होंने कहीं यदि समय होता तो उन सबका जवाब दिया जाता।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लाल प्रताप सिंह]

मान्यवर, भारत वर्ष में आज हर स्तर पर बड़ी तेजी से विकास हो रहा है, यदि हम तुलना की दृष्टि से देखें तो जितने मुल्क हमारे साथ आजाद हुए हैं, उसमें से सिर्फ 120 विकसित देश हैं, जिसमें से सिर्फ 10–12 देश लोकतंत्र पद्धति पर चल रहे हैं और 55 मुल्क तानाशाही व मिलिट्री शासन के अन्तर्गत चल रहे हैं और कोई उनके व्यक्तिगत पार्टी के रूप में काम करते हैं और कोई किस तरह से। लेकिन यह एक ऐसा मुल्क है जिसमें लोकतंत्र के सिद्धान्तों पर काम हो रहा है।

यही नहीं, दुनिया में 4 बड़े मुल्क हैं अमेरिका, रूस, चीन तथा भारतवर्ष परन्तु इन चारों में से केवल दो ही मुल्कों में लोकतंत्र है। अमेरिका में 1865 तक स्लेवरी यानी गुलामी थी, अमेरिका में इस सदी के मध्य तक नीग्रोज को स्वतन्त्रता नहीं मिली हुई थी। जबकि भारत वर्ष में पूरे तरीके से लोकतंत्र की स्थापना हुई है। आप यहाँ की समस्याओं को देखें कि इन समस्याओं के रहते हुए किस तरह से विकास के कार्य हुए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भारतवर्ष ने बहुत प्रगति की है। उपग्रह यहाँ छोड़े गये हैं, स्पेस सैटेलाईट लान्च हुआ है। पोखरन में आर्यभट्ट तथा रोहणी छोड़े गये। अब अप्रैल के महीने में अन्तरिक्ष में कासोनाट छोड़ा जाने वाला है। यह एक बहुत बड़ी प्रगति है जो हमने की है। विज्ञान के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भारतवर्ष ने बहुत ज्यादा प्रगति की है और जगह जगह उद्योग लगा कर अपने लक्ष्य को पूरा किया है। लेकिन जितनी प्रगति हुई है, तरक्की के मामले में हम कभी कभी बहुत गलत अनुमान लगाते हैं। आज यहाँ पर गरीबी जो कि 30–40 वर्ष पूर्व थी, वह आज नहीं है, गरीबी घटी है हमारे मुल्क की। 30–40 वर्ष पूर्व यहाँ गरीबी 80 फीसदी थी जो कि आज घटकर केवल 30 या 40 प्रतिशत ही रह गयी है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

परिवर्तन तो तेजी से हो रहे हैं हर क्षेत्र में परन्तु इस परिवर्तन से खतरा भी है। यह खतरा कम्यूनल पार्टी से, साम्प्रदायिक तत्वों से, प्रक्रियावादी व्यक्तियों से है, लोकदल के गठ-बन्धन से है जो कि लोकदल और जनता पार्टी से हो गया है, इससे मुल्क को खतरा है। उन्होंने तो बड़े ढंग से चौधरी चरण सिंह का नाम ले लिया। मैं तो कभी सोच भी सकता हूं कि मुम-किन है कि एक आलटरनेटिव सरकार यहाँ हो सकती है परन्तु आपने तो ऐसी पार्टी से हाथ मिला लिया है जोकि कम्यूनलिज्म, प्रक्रियावादी ही नहीं बल्कि पुनर्उत्थान की ओर ले जाने वाली है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि मुल्क की तरक्की में आइये हम सब मिल कर हाथ बंटाये। सम्पन्नता आने में समय लग सकता है, कुछ तकलीफें भी उठानी पड़ सकती है। फिर भी आइये प्रगति में हाथ बटायें। हालाँकि मुझे विरोधी पक्ष से कोई उम्मीद नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री जयदीप सिंह बरार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के लिये श्री जयदीप सिंह बरार ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसपर आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसलिये मैं आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जितनी भी बातें कही हैं उसमें से एक भी बात अगर सत्य होती तो प्रदेश में खुशहाली होती। इसमें राज्यपाल ने कोई बात करने लायक नहीं कही है। माननीय बरार साहब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं लेकिन कुछ मजबूरियों से बंधे हुए हैं इसलिये उन्होंने ऐसी बात कही है।

सबसे पहले राज्यपाल ने ढिंढोरा पीटा, डी0 डी0 आर0 डी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 योजनाओं का। इस शासन के समय में इनका सत्यानाश हो गया है। बैंकों से जो ऋण दिया जा रहा है, उससे बैंकों के मैनेजर और भ्रष्टाचार पैदा कर रहे हैं। एक दम फर्जी परिवारों का चयन किया जा रहा है, एकदम फर्जी वितरण दिखाया जा रहा है। जिलाधिकारी को भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिखकर दिया गया है। भैंसों को क्रय नहीं किया गया है। टैग दिया गया है। जिसको सब्सीडी मिलनी है उसको आधी रकम देकर टैग दे दिया जाता है। इसके बारे में भी लिख कर दिया गया है। मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं, यही स्थिति पूरे प्रदेश में है। एकदम गरीबों का मखौल उड़ाया जा रहा है। एन0 आर0 ई0 पी0 योजना में कही पर भी सही रुप से काम नहीं किया जा रहा है। बन्दूकधारी लोग काम करा रहे है, इसके लिये हमी लोग दोषी हैं हमारे भी आदमी ठेके पर काम करा रहे है। मस्टर रोल पर काम नहीं कराया जा रहा है। मान्यवर, मैं एक एक चीज को लेकर चलूंगा। बुनकरों की बात कही गयी है। अभिभाषण के पृष्ठ 11 पर इनके बारे में उल्लेख किया गया है,कि बुनकरों के बारे में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मैं स्थिति बता दूं। मेरे क्षेत्र में बस्ती जिले में 6 बुनकरों के क्रय केन्द्र चलते है। वहाँ पर हालत यह है कि जहाँ हर सप्ताह खरीद होनी चाहिये, वहाँ महीने और डेढ़ महीने में खरीद की जा रही है और–भुगतान में महीनों लग जाते है। कर्जे से वह दब गये है और रो रहे है कि कैसे रोटी चले, लिख कर भी दिया गया है। बुनकरों ने स्वयं भी अपनी ओर से प्रार्थना पत्र दिया है। मान्यवर, बिचौलिए की बात है। धोती जो बुनकर ले जाता है, बिचौलिया इन्सपेक्टर से मिलकर रिजेक्ट करा देता है और एक रूपया बिचौलिया ले लेता है और एक रुपया इन्सपेक्टर ले लेता है। इस प्रकार बुनकरों का सत्यानाश किया जा रहा है। हमारे क्षेत्र में बुनकर पावरलूम लगा रहे हैं। स्थिति यह है कि 3–4 घंटे बिजली दी जा रही है और सरकार कहती है कि 8 घंटे दे रहे हैं लेकिन वास्तव में बिजली 4–5 घंटे ही मिल पाती है। अगर कोई बुनकर पावरलूम लगाना चाहता है तो कैसे लगाए, विद्युत तो मिल नहीं पा रही है। यह सरकार उनकी समस्या को हल नहीं कर पाएगी केवल वह ढिंढोरा पीट रही है।

मान्यवर, अभी अन्सारी साहब ने दौरा किया था तो बुनकरों ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी थीं और अन्सारी साहब कह कर आए थे कि वह हर महीने आयेंगे और उनकी समस्याओं को देखेंगे। एक बार जाने के बाद डेढ़ साल हो गया है और उन्होंने एक बार भी दर्शन नहीं दिया है और बुनकरों की समस्या पहले से भी बदतर होती जा रही है। डाक्टरों की हालत आप देख लीजिए। बस्ती जिले में एक महिला अस्पताल है। वहाँ पर चिकित्साधिकारी नहीं है, यह तो स्वास्थ्य की स्थिति है। इन सारी समस्याओं का निराकरण सरकार नहीं कर रही है और सारी समस्याएं बढ़ती ही चली जा रही हैं।

गरीब गरीबी की रेखा से और नीचे गिरता चला जा रहा है। किस चीज का धन्यवाद राज्यपाल को दिया जाय। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। माननीय बरार साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर रखा है, मैं उसका पूर्णतया समर्थन करता हूं और इसलिये समर्थन करता हूं कि जो संशोधन का प्रस्ताव विरोधी दलों की तरफ से रखा गया है उसे पढ़ने के बाद मेरी यह मान्यता बनी है कि विपक्षी दलों के लोग मानसिक रूप से संतुलन बिगाड़ चुके हैं और उनका दिवाला पिट चुका है। जिस चीज को उन्होंने संशोधन का नाम दिया है उसे अगर सुझाव का नाम दिया जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता। संशोधन उस आदमी को देने का अधिकार होता है जो उन मान्यताओं के बीच में रह सके, उनका निर्वहन कर सके, उन परम्पराओं के अन्दर रह सकें जिनके लिए वह बनाए गये हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जिस तरह की गतिविधियाँ हमारे विपक्षी दलों की तरफ से हो रही हैं अगर उस पर उन्होंने संशोधन का प्रस्ताव रखा है, तो यह स्पष्ट रूप से इस बात का प्रमाण हैं कि उनका मानसिक रूप से सन्तुलन बिगड़ गया है और उनके दिमाग का दिवालियापन हो चुका है। जो सुझाव रखे गये हैं यह स्पष्ट रूप से उसमें दिया गया है। स्पष्ट रूप से राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है।

[श्री सुरेन्द्र कपिल]

जब किसी मकान की बुनियाद रखी जाती है तो समझदार आदमी को इशारे की बात है, मकान की बुनियाद की बात चल रही है और ये सुझाव दे रहे हैं कि मकान की मुन्डेर कैसे होगी, उनका रंग कैसा होना चाहिए। पहले मुन्डेर तक मकान का निर्माण कार्य तो ले जाना पड़ेगा, तब तो आगे की बात सोची जायगी। आप लोग धैर्य के साथ उन्हीं कुर्सियों पर वहीं बैठे रहें क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने 29 माह तक आपकी कार्य-कुशलता देख ली है। अगर आप जनता की भलाई चाहते हैं यह चाहते हैं कि यह प्रदेश सर्वांगीण प्रगति करे तो आपको यह उम्मीद रखनी चाहिए कि आप उधर की सीटों पर ही आगे भी बैठे रहेंगे और बड़ी सुन्दरता से विरोध करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय ने कहीं कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी है कि किसी मानव या गरीब या दुर्बल वर्ग के लिए कुछ न कहा गया हो इन विपक्षी दलों द्वारा मैं कल से सरकार की आलोचना करते हुए ही सुन रहा हूं। माननीय राजेन्द्र सिंह ने अपने साढ़े चार घंटे के भाषण में जो बात कही हैं उनमें कहीं भी देश के अन्दर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का समावेश नहीं है। यह चार घंटे तक बेबुनियाद बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं था। उनके ऊपर उत्तर प्रदेश की जनता ने 29 महीने तक अपना विश्वास व्यक्त किया था लेकिन उन्होंने जनता को इतनी मानसिक ठोकर लगाई है, दुख दिया है कि वे अब यह उम्मीद करें कि घड़ियाली आँसू बहाने से वे सरकार को बदल नहीं सकेंगे। यह नामुमकिन बात है। लोक दल के नेता कहते हैं कि हम किसानों के हमदर्द हैं, नेता हैं। मान्यवर, वह दिन सामने था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का काश्तकार अपने गन्ने की होली जलवाने के लिए तत्कालीन प्रधान मन्त्री चौधरी चरण सिंह के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि आप वहाँ चले और हमारे गन्ने में आग लगाकर उसका उद्घाटन करें।

आप किसानों के हित की बात करते हैं और कहते हैं कि हम किसानों के हितैषी हैं। हिन्दुस्तान का आदमी मानता है कि यहाँ के काश्तकार हिन्दुस्तान की जनता की माँ हैं और उस माँ के दूध की कीमत आप नहीं दे सकते हैं। दूध पिलाने की कीमत माँ नहीं माँग सकती और यदि माँगती है तो वह असली माँ नहीं है, हराम की माँ है। मान्यवर, यह जनता की माँ है, हिन्दुस्तान का किसान अच्छी तरह जानता है कि उसके दूध की कीमत क्या है, वह अपने बच्चे को दूध पिलाने की कीमत नहीं माँग रही है। हिन्दुस्तान का किसान आपकी इन बातों में आने वाला नहीं है। अब यह सरकार जानती है कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच किस तरह सामंजस्य बनाए रखा जाय यह उसकी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी जिम्मेदारी की भलीभांति निर्वहन कर रही है यह बात किसी से छिपी नहीं है।

आज कानून और व्यवस्था की बात आई मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि कानून-व्यवस्था के सम्बन्ध में अगर कोई आँख का अंधा है तो वह कह सकता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी है। जब से उत्तर प्रदेश के अन्दर दुबारा काँग्रेस की सरकार आई है, यहाँ कानून व्यवस्था बनी है और बनती रहेगी इसका हम दावा करते हैं। लेकिन जरूर इन लोगों को आगाह करूंगा कि जिस तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यह अफरातफरी मचाना चाहते थे उसी तरह से समाज के अन्दर भी पैदा करना चाहते हैं इसको उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार जान चुकी है।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

उसे इन्होंने सदन में परिलक्षित कर दिया है जो यह विरोधी दल की भूमिका निभा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश की जनता से छिपी नहीं है और जब चुनाव होंगे उसका प्रमाण सामने आएगा . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय कपिल, आप बैठें।

श्री सुरेन्द्र कपिल—

इन शब्दों के साथ जो माननीय बरार जी ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं और भगवान से माँग करता हूं कि विरोधी दल को सद्बुद्धि दे और वे अपना संशोधन वापस लें।

*डा0 शिवानन्द नौटियाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने जो अपना अभिभाषण प्रदेश की जनता को दिया है जिससे जनता को निराशा हुई है, जनता को पीड़ा पहुंची है उसको थोड़ा सा आप भी अनुभव करें। मान्यवर, समय कम है इसलिए मैं विस्तार में न जाकर केवल पर्वतीय अंचल का ही उदाहरण देता हूं। अभी कुछ माननीय मित्रों ने ला ऐंड आर्डर की बात कही, बहुत अच्छे ढंग से कही। मैं कहना चाहता हूं कि चमोली जिले में जो ए0डी0एम0 महोदय हैं उन्होंने एस0डी0एम0 के खिलाफ एफ0आई0आर0 लाज कर रखी है और एस0डी0एम0 ने ए0डी0एम0 के खिलाफ लाज कर रखी है। तो जो ला ऐंड आर्डर के पहरेदार हैं, जिन पर प्रशासन चलाने की बागडोर है वह इस तरह का कार्य कर रहे हैं।

मैं अभिभाषण के पृष्ठ चार पर ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्र में काफी विकास हुआ है। उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों के विकास की प्रशंसा की है। आगे उन्होंने कहा है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय और विश्व बैंक की मदद से वहाँ कार्य किया जायेगा। उसके अलावा कोई जिक्र नहीं है कि पर्वतीय क्षेत्र का विकास कैसे होगा और क्या होगा। इसका भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ जितने भी उद्योग धंधे खोले गए हैं दुर्भाग्य से आई0 जी0 बैठे थे वह चले गये (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, मैं तो अभी बोलने के लिए खड़ा ही हुआ हूं और आपने लाल बत्ती जला दी।

श्री अधिष्ठाता—

समय के नजदीक पहुंच रहे हैं इसलिए लाल बत्ती जली।

डा0 शिवानन्द नौटियाल—

यहाँ पर जितने भी उद्योग धंधे हो सकते हैं वह वनों पर आधारित हैं। तो उन वनों को इस सरकार ने बन्द कर दिया है। परन्तु वहीं दूसरी ओर लाल कुआँ, जिला नैनीताल में बिरला द्वारा स्थापित की जा रही हल्द्वानी में सेंचुरी पल्प की पेपर फैक्टरी को अक्टूबर, 1983 में वनाच्छादित 396 एकड़ वन भूमि बहुत ही सस्ते दामों पर 1200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार ने दे दिया और वहां इस भूमि में 1955 में लगाए गय लगभग 10 हजार कीमती साल शीशम के वृक्षों को बेरहमी से कटाया गया है और यहां के रहने वाले हर आदमी को निकाला गया जबकि पेड़ काटने के सम्बन्ध में हमने यहीं सदन में प्रश्न उठाया था कि एक पेड़ को काटने पर हमको तो सजा हो रही है और बिड़ला ने 12 हजार शीशम के पेड़ों को काट दिया और उनको किसी प्रकार की सजा नहीं हुई। तो एक ओर तो पर्वतीय अंचल के लिए कहा जा रहा है कि वहां उद्योग धंधे हो जायेंगे जबकि दूसरी ओर वहां धंधों को समाप्त कर दिया गया और बिड़ला को बढ़ाने के लिए सेंचुरी पल्प को बढ़ाने के लिए 396 एकड़ वन भूमि खाली कर दी गयी और 12 हजार पेड़ कटवा दिए गए तो क्या उनके लिए कानून नहीं है, यह कहां का न्याय हो रहा है।

मान्यवर, कहा जा रहा है कि पर्वतीय अंचल का विकास हम करेंगे। तो एक घंटे पहले हमने यहीं कहा था कि एक तरफ तो पुल का पहिया बना दिया और दूसरी तरफ वन भूमि और पर्यावरण के नाम पर दूसरा पहिया बनाने की इजाजत नहीं मिल रही है जिससे यह काम रुका है। मान्यवर, हमको यहां उत्तर दिया जाता है कि केन्द्र सरकार ने इसमें आज्ञा नहीं दिया है और

---

*वक्ता ने भाषण का लनर्वीक्षण नहीं किया।

[डा0 शिवानन्द नौटियाल]--

केन्द्र सरकार के कृषि मन्त्री श्री राव वीरेन्द्र से 19 तारीख को जब मैं मिला तो उन्होंने बताया कि सारे भारतवर्ष से हमको ऐसे 30 केसेज मिले हैं और उत्तर प्रदेश का हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं है। मान्यवर, 3-3 मीटर के लिए हमारे यहां सड़क बनना रुकी है, एक-एक मीटर के लिए पानी की योजना रुकी है और कह रहे हैं कि पर्वतीय अंचल का हम विकास कर रहे हैं। तो इनका विकास का पैमाना यही है तो मैं कुछ नहीं कह सकता और यह केवल आंकड़े देने, जांचने और समझने के अलावा और कोई बात नहीं है।

मान्यवर, विश्व बैंक की बात यहां आई, उस पर चलोमी में झगड़ा हुआ, मालूम हुआ कि एक हरिजन महिला सड़क पर रो रही थी, चूंकि उसके पति को कर्जे की वसूली के सम्बन्ध में तहसीलदार पकड़े लिए जा रहे थे और एक बारात आ रही थी तो उन लोगों ने महिला से पूछा कि क्यों रो रही हो और मालूम होने पर वह झगड़ा हुआ। तो 90 प्रतिशत की छूट की बात वहां प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हरिजनों को 90 प्रतिशत की छूट दे देंगे लेकिन आज सभी लोगों को पुलिस पकड़ कर जेलों में ले जा रही है। यही कारण है कि विश्व बैंक से कर्जा देंगे और फिर हथकड़ी लगायेंगे। तो इस प्रकार का यदि विकास है तो बहुत भारी प्रश्न चिह्न है।

मान्यवर, संक्षेप में अब मैं कहना चाहता हूं कि हाई स्कूल और इण्टर की परीक्षाओं की तिथियां घोषित हो गयीं लेकिन आज भी गढ़वाल और कुमायूं के हर विद्यालय में 60 प्रतिशत अध्यापक नहीं हैं। 119 इण्टर कालेजों में प्रिंसिपल आज भी नहीं हैं। प्राइमरी विद्यालयों में बाहर से प्राइमरी के अध्यापक भेजे जा रहे हैं। हमने निवेदन किया था कि हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट के जो बेकार लड़के हैं उनको अध्यापन कार्य हेतु लगा दिया जाय।

मान्यवर, इसी तरह से डाक्टरों का मामला है,। 193 अस्पतालों में आज डाक्टर नहीं हैं। यदि यही प्रगति की बात है तो मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है, चूंकि कहा गया है कि पर्वतीय क्षेत्र म बहुत विकास हुआ ह, यदि यही सारे प्रदेश में राज्यपाल महोदय ने प्रगति स्थापति किया है तो प्रदेश के दुर्भाग्य के लिए और कुछ नहीं कह सकता हूं। इन शब्दों के साथ मैं मान्यवर, आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, वैसे हमारा पूरा देश कृषि प्रधान देश है। इसलिए हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सिंचन क्षमता में वृद्धि करना बीस सूत्री कार्यक्रम का पहला सूत्र रखा है। जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। विरोधी दल के नेता का भाषण कल मैं मैंने सुना और उनके द्वारा किसानों की बात कही जाती है। समय की सीमा है इसलिए आज मैं अपनी बात अपने निर्वाचन क्षेत्र से शुरू करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में आजमगढ़ में दोहरीघाट में लिंक नहर निर्माणाधीन है। इसकी योजना 1977 में स्वीकृत की गयी थी जब श्री नारायण दत्त तिवारी मुख्य मन्त्री थे। आप लोगों को अवसर मिला इधर बैठने का, जो विरोध पक्ष में आज हताश होकर बैठे हुए हैं, उनके शासनकाल में उस लिंक कैनाल का पूरे का पूरा काम 3 साल तक बिल्कुल रुका रहा। जो योजना सन् 77 में स्वीकार हुई थी, उसको जून, 80 तक पूरा होना था, लेकिन जून, 80 तक तथाकथित किसानों की हमदर्द सरकार ने उस पर कुछ भी काम नहीं किया। आप जानते हैं कि मंहगाई बढ़ रही है। उस पर जब कांग्रेस सत्ता में आई, तो उसका पहिले जो परिव्यय 641 लाख रुपए का था वह बढ़कर 900 लाख हो गया है। हमारी सरकार ने उस लिंक कैनाल के शीघ्र निर्माण के लिए 474 लाख रुपया उस पर खर्च किया है। तब से कार्य आगे बढ़ा है। सिंचन क्षमता बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए 450 लाख रुपया जो और आवश्यक है यह सरकार स्वीकार करके उस लिंक नहर को, जो फैजाबाद-टांडा से शुरू होकर आजमगढ़ दोहरीघाट तक जाती हैं, शीघ्र पूरा कराएं।

दूसरी मुख्य बात नेता विरोधीदल ने अपने भाषण में यह कही थी कि राजनीति में असामाजिक तत्वों का प्रवेश हो गया है। किन्तु उनको अपने इस कथन पर ठंडे दिल से विचार करना चाहिए। यदि वह इस पर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से उनको इस नतीजे पर पहुंचने में कठिनाई नहीं होगी कि वास्तव में राजनीति में असामाजिक तत्वों का प्रवेश सर्वप्रथम सन् 77 में हुआ जब उनको सत्ता में आने का अवसर मिला। लेकिन 80 में जब फिर काँग्रेस सरकार सत्ता में वापस आई तो उनको राजनीति से ही नहीं, समाज से विहीन करने का एक अभियान चलाया था और उसने बड़े-बड़े डाकू गिरोहों का उन्मूलन किया। प्रदेश में कांग्रेस जिस स्थिति में सत्ता में आई थी, आज उससे बहुत बेहतर स्थिति है। हमने राजनीति और समाज में असामाजिक तत्वों का प्रवेश स्वीकार नहीं किया है, हम उनके उन्मूलन के लिए कटिबद्ध हैं। रोकने में कुछ समय लग सकता है।

अब मैं राजस्व विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष बाढ़ एक समस्या के रूप में हमारे यहाँ आती है। जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूं, वहाँ का एक तिहाई भाग हर वर्ष बाढ़ से जलप्लावित होता रहता है, जिसको वर्तमान और भूतपूर्व मुख्य मन्त्रियों ने देखा है। इस सम्बन्धमें मेरा सुझाव यह है कि जब राहत कार्य चलाया जाय तो उसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए 82 की बाढ़ में दो करोड़ की हानि आजमगढ़ जनपद में हुई थी। और उसमें राहत कार्य के लिए 31 लाख रुपया खर्च किया गया था। इस वर्ष 12 करोड़ की हानि हुई है, तब केवल 34 लाख व्यय किया गया है। यह आपका कौन सा पैमाना है कि चाहे जितना नुकसान हो सहायता उतनी ही दी जायगी। इसके लिए जो उत्तरदायी हैं उसको ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जो वकील हैं। सन् 68 में घोसी और सगड़ी तहसीलों में चकबन्दी शुरू हुई यह ठीक है कि 77 से 80 तक तीन वर्षों में कोई सरकार प्रदेश के अन्दर नहीं रही लेकिन बावजूद इसके आज भी घोसी तहसील में 130 गाँव में और सगड़ी तहसील में 104 गाँव में चकबन्दी नहीं हो पाई है जबकि 5 वर्ष के अन्दर चकबन्दी हो जानी चाहिए थी। अगर 16–16 साल तक चकबन्दी का काम पड़ा रहेगा तो यह चिन्ता की बात है। सगड़ी तहसील में 39 गाँव तो ऐसे हैं जहाँ चकबन्दी की प्रक्रिया ही आरम्भ नहीं हुई है। मेरा निवेदन है कि इन बातों की ओर ध्यान दिया जाय।

इसके अतिरिक्त 1980 के चुनाव घोषणा-पत्र में जनता से जो वायदे हमने किए, निर्धन और धनवान के लिए एक सी शिक्षा देने का जो आश्वासन दिया उसे सरकार को पूरा करना चाहिये। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री थम्मन सिंह गहलौत—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जब माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना अभिभाषण पढ़ा ही नहीं तो धन्यवाद किस चीज के लिये दिया जाये। जो व्यर्थ की परम्परायें पड़ गयी हैं उनमें एक यह भी चली आ रही है कि राज्यपाल महोदय अभिभाषण करेंगे। सरकार की नीतियों का दिग्दर्शन अगर कराना चाहते हैं तो मुख्य मन्त्री उसे यहाँ पढ़ दिया करें, प्रत्येक वर्ष यही होता है कि एक तमाशा और आफत राज्यपाल महोदय आकर खड़ी कर देते हैं।

मेरी समझ में यह भी नहीं आता है कि आखिर वे अपना अभिभाषण पढ़ते क्यों नहीं हैं। जब वे यहाँ आते हैं तो उनका यह कर्त्तव्य है कि वे उसे पढ़ें। अगर कोई विशेष परिस्थित अथवा दिक्कत कोई है जिसके कारण वे नहीं पढ़ सकते हैं, तो पहली एक दो पंक्ति तो उनको पढ़ना चाहिए मगर उसे भी वे नहीं पढ़ते हैं। हर साल वे यही नाटक यहां आकर किया करते हैं और अध्यक्ष

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री थम्मन सिंह गहलौत]
महोदय उस अभिभाषण को पढ़ते हैं। मैं तो 13 तारीख को यहाँ पर था नहीं, पर उनके मुंह में कोई तकलीफ थी, जो वह पढ़ नहीं सकते थे, पैरों में फोड़ा था जो वह खड़े नहीं हो सकते थे, आखिर बात क्या थी ?

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया धन्यवाद प्रस्ताव पर ही बोलें।

श्री थम्मन सिंह गहलौत--

मान्यवर, अगर वे वृद्ध हैं, अशक्त हैं, तो प्रदेश की 12 करोड़ जनता के कानूनी दायित्वों को वे कैसे पूरा करेंगे। वह अगर 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते तो वे क्या काम करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रथा को ही समाप्त किया जाय। मैं ऐसा नहीं समझता कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास दूसरा कोई और व्यक्ति इस पद के लिए होगा ही नहीं।

पहाड़ी जिला घोषित करने के लिए सरकारी कोई नियम जरूर होंगे। उन्हीं के अनुसार वे घोषित किए जाते हैं। आपने बिजनौर जिले को आज तक पता नहीं क्यों पहाड़ी जिला घोषित नहीं किया। नैनीताल जो सबसे अधिक उपजाऊ जिला है, जो उसके करीब सीमा पर है, उसे आपने पहाड़ी जिला घोषित कर दिया है। हमारी सीमा मुरादाबाद जिले से मिलती है।

70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा वह जिला कमाता है लेकिन औद्योगिक दृष्टिसे उसको पिछड़ा हुआ घोषित कर रखा है। बिजनौर जिला जो एक नये पैसे की विदेशी मुद्रा नहीं कमाता उसको औद्योगिक द्रष्टि से विकसित जिला घोषित मान रखा है इसलिये हमारे यहां उद्योग नहीं लग रहे हैं और बाहर लग रहे हैं। इस संबंध में जो पालिसी है उसके बारे में मैंने कई बार कहा है इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये ?

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भूमि संबंधी अभिलेख तहसील में रखे जाते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार और परगनाधिकारी आदि मुकदमा सुनते हैं तो यह अधिकार उनसे छीन लेना चाहिये। जो कुर्क अमीन होते हैं वह पदोन्नत होकर नायब तहसीलदार हो जाते हैं और फिर मुकदमे सुनने का अधिकार आप उनको देते हैं। कानून का उनको कोई ज्ञान नहीं होता वे पहले जो दो, दो रुपये रिश्वत लेते थे उनको यह अधिकार आप दे देते हैं, तो मेरा कहना है कि नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगनाधिकारी से मुकदमा सुनने का अधिकार छीन लीजिए तथा किसी मैजिस्ट्रेट को वहां बैठा दें जो मुकदमों को सुने और उनको निपटाये। वह कानून का ज्ञाता भी होगा और मुकदमों के लिये समय भी देगा। हमारे परगनाधिकारी, तहसीलदार वगैरह ने आज मिनिस्टर आ रहा है, कहीं कोई झगड़ा हो रहा है, कहीं नगरपालिका को देखने जा रहे हैं इन्हीं कामों में लगे रहते हैं, उनको फुरसत नहीं है। लोग तहसील में आते हैं और धक्के खाकर लौट जाते हैं। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

मान्यवर, हजारों हजार गांव इस प्रदेश के अन्दर ऐसे हैं जहां पर सायंकाल, बिजली का प्रकाश नहीं मिलता है। गांव के लोग पैसा देते हैं तो उनको बिजली क्यों नहीं मिलती। बड़े-बड़े शहरों में जहां मरकरी लाइट इतनी तेज जलती है कि रात में भी दिन जैसा दिखता है, जिन गांवों में लोग अंधकार में पड़े रहते हैं, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, खाना नहीं बन सकता है। तो फिर आप गांव के लोगों के लिये क्या करना चाहते हैं। गांव के लोगों को क्या घटिया दर्जे का, नम्बर दो का नागरिक समझ रखा है। अगर नहीं तो उनके लिये बिजली का प्रबंध क्यों नहीं किया जाता है। अगर गांवों के लिये सिंगिल फेज का भी प्रबन्ध कर दिया जाय तो आसानी से गांवों को लाइट मिल सकती है लेकिन कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है। गन्ने के बारे में मैंने कई बार कहा है कि गन्ने का भुगतान हो। इसके लिये किसी निधि की स्थापना कर दीजिये जिससे किसानों को पैसा मिल सके। आप मिल मालिकों से बाद में वसूलते रहिये, क्यों नहीं आप इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिये तैयार हैं। सहकारी गन्ना समितियां हैं, कई साल हो गये हैं उनका चुनाव नहीं हुआ है तो चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो कृषि उपज है चाहे वह धान हो, गेहूं हो या गन्ना हो, कोई भी फसल हो उसका मूल्य तय करने का क्या आधार होना चाहिये। हमारी जो लागत आती है, उसमें मुनाफा जोड़कर भाव मिलना चाहिये। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। भाव कम रखे जाते हैं और उसके बाद अपमानित करने के लिये घोषणा की जाती है कि हम खाद रियायती दर पर, कीटनाशक औषधियां रियायती दर पर दे रहे हैं। नहीं हमें कोई छूट नहीं चाहिये, कोई दान नहीं चाहिये। हम साफ–साफ सिद्धान्त चाहते हैं कि जो लागत आती है उसमें मुनाफा जोड़कर भाव तय करें। बाजार के भाव पर बिजली दें, खाद दें हम मना नहीं करते हैं। तो मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस बारे में विचार करें और इसका उत्तर देंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बिहारी लाल—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का बहुत आभारी हूं कि आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया। श्रीमन्, विरोधी दल के नेता का भाषण मैंने बहुत ध्यान से सुना, वह सत्य से परे है। हरिजनों की आप दुहाई देते हैं, हरिजनों के नाम पर बड़े आंसू गिराते हैं। हरिजनों के नाम पर बड़ी तड़पन आपको हो रही है लेकिन 1977 में मैंने खुद देखा, मेरठ कांड हुआ, आज भी मैं बताऊं कि मेरठ में हरिजनों का एक मंदिर है। वहां पर एक लोकदल के नेता ने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने हरिजनों के मंदिर पर ताला लगवा दिया। विरोधी दल के नेता यहां पर नहीं है, यहां पर होते तो सुनते। उनको पता लगा है कि बिहारी लाल इस किस्म की बात उठायेंगे। व्यक्तिगत रूप से मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं।

श्रीमन्, कुछ दिनों पूर्व हमारे भारत की प्रधानमंत्री और हमारे नेता राजीव गांधी ने अनुसूचित जाति, जनजाति का सम्मेलन किया। दिल्ली में तीन दिन का सम्मेलन हुआ था, तो विपक्ष के जितने भी हमारे नेता थे बैशाखी लेकर चलने लगे, तो मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन्, जो विपक्ष के नेता आज हरिजनों के नाम से आंसू बहा रहे हैं उन्होंने सन् 1977 में हरिजनों के ऊपर काफी अत्याचार किया। अभी डा0 शिवानन्द नौटियाल जी ने कहा, हरिजनों की दुहाई उन्होंने दी, अगर वह यहां पर होते, तो मैं उन्हें बताता, जो भी उन्होंने बात कही सत्य से परे है। मान्यवर, मैं भी पर्वतीय क्षेत्र का रहने वाला हूं और सत्य से जो परे बात होती है, उसको मैं कभी नहीं सुनने के लिये तैयार हूं। श्रीमन्, श्रीपति मिश्र जी की सरकार ने जो विकास किये हैं, आज हमारे प्रदेश में और मैं अपने क्षेत्र की बात बताता हूं, विश्वबैंक की तरफ से आज 25 ट्यूबवैल हमारे खटीमा क्षेत्र में लगने जा रहे हैं। मैं सिंचाई मंत्री जी, वीर बहादुर सिंह जी को माननीय मुख्य मंत्री जी को, माननीय नारायणदत्त तिवारी जी को इसके लिये बधाई देता हूं सितारगंज में एक शुगर फैक्ट्री तैयार होने जा रही है, जो कि 100 करोड़ की है। 175 करोड़ की एक विद्युत योजना हमारे खटीमा टनकपुर में लग रही है। यह मैं बताना चाहता हूं कि जो आप हरिजनों के नाम पर उन्हें गुमराह करना चाहते हैं, बताना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में 24 करोड़ की योजना पालिस्टर की लगने जा रही है। मैं यह भी बता दूं, आप लोग तो सिर्फ इतना जानते हैं, हमारे विपक्ष के लोग हमारी जो सरकार विकास का कार्य करने जा रही है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ ये तो रोना ही जानते है और सत्य से परे बात करते है। ये जो सारे विपक्ष के लोग हैं, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। अगर देश और प्रदेश को सभालना है तो कानून व्यवस्था को संभालना होगा। आपकी बात तनिक नहीं चल सकेगी।

श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से हमारे विपक्ष के लोग हमारे विधायकों को गुमराह कर रहे हैं और अखबारों में बयान दे रहे है, वह निराधार हैं। ये लोग जो इस तरह से पेपर वालोंको बयान देते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार श्री श्रीपति मिश्र की सरकार में सबको पूर्ण विश्वास है। मैं अन्त में, श्रीमन् यह निवेदन करूंगा कि श्री श्रीपति मिश्र

[श्री बिहारी लाल—]
जी हमारे माननीय मुख्य मंत्री हैं, सदन के नेता हैं। माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, वह मेरे क्षेत्र ओखलकांडा में आये थे, श्रीमन्, वहां पर उन्होंने एक घोषणा की थी कि ओखलकांडा से क्वेदल तक जो 11 किलो मीटर रोड है, उसे बना दिया जायगा, उसको मेटल रोड कर दिया जायगा और ओखलकांडा से खन्स्द तक जो वन विभाग की रोड थी, उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया, उसे भी मेटल रोड बनाने का आश्वासन दे दिया था। सप्तशील जो मेरे क्षेत्र में मंजूर थी, उसे मटलिया में ओखलकांडा के अन्तर्गत करना था, अभी तक नहीं हुआ, जो स्वीकृत है। ओखलकांडा की रोड को मंजूर हुए दो वर्ष हो गये, माननीय मुख्य मंत्री की कृपा से एक कांटा मंजूर हुआ है, वह खटीमा नीसरकुढरा क्षेत्र में मंजूर हुआ था। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे बैठे हुये हैं, जो कांटा मंजूर हुआ है, वह कांटा लगाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और विरोधी पक्ष के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय जाने किस गुरूर में रहते हैं जो उनका तथाकथित भाषण हमको मिला है यह प्रदेश के तजुर्बे से मुख्तलिफ है। ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोई सरकार नहीं है और जितनी बातें की गई है, वह सब अनर्गल है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कहा गया है कि कृषि का उत्पादन बढ़ रहा है यह ठीक है, लेकिन किसानों को उससे क्या फायदा हो रहा है क्या लाभ उन्हें हुआ है। जो हालत पिछले साल किसानों की थी उससे भी खराब हो गयी है पूरे प्रदेश में बन्दी का वातावरण बना हुआ है। टाटा बिड़ला के लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। मान्यवर, तालाबन्दी की बात इस सरकार ने कही है जे0के0 रेयान कानपुर में 2 हजार 2 सौ के लगभग मजदूर कार्य करते हैं। यह मिल 16 मई, 83 से बन्द है लेकिन इस सरकार की हिम्मत नहीं है कि कोई कदम उठावे।

मान्यवर, बसों की बात कही गयी है। यह बस जो सरकार की है बहुत ही शर्म आती है कहते हुए इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यह जो बस है कबाड़खाना बना दिया है, सरकार ने। इसके बाद बुनकरों की बात आती है, इनकी भी बहुत बड़ी समस्या है। इसके बाद महामहिम द्वारा ला एण्ड आर्डर की बात कही गयी है यहाँ पर हमारे जिले से 12 कांग्रेस पार्टी के विधायक चुनकर आ गए हैं इनमें से कई विधायकों ने लिखा है कि दरोगा जो खूनी है, उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पुलिस मनमानी हो गयी है, जो जी चाहता है वह करे। माननीय मन्त्री जी बैठे हुए हैं आपने क्षेत्र की बात सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि तमाम चीनी, मिट्टी का तेल, सीमेन्ट और तमाम गल्ला चोर-बाजारी में बिक रहा है। जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है उसे मैं कागजी जाल और फरेब समझता हूं जिसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिए। इन शब्दों के साथ ही मैं जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है इसका घोर विरोध करता हूं।

*श्री राज कुमार राय—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय जयदीप सिंह बरार के धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैं बहुत गौर से नेता विरोधी दल के भाषण को सुन रहा था लेकिन ऐसा लगा कि वह घिसीपिटी बात कह रहे हैं। अन्य चीजों को ढूंढ़ने की तकलीफ उन्होंने गवारा नहीं की और माननीय राज्यपाल ने उसमें साफ दर्पण प्रस्तुत किया। उसको देखने का कष्ट उन्होंने नहीं किया। मान्यवर, उनको सुनने से ऐसा लगा कि पूरा विरोधी दल चिन्तन के घेरे में है। मान्यवर, जो कुछ प्रदेश के अन्दर हो रहा है उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर यदि गौर किया जाये तो मानना पड़ेगा आज जबकि प्रदेश मान रहा है कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति जितनी ठीक है जितनी सही है उतनी पिछले सालों में नहीं रही।

मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की स्थिति खराब कहने वाले लोग जब सत्ता पक्ष में थे 77 से 80 के बीच तो पूरा प्रदेश रो रहा था और कोई पुरसां हाल नहीं था। हम लोग उस जिले से आते हैं, जहां से मुख्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन गरीबों का, दलितों का, पीड़ितों का कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज एक सक्षम सरकार है एक शक्तिशाली नेता के नीचे एक मजबूत सरकार है। प्रदेश के अन्दर कहीं भी स्थिति खराब नहीं है। जहां भी कोई बात होती है शासन किसानों का आंसू पोछने के लिये खड़ा हो जाता है। इसलिये ला और आर्डर की स्थिति इस सरकार के कन्ट्रोल में है। जनता पार्टी के शासनकाल में छोड़ी हुई श्रमिक अशांति की जो स्थिति थी वह आज कन्ट्रोल में है। आज पूरे प्रदेश में कानपुर में कहीं भी अशांति नहीं है। लखनऊ में शिया सुन्नी दंगे नहीं हुए। साम्प्रदायिक सद्भाव बना हुआ है। आप जरा सुनने की तकलीफ करें। बोलने की शक्ति से सुनने की शक्ति ज्यादा है। इसलिये मान्यवर, मैं कह रहा था इस प्रदेश के अन्दर सक्षम सरकार न होती, तो पूरे प्रदेश में शिक्षकों की हड़ताल खड़ी हुई, आन्दोलन खड़ा हुआ, उनकी मांग सही है या गलत है, वह अलग है, लेकिन मान्यवर, जब वर्ष 1978-79 में जनता पार्टी की सरकार थी या लोक दल की सरकार थी तो शिक्षक बन्धुओं को लाठी से पीटा गया और जेल के अन्दर लाठी चलाई गयी। लेकिन आज शिक्षक बन्धुओं की समस्यायें हैं, जो उनके संस्कार हैं, उनकी सहनशीलता है, उनकी द्योतक है। इनको समवेत मान लेना चाहिये कि चूंकि ऐसी सरकार थी, जो निर्णय लेने में सक्षम थी। इन्होंने वार्ता द्वारा से बताया कि क्या हो सकता है और क्या नहीं।

भट्ठों का आन्दोलन जिस तरह से हुआ और अनावश्यक रूप से इन लोगों ने दिल्ली तक इस मामले को उठाया। इस समस्या को इस सक्षम सरकार ने समय के अन्दर हल कर दिया। प्रदेश के अन्दर भट्ठे चलने लगे। यह होता है सक्षम शासन। ऐसा शासन ही प्रदेश का शासन चला सकता है। आज हम सबसे पहले गरीबों की तरफ देखते हैं। इस सरकार ने श्रमिक गारंटी योजना के अन्तर्गत लाखों लोगों को रोजगार दिया है। एक गरीब, एक मजदूर, एक मजबूर व्यक्ति फावड़ा लेकर, हंसिया लेकर खड़ा होकर कहे कि दोनों हाथ से हम कुछ कर सकते हैं और हमारे पास काम नहीं है तो यह शासन उस गरीब की तरफ देखता है। कहता है कि चाहे जितने रुपये लगें, करोड़ों अरबों रुपये लगें, खर्च करने पड़ें, उसे रोजगार देंगे। सरकार उस बिना पढ़े लिखे की तरफ देखती है। सड़क, नहरें चाहें कम बनें लेकिन पहले गरीब के लिये काम की व्यवस्था करते हैं। एन0 आर0 पी0 के अन्तर्गत अनेकों लोगों को काम दिया गया है। चाहे जिस पक्ष के लोग हों, लेकिन आज विकास अभिकरणों में माननीय विधायकों को साझेदारी कर दी गयी है। विधायक क्षेत्रों में जाकर कह सकते हैं कि यह सम्पर्क मार्ग हमने बनवाया है। यह जनतंत्र है, जनता का राज है, जनता का स्तर ऊंचा उठाना है। आज सारे विश्व के अन्दर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हिन्दुस्तान का मस्तक अपने कारनामों से ऊंचा किया है। इस प्रदेश के अन्दर दो मुख्य मंत्री हुए, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह और श्री श्रीपति मिश्र, इन्होंने अपने कारनामों से दिखा दिया है कि किस तरह प्रदेश का शासन चलना चाहिये। गरीब के लिये, मजदूर के लिये हर सुविधा आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं जयदीप सिंह बरार जी द्वारा रखे गये इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं।

श्री गोपीनाथ वर्मा---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, अभी हमारे आजमगढ़ के एक माननीय सदस्य बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने शिक्षकों द्वारा जो आन्दोलन किया जा रहा था, उनसे समझौता करके सरकार की राय से अपना आन्दोलन वापस ले लिया। मान्यवर, मैं इस

[श्री गोपीनाथ वर्मा]

संबंध में स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार की राय से शिक्षकों ने अपना आन्दोलन वापस नहीं लिया है, हाईकोर्ट के एक निर्णय के आधार पर उन्होंने अपना आन्दोलन वापस लिया है। वे मजबूर थे। उनके साथ आपने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई।

श्रीमन्, यह कहते हैं कि हमने शिक्षकों के लिये बहुत कुछ किया और उनकी सारी मांगे मानते रहे। मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री ने साफ रूप से कह दिया था कि शिक्षकों की मांग नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि हम स्वयं कंगाल हुये हैं। हमारे प्रदेश के पास पैसा नहीं है। आप पूरे प्रदेश मे सुरक्षा की बात करते हैं, किसानों के गांवों के विकास की बात करते हैं। आज गांव में किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं मिल पा रहा है, उसे बिजली नहीं मिल पा रही है। रात्रि में सिर्फ 3—4 घण्टे बिजली दी जा रही है और दिन में तो एक घण्टा भी बिजली उसे नहीं मिल पा रही है। खाद के दाम आपने बढ़ा दिये हैं। किसान को जिन-जिन चीजों की जरूरत थी, उन सभी के दाम आपने बढ़ा दिये हैं। चाहे वह कृषि क्षेत्र में हो। फैजाबाद में जो बुनकर हैण्डलूम व पावर लूम के छोटे उद्योगों में लगे हुये हैं। उनके पावरलूमों के कनेक्शन आपने काट दिये हैं। तकावी के रूप में धन दिया गया जो धन दिया गया था उसकी वसूली सख्ती से करनी शुरू कर दी है। जबकि बुनकरों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। यही नहीं पावरलूमों पर बने माल की शासन द्वारा क्रय हेतु व्यवस्था नहीं की है तथा उनको कच्चा माल सप्लाई करने की भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। आज आपकी सरकार छोटे उद्योगों को इस प्रकार समाप्त कर रही है।

आज सरकार यह कहती है कि हरिजनों के उत्थान के लिये और उनकी सुरक्षा के लिये अनेकों कार्य किये। हरिजनों को आवास बनाने के लिये पट्टे, कृषि कार्य के लिये दिये, वे सारे के सारे आपकी फाइलों तक सीमित हैं। आपकी सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी की गुण-गान करती है तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्दर जो उपलब्धि है, वह सिर्फ एक है—वह है, आपने राजीव गांधी को पैदा किया। जिसे आप स्वयं स्वीकार करते हैं। आज की मौजूदा सरकार जो कर रही है, वह प्रदेश के हित में नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री यहां बैठे हैं। आज पूरे प्रदेश में बहुत से अस्पतालों में दवा नहीं है तथा अस्पतालों में वहां डाक्टर्स और न कोई नर्स है। मरीज बेचारा वहां जाता है और मजबूर होकर लौट आता है।

श्रीमन्, टाण्डा में एक अस्पताल बनाने का प्रस्ताव था और उसके लिए 5 एकड़ भूमि भी वहां उपलब्ध हो गयी थी। 14 बार कलेक्टर उसकी जांच कर चुका है, 50 बार मंत्री उसकी जांच कर चुके हैं, किन्तु मंत्री जी अभी तक उस पर निर्णय नहीं ले पाये हैं। जब वे एक अस्पताल बनाने पर निर्णय नहीं ले सकते हैं तो फिर यह प्रदेश का कैसे भला कर सकते हैं।

श्रीमन्, परिवहन विभाग को आप देखे लें। अभी दो बसें कानपुर वर्कशाप में मरम्मत के लिये भेजी गई थीं। उन दोनों बसों की मरम्मत पर एक लाख 40 हजार 4 सौ रुपए लगा। आज इस तरह से प्रदेश की जनता का पैसा लूटा जा रहा है। परन्तु मंत्री जी कहते हैं कि हमारा विभाग ठीक-ठाक चल रहा है। मैं कहता हूं कि यह मौजूदा सरकार पूर्ण रूप से फेल हो गई है। यदि यही स्थिति रही तो आप विकास के लिये चाहे, वह हरिजनों, किसानों, छात्रों, व्यापारियों के हितों हेतु, कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, मैं आज यहां बैठा माननीय नेता विरोधी दल और विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों की बात को बड़े गौर से सुन रहा था। मान्यवर, जो मैंने सुना, यह लोग कह रहे थे कि

महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में कुछ कहा ही नहीं कि प्रदेश का विकास किस तरह से होगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इनको तीन साल शासन में रहने का अवसर मिला था, जब अपने शासनकाल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब कुछ किया ही नहीं, तब इनको वही दिखालायी देगा। मान्यवर, एक कहावत है, "सावन के आंधरों को सूझत हरो–हरो" जब कोई आदमी सावन के महीने में अंधा हो जाता है, तो उसको हर जगह हरा ही हरा दिखायी देता है। मान्यवर, उसी प्रकार से जब 3 साल के अपने शासनकाल में इन्होंने कुछ किया ही नहीं, तो इन्हें हर तरफ यही दिखलायी देता है कि कहीं कोई काम ही नहीं हो रहा है। मान्यवर, हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी हैं। इस देश में सबसे कमजोर और गरीब हरिजन हैं, निर्बल वर्ग के लोग हैं, जिनका कि विकास होना अत्यन्त आवश्यक है। मान्यवर, अगर इस देश का कोई भी नेता उनका अधिकतम कल्याण चाहता है, तो वे हैं माननीया नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी।

मान्यवर, जहां तक इस विरोध पक्ष के लोगों का सवाल है, यह तीन साल के शासन में हरिजनों को कुछ देने को तो कौन कहे, बल्कि जो उनको दिया जा रहा था, उसमें भी कटौती किये। नौकरी के आरक्षण की सुविधा में इन्होंने कटौती की और यही नहीं यह तो यहां तक, इस स्तर तक, पहुंच रहे थे कि यह आरक्षण सुविधा ही उनकी समाप्त कर दी जाय। अगर यह थोड़े दिन तक और रह गये होते, तो यह हरिजनों के लिये आरक्षण की सुविधा को ही समाप्त कर देते। एक कहावत है "बिलारी के भाग से सीकहर टूटा" मान्यवर, हरिजनों के भाग्य से इनकी सरकार चली गयी, नहीं तो यह हरिजनों का सबसे बड़ा नुकसान कर देते। मान्यवर, जहां तक अनुशासन की बात कही जाती है, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह स्वतः अनुशासन में नहीं है, तो फिर गांव के बसने वाले छोटे कर्मचारियों या अधिकारियों जिनके सामने अनेकों समस्यायें नित्य प्रति आया करती है, नियंत्रण करना उनके लिये कठिनाई होती रहती है, जिन्हें आपका उसमें सहयोग चाहिये, सहयोग की बात तो दूर रही, आप उसमें भी अनुशासनहीनता पैदा करते हैं। जब उस दिन महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ, या जिस समय उन्होंने प्रवेश किया, उस समय उनके समक्ष इस तरह का प्रदर्शन किया गया, इस तरह का हंगामा किया गया, जिससे कान ही फटने लगे थे। वह अभिभाषण नहीं होने दिया और, इस प्रकार की अनुशासनहीनता बरती कि माननीय अध्यक्ष जी के पास पहुंच कर, उस अभिभाषण की प्रति को भी छीन लिया। जब इस तरह की अनुशासनहीनता वे यहीं सदन में कर सकते हैं, तो वे किस तरह से अनुशासन की बात कहते हैं? मान्यवर, जब यह इतने अधिक मतदाताओं के बीच से चुनकर आते हैं, तो कम से कम उस स्थिति का ध्यान कर, इनको यहां तो कम से कम अनुशासन में रहना चाहिये। यहां की कार्यवाही में तो व्यवधान नहीं डालना चाहिये था।

(लाल बत्ती जलने पर)

मान्यवर, थोड़ा समय दे दें।

श्री अधिष्ठाता––

आप अपनी बात एक मिनट में समाप्त करें।

श्री कुबेर भण्डारी––

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दरम्यान कुछ शब्द कहे कि सरकार का कुछ फट गया है। तो, मैं उसे समझ नहीं पाया हूं यह जरा उसे स्पष्ट कर दें कि सरकार का क्या फट गया है।

श्री अधिष्ठाता––

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है। आप बैठें।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री––

क्या किया गया और क्या किया जायेगा, यह सारा विवरण बजट में सदन के अन्दर आ जायगा। यह तो नीति के सम्बन्ध मे एक भाषण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रदेश का विकास किस तरह से करना चाहती है। इसकी नीति निर्धारित करते हुए उन्होंने

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री]

अपने अभिभाषण में बातें कहीं हैं और उसी के अनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मन्त्री-गण तथा इस प्रदेश के सारे लोग मिलकर इस प्रदेश का विकास करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ माननीय बरार जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

*श्री रामस्वरूप वर्मा---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण है, उसके पृष्ठ 2 पर लिखा हुआ है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत विशेष प्रयास किया जा रहा है। इसी को देख लें। अभी रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक सर्वे किया, वह क्या रिपोर्ट देंगे यह तो बाद की बात है, लेकिन उनके अधिकारियों का कहना था कि स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान और आई0 आर0 डी0 योजना में तीन तरह के लोग हैं। पहली प्रकार के वे हैं जिनको कि जितना अनुदान मिलना है, वह सब रिश्वत में ले लेते हैं, दूसरी प्रकार के लोग वे हैं जिनको जितना अनुदान मिलना है, उसमें से हिस्सा दे देते हैं, बाकी पैसा उनके पास रह जाता है?। तीसरी प्रकार के अनुदान वे हैं जो फर्जी नाम से लिये गये हैं और कहीं आई0 आर0 डी0 की योजना से सम्बन्धित नहीं हैं। तीन तरह के लोग हैं। जाहिर है कि जितना रुपया जिस काम के लिये दिया जाता है, अगर नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। जब योजना का पैसा ही नहीं मिला तो वह योजना चलेगी कैसे।

कह रहे हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे वालों का जीवन ऊंचा करेंगे। जब 59.6 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन जी रहे हैं तो कितना बड़ा प्रयास होना चाहिये। इतना खोखला सरकार का प्रशासन है कि जिनको पैसा मिलना चाहिये नहीं मिल रहा है। नारा यह लगाया जा रहा है कि गरीबों की तरक्की के लिये काम कर रहे हैं। सरकार एक काम करे अगर ऐसा ही है तो सारे ब्लाक्स में जितना कम्पोनेन्ट प्लान और आई0 आर0 डी0 का पैसा दे रहे हैं, उनका एक विवरण कि कितना रुपया दिया, किसको दिया, किस काम के लिये दिया, आप एक लिस्ट प्रकाशित कर दीजिये और ब्लाक वाइज कह दीजिये कि उसको ग्राम सेवक या अन्य किसी के कार्यालय से ले लें। आपका पचास प्रतिशत रुपया तो पूंजीपतियों के हाथ में चला गया है, जो नीचे से लेकर मन्त्रिमंडल स्तर तक के लोग हैं। अगर मन्त्रीगण सम्मिलित नहीं हैं तो हमारा दावा है इसके कार्य को दिखा दें और फिर देख लें कितने लोग फर्जी निकलेंगे। पैसा कहां गया, करोड़ों रुपया पूंजीपतियों ने 18 प्रतिशत ब्याज की दर पर उठाया हुआ है, 4 प्रतिशत सरकार को वापस करते रहेंगे। यह सरकारी योजना का खोखलापन है। गरीबी की रेखा से ऊपर जीने वालों की संख्या नगण्य है। जो धनवान हैं, वे ऊपर उठ रहे हैं। कुलीनतंत्रीय सरकार का चेहरा बेनकाब हो गया है, यह जनतंत्रीय नकाब में अपना चेहरा ढके हुए थे। 50 प्रतिशत पैसा फर्जी चला जाता है। यह सारा पैसा उन अमीरों की जेब भरने के लिये है, जो कुलीन कहे जाते हैं। तो यह कुलीनतंत्र के लोगों का पर्दाफाश हो गया है।

अब दूसरी बात मान्यवर, आप देखें कि यह सरकार कृषि की तरक्की के लिये काम कर रही है। कृषि की तरक्की कैसे होगी, यह निर्भर है, उन चीजों के इस्तेमाल पर जिन चीजों को किसान इस्तेमाल करता है। यदि कृषि से संबंधित चीजें सस्ती होंगी तो किसान उसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और जब ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका उत्पादन भी ज्यादा होगा और इस प्रकार कृषि तरक्की कर सकेगी, लेकिन आज परिस्थिति जो देखने को मिल रही है, वह बहुत ही गम्भीर है। आज किसानों को कोई भी चीज चाहे वह पानी हो, खाद हो, बिजली हो, बीज हो, इन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सारी चीजों की कीमत इतनी बढ़ी हुयी है, इन सारी चीजों पर टैक्स इतने बढ़े हुये है, जिसकी वजह से आज किसान इन चीजों का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं कर पा रहा है। यूरिया को देख लीजिए जिसकी लागत कम से कम प्रति बोरी सिर्फ 36 रु0 आती है परन्तु वह आज 112 रु0 में मिल रही है, तो इस तरह से यदि यह कहा जाय कि यह सरकार सिवाय किसानों का शोषण करने के और कुछ नहीं कर रही है। अगर किसान की इस प्रकार की मुख्य उत्पादित चीजों पर इतना टैक्स लगाया जायेगा तो देश और प्रदेश का क्या होगा। इस प्रकार से आज कुलीनतंत्र के लोगों का हर स्तर पर एक जाल सा बिछा हुआ है जो गरीब लोगों को उठने नहीं देना चाहता हैं। जबकि दूसरे मुल्कों का मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सवा छः एकड़ के लोगों को जापान 50 एकड़ और ढाई सौ एकड़ से ऊपर के किसानों को अमेरिका 40 पैसे प्रति लीटर डीजल तेल खेती के कामों के लिये दे रहा हैं, परन्तु यह नो लास और नो प्राफिट पर भी किसानों को कुछ देना नहीं चाहते हैं।

और दूसरी बात मैं मान्यवर, यह कहना चाहता हूं कि हड्डी और खली की जीविका खादों का निर्यात दूसरे देशों में करीब डेढ़ अरब में किया जाता है और विदेशों में करीब साढ़े चार अरब की खाद यूरिया फास-फोरस पोटास तथा आजीविका खादें जो है उनको मंगाया जाता है। तो यह कुलीन तंत्रीय सरकार का दोनों तरफ से जेब भरने की एक चाल है। तो यह सरकार अब बिलकुल नाकामयाब हो गयी हैं और इसका पर्दाफाश हो गया है, इसलिये जो अभिभाषण प्रस्ताव श्री राज्यपाल महोदय ने पेश किया है, उसमें मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं, उसको उसमें सम्मिलित किया जाय, इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने श्री बरार द्वारा प्रस्तुत महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जब विरोध पक्ष के लोग बोलने के लिये खड़े होते हैं तो शायद यह भूल जाते हैं कि आज प्रदेश कितनी तेजी से विकास कर रहा है और वह अपने जमाने की बात को याद रखते हुए और अपने जमाने की तस्वीर को याद करते हुये बोलते हैं और वही तस्वीर मौजूदा सरकार में भी देखने की कोशिश करते हैं, यह उनका दोष नहीं है, जैसा चश्मा उन्होंने चढ़ा रक्खा ह, वैसा ही उनको नजर आयेगा। ला एण्ड आर्डर के बारे में विरोध पक्ष के नेता ने कहा कि स्थिति अच्छी नहीं है। जबकि आज ही उसका सबूत देखने को मिला कि कानपुर के दो डकैतों को पुलिस ने मार कर गिराया, उसके बाद भी विरोध पक्ष के यह नेता गण कह रहे है कि ला एण्ड आर्डर की स्थिति ठीक नहीं है।

श्री मोती लाल देहलवी--

कानपुर में और जो अन्य घटनायें रोजाना घट रही है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं ?

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--

वहां पर सब ठीक है। साथ ही जो विकास कार्य प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जैसी नेता के नेतृत्व में हो रहे हैं, वह भारतवर्ष क्या पूरे संसार में छिपा नहीं है, इसलिए वह सम्पूर्ण भारत की ही नहीं बल्कि पूरे संसार की नेता हैं और जितने भी दबे पिसे लोग हैं उन सब की नेता हैं, वह संघर्षों और बहादुरों की नेता हैं, वह कायरों और बुजदिलों की नेता नहीं हैं। इंदिरा जी का जो बीस सूत्री कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत आज समाज का कोई भी अंग ऐसा बचा नहीं है जिसमें उसके लिये कोई कार्यक्रम न हो और कोई लाभ उन्होंने उसको न दिया हो। युवकों के लिये उन्होंने कहा कि हम स्वरोजगार योजना चला रहे हैं और जो युवक स्वयं अपना रोजगार लगाना चाहे उसे सरकार 25,000 रु0 रोजगार स्थापित करने के लिये दे रही ह वह काम करके अपनी रोजी चलावे। यह भी योजना सरकार ने की है कि जो लोग गरीबी की रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसे 600 लोगों को प्रदेश के हर ब्लाक में वह काम दे रही हैं

[श्री चन्द्रशेखर त्रिवेदी–]
और हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को कुछ दिखायी ही नहीं दे रहा है और कहते है कि विकास का कोई काम सरकार ने किया ही नहीं है।

हरिजनों के लिये स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान है और बीस सूत्रीय कार्यक्रम चल रहा है। हरिजनों की बस्तियों में विद्युतीकरण किया जा रहा है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत हरिजनों के लिये अलग से जमीन उपलब्ध करायी जा रही है और उनके लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रदेश में नई-नई नहरें निकाली जा रही हैं, नये–नये नलकूप लगाये जा रहे हैं और ये लोग चिल्लाते हैं कि विकास नहीं हुआ है, इनको तो यह कहते हुए शर्म आनी चाहिये। केवल चिल्लाने से गरीबी व पिछड़ापन दूर नहीं किया जा सकता। इनका तो एक ही काम है चाहे ये सदन में बोलें या चाहे सदन के बाहर बोलें, बस ये श्रीमती इन्दिरा गांधी की व श्री श्रीपति मिश्र की सरकार की आलोचना करेंगे। मैंने सुना है मेरे एक मित्र कह रहे थे कि शेर--शेर बहुत लोग चिल्लाते हैं। शेर कहा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, शेर लिखा जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, शेर कटघरे में बन्द हो तो बहुत अच्छा लगता है तो यह शेर जो हर तरह से अच्छा लगता है, यह शेर यदि सामने आ जाय तो उसकी हालत खराब हो जाती है, पायजामा आगे से गीला और पीछे से पीला हो जाता है। इनके पास श्रीमती इन्दिरा गांधी को गाली देने के सिवाय और कोई काम नहीं है। विकास के कामों में आप भागीदार बनना चाहते है क्योंकि यहां सदन में बार–बार इस बात की शिकायत आयी है कि जिलों में क्षेत्रीय विकास के संबंध में जो मीटिंग्स होती हैं उसमें हमको भाग नहीं लेने दिया जाता है, कोई ऐसी व्यवस्था कीजिये कि क्षेत्रीय विधायक भी उसमें हिस्सा ले सके इससे पता चलता है कि आप भी उसमें भागीदार होना चाहते हैं।

मान्यवर, दो-एक बातें मैं अपने क्षेत्र के संबंध में भी कहना चाहता हूं कि हमारे यहां लोगों के गन्ने के भुगतान का जो बकाया पड़ा हुआ है इसे शीघ्र ही भुगतान करा दीजिये। हमारे यहां एक गांव है घैला, यह हर वर्ष गोमती नदी की बाढ़ से त्रस्त रहता है।

श्री कुबेर भण्डारी---
मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ये कहें हैं कि इन्दिरा गांधी को देखकर विरोधी पक्ष के लोगों का पायजामा ढीला हो जाता है, यह क्या संसदीय है ?

श्री अधिष्ठाता--
ठीक है, देख लिया जायेगा कि क्या संसदीय है और क्या असंसदीय है।

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी--
मैं कह रहा था कि घैला गांव में 150 मकान गोमती के कटाव के चपेट में आ गये हैं। कोई ऐसा कार्यक्रम बनाइये, एक योजना बनी भी थी परन्तु मुझे सूचना है कि उस योजना में सारा पैसा वहां के इंजीनियर्स खा पी गये और योजना समाप्त हो गयी। मैं चाहता हूं कि उस योजना को क्रियान्वित कराइये और जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त जो आवास विकास का और एल० डी० ए० का मकान बनाने का कार्यक्रम चल रहा है इससे बहुत से गांव प्रभावित हैं। जो गांव इनकी स्कीम के बीच में पड़ते हैं उनके लिये सरकार से निवेदन है कि खड़ंजा, सीवर लाइन, पानी तथा बिजली उपलब्ध करायी जाय। इसके अतिरिक्त इनको जो मुआविजा देना चाहये उसकी स्थिति बहुत खराब है क्योंकि वे इनसे उजरिभाव की 13 पैसा फिट जमीन ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त हैवानियत से पेश आते हैं, खड़े हुए मकान गिरा देते हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि आवास-विकास के जरिये और एल० डी० ए० के जरिये जो जमीन ली जाय उसका पूरा मुआवजा किसानों को दिलाया जाय और गांवों को सारी सुविधायें प्रदान की जायं।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। माननीय सदस्य ने अपने भाषण में कहा है कि विरोधी पक्ष के लोग इन्दिरा जी को गाली देते हैं, मान्यवर, इसको हटा दिया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

मैंने कह दिया है कि अगर कोई भी असंसदीय बात होगी तो उसको हटा दिया जायेगा। आप अपना भाषण जारी करें।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने जो भाषण दिया है, दिलाया है या पढ़वाया है, उसके बारे में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, यह सरकार दिशाहीन है। इस सरकार के पास कोई निश्चित दिशा नहीं है, लिहाजा इस सरकार के क्रियाकलाप पर राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया है उसका जीवन के तथ्यों से कोई सम्बन्ध नहीं है, कोई मेल नहीं है। समय बहुत कम है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र की बहुत सी समस्यायें हैं। पर्वतीय क्षेत्र के बारे में सरकार को बड़ी गलतफहमी हो गयी है कि वह वहां निर्माण कार्य करा रही है। पिछले 4 सालों से तमाम निर्माण कार्य ठप हैं केवल बांधों और बड़े-बड़े बांधों का निर्माण हो रहा है और इस तरह के पौधे जैसे यूकेटोरियम और पारथेनियम पैदा हो रहे हैं जिनके बारे में यह सरकार सोई हुई है।

मैंने नियम 301 के अन्दर इस सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और अफसोस है कि जब लौटकर लखनऊ आता हूं तो देखता हूं कि इन विषाक्त पौधों ने लखनऊ को भी अपनी चपेट में कर लिया है। आपके बहुत से बड़े-बड़े अधिकारी हैं उनको बड़ी-बड़ी चीजें ही दिखायी देती हैं वर्ल्ड बैंक और यूरोपियन कम्युनिटी के लोग ही दिखायी देते हैं, उनको इस प्रकार के विषाक्त पौधे नहीं दिखायी देते हैं और वह पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य को बरबाद कर रहे हैं। केन्द्र सरकार का ध्यान भी इस ओर खींचा गया है। हमारी सरकार तो बड़े-बड़े बांधों को बनाने में ही लगी हुई है। टेहरी से जबरदस्ती लोगों को भगा दिया गया है और वहां पर बड़ी आसानी से इन पौधों ने कब्जा कर लिया है। अगर इनका उन्मूलन नहीं किया गया तो हमारे देश का स्वास्थ्य चौपट हो जायगा, लेकिन ये लोग मानने वाले नहीं है। करोड़ों रुपया खर्च कर के योजनायें बनायी जाती हैं और बहुत सी योजनायें ऐसी हैं, अगर एक फर्लांग का टुकड़ा सड़क का रह गया तो वह नहीं बनाया जाता है। एक ओर 20 किलोमीटर रोड बन गयी और दूसरी ओर 40 किलोमीटर रोड बन गयी और बीच में अगर एक फर्लांग का टुकड़ा बच गया तो वह नहीं बनायी जाती है क्योंकि वह वन भूमि है। इस प्रकार से करोड़ों रुपया नष्ट हो रहा है। जब उस एक फर्लांग के टुकड़े को नहीं बनाया जाता है उस पूरी सड़क का कोई फायदा जनता को नहीं मिल पाता है। जब तक उस एक फर्लांग के टुकड़े को बनाने की स्वीकृति दी जाती है, तब तक बनी हुई सड़क बरबाद हो जाती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का धन है और इसको इस तरह से बरबाद किया जा रहा है और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है और वन भूमि के कारण रोक दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि इस तरह के कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले।

श्रीमन्, मैं टेहरी बांध के विस्थापितों की समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जब पंत नगर में वनों का सफाया किया गया तो वहां पर नेताओं ने अपने लिये 20–20 और 30–30 एकड़ के जमीन के टुकड़े ले लिये। बड़े-बड़े लोगों ने और बड़े–बड़े नेताओं ने ले लिये। एक–एक हजार एकड़ के फार्म जिनमें पहले पेड़ लगे थे, नैनीताल की तराई के भूस्वामियों के पास हैं। चम्बामारी उसमें एक फल बेल्ट बना ली गई और अच्छा खासा जंगल काटा गया। पांच–पांच एकड़ के टुकड़े जनरल्स और करनल्स तथा मंत्री और संत्रियों को भी दिये गये लेकिन टेहरी बांध के विस्थापितों के लिये जब जमीन देने की बात कही जाती है तो उस पर कहा जाता है कि हमारे पास उनके लिये कोई जमीन नहीं है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि टेहरी बांध से प्रभावित होने वाले लोगों के लिये आपके पास जमीन क्यों नहीं है। जब

[श्री विद्यासागर नौटियाल[

आपके पास उनके लिये जमीन नहीं है तो क्यों आपने वहां पर बांध बनाने का प्रस्ताव किया है। पर्यावरण का अर्थ है वातावरण को शुद्ध रखना। पेड़ इसलिये रखे जाते है ताकि वातावरण को शुद्ध रखा जाय। प्राणी जगत का उससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। पेड़ पौधे भी प्राणी है। कोटली भेल बांध प्रस्तावित है। उसमें पांच करोड़ पेड़ काटे जाने का प्रस्ताव है जिनमें कि 100–100 और 80–80 फिट की ऊंचाई वाले पेड़ भी हैं जिनकी आयु लगभग 100 साल की होती है। इसके बारे में आपकी सरकार ने नहीं सोचा। अभी श्री श्रीपति मिश्र जी को पता नहीं होगा कि 5 करोड़ पेड़ पांच साल के बाद इनके सिंचाई विभाग के अधिकारी काट देंगे और हमको बसाने के लिये कहा जा रहा है कि पेड़ नहीं काटे जायेंगे। बांध के लिये आप इन पेड़ों को काट देंगे। समस्त जगत की वनस्पति जो कि एक बहुमूल्य सम्पदा है, उसे आप समाप्त कर देंगे। यह कहां तक न्यायसंगत बात है। यह सरकार उल्टी है। माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपने अपनी सरकार के क्रिया कलाप माननीय राज्यपाल के मुंह से कहलाये हैं मैं उसका विरोध करता हूं और उस पर जो संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर और धन्यवाद के प्रस्ताव पर समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक छोटी सी पुस्तक में महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस प्रदेश के बढ़ते हुये विकास के कदमों को दर्शाया है। जैसे गागर में सागर भरा गया है। मैं माननीय विरोधी दलों के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि तन मन लगाकर स्वच्छ मस्तिष्क से वे इन काले-काले अक्षरों को पढ़ें। उसमें विकास का मार्ग दिखाया गया है। जब हम लोग प्रदेश के विकास की चर्चा करते है तो आप सब विनाश की चर्चा करने लगते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की चर्चा की है उसकी मुझे स्वतः जानकारी है क्योंकि मैं बराबर उनके इम्प्लीमेंटेशन में रुचि रखता हूं। हमारी नेता माननीया इन्दिरा गाँधी जी और मुख्य मंत्री जी ने समय–समय पर आपको साथ लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने के कार्यों को पूरा करने के लिये अवसर दिया है। जैसे अनुसूचित जाति के लोगों की भलाई लिये उसमें कहा गया है। मैं अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बन्धित समिति का सदस्य भी हूं और मुझे बड़ी खुशी है कि आजादी के बाद अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के बारे में हमारे देश की महान नेता एवं प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी जी ने इसकी शुरूआत की है। जैसे मैंने देखा विधवाओं एवं वृद्धाओं की पेंशनें इन हरिजन जाति की बहन बेटियों के लिए जो गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी शादी के लिये एक हजार से पाँच हजार तक रुपये हमारी सरकार ने दिये हैं। (व्यवधान) जरा सुनिये थोड़ा समय लगेगा।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय हरदेव जी, अपने विचारों को शीघ्रता से व्यक्त करें, समय समाप्त होने जा रहा है।

श्री हरदेव—

मुझे जानकारी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने हजारों हजार लोगों को सहायता दी है, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं शादी विवाह के लिये, मरण जीवन के लिए, उत्पीड़न से बचाने के लिये मरीजों को बचाने के लिये दिया होगा।

स्पेशल कम्पोनेंन्ट प्लान गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को उठाने के लिये चलाया गया है। आप लोग उसमें रुचि नहीं लेते है यह अफसोस की बात है, आप अपने क्षेत्र के गरीबों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहते हैं।

हमारी प्रधान मंत्री जी के 20 सूत्री कार्यक्रम की आप लोगों द्वारा चर्चा की गयी। जब आप खुद बहुरुपिए हैं तो इसको कैसे जानेंगे। चाहे कारखाने हों, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सहकारिता का क्षेत्र हो, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, उन सबको सहकारिता के माध्यम से गांव-गांव तक

पहुंचाया गया है। प्रदेश में 12 बड़े-बड़े कारखाने लगाये गये हैं एवं हजारों स्टेट ट्यूब-वेल लगाये गये हैं इसी तरह विद्युत क्षमता को बढ़ाने का काम हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री हरदेव--

स्कूलों की इमारतों का निर्माण कराया जा रहा है। इसलिये आप लोगों से प्रार्थना है कि जनता की बहतरी के जो काम हो रहे हैं उनको जन-जन तक पहुंचाने में सहयोग दें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री हरदेव--

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्य प्राचार्य है, कोई प्रोफसर है कोई पी0 एच0डी0 लंदन है लेकिन वह भी सदन का समय बरबाद करते हैं। हमारे भाई हुकुम सिंह जी बैठे हैं उनके आदमी तो हमारी कार्यवाही को उठाकर फाड़ते हैं माइक तोड़ते हैं, यह अनुशासनहीनता का काम करते हैं। जो ऐसा काम करते हैं उनको सजा होनी चाहिये। क्यों समय का दुरुपयोग करते हैं। जिससे राष्ट्रीय क्षति होती है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस ओर भी विचार आप लोगों को करना चाहिये और हमारी सभी बातों को सुनना चाहिये। जो देश की तरक्की की बातें हों उनके लिये हाँ कहें और कोई गलत हो तो उसका राजनैतिक लाभ न उठायें। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

*श्री रामस्वरूप निम--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं माननीय नेता विरोधी दल ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पर संशोधन रखा है उसका समर्थन करता हूं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय सदस्य हरदेव जी ने सरकार की बड़ी प्रशंसा की। मैं उनसे इतना भर कह सकता हूं कि जो भी काम सरकार ने किये हैं वह सिर्फ कागजों में या उनके घरों में किया ही, बाकी पब्लिक के लिये कुछ नहीं किया है। इसका मैं प्रमाण भी देना चाहता हूं। इस सरकार ने हर जिले के अन्दर डी0 जी0सी0 की नियुक्ति की लेकिन कोई भी हरिजन उसमें डी0 जी0 सी0 नहीं बनाया गया चाहे वह क्रिमिनल से सम्बन्धित हो या सीलिंग से सम्बन्धित हो प्रदेश के किसी जिले में नहीं बनाया। यह हरिजनों के प्रति इस सरकार की वफादारी और हमदर्दी है।

माननीय मुख्य मंत्री जो यहाँ पर बैठे हैं, मान्यवर, उच्च न्यायालय जो इस प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय है उसमें भी किसी हरिजन की न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्ति नहीं की गयी है। मान्यवर, प्रश्न केवल न्यायमूर्ति का ही नहीं है बल्कि प्रदेश के किसी जिले में आज तक यह सरकार सत्र न्यायाधीश नहीं बना पायी है, लेकिन यह चीज जरूर यह कर पाये है कि न्याय प्रणाली में 1260 कार्य रत न्याय अधिकारियों में से 140 अधिकारी हरिजन बना पाये जिनका एक की भी करेक्टर रोल, चरित्र पंजिका, बाकी नहीं है जिसको रंगा न गया हो जिससे कि उनका प्रमोशन न हो सके।

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता--

मुख्य न्यायाधीश का यहाँ जिक्र न करें।

श्री राम स्वरूप निम--

[× × ×]

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गय

श्री अधिष्ठाता---

आप न्यायालय,उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में टीका-टिप्पणी सदन में न करें, इसका ध्यान रखें।

(व्यवधान)

श्री रामस्वरुप निम--

जो न्यायालय से पत्र भेजा गया है उसके बारे में कह रहा हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि न्यायाधीश के जिस पत्र का हवाला दे रहे है या तो वह उसको प्रस्तुत करें अन्यथा नियमावली के नियम 289 (2) (च) में साफ लिखा है कि-- "राष्ट्रपति, किसी राज्यपाल अथवा किसी न्यायालय के आचरण पर आक्षेप नहीं करेंगे। तो मान्यवर, जो भी इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के पत्र के बारे में कहा है या तो उस पत्र को प्रस्तुत करें अन्यथा उसको प्रोसीडिंग से निकाला जाये।

श्री अधिष्ठाता---

उच्च न्यायालय के संबंध में कोई बात कही है तो देखकर कार्यवाही से निकाल दी जायेगी आप आगे के लिये ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप निम---

मैं पत्र देने के लिये तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता---

नियमावली के अनुसार जो भी ऐसी चीज मुखरित करनाथा वह पहले आपको देना था और यदि अवश्यक और सही होता तो आज्ञा दे दी जाती। इस लिये आगे ध्यान रखें कि इस प्रकार की कोई बात न आये।

श्री राम स्वरूप निम---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि कल मा0 भीखालाल जी ने हरिजनों से संबंधित सवाल दिया था जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित था। स्वास्थ्य विभाग की परम्परा रही है कि सीनियर ग्रेड से स्पेशल ग्रेड के नये पदों का समय 2 वर्ष का था लेकिन जब दो अधिकारी हरिजन इस काबिल हुये और अप्रैल, 1982 में पदोन्नति के लिये नाम भेजे गये तो वह अवधि 4 साल की कर दी गयी, यह इनकी वफादरी हरिजनों के प्रति है।

मान्यवर, एडमिनिस्ट्रेशन में हो या किसी भी पद की बात हो, जैसे इस सचिवालय में जहाँ आप और हम सभी लोग बैठते है उसकी स्थिति देखें तो सचिवालय में केवल एक हरिजन सेक्रेटरी है, बाकी दूसरे और ज्यादातर ब्राह्मण हैं जैसे 43-44 अधिकारियो में से 26 अधिकारी ब्राह्मण हैं और कहते है कि ढाई साल के जनता शासन ने सारे प्रशासन को भ्रष्ट कर दिया है। मान्यवर, इन्होंने कौन सी परम्परा या स्थिति पैदा की है, जिसे कि इन्होंने कोई करिश्मा दिखाकर इस प्रदेश के लिए या इस प्रदेश के जनमानस के लिये किया हो और जिसके बारे में यह यहाँ पर खड़े होकर कह सकें। मैंने यह थोड़ी बात कही, तो कहा गया कि टिप्पणी कर रहे हैं दयाशंकर जी हमारे एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थे उनको एक ही जुर्म में नौकरी से बरखास्त कर दिया गया और उनके साथ जो उसी जुर्म के थे उनको बहाल कर दिया गया। उन्होंने इस विभेद और अन्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की और वह स्वीकार हो गई। अभी मैंने जिस पत्र का हवाला दिया जिस पर टोका टाकी की गई उसी पत्र के आधार पर सुप्रीमकोर्ट ने कान्टेम्ट आफ कोर्ट का नोटिस हाईकोर्ट इलाहाबाद को दिया है। यह पूरा हवाला सारे का सारा 2 अक्टूबर, 78 के हिन्दुस्तान टाईम्स में छपा है। तो मैं यह हवाला देकर श्रीमन, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हरिजनों के प्रति यह सरकार इस प्रकार का रवैय्या अपनाए हुए है।

कल एक सवाल पुलिस महानिरीक्षक, श्री दीक्षित के सेवा कार्यकाल के बारे में आया था, जिन्हें सेवाकल के बाद तीन महीने का एक्सटेंशन दिया गया है। इस पर पूछा गया था कि सरकार इस एक्सटेंशन के बाद किसी हरिजन को पुलिस महानिरीक्षक बनाने को तैयार है। लेकिन इसका इन्होंने उत्तर नहीं दिया। यह हरिजन को उस पद पर बिठाने को कतई तैयार नहीं हैं। सरकार जो कह रही है, वह यदि साफ नीयत से कह रही है तो चाहे पुलिस महानिरीक्षक का मामला हो या चीफ सेक्रेटरी का मामला हो, उस पर किसी हरिजन को नियुक्त करना चाहिये। जबकि आपका कहना है कि यदि एक ही पद है तो वह आरक्षित नहीं होगा, लेकिन जब वह दुबारा भरा जाएगा तो आरक्षित कोटे से भरा जाएगा। (व्यवधान) मान्यवर, मैं आपको यह बता रहा था कि चाहे इनके स्कालरशिप का मामला हो, चाहे फीस माफी का मामला हो, चाहे ऋण का मामला हो, हर तरफ से और हर तरह से उनको बदनाम किया जा रहा है। इनको जेलों में ठूसा जा रहा है। न इनको कोई ऋण दिया गया है न अन्य कोई राहत। यदि कोई ऋण दिया गया है तो उसे अधिकारी इनके नाम पर खा जाते हैं और उसको जेल जाना पड़ता है। तो राज्यपाल महोदय ने अपनी तरफ से जो एक स्पीच रखी उसका विरोध करते हुए और शासन तन्त्र का विरोध करते हुए माँग करता हूं कि खुदा इनको कुछ अक्ल दे और वह उस अक्ल से काम करें।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जयदीप सिंह बरार जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है। मैंने अभी नेता विरोधी दल की बातों को सुना और उन्होंने हरिजनों की समस्याओं पर बड़े घड़ियाली आँसू बहाये हैं और पोछें हैं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार को दो उपलब्धियों के बारे में बताना चाहता हूं। हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रदेश में विकेन्द्रीकरण की योजना चलाई, उससे स्पष्ट होता है कि विधायक माँगे या न माँगे प्रगति और विकास उसके क्षेत्र में अपने आप होगा तथा सरकार द्वारा पहुंचा दिया जाना चाहिये। इस सरकार ने हमें दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि यह दी है कि हमारे वर्तमान मुख्य मन्त्री एक शान्तिदूत बनकर आये हैं, जो उन्होंने अपने कार्यकाल को इतने शान्तिपूर्वक चलाया है। विरोधी दल उनके इस शान्ति व्यवस्था से बड़े परेशान हैं। इससे उनको कोई बड़ी घटना या आन्दोलन करने का अवसर निहीं मिल रहा है, जिसमें उनको वह स्थिति प्रदर्शित करनी पड़े, जिससे वह अपनी छवि को बना सकें। कल एक प्रेस साथी ने पूछा कि आज विधान सभा में कोई सीरियस मैटर क्या नहीं है? मैंने कहा सीरियस मैटर तो है नहीं क्योंकि श्रीपति मिश्र जी की सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि सब ठीक चल रहा है।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय विरोध पक्ष वालों ने जो ताँडव नृत्य किया उससे इस सदन की छबि धूमिल हुई है। आज प्रदेश के बाहर अराजक तत्व जो कुछ कर रहे हैं वही विधान सभा के अन्दर भी होने लग गया है यह बड़े ही शर्म की बात है। विगत जनता पार्टी के शासनकाल में, 3 वर्षों में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। उसके पूर्व काँग्रेस की सरकार ने जो भी हरिजनों के लिये काम किये थे उसे जनता सरकार ने अपने 3 वर्ष के समय में खत्म करा दिये। श्रीमती इन्दिरा गाँधी की सरकार ने जिन-जिन हरिजनों को भूमि आवंटित की थी, जनता सरकार ने आते ही वह उनसे छीन ली। जो और काम काँग्रेस ने उन की भलायी के लिये किये थे और जो अधूरे रह गये थे, उन्हें जनता सरकार ने बन्द कर दिया। जिन हरिजनों की जमीन जनता सरकार ने छीन ली थी, उन्हें दिलवाया जाय। हरिजनों के ऊपर जनता सरकार ने जो जो अत्याचार किये हैं उनकी जाँच करायी जाय।

इलाहाबाद में एक अखिल भारतीय स्तर का हरिजन सेवक संघ है जो अब ईश्वर शरण आश्रम (हरिजन आश्रम) के नाम से है। पहले जब माननीय बलदेव सिंह आर्य जी उसके अध्यक्ष थे तो हरिजनों के लिये बहुत से काम हुये थे। पर जब जनता पार्टी की सरकार आयी और श्री बनारसीदास उसके अध्यक्ष हुए तो उन्होंने उस संस्था में बहुत उलट पलट कर दिया। गाँधी वादी

[श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी]--
विचार धारा के जितने भी पुराने लोग उनके सदस्य थे उनको निकाल बाहर किया और उनकी जगह गैर गाँधी विचार धारा वाले अपनी पार्टी के लोगों को रख दिया जिन्होंने लाखों रुपया खा लिया और करोड़ों की सम्पत्ति को नष्ट कर दिया। जब तक उसके अध्यक्ष श्री बलदेव सिंह आर्य रहे, उस संस्था ने हरिजनों के लिये बहुत से अच्छे काम किये।

श्री अधिष्ठाता---
अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी--
हमारे यहां किशनपुर पम्प नहर का शिलान्यास. . . .

श्री अधिष्ठाता---
आप कृपया समाप्त करें।

श्री ईश्वरशरण विद्यार्थी--
श्रीमती गांधी ने किसनपुर में जिस पम्प नहर का शिलान्यास जनता पार्टी के शासन से पूर्व किया था, जो थोड़ी सी बन भी गयी थी, पर जनता पार्टी का शासन आया तो उस कार्य को रोक दिया गया। इसके न बनने से मंझनपुर तहसील की 5 लाख जनता सुविधाओं से वंचित हो रही है। मैं चाहूंगा कि किसनपुर पम्प नहर को शीघ्रातिशीघ्र बनवाया जाय।

*श्री सन्त बख्श रावत--
मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय नेता, विरोधी दल, द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर माननीय नेता, विरोधी दल ने जो अपना प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सत्ता पक्ष से 20 सूत्रीय कार्यक्रम तथा हरिजनों के उत्थान की बड़ी दुहाई दी जा रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं इसका कि यह सरकार केवल हरिजनों की दुहाई देना जानती है, उनके लिये करती कुछ नहीं है।

(इस समय 5 बजे श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

मान्यवर, अभी सीतापुर जनपद में. . . . . .

श्री अध्यक्ष--
आप अपना भाषण आगे जारी रखेंगे, कृपया बैठें।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--
नियम 51 में आज 5 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। मैंने माननीय भीखा लाल, माननीय लल्लू सिंह चौहान, माननीय विद्यासागर नौटियाल की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। जनपद इटावा के बुनकरों द्वारा अपनी मांगों के लिये क्रमिक अनशन करने के संबंध में जो सूचना है इसको मैं वक्तव्य के लिये स्वीकार करता हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---
इस पर बयान कब होगा ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---
मान्यवर, पहली और दूसरी तारीख के बाद कोई तारीख रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्यपाल अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां द्वारा किये गये व्यवहार की जांच करने हेतु समिति के गठन का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

अब नियम 103 के अन्तर्गत माननीय विमल प्रसाद तिवारी प्रस्ताव पेश करेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, इस पर मुझे आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष---

पहले प्रस्ताव पेश कर दें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, प्रस्ताव आ जायगा तो आपत्ति कैसे होगी। आप सुन लें शायद आप सहमत हो जायं।

(श्री विमल प्रसाद तिवारी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष---

ऐसा है कि जो एजेंडा पर यह प्रस्ताव है उसको पढ़ने दें। किस रूप में लेना चाहते हैं या क्या संशोधन करना चाहते हैं सामने आ जाए उसके बाद ही निर्णय लेना बेहतर होगा।

*श्री विमल प्रसाद तिवारी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव कुछ संशोधनों सहित इस माननीय सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं---

दिनाँक 13 फरवरी, 1984 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पुनीत अवसर पर इस सदन के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां ने माननीय अध्यक्ष, जो महामहिम श्री राज्यपाल के निदेशानुसार उनका भाषण पढ़ रहे थे, के हाथ से अभिभाषण की प्रति छीन कर उनके संवैधानिक कृत्यों में बाधा पहुंचायी तथा महामहिम श्री राज्यपाल, माननीय अध्यक्ष तथा इस सदन के प्रति अनादर का भाव दर्शाया। श्री मुहम्मद आजम खां के उक्त व्यवहार की सविस्तार जाँच करने तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही संस्तुत करने हेतु इस सदन की एक समिति गठित की जाय जिसमें 7 से अनधिक सदस्य हों (जो माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे) और जो 15 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मुझे आपत्ति करनी है।

श्री अध्यक्ष---

कृपया बैठें, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो यह तीन शब्द निकाले हैं, क्या यह सदन को स्वीकार हैं, जितना उन्होंने नहीं पढ़ा है, जिसके लिये संशोधन लाये हैं, अवांछनीय, अभद्र और अशोभनीय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, प्रक्रिया चलने दें। एक प्रस्ताव पढ़ा गया। अभी तो उस पर आपत्ति होनी थी, आपने रोक दिया। जो मूल प्रस्ताव मिला था उसके संबंध में मैंने कुछ संशोधन दिये थे। एक संशोधन यह था कि अवांछनीय, अभद्र तथा अशोभनीय शब्द निकाल दिये जायं। माननीय प्रस्तावक सदस्य ने मेरे अमेंडमेंट को पहले ही स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके संशोधित रूप मे प्रस्ताव पेश किया। तो अब 3 शब्दों के लिये सदन का प्रस्ताव लेने की क्या जरूरत है? जो प्रस्ताव रखा है उस पर आपत्ति करनी बाकी है। आपत्ति करने के बाद जब प्रस्ताव, को स्वीकार करेंगे तब वह सदन की संपत्ति बनेगा। तब विचार हो सकता है। अन्त में वोट होगा इसलिये मेरी आपत्ति सुन लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त

मेरी एक जो आपत्ति थी उसको इस प्रस्ताव के भार साधक सदस्य ने मान लिया। मान्यवर, दूसरी आपत्ति और करनी है कि हमारे यहाँ प्रस्ताव की ग्राह्यता के बारे में जो शर्तें बनी है उसमें है कि कोई प्रस्ताव काल्पनिक नहीं होगा। कल्पना के आधार पर नहीं होगा। यहां जो घटना घटी ही नहीं है उसके आधार पर एक वेग अनिश्चित और काल्पनिक प्रस्ताव बना दिया जाय यह ठीक नहीं है। इस प्रस्ताव के बारे में और शिकायत है, आप देखें, पाँचवी तथा छठी पंक्ति से मैं पढ़ रहा हूं—"महामहिम श्री राज्यपाल, माननीय अध्यक्ष तथा इस सदन के प्रति अनादर का भाव दर्शाया" घटना जो घटी, घटना के घटने व घटने के बारे में मैं आगे भाषण दूंगा अभी मैं प्रस्ताव की ड्राफ्टिंग पर आ रहा हूं। इसमें कहा गया है कि महामहिम राज्यपाल के प्रति अनादर का भाव प्रकट किया। अग्रेतर दिया, आपने स्वतः स्वीकार किया है कि जिस दिन धारा 174 के तहत महामहिम राज्यपाल दोनों सदनों को सम्बोधित करने आते हैं, उस समय सदन नहीं होता है, उससमय बैठक होती है, उनको महामहिम राज्यपाल सम्बोधित करते हैं। इसके सम्बन्ध में लोक सभा का एक उदाहरण देना चाहता हूं—

"कमेटी आन दि कन्डक्ट आफ मेम्बर ड्यूरिंग प्रेसीडेन्टस एड्रेस (1971) आन फिफ्थ लोक सभा सेकेन्ड रिपोर्ट प्रीजेन्टेड आन दि फोर्टीन्थ अप्रैल, 1972"

इसका हिन्दी में यह है कि प्रेसीडेंट के एड्रेस के समय सदस्य के कंडक्ट पर पांचवी लोक सभा की द्वितीय रिपोर्ट 14 अप्रैल, 1972 को प्रस्तुत की गयी। इसमें भी मान्यवर, कमेटी की रिपोर्ट के शुरू में माना गया है कि जिस समय राष्ट्रपति अभिभाषण कर रहे होंगे, उस समय सदन नहीं होगा, इसलिये यह सदन वाला शब्द काल्पनिक। अगर एक शब्द भी काल्पनिक है, तो वह पूरा प्रस्ताव काल्पनिक समझा जायगा। यह अनुसार पर आधारित है। गलत तथ्यों पर आधारित है।

दूसरी आपत्ति मेरी यह है कि इन्होंने अपने प्रस्ताव में लिखा है कि मुहम्मद आजम खां ने, जो माननीय अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल के निर्देशानुसार उनका भाषण पढ़ रहे थे, के हाथ से अभिभाषण की प्रति छीनकर उनके संवैधानिक कृत्यों में बाधा पहुचाई। यदि इसको सदन स्वीकार कर लेगा, तो मान्यवर, इनका दोष तो मान लिया जायगा और जो समिति बनेगी, वह केवल सजा देने का काम करेगी। इस संबंध में मैं मान्यवर, पूर्व दृष्टान्त देना चाहूंगा। मान्यवर, लोक सभा में इस प्रकार का हुआ था,। मान्यवर, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय एक माननीय सदस्य श्री रामदेव सिंह थे, उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी राष्ट्रपति को कि जब आप हमें अभिभाषित करने आयेंगे तो आपका अभिभाषण हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी में होगा। आप हमारी राष्ट्रभाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में नहीं सम्बोधित करेंगे। जब वह भाषण देने आये, हम सदन में चुन कर आये हैं, जनता के रिजेंटमेंट को परिलक्षित करने के लिए सदन में आये हैं। सदन के उस समय के अधिकारियों ने अच्छा नहीं समझा। एक कमेटी बनी, उस कमेटी के द्वारा सदन में एक प्रस्ताव पेश हुआ, प्रस्ताव की भाषा पहले देख लें, उसके बाद माननीय सदस्यों ने आपत्ति की, जो आपत्ति मैं करने जा रहा हूं। उस समय की सरकार ने उस आपत्ति को स्वीकार किया और श्री मोहन धारिया, संसदीय कार्य मंत्री ने उस प्रस्ताव को संशोधित किया। पहला प्रस्ताव श्री इन्द्र झा मल्होत्रा ने लोक सभा में पेश किया, वह प्रस्ताव देख लें उसके बाद श्री धारिया के द्वारा जो पेश हुआ। पहला प्रस्ताव अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं।

"दैट दिस हाउस स्ट्रांगली डिसएप्रूव्स आफ दि कन्डक्ट आफ श्री राम देव सिंह हू क्रीयेटेड आब्स्ट्रक्शन ऐंड बीड डिसरेस्पेक्ट टू दि प्रेसीडेन्ट एट दि सोलम आलेजन आफ हिज ऐड्रेस टू बोथ हाउसेज आफ पार्लियामेंट असेम्बल्ड टूगेदर अन्डर आर्टिकिल 87 आफ दि कान्सटीटयूशन आन दि सेकेन्ड मार्च, 1971 एण्ड कन्डेम्न दि अनडिसावरेबिल अनडिग्नीफाइड एण्ड अनबिकमिंग बीहेवियर' यह सदन अपने स्ट्रान्ली डिसरिस्पेक्ट के लिए असहमति प्रकट करता है। अब उसके बाद जब यह संशोधित रूप में आया श्री मोहन धारिया ने नया प्रस्ताव पेश किया है वह यह है—

"दैट दिस हाउस इज डीपली कन्सर्न्ड एट दि कन्डक्ट आफ श्री राम देव सिंह हूं इज एलैज्ड टू हैव क्रियटेड आबस्ट्रक्शन।"

वह कहते है कि यह सदन व्यथा प्रकट करता है, जिन्होंने कथित बाधा क्रियेट की। उन्होंने उसको माना नहीं आरोपित किया। यह नया शब्द जोड़ा गया। इसमें कथित और आरोपित शब्द नहीं जोड़ा गया। अगर सदन इस प्रस्ताव को मानता है तो आरोप सिद्ध हो जायेंगे और कमेटी को सजा देने का काम रह जायगा। मेरा मत है कि इसमें कथित और आरोपित शब्द होना चाहिए। सदन शब्द निकाला जाना चाहिए। बिना इन शब्दों को जोड़े इस प्रस्ताव को ग्राह्य न करें। यह मेरी आपत्ति है।

श्री हुकुम सिंह—

हमारे माननीय गुप्ता जी ने विद्वतापूर्वक जो तथ्य दिये, उसमें मैं दो शब्द जोड़ना चाहता हूं। आप प्रस्ताव को देखें। इसकी तीसरी पंक्ति में लिखा है कि माननीय अध्यक्ष महामहिम श्री राज्यपाल के निदशानुसार उनका भाषण पढ़ रहे थे, आगे लिखा है संवैधानिक कृत्यों में बाधा डाली। मेरा केवल यह आग्रह है कि क्या माननीय अध्यक्ष अपने संवैधानिक कृत्यों का पालन कर रहे थे? क्या संविधान में यह है कि माननीय अध्यक्ष महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़कर सुनायेंगे? मेरे सामने संविधान और नियमावली दोनों है। उसमें ऐसा नहीं है। माननीय अध्यक्ष का संवैधानिक कृत्य तब शुरू होता है जब सत्र की बैठक होती है। उसके पहले संवैधानिक कृत्य माननीय अध्यक्ष के नहीं शुरू होते हैं। क्या महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह माननीय अध्यक्ष को कहें कि यह काम करिये और अध्यक्ष उसको करने लगेंगे। संविधान के अनुसार महामहिम राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना अभिभाषण स्वयं न पढ़ कर किसी दूसरे व्यक्ति से कहें कि आप पढ़ें। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण आपने पढ़ना शुरू कर दिया क्या वह आपका संवैधानिक कृत्य है? संविधान की किस धारा और नियमावली के किस नियम में यह अधिकार आपको है। संविधान की किस धारा के तहत यह आता है कि जो आये आपसे कहे यह करिये और आप करना शुरू कर दें।

मान लीजिये काल्पनिक बात है मैं यह कह रहा हूं कि विधान सभा का सत्र चल रहा है आप अध्यक्षता कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई मीटिंग हो जाय, मीटिंग होते हुये हम एड्रेस पढ़ रहे हों या कोई व्यक्ति एड्रेस पढ़ रहा हो और उसको कोई छीन कर ले जाय तो वह विधान सभा का सत्र नहीं कहलायेगा। यह संविधान में कहीं नहीं दिया गया है कि महामहिम राज्यपाल द्वारा आपको निर्देशित किया जायगा कि आप मेरा अभिभाषण पढ़े। जब आप अपने संवैधानिक कृत्य का पालन नहीं कर रहे थे तो किस कार्य में किसी सदस्य ने या मुहम्मद आजम खां ने बाधा डाली। जब आप संवैधानिक कृत्यों का पालन नहीं कर रहे थे तो इस प्रकार के जो मामले हैं उसके लिये कोर्ट बने हैं। यह माननीय सदन के फ्लोर का दुरुपयोग है। इसका इस सदन की कार्यवाही से संबंध नहीं है। यह अगर सदन की कार्यवाही से संबंधित नहीं है तो किसी प्रकार से संविधान का मिसयूज नहीं हुआ है।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय गुप्ता जी और हुकुम सिंह जी ने जो बात कही है उसी से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका संवैधानिक कृत्य तभी शुरू होता है जब सदन की बैठक शुरू हो जाय। आपके घर पर जाकर या कोई आपके घर पहुंच जाय और आप अखबार पढ़ रहे हों वह आप से ले ले तो वह अध्यक्ष के कर्त्तव्य में बाधा नहीं है। जिस वक्त आप यहाँ थे उस वक्त आप अध्यक्ष की हैसियत से नहीं थे। आप के कर्त्तव्य तभी शुरू होते है जब सदन शुरू होता है इसलिये यह प्रस्ताव विवादपूर्ण नहीं है।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री मुख्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री खैरुल बशर---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सारे लोग हैं जिनको बातें उठानी चाहिये। माननीय मंत्री जी को तो उठाने का मौका मिलेगा ही उनको विशेष जल्दी नहीं करनी चाहिये।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मान्यवर, मुझे इस तफसील में जाने की इसलिये जरूरत नहीं है, क्योंकि औचित्य के प्रश्न के जवाब में जो जज्बात आपके थे दुरुस्त थे, और मुझे उसका माकूल जवाब आपसे मिला। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो कुछ हुआ या होने जा रहा है उससे मैं किसी भी तरह से खाइफ नहीं हूं मैं जानता हूं कि महज कांग्रेस को ताजिर के तौर पर जो मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं था जिसको इस कदर वजन दिया जा रहा है।

कांग्रेसी टोला जानता है इस सदन में मैंने मजलूमों की आवाज को पूरी जुर्रत के साथ उठाया है और इससे हरिजनों, मुसलमानों और कमजोर तबकों पर हुकूमत के जुल्म साबित होते हैं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष---

आप सब शान्त रहिए।

श्री मुहम्मद आजम खां---

मैं जानता हूं कि इस तरह सदन में मेरे नाम को लेकर सेपरेशन के सहारे मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं सिर्फ अपनी तादाद के बल पर ज्यादती करना चाहते हैं। एक ऐसे शख्स की आवाज को, जो पिछड़े वर्गों पर या ऐसे लोगों पर जिन पर जुल्म ढाये जाते हैं, अपने मेम्बरान की ताकत अपने मेम्बरान की तादाद के बल पर रोकना चाहते हैं। उस दिन के हादसे के बारे में कहना चाहता हूं कि मैं इधर से वहां तक गया। इस वाकये को छीनना या लेना ये अल्फाज है। बहस होने के, मान्यवर, मैं इधर से निकलाया गया, आसानी से सीढ़ियों पर चढ़कर आपके पास पहुंचा। मैंने आपसे एड्रेस छीना नहीं मैंने आपसे एड्रेस लिया, पूरा सदन इस वाकये का गवाह है, कि मेरे और आपके दरम्यान किसी तरह की भी छीना झपटी नहीं हुई है और मैं समझता हूं कि आप एक जिम्मेदार हैसियत वाले शख्स हैं और आपकी मौजूदगी में छीनने का लफ्ज सदन में इस्तेमाल हो, यह सदन की तौहीन है और आप के बारे में यह कहना कि मेरे और आपके दरम्यान किसी किस्म की छीना झपटी हुई है यह सरासर गलत है। यह तो आप भी जानते हैं कि मेरे और आपके बीच किसी प्रकार की छीना-झपटी नहीं हुई है। मैंने हाथ बढ़ाया और आपने एड्रेस दे दिया।

श्री अध्यक्ष---

नहीं--नहीं, यह गलत है।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

आप किस बात पर व्यवस्था उठा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय सदस्य एक बात कह रहे थे। वह सही कह रहे थे या गलत कह रहे थे इसका विचार बाद में होना था, मान्यवर, आपने कह दिया गलत है।

श्री अध्यक्ष---

क्योंकि यह मुझसे संबंधित है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आप गवाह नहीं हैं।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि उस वक्त मैंने जो अमल किया था वह महामहिम राज्यपाल की किसी किस्म की तौहीन करने का अमल नहीं था। मान्यवर, आप ऊपर बैठे हैं और हम लोग नीचे। मैंने जो कुछ किया एक सदस्य की हैसियत से किया। वैधानिक ढंग से किया लिहाजा महामहिम के खिलाफ हमारे मावैन तौहीन का कोई इरादा नहीं था। उसका कोई सवाल भी नहीं पैदा होता, चुनांचे मेरा यह कहना है कि जितना यह अमल किया गया था उसमें ऐसा कोई मामला नहीं था।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं दो बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि दोनों सदनों को यहां बुलाया राज्यपाल महोदय ने—

(व्यवधान)

तो आप पार्लियामेंट में भी देख लें, राष्ट्रपति महोदय सम्बोधन के लिए जाते हैं या राज्य में जब कभी महामहिम राज्यपाल महोदय जाते हैं, तब तक यह सदन विधिवत् नहीं कहा जा सकता।

(शोरगुल)

आप सुन लें, मैं गलत होऊं तो आप काट सकते हैं। तो मान्यवर, यह प्रस्ताव ही ठीक नहीं है। यह पता चला है कि आपने अवांछनीय एवं अभद्र तथा अशोभनीय को आपने काट दिया लेकिन उसके बावजूद भी श्रीमन्, इस सदन के द्वारा जो माननीय, सदस्य ने प्रस्ताव रखा कि आप का अनादर हुआ तो मैं समझता हूं कि आपका अनादर हुआ ही नहीं। आप सुन लें, आपका आदर हम भी करते हैं। हम भी आपकी रहनुमाई में रहते हैं। तो मैं समझता हूं कि यह जो प्रस्ताव है, वह काल्पनिक हो जाता है मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य सत्ता पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां हम लोग विरोधी दल की हैसियत से बैठते हैं, मैं चुनौती के साथ इस बात को कहता हूं कि इस वक्त कश्मीर में, बंगाल में, आंध्र में जो आप की पार्टी कर रही है, संसदीय परम्पराओं को यदि ये मान लेते हैं तो इस तरह का काल्पनिक प्रस्ताव न लाते।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने नियमों के अधीन इस प्रस्ताव की ग्राह्यता पर आपत्ति की है मेरे समर्थन में श्री हुकुम सिंह, श्री ऊदल और अन्य सदस्यों ने भी आपत्ति की है। अतः जब तक इस प्रस्ताव को निस्तारित न कर दें तब तक क्या माननीय सदस्य फर्रुखाबाद को प्रस्ताव पर मूव करने का अधिकार है? फिर भी अगर नियमों का बहाना लेकर और आपकी अवहेलना करके प्रस्ताव मूव करते हैं तो यह शक्तियों का दुरुपयोग है। माननीय मुख्य मन्त्री जी और संसदीय कार्य मन्त्री जी बैठे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, जैसा कि श्री राजेन्द्र कुमार जी ने कहा...

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है और इस प्रस्ताव को यहां लाकर यह एक ऐसा घिनौना काम करना चाहती है जो संसदीय प्रजातन्त्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायगा। आज कश्मीर में, बंगाल में जो काम किया जा रहा है, उसे यह सरकार नजरन्दाज कर रही है। आने वाला इतिहास इस बात का साक्षी होगा कि जनतन्त्र हमारा ऐसा था।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, अभी तो उन्होंने एक भी बात नहीं कही है। जब वह कह लेंगे तब आप कहें।

(शोर)

श्री विमला प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ,इस माननीय सदन के समक्ष माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय श्री हुकुम सिंह तथा माननीय श्री ऊदल जी ने कुछ मुद्दे उठाए हैं, उनके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मान्यवर, माननीय श्री गुप्ता जी ने कहा कि घटना काल्पनिक कही गयी है। मान्यवर, सारा सदन, राज्यपाल महोदय के समक्ष आपकी गरिमा पर आघात किया गया है. . . .

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। एक प्रस्ताव माननीय श्री विमल प्रसाद तिवारी जी ने पुट-अप कर दिया। उसके बाद उसमें कुछ आब्जेक्शन आये। उसके बाद तो सिर्फ यह रह जाता है कि उन आब्जेक्शन पर आप संसदीय कार्य मन्त्री जी को सुनें। नहीं तो विमल प्रसाद तिवारी जी प्रस्ताव पर बोल रहे हैं. . . .

श्री अध्यक्ष—

श्री विमल प्रसाद तिवारी तो प्रस्ताव की ग्राह्यता के ऊपर जो आब्जेक्शन उठाए गए थे' उनके ऊपर बोल रहे हैं।

मैं इसके ऊपर सबको सुनूंगा, उसके बाद मैं अपना निर्णय दूंगा।

*संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो आपत्ति उठाई है, उसमें कहीं भी कोई ठोस बात नहीं कही गयी है। मान्यवर, इसी सदन में कई बार ऐसे प्रस्ताव आ चुके हैं इतिहास को आप देखें पार्लियामेंटरी डेमोक्रसी को, लोकसभा के अन्दर भी इस प्रकार के कई प्रस्ताव पेश किए गये हैं। इसके नमूने आपकी खिदमत में मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पेश करना चाहता हूं। 12 फरवरी, 1968 को लोकसभा में एक ऐसा ही आबस्ट्रक्शन दो माननीय सदस्यों ने किया था। यह आबस्ट्रक्शन 'आन दि आकेजन आफ दि प्रेसीडेंटल एड्रेस' को उठाया गया था, जिसके लिए प्रस्ताव 20–2–1968 को लाया गया था, जो इस प्रकार है–

"आन दि ओकेजन आफ दि प्रेसीडेंट्स एड्रेस टू बोथ दि हाउसेज आफ पार्लियामेंट असेबिल्ड टूगेदर आन फेब्रुअरी 12, 1968, दैट दिस हाउज स्ट्रांगली डिसएप्रूवज आफ दि कन्डक्ट आफ सर्वश्री मौलाना इसहाक सम्भाली एण्ड एच0एन0 मुकर्जी हूं क्रिएटेड आबस्ट्रक्शन एण्ड शोड डिस-रेस्पेक्ट टू दि प्रसीडेंट एट दि टाइम आफ हिज एड्रेस"

कि यह हाउस सर्वश्री मौलाना इसहाक सम्भली और एच0एन0 मुकर्जी के व्यवहार को स्ट्रांगली डिसएप्रूव करते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय आबस्ट्रक्शन क्रिएट किया और डिसरेस्पेक्ट शो किया।

टू बोथ दि हाउसेज आफ पार्लियामेंट असेम्बिल्ड टूगेदर अन्डर आर्टिकल 87 आफ दि कॉंस्टीट्यूशन आन दि ट्वेल्थ फेब्रुअरी, 1968"

12 फरवरी, 1968 को संविधान की धारा 87 के तहत दोनों सदनों का एक साथ समवेत् अधिवेशन हो रहा था, तो उसमें जो रुकावट डाली गयी, उसके लिए प्रस्ताव है।

एफ रिप्रिमैंडस देन फार दियर अनडिजायरेबिल एण्ड अनडिगनीफाइड अनबीकमिंग बीहेवियर. . . .

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जो अभद्र व्यवहार हैं, अनडिगनीफाइड और अवांछनीय व्यवहार हैं, उनको रिप्रिमेंडस करता है ।

मान्यवर, यह जो माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है, उन्होंने यह शब्द निकाल लिए, आपके सामने एमेंडमेन्ट रखा है, यह बात हुई थी कि यह शब्द निकाल लिए जायं। यही मान्यवर, नहीं बल्कि इसी प्रकार की 2–4–71 को, ऐसा ही, बिलकुल लोकसभा का मामला आया और यहाँ पर भी मान्यवर, विधान सभा में 17 मार्च, 1978 को ऐसी घटना घटी और इसी तरह की बात आई। मान्यवर, आपकी पीठ से दिए गये, निर्णयों का संकलन है, उसके पेज 150 में 276 खंड जो है, उसका 29 और 30 आप देखें, मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। मान्यवर, अनेकों बार इस तरह के वाकियात हुए हैं। जब हाउस आफ कामन्स में हुआ, तो एक कमेटी बनी, लोकसभा में इस तरह की घटना हुई, एक कमेटी बनी, यहाँ विधान सभा में ऐसी कमेटियाँ बनीं। तो, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी ने कोई नया प्रस्ताव नहीं रखा है। मान्यवर, यह सदन की गरिमा का सवाल है । मैं किसी सदस्य के बारे म कुछ नहीं कहता क्या हमारा पुनीत कर्त्तव्य नहीं है कि जो परम्पराएं हैं, जो कांस्टीट्यूशन के अन्दर सीमायें निर्धारित की गयी हैं, उन सीमाओं के अन्दर रहकर, हम यहाँ पर कार्य करें ?

कांस्टीट्यूशन जिसकी हम कसम खाते हैं, जब आपके यहाँ आकर शपथ लेते हैं, जिसमें टू शो रेसपेक्ट लिखा हुआ है, तो डिसरेस्पेक्ट शो करते हैं। जब ऐसी परिस्थित हो जाय, जब सदन के सदस्यों के आदर और मर्यादा का सवाल आ जाय, जब सदन की मर्यादा और गरिमा का सवाल आ जाय, तो मान्यवर, उस स्थिति में एक कमेटी का बनाना जरूरी है। ताकि जो इस तरह के तत्व हैं, वे ज्यादा प्रोत्साहन न पा सकें । यह पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी और पार्लियामेंटरी की जो डिफिनशन है, इसकी परिभाषा क्या है, आजादी हमें वह शक्ति देता ह कि हम अपने काम को करने की आजादी है, लेकिन दूसरे के कार्य क्षेत्र में मान्यवर, किसी प्रकार के कोई हस्ताक्षेप करने की इजाजत नहीं देता है अगर मान्यवर, इस डेमोक्रसी के अन्दर, माननीय अध्यक्ष जी से, उनके हाथ से, एड्रेस ले लिया जायगा, तो मान्यवर, अध्यक्ष का यहाँ पर बैठना दुश्वार होगा। इस वजह से जो माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी ने प्रस्ताव रखा है, वह नियमावली के हिसाब से बिल्कुल सही है। नियमावली की यदि कोई बात है, तो अगर नियम 313 के साथ पठित किया जाय, 103 को, तो बिल्कुल उसके ऊपर भी यह हो सकता है। जो संविधान है, उसके हिसाब से भी यह बिल्कुल सही है ।

मान्यवर, हाउस आफ कामन्स से लेकर यहाँ लखनऊ की विधान सभा तक कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो बिल्कुल इसके विपरीत हो। सब स्थितियाँ इस प्रस्ताव के अनुकूल हैं। इस लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यह जो आपत्ति उठाई गयी है, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने उठाई है, वह बिल्कुल संविधान और जो परम्पराएं हैं और जो नियम हैं उससे कहीं भी मेल नहीं खाती हैं। माननीय विमल प्रसाद तिवारी जी ने जो प्रस्ताव रखा है, वह बिल्कुल सही है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री राजेन्द्र सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो जबाव दिया है, जो प्रश्न उठाये गये थ, उसका एक भी उत्तर नहीं आया। एक प्रश्न तो यह था कि क्या उस दिन सदन था ? इसका उत्तर नहीं आया। इसके अलावा मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने लोक सभा और अन्य जगहों के प्रस्तावों का हवाला दिया। मान्यवर, आप देखे जिन प्रस्तावों का उन्होंने हवाला दिया और यह जो प्रस्ताव आज रखा जा रहा है सदन की कमेटी के बाबत इनमें अन्तर है। मान्यवर, जो इन्होंने लोक सभा के प्रस्ताव का इंसटेंस दिया है, उसमें और आज के प्रस्ताव में बिल्कुल अन्तर है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वह प्रस्ताव रिप्रिमैन्ड करने के लिये था और आज जो यह प्रस्ताव रखने जा रहे हैं वह एक कमेटी बनाकर, इसमें इंकवायर करने के लिये है, सात मैम्बरों की सदन

[श्री राजेन्द्र सिंह]---
की कमेटी बनाकर के जांच करने की बात है। इसमें और उसमें बहुत बड़ा अन्तर है। उस बात का कोई जबाव नहीं आया जो हमने आबजेक्शन उठाये थे। उन आबजेक्शन का कोई उत्तर नहीं दे पाये। मेरा कहना यह है कि यह मैन्टेनेबिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष---
मैंने माननीय गुप्ता जी, मा0हुकुम सिंह, मा0ऊदल, मा0नेता, विरोधी दल और माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी की बात को सुना। माननीय गुप्त जी ने और अन्य सदस्यों ने चार बातों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। पहली बात तो यह है कि प्रस्ताव जो लाया गया है, वह काल्पनिक है, जसा माननीय गुप्त जी ने कहा। मेरी राय में यह सही बात नहीं कही है, यह काल्पनिक नहीं है।

जहां तक दूसरी बात का सम्बन्ध है, माननीय गुप्त जी ने अपने संशोधन द्वारा तीन शब्द निकालने की बात कही है, पर "सदन के प्रति अनादर" शब्दों को निकालने की बात नहीं कही है, अतः यह भी प्रासंगिक नहीं है।

तीसरी बात अगर समिति गठित होती है तो वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होगी, ऐसी मुझे आशा है।

चौथी बात शब्द "उनके", मेरी राय में, अध्यक्ष के लिये नहीं बल्कि श्री राज्यपाल के संवैधानिक कृत्यों के संबंध में प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है।

श्री आजम खां ने जो कहा कि जब मैं भाषण को पढ़ रहा था तो मैंने उनको भाषण दिया, यह बात सरासर गलत है। अगर मुझे मालूम हो जाता कि माननीय सदस्य इसी कारण मेरी तरफ आ रहे हैं तो मुझ से वह नहीं छीन पाते क्योंकि मैं सतर्क हो जाता, लेकिन भाषण मैंने उनको दिया, इससे मैं सहमत नहीं हूं। यह कार्यवाही हुई थी, जब दोनों सदनों के माननीय सदस्य एकत्रित थे और माननीय राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, अतः इसमें किन्हीं तथ्यों को छिपाने जैसी कोई बात नहीं है। माननीय गुप्त जी ने और माननीय हुकुम सिंह जी ने जो तर्क प्रस्तुत किये हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह---
मान्यवर, सत्ता पक्ष अपने बहुमत के आधार पर लोकतंत्र का हनन कर रहा है और आपका भी सहयोग उन्हें मिल गया है। इसलिये इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र सिंह राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री ऊदल एवं श्री विद्यासागर नौटियाल भी सदन से उठ कर चले गये।)

श्री खैरुल बशर---
अभी तक सदन का ऐसा अपमान नहीं हुआ है, जैसा विरोधी दलों पर इल्जाम लगा कर किया जा रहा है।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---
यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है, आप बैठें।

श्री खैरुल बशर---
मैं इसके विरोध में सदन त्याग करता हूं।

(श्री खैरुल बशर भी सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष---
प्रश्न यह है कि दिनांक 13 फरवरी, 1984 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष महामहिम श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पुनीत अवसर पर इस सदन के सदस्य श्री मुहम्मद आजम खां ने माननीय अध्यक्ष, जो महामहिम श्री राज्यपाल के निदेशानुसार उनका भाषण पढ़ रहे थे, के हाथ से अभिभाषण की प्रति छीन कर उनके संवैधानिक कृत्यों में बाधा पहुं-

चायी, तथा महामहिम श्री राज्यपाल, माननीय अध्यक्ष तथा इस सदन के प्रति अनादर का भाव दर्शाया। श्री मुहम्मद आजम खां के उक्त व्यवहार की सविस्तार जांच करने तथा उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही संस्तुत करने हेतु इस सदन की एक समिति गठित की जाय जिसमें 7 से अनधिक सदस्य हों (जो माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे) और जो 15 दिनों के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

व्यापारियों के प्रदेश व्यापी आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये अतिरिक्त संसाधन जुटाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश बिक्रीकर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1983 द्वारा बड़े-बड़े व्यापारियों पर अतिरिक्त कर लगाने की व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही, राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से सभी व्यापारियों द्वारा 500--1000 रुपये की नकद प्रतिभूति जमा करने की व्यवस्था की गयी थी, जिस पर समय समय पर डाकघर बचत बैंक खातों में जमा धनराशि पर अनुमन्य दर से ब्याज भी दिया जायेगा। यह धनराशि व्यापारी द्वारा व्यापार बन्द करने अथवा पुनर्गठित करने की दशा में उसे ब्याज सहित वापसी योग्य है यदि व्यापारी पर बिक्रीकर अधिनियम के अधीन कोई बकाया न हो। [अतिरिक्त कर केवल ऐसे व्यापारियों पर लगाया गया जिनका वार्षिक विक्रय धन रुपया 10 लाख से अधिक है। यह कर व्यापारी द्वारा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में देय करके 5 अथवा 7.5 प्रतिशत की दर से देय है, यदि व्यापारी का विक्रय धन क्रमशः रु0 25 लाख से कम अथवा अधिक हो। इस कर की गणना करने के लिये केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित "घोषित माल", जैसे--कोयला, खाद्यान्न तिलहन, लोहा--इस्पात, चमड़ा, काटन यार्न तथा सूत आदि, के विक्रय धन पर देय कर शामिल नहीं माना जायेगा। नकद प्रतिभूति उन सभी व्यापारियों द्वारा जमा की जानी है जो बिक्रीकर विभाग में पंजीयन के पात्र है अथवा पंजीकृत हैं। किन्तु ऐसे व्यापारी जो केवल कर मुक्त वस्तुओं का व्यापार करते है और बिक्रीकर विधि में निर्धारित किसी भी फार्म का प्रयोग नहीं करते, कोई नकद जमानत देय नहीं होगी।

2---प्रदेश में ऐसे व्यापारियों की जिनका विक्रय धन रु0 10 लाख से ऊपर है, संख्या लगभग 12,500 ही है, जबकि कुल पंजीकृत व्यापारी 2 लाख से ऊपर हैं। इस प्रकार व्यापारियों के एक बहुत ही छोटे वर्ग पर अतिरिक्त कर का भार भी पड़ता है जबकि इस से राजस्व में लगभग 15--20 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की आशा है। उल्लेखनीय है कि दिसम्बर, 1983 तक लगभग 2.70 करोड़ रुपये की धनराशि अतिरिक्त कर के रूप में प्राप्त हो चुकी है और लगभग 2.18 करोड़ रुपये नकद प्रतिभूति के रूप में भी प्राप्त हो चुके हैं। जनवरी, 1984 की पूरी सूचना अभी नहीं मिली है किन्तु उपलब्ध सूचना के आधार पर लगभग 52 तथा 26 लाख रुपये क्रमशः अतिरिक्त कर एवं नकद प्रतिभूति के रूप में प्राप्त हो चुके हैं। इस प्रकार काफी व्यापारियों नें विधि के अनुसार अतिरिक्त कर एंव नगद प्रतिभूति जमा कर दी है। अतिरिक्त कर और नकद प्रतिभूति के विरुद्ध व्यापारियों के एक वर्ग द्वारा जो आन्दोलन चलाया जा रहा है वह भ्रम पर आधारित है क्योंकि व्यापारियों का बहुत बड़ा वर्ग अतिरिक्त कर से बिल्कुल प्रभावित नहीं है। केवल 6 प्रतिशत व्यापारी ही अतिरिक्त कर की परिधि में आते हैं।

3---इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि कतिपय अन्य राज्यों में भी अतिरिक्त कर/सरचार्ज/टर्नओवर टैक्स के रूप में कर लगाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में अतिरिक्त कर की दर क्रमशः 10 और 12 प्रतिशत है। कर्नाटक में भी 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज और आधा प्रतिशत की दर से टर्नओवर टैक्स देय है जबकि मध्य प्रदेश में सरचार्ज की दर 7 प्रतिशत है। तामिलनाडु, हिमांचल प्रदेश और आंन्ध प्रदेश में भी 10 प्रतिशत की दर से

नोट--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री ब्रह्मदत्त]

सरचार्ज देय है। जम्मू और कश्मीर में भी 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर सभी व्यापारियों द्वारा देय है। कई राज्यों में उत्तर प्रदेश की भांति यह व्यवस्था है कि अतिरिक्त कर का आपात ग्राहक से वसूल नहीं किया जा सकेगा।

4---उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 17 की उपधारा (3) के उपखंड (ख) के अधीन समस्त मण्डी समितियों द्वारा मण्डी स्थलों में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादन के विक्रय के सौदे पर, क्रेताओं पर एक प्रतिशत की दर से मण्डी शुल्क लगाया और वसूल किया जाता है। कतिपय मामलों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है कि मण्डी स्थलों में क्रेताओं पर लगाये और वसूल किये गये शुल्क का उपयोग मण्डी क्षेत्रों के विकास और संयोजन, सड़कों, पुलियों एवं ग्रामीण गोदामों के निर्माण के लिये नहीं किया जा सकता किन्तु इसका उपयोग केवल उन्हीं व्यक्तियों को सुविधायें और सुखसाधन देने की व्यवस्था करने के लिये किया जाना चाहिये जिनसे यह वसूल किया जाय। चूंकि ग्राम्य विकास के लिये सम्पर्क सड़क, पुलिया और ग्रामीण गोदामों इत्यादि का निर्माण, अनुरक्षण, और उनकी मरम्मत करना अत्यावश्यक है अतः प्रधान मण्डी स्थल अथवा उपमण्डी स्थल में निर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर एक प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मण्डी शुल्क लगाने का निर्णय लिया गया। यह अतिरिक्त मण्डी शुल्क उत्पादक प्रोड्यूसर द्वारा व्यापारी अथवा लाइसेंसी को विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य पर देय होगा इससे जो आय होगी उसका उपयोग मण्डी, उपमण्डी क्षेत्र के अन्तर्गत लिंक सड़क, पुलिया निर्माण तथा इसी प्रकार के अन्य ग्रामीण विकास कार्यों के निर्माण तथा उनके रखरखाव पर किया जायेगा।

5---तथापि अतिरिक्त बिक्रीकर तथा मण्डी शुल्क के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्यावेदनों में जो समस्यायें उठायी गयी हैं उन पर शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और जो वास्तविक कठिनाइयां हैं उन्हे दूर करने का प्रयास किया जायेगा।]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान इस वक्तव्य के अन्तिम अंश पर ले जाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा है कि "तथापि, अतिरिक्त बिक्रीकर तथा मण्डी शुल्क के संबंध में संबंधित क्षेत्रों से प्राप्त प्रत्यावेदनों में जो समस्याएं उठायी गयी हैं उन पर शासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है और जो वास्तविक कठिनाईयां है उन्हे दूर करने का प्रयास किया जायेगा।"

मैं, मान्यवर, इस संदर्भ में माननीय वित्त मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन समय-समय पर मिले हैं, उनमें आन्दोलन कर्त्ताओं ने अपनी किन-किन समस्याओं को उजागर किया है तथा उनके समाधान के लिये आपने कौन-कौन से कदम उठाये है और आपने अपने पुराने फैसले पर पुनर्विचार करने तथा उसे संशोधित करने पर क्या विचार किये हैं, यह बताने की कृपा करें ?

श्री ब्रह्मदत्त---

साधारणतया तीन तरीके की बातें उनकी तरफ से आयी हैं। पहली बात उनकी यह है कि वह बिक्री कर का पूरी तरह से विरोध करते हैं, इसलिए इस ओर उनको यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसा करना हमारे लिय सम्भव नहीं है और दूसरी उनकी मांग है कि जिन 5 वस्तुओं पर अतिरिक्त बिक्री कर लगाने की व्यवस्था की गयी है, उसे वापस लिया जाए, इस पर हम विचार कर रहे हैं और केन्द्र सरकार से भी इस विषय में विचार विमर्श कर रहे हैं। इसलिये इन लोगों को यहां बुलाया गया था और हमारी कोशिश भी यही है कि इनको जितना भी ज्यादा संतुष्ट किया जा सके, उसके प्रयास किये जायेंगे।

श्री रियासत हुसैन---

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में मैं पूछना चाहता हूं कि जो बिक्री कर और मण्डी शुल्क आर्डिनेंस जारी किये हैं जिस पर व्यापारियों में असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है, इस संबंध में आप क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री ब्रह्मदत्त---

माननीय सदस्य तो जनता पार्टी से संबंधित हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अभी हाल में कर्नाटक में जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने बजट भाषण में यह कहा है कि आई, देयर फोर प्रपोज टू लेवी ए रूरल डेवलपमेंट सेल्स आफ 10% आन दि बेसिक रेट आफ सेल्स टैक्स एण्ड आलसो आन दि मोटर वेहिकिल्स टैक्स। इस प्रकार उन्होंने भी 10 परसेंट सेल्स टैक्स और मोटर वेहिकिल्स टैक्स को बढ़ाया है, इसलिये जो इसके विरोध में हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

दूसरे, यह बताया गया है कि जिन चीजों के ऊपर एक्साईज ड्यूटी है उनके बारे में विचार हो रहा है। कांग्रेस सरकारें अपनी सहमति दे रही हैं परन्तु जो गैर कांग्रेस सरकार है उन्होंने अभी अपनी सहमति नहीं दी है। तीसरे, केन्द्रीय सरकार के द्वारा जिन वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण होता है उसमें हम विचार करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में हमने अन्य प्रदेशों से भी सूचनायें मंगायी हैं और हम इस पर बातचीत करेंगे और किसी न किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। यह बजट जब तक आप पास करेंगे, मुझे आशा है कि मैं निर्णय से आप को अवगत करा दूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, मैं मंत्री जी से केवल तीन बिन्दुओं के बारे में जानकारी चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेन्ट इस तरह का हुआ है जिसके तहत यह कहा है कि मण्डी शुल्क का पैसा करदाताओं पर खर्च होता है। मैं इसके संबंध में ही प्रश्न कर रहा हूं। माननीय उच्च न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि सरकार की नीयत काश्तकारों पर नये टैक्स लगाने की नहीं है तो फिर विधान सभा से अधिनियम में संशोधन न कराये जाने का क्या कारण है कि वह खर्च क्षेत्रीय विकास के लिये किया जायगा, जो कि मूल अधिनियम में नहीं है।

दूसरा बिन्दु यह है कि जो जमानत आपने 500 रु0 या 1000 रु0 की लेना स्वीकार की है तो इन दो लोगों की जमानत तो वरबल हो ही जाती हैं, तो फिर इसमें कैश डिपाजिट कराने का क्या कारण है ?

तीसरा यह जो सरचार्ज है यह चार्जेबिल नहीं है। यह अपने पास से देना होगा, वह कहां से देगा ? इन तीनों कठिनाईयों के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कर्नाटक में या आन्ध्र में क्या हो रहा है, यह वहां की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, पर यहाँ की परिस्थतियां वहां से भिन्न हैं। रामाराव पर आरोप लगाया दिया क्योंकि वह नान कांग्रेस वित्त मंत्री हैं, मुख्य मंत्री हैं। केन्द्रीय सरकार जो संसाधन का बंटवारा करती है, विरोधी पक्ष के खिलाफ पक्षपात करती है इसलिये मैं उनके आरोप का उत्तर दे रहा हूं और इस आरोप के उत्तर को देते हुए मैं अपने तीनों बिन्दुओं पर माननीय वित्त मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो तीन बिन्दु कहे हैं, मैं अपनी बात को फिर दोहराता हूं कि केन्द्र सरकार के सामने जब सवाल आया एडीशनल एक्साईज ड्यूटी लगाने के संबंध में, उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, मुख्य मंत्री जी के साथ। वहां पर यह बात नहीं थी कि पक्षपात हो रहा है। वहां यह बात थी कि सेल्स टैक्स हमारा है।

[श्री ब्रह्म दत्त]

दूसरी बात उन्होंने कही छोटे व्यापारियों के मामले के संबंध में। छोटे व्यापारियों को हमने सेल्स टैक्स से मुक्त कर दिया है। फिर भी कठिनाइयों को दूर करने के लिये हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं कहता हूं कि बजट अधिवेशन में ही मैं इस संबंध में जो निर्णय होगा उससे आप लोगों को अवगत करा दूंगा।

मण्डी शुल्क के बारे में कहा गया, जो संसाधन जुटाये हैं उस समय मण्डी शुल्क लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया कि मण्डी स्थलों में क्रेताओं पर लगाये गये और वसूल किये गये शुल्क का उपयोग मण्डी क्षेत्रों के विकास व सुख साधन देने के लिये किया जाना चाहिये। आप देखें, कि हमारी बहुत सी सड़कें मरम्मत के बगैर पड़ी हुई हैं। मैं फिर कहता हूं कि इन सब मामलों पर हम विचार कर रहे हैं और सबके परामर्श से जो निर्णय होगा मुझे आशा है कि उससे आप जरूर सन्तुष्ट होंगे।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, वित्त मंत्री जी के उत्तर ने मुझे फिर सप्लीमेन्ट्री करने के लिये मजबूर कर दिया। श्रीमन्, कर्नाटक सरकार को चूंकि आप कटिंग करेंगे, हर प्रकार से अंकुश रखने में आपने कोई कसर नहीं रखी, आपकी सारी हर्डिल्स के बावजूद कर्नाटक आज भी अपने पैरों पर खड़ा है। इस चीज को सामने रखते हुए कि अगर यह टैक्स बढ़ाया गया तो जनता में तो रिजेन्टमेंट होगा। यह तो भगवान की कृपा है कि अपना घर है जितना चाहे उतना टैक्स ले लें, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे लगाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री ब्रह्मदत्त---

जो चीज कर्नाटक में हुई है, सही हो सकती है लेकिन वह उत्तर प्रदेश में गलत नहीं हो सकती है। हमने उनकी नकल नहीं किया है। बजट मैंने सबसे पहले प्रस्तुत किया है। कर्नाटक का बजट मेरे बाद प्रस्तुत हुआ है। अगर नकल की बात है तो उन्होंने मेरी की होगी। यह छोटे व्यापारियों के लिये नहीं है। मैंने कहा कि इस पर पुनर्विचार कर रहा हूं, इससे और अधिक क्या इन्श्योरेंस दूं। इस चीज को हमें देखना है कि हमारे संसाधनों पर असर न पड़े, आप ऐसी बात न कहें, कल प्लानिंग कमीशन से विचार विमर्श है। हमें अपने संसाधन बढ़ाने हैं ?

श्री भगवती सिंह विशारद---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जनाना चाहता हूं कि मन्डी शुल्क के बारे में जैसा कि आपको जानकारी है कि व्यापारियों और किसानों में घोर असंतोष है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसी मीटिंग करने जा रहे हैं जिसमें व्यापारियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनसे बातचीत की जायेगी जिससे वे अपनी बात को रख सके और उनका आप मार्ग प्रशस्त कर सकें ? इस बीच में इनके बीच में प्रतिष्ठा का प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। मान्यवर, सार्वजनिक मामलों में प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिये तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप कोई मार्ग प्रशस्त करेंगे जिससे व्यापारियों और किसानों की कठिनाइयां दूर हो सकें ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मैं किसी नीतिगत मामले को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाता हूं। उन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है, उनको बुलाया है। मैं यह प्रक्रिया चालू रखूंगा। या तो वह मुझे सन्तुष्ट करें या मैं उन्हें संतुष्ट करूंगा। मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि उत्तर प्रदेश के संसाधन बने रहें और उनकी कठिनाइयाँ भी दूर हो जायें।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री---

मान्यवर, व्यापारियों ने आन्दोलन किया था और सरकार की ओर से उन के विरुद्ध 307 तथा अन्य क्रिमिनल धाराओं के मुकदमें चलाये गये और उनको बन्द किया गया। सुल्तानपुर में 6 व्यापरियों को बन्द किया गया है, यह मेरी जानकारी है तो क्या आप आश्वासन देंगे कि उनके विरुद्ध जो मुकदमें दर्ज किए गये है वह वापस लिये जायेंगे ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, मैं स्वमं सुल्तानपुर गया था और कुछ व्यापारी मिले थे। मैंने उनको छुड़वा दिया है। मुकदमों की लिस्ट मैंने मंगवाई है। किसी भी आन्दोलन की समाप्ति जब होती है तो मुकदमें चलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न कोई उत्पीड़न का सवाल ही उठता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मैं यह जानना चाहता हूं कि मुकदमें वापस होगे या नहीं। विभिन्न व्यापारियों को धारा 188, आदि में बन्द किया गया। कुछ लोगों को कैसरबाग से पकड़ा गया और उनको पकड़ कर हजरतगंज भज दिया गया उनसे नाम भी नहीं पूछा गया और धारा 307 में बन्द करके फर्जी आरोप लगाया गया। मैं साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या सरकार 307 के मुकदमें को वापस लेने का आश्वासन देती है या नहीं ?

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, जिस बात को माननीय सदस्य आज कह रहे हैं वह मैं एक हफ्ते पहले ही कह चुका हूं। इसके अलावा पूरी पत्रावली मैंने मंगाई है। मुख्य मंत्री जी न इन मुकदमों को वापस लेने के सम्बन्ध में जो कमेटी बनायी है उसका अध्यक्ष भी मैं हूं इसलिये आप कल्पना कर सकते है क्या होगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, चूंकि मंत्री जी ने स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है इसके विरोध में हम सदन से वाक आउट करत हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

सरस्वती पूजा विसर्जन समारोह के अवसर पर लखनऊ नगर में गोमती में नावों के डूब जाने से लगभग 40 व्यक्तियों के मरने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री रणजीत सिंह जूदेव)---

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8-2-84 को सांयकाल लगभग 7 बजे गोमती नदी में एक अत्यन्त दुखद नाव दुर्घटना में 32 व्यक्तियों की डूब कर मृत्यु हो गयी। इस संबंध में यह विदित हुआ कि उक्त दिनांक को सायंकाल 6-30 बजे मुख्यत: मुहल्ला मकबूलगंज के निवासी सरस्वती प्रतिमा विसर्जन हेतु हनुमान सेतु के निकट गोमती नदी के तट पर पहुंचे। इनकी संख्या लगभग 50 थी। इनमें से लगभग 40 लोग विसर्जन हेतु तीन नावों पर मूर्ति सहित सवार हुये। यह आपस में बाँध दी गयीं थी। नदी के बीच जब प्रतिमा का विसर्जन किया जाने लग तब नावें असंतुलित हो गयीं और उनमें पानी भी भर गया, जिसके फलस्वरुप नावें डूब गयीं।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गये तथा तत्काल ही डूब हुये व्यक्तियों को बचाने का कार्य युद्ध स्तर पर प्रारम्भ कर दिया गया। साथ ही इसकी सूचना सेना के अधिकारियों को भी दी गयी। परिणाम स्वरुप सेना की टुकड़ी भी लगभग 10 बजे आ गयी। उसी रात्रि को मुख्य मंत्री ने भी स्थल का और जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्य का निरीक्षण किया तथा स्थल पर आर्थिक सहायता की घोषणा की।

नोट---[ ] यह वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।

[श्री रणजीत सिंह जूदेव]

दिनांक 9–2–84 की प्रात: काल तक 32 व्यक्तियों के शव नदी से निकाले गये।

उस संबंध में उल्लेखनीय है कि गोमती नदी के इस घाट पर सरस्वती प्रतिमा विसर्जन का उल्लेख थाने के त्यौहार रजिस्टर या अन्य अभिलेख में नहीं है और न ही इस प्रतिमा विसर्जन की सूचना किसी व्यक्ति द्वारा जिला प्रशासन को दी गयी थी।

उक्त नाव दुर्घटना में अधिकाँश मृतकों के परिवारों को 5000 रु0 प्रति परिवार की दर से सहायता वितरित कर दी गई है। इस दुर्घटना की सम्पूर्ण जाँच [illegible] आयुक्त द्वारा की जा रही है।]

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इतनी गम्भीर घटना जो प्रदेश के अन्दर घटी है, इस सरस्वती पूजा के विसर्जन में, वह किन लोगों की ओर से आयोजित की गई थी और क्या इसकी जानकारी प्रदेश शासन को है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

शासन और प्रशासन को इसकी कोई जानकारी नहीं थी।

श्री विद्यासागर नौटियाल—

क्या माननीय मंत्री जी अपने उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि विसर्जन की सूचना थाने के त्योहार रजिस्टर या अन्य अभिलेख में नहीं थी जिसमें 32 लोगों की जानें गई है ? क्या अब उन्हें रजिस्टर में दर्ज करा लिया गया है ? क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि भविष्य में ऐसे त्योहार या किसी अन्य त्योहार में इस तरह की दुर्घटना न घटे, सरकार सक्रिय रहेगी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

श्रीमन्, अगर उसके लिये आज्ञा लेंगे तो उसको दर्ज करा लिया जायेगा और यदि उचित समझा जायेगा तो आज्ञा जरूर दी जायेगी।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, मैं दो सवाल पूछना चाहता हूं जो नावें डूबी हैं उनके जो नाविक थे, उनके पास लाइसेन्स था ? अगर लाइसेन्स था तो एक नाव में कितने आदमी बैठ सकते थे। दूसरी बात यह है कि जगह जगह पर नावें डूब जाती हैं। जमुना में भी नावें डूबी हैं, सीतापुर में डूबी ह, तो क्या इस तरह की व्यवस्था करेंगे कि जिस तरह से फायर ब्रिग्रेड आग से लोगों को बचाने के लिये हैं, उसी तरह से पानी में डूबने से बचाने के लिये आप कोई ब्रिग्रेड तैयार करेंगे जिससे डूबने वालों को बचाया जा सके ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, वहाँ पर तीन नावें थीं जो बन्धी थी। एक नाव में 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं और इस तरह से केवल 24 व्यक्ति ही उनमें बैठ सकते थे लेकिन जो नावें डूबी हैं उनमें 40 व्यक्ति बैठे थे। जहाँ तक लाइसेन्स का प्रश्न है, इन नाविकों के पास लाइसेन्स नहीं था। तीसरी बात जहाँ तक व्यवस्था करने की बात है हमारे पास रीवर पुलिस की दो किश्तियाँ मौजूद हैं जो कि शहीद स्मारक के पास रहती हैं 5 सिपाही भी वहाँ पर रहते हैं।

(शिक्षा मंत्री के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीया हरिजन समाज कल्याण मंत्री कुछ जानना चाहती हैं। उनकी कांस्टीटुयेन्सी का मामला है। क्योंकि मान्यवर, हमें मालूम हुआ है कि वे वहाँ गई थी और काफी दुतकारी गई थी। हो सकता है उनकी भी कुछ भावनायें हों। इसलिये मान्यवर, उन्हें भी पूछने की आप इजाजत दे दें।

सरस्वती पूजा विर्सजन समारोह के अवसर पर लखनऊ नगर में गोमती में नावों के डूब जाने से लगभग 40 व्यक्तियों के मरने की घटना के सम्बन्ध में वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

मैंने कभी नहीं देखा और न सुना ही है तथा न जानकारी ही है कि माननीय मंत्री जी जो इस सदन में मंत्री हैं और प्रश्न करते हों।

(व्यवधान)

*हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यह बात जानना चाहती हूं कि यह घटना हुई यह काफी गंभीर घटना हुई है जिससे पूरा उत्तर प्रदेश दुखी है। इसलिये आगे कोई दुर्घटना न हो वहाँ पर रिवर पुलिस है उसको सुदृढ़ करने पर आप विचार करेंगे और उस एरिया में सर्च-लाईट पुल के पास लगायेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी ताकि आगे इस प्रकार की दुर्घटना न हो यह मेरा सुझाव है। वहाँ पर रिवर पुलिस सुदृढ़ की जाय और तैराक होने चाहिये तीसरा मेरा सुझाव है जो वहाँ पर मल्लाह है या उनकी जो नाँव है उनकी समय-समय पर चेंकिग होनी चाहिये ताकि वह आर्डर में रहें और ऐसी दुर्घटना न हो। यह भी मेरा सुझाव है इस पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं इस तरह की परम्परा नहीं डालना चाहता हूं। आप उनसे मिल कर बात कर सकती हैं आपको जो जानकारी और तथ्य देने हो उनको बुला लीजिये। इस की आज्ञा मैं नहीं दे रहा हूं।

श्री मित्रसेन—

माननीय मंत्री जी ने दूसरे पैराग्राफ में लिखा है कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी सूचना कब मिली और कब घटनास्थल पर पहुंचे ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

इस घटना की सूचना वजीरगंज थाने के कानिस्टेबुल ने 7.08 मिनट पर कंट्रोल रूम को दी सर्किल आफिसर 7.15 मिनट पर पहुंचे, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दो कानिस्टबुल सहित 7.30 बजे पहुंचे, जिलाधिकारी 8.15 बजे पहुंचे। मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक तथा श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी हरिजन समाज कल्याण मंत्री 8.30 बजे पहुंचे और मुख्य मंत्री जी 9.45 बजे पहुंचे।

श्री शंकर सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि लगभग लोगों की संख्या 50 थी जो कि नाव में बैठ थे। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी संख्या केवल 50 ही थी इसका उनके पास कोई सबूत है ? दूसरा उन्होंने कहा कि युद्धस्तर पर उनको बचाने का कार्य किया तो तो उसमें कितने लोगों को वह बचा पाये ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मैंने 50 नहीं 40 व्यक्ति कहा। पहला यह संशोधन कर लेंगे।

श्री शंकर सिंह—

मैं नहीं आप संशोधन कर लें। आपने कहा है उनकी संख्या लगभग 50 थी।

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

लगभग कहा है। 40 व्यक्ति और 3 मल्लाह थे।

श्री अध्यक्ष—

इसमें संख्या 50 थी लिखा हुआ है, मंत्री जी।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया गोमती में सरस्वती की मूर्ति का विसर्जन हो रहा था। लोग जलूस में जा रहे होंगे तो उनके साथ पुलिस भी जा रही होगी यह निश्चित है। तो जब विसर्जन हो रहा था तो जल पुलिस की व्यवस्था उसमें थी ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

लखनऊ में धारा 145 लगी हुई थी इसलिये लोग रिक्शा में अलग-अलग बैठकर जा रहे थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, यह धारा 145 कौन सी होती है ?

श्री रणजीत सिंह जूदेव—

मान्यवर, 144 धारा लगी थी।

डा0 बृजकिशोर मिश्र—

मान्यवर, यह लोग सुनते नहीं 144 को 145 सुनते हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बहुत सवाल हो चुके हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं स्वयं रिसालदार पार्क में गया था और वहाँ आसपास के करीब 22 परिवारों से मिला। तो 5 परिवार ऐसे है एक तो श्री धर्मपाल है और दूसरा कोई विश्वास है बाकी तीन के नाम याद नहीं आ रहे है, जिनकी हानि से उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं रह गया है। विश्वास जो स्टेट बैंक में डेली वेजेज में था उसकी 22 वर्षीय-विधवा पत्नी घर में है दूसरा धर्मपाल है जो मिठाई बनाने का काम करता था उसके दो सदस्य माँ-बाप जो बूढ़े है बच्चे हैं इस तरह पाँच परिवार हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मानवता के आधार पर एक्स-ग्रेशिया 5-5 हजार रुपये दिया है। पाँच परिवार मेरी जानकारी में है और हो सकता है कि और परिवार भी हों जिनकी जानकारी आपके पास आ जायेगी। जिनके कोई कमाने वाला नहीं है उनका आप सर्वे करा लें क्योंकि किसी को कर्जा देना हो सकता है और किसी को शादी करनी हो सकती है। इसलिये मानवीय आधार पर आप विचार क्या करेंगे ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं बताना चाहता हूं कि इस मामले में मैंने डी0 एम0 को बुलाया था, मैंने उनसे हर परिवार की सूची माँगी है, आर्थिक दशा की सूची माँगी है और मैं विश्वास आपको दिलाता हूं कि जो भी संभव होगा वह मानवीय आधार पर किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल प्रातः 11 बजे फिर बैठेंगे।

इसके बाद सदन 6 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ
22 फरवरी, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 883 पर।)

क्रम सं0	वर्ष 1978–79 से अब तक केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृत य जनाओं के नाम	स्वीकृत लागत (करोड़ रु0 में)	स्वीकृति की तिथि	परियोजनाओं की श्रेणी	स्थान
1	सरयू नहर परियोजना (बायीं तटीय घाघरा नहर)।	78.68	1–4–78	वृहद्	गिरजा बैराज, जिला बहराइच।
2	देवकली पम्प नहर की क्षमता वृद्धि	14.29	6–3–79	,,	ग्राम–सैदपुर, जिला गाजीपुर।
3	ओखला बैराज	25.37	9–8–78	,,	ओखला (दिल्ली)।
4	मध्य गंगा परियोजना (प्रथम चरण)	66.01	10–8–78	,,	बिजनौर शहर में 10 कि0मी0 पश्चिम की ओर गंगा नदी पर रावली घाट से 9 कि0मी0 नीचे।
5	पूर्वी गंगा नहर	48.46	17–3–80	,,	भीमगोडा हरिद्वार–जिला सहारनपुर।
6	मौदहा बाँध	26.754	11–12–79	,,	राठ तहसील में विरमा नदी पर जिला हमीरपुर।
7	समानान्तर निचली गंगा नहर (पुनरीक्षित)	49.4272	29–4–80	,,	नरोरा जिला बुलन्दशहर पर एक बैराज का निर्माण कर खरीफ में निचली गंगा नहर में जल वृद्धि करना।
8	भीमगोडा हेडवर्क्स का पुनरोद्धार	22.45	12–3–81	,,	भीमगोडा (हरिद्वार) जिला सहारनपुर स्थित गंगा नहर के हेड का पुनरोद्धार।
9	राजघाट बाँध परियोजना	42.44	18–8–79	,,	बेतवा नदी पर ललितपुर से 28 कि0मी0 दूर यह बाँध स्थित है, इसके पानी से झांसी, जालौन, हमीरपुर जनपदों में लाभ होगा।
10	लछूरा हेडवर्क्स का पुनरोद्धार	8.529	29–4–80	मध्यम	जिला झांसी में बन हेड को पुनरोद्धार कर धसाव नहर प्रणाली को पानी देना।
11	सजनम बाँध परियोजना	8.44	15–5–81	मध्यम	सजनम नदी पर ललितपुर शहर के दक्षिण पूर्व में सजनम बाँध प्रस्तावित ह।
12	खारा नहर परियोजना (पुनरीक्षित)	4.18667	26–5–81	मध्यम	ताजेवाला हेडवर्क्स (जिला सहारनपुर) के 9 कि0मी0 ऊपर यमुना नदी के बायें किनारे पर खारा ग्राम के समीप।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 122 का उत्तर पीछे पृष्ठ 898 पर)

कोल जनजाति के सामाजिक आर्थिक उन्नयन हेतु इलाहाबाद तथा बांदा के अन्तर्गत वर्ष 1974–75 से 1982–83 तक आहरित कुल धनराशि का ब्योरा

वर्ष	बांदा	इलाहाबाद
1974–75	1,33,000	2,48,000
1795–76	1,33,000	2,48,000
1976–77	70,000	1,50,000
1977–78	54,000	1,25,500
1978–79	97,000	1,13,000
1979–80	1,35,000	85,000
1980–81	1,25,000	95,000
1981–82	1,25,000	95,000
1982–83	1,25,000	95,000
योग	9,97,000	12,54,500

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 144 का उत्तर पीछे पृष्ठ 903 पर)

तालिका

क्रमांक	जिला चमोली में वर्ष 1982–83 में नव निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिए गये मार्ग	लम्बाई (कि0मी0)	स्वीकृति की तिथि	स्वीकृत लागत (लाख रु0 में)	दि0 15-7-83 तक प्रगति		अभ्युक्ति
					वित्तीय	भौतिक	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1—मनसूना जगासू मोटर मार्ग	5.00	13–5–1982	24.20	2.17	0–50 कि0मी0 में कटिंग का कार्य पूर्ण।	
	2—कालीमठ–कोटमा मोटर मार्ग	5.00	तदैव	27.20	5.04	0.75 कि0 मी0 में कटिंग का कार्य पूर्ण ।	
	3—घाट–थराली मोटर मार्ग (घाट की ओर से)	7.00	तदैव	33.90	..	..	वनभूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
	4—चन्द्रनगर–क्यूंजा मोटर मार्ग	12.00	तदैव	64.08	0.80	..	तदैव
	5—हेलंग–उर्गम मोटर मार्ग	5.00	तदैव	52.70	0.60	..	हल्के वाहनों के लिए इस मार्ग के निर्माण-की पुनरीक्षित स्वीकृति दी गयी ।
	6—थिरपाक–काण्डई मोटर मार्ग	5.00	तदैव	23.10	0.15	..	वनभूमि हस्तान्तरण अपेक्षित ।
	7—नारायणबगड़–चौपता मोटर मार्ग ।	5.00	तदैव	16.70	0.01	..	तदैव
	8—नारायणबगड़–गैरसैण मोटर मार्ग ।	10.00	तदैव	33.40	0.01	..	तदैव
	9—थराली–घाट मोटर मार्ग (थराली की ओर से)	10.00	तदैव	33.40	2.79	1.50 कि0मी0	
	10—नगरासू–हरियाली–कोटतल्ला मल्ला सम्पर्क मोटर मार्ग ।	3.00	तदैव	10.02	7.17	2.00 कि0मी0	

मध्य प्रदेश विधान सभा

नत्थी "घ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 156 का उत्तर पीछे पृष्ठ 909 पर)

मांट ब्रांच खण्ड, गंगा नहर, मथुरा के क्षेत्र में पड़ने वाला माट फीडर, ब्रांच राजवाहे, नालों आदि की उप खण्डवार लम्बाई का विवरण—

क्रम-सं0	कार्य का नाम	उप खण्डवार लम्बाई, मील, फर्लांग, फीट मे			
		प्रथम उपखण्ड	द्वितीय उपखण्ड	तृतीय उपखण्ड	चतुर्थ उपखण्ड
1	मांट फीडर एवं मांट ब्रांच	28-5-0	20-4-0	33-4-0	8-0-0
2	राजवाहे एवं अल्पिकाएं	165-5-495	182-3-165	127-4-165	199-5-0
3	ड्रेन्स	148-2-165	155-5-0	125-1-165	43-6-115
4	स्केप्स	12-2-330	9-0-495	6-0-330	6-4-0
5	ड्रेन्स तथा स्केप्स की प्रभावी लम्बाई।	53-4-165	54-7-165	43-5-605	16-6-38
	योग	247-7-0	257-6-330	204-6-110	224-3-38

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 952 पर)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन—

क्र0सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1	श्री राजेन्द्र सिंह (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— "किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न विषयों का उल्लेख नहीं किया है— प्रदेश की राजनीत में असामाजिक तत्वों, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों तथा गुण्डों की साझेदारी में वृद्धि हुई है, कई जिलों में कांग्रेस (ई) ने अवांछनीय व्यक्तियों को अपना दलीय पदाधिकारी बनाया है साथ ही दिसम्बर, 1983 के विधान सभा तथा लोक सभा के उपचुनावों में ऐसे व्यक्तियों को ही अपने संगठन का आधार बनाकर चुनाव जीतने की साजिश हुई जिसका परिणाम हुआ कि फाजिलनगर उप चुनाव में गुण्डों की गोली से 3 निरपराध व्यक्ति मृत हो गए। अपराधी तत्वों को राजनीति में से निकाल फेकने की दिशा में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए। प्रदेश स्तर पर आर्थिक पुनर्निर्माण की दशा में शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की। अभी तक प्रदेश की वार्षिक योजना नहीं तैयार हो सकी। प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को अपना पक्ष समझा नहीं सकी जिसके कारण अपेक्षित धन नहीं मिल पाया। बहुत दिनों से प्रदेश में 6 खाद के कारखाने बनाने का प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं हो सका, स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान्न, एकीकृत ग्राम विकास योजना और स्वरोजगार योजना को सफलतापूर्वक चलाने के लिए शासन ने कोई कारगर प्रयास नहीं किए। नतीजा यह हुआ कि प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई। बैंकों से सहयोग देने के लिए कोई प्रयास न होने से इन सभी योजनाओं का पैसा बिना रिश्वत के गरीबों को नहीं मिल सका। प्रदेश के समस्त सार्वजनिक संस्थान घाटे में चल रहे हैं उनकी आर्थिक दशा सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के क्रियान्वयन का धन बर्बाद हो रहा है और गत वर्ष इसके लिए आवंटित धन का केवल 55 प्रतिशत खर्च हो सका। परिणाम यह है कि गरीबी और बेरोजगारी दोनों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। वितरण प्रणाली दोषपूर्ण होने से न तो किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिला और न तो उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो सकीं। विगत वर्ष का ही प्रदेश के गन्ना काश्तकारों का 70 करोड़ रुपया बकाया है और गेहूं

के मूल्य का निर्धारण अभी तक नहीं हो सका। सभी पंचायत स्तर पर सस्ते मूल्य के उपभोक्ता सामग्रियों के वितरण हेतु सस्ते मूल्य की दुकानों को नहीं खोला जा सका है जिससे प्रदेश के किसान और उपभोक्ता दोनों की कमर टूट गयी।

एक तरफ देश की आर्थिक स्थिति जर्जर है वहीं दूसरी तरफ सरकार की फिजूल खर्ची में वृद्धि हुई है। केन्द्र सरकार के निरन्तर निर्देश के बावजूद खर्चीले कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दो करोड़ रुपए स्टेट प्लेन खरीदने में व्यथ का नष्ट किया गया। लिफ्ट लगाने और एय्याशी के सरकारी उपकरणों की खरीद में करोड़ों रुपए नष्ट हुए हैं. वहीं दूसरी तरफ सिंचाई विभाग पर करोड़ों का बकाया पड़ा है जिससे सिंचाई और बिजली के ठेकेदारों ने अपना काम बन्द कर दिया है। सरकार की अकर्मण्यता से ओबरा तापीय विद्युत गृह में भीषण अग्निकाण्ड हुई जिसके फलस्वरूप लगभग 30 करोड़ रुपया की क्षति हो गयी लेकिन प्रदेश की अक्षम सरकार इस दुर्घटना के असल कारणों का अभी तक पता नहीं कर सकी है। विद्युत् की बड़ी योजनाएं नानपारा, डलमऊ, दोहरीघाट आदि को अभी तक पूरा न कर सकने के कारण अपने प्रदेश में विद्युत संकट है। सिंचाई की वृहद् योजनाएं भी अभी तक पूरी नहीं हो सकीं। विश्व बैंक की नलकूप निर्माण की योजनाएं कार्यान्वित नहीं हुई हैं। सरजू नहर, टेहरी परियोजना जिस त्वरित गति से चलनी चाहिए व तीव्रता नहीं होने से प्रदेश विद्युत और सिंचाई के क्षेत्र में पिछड़ता चला जा रहा है।

प्रदेश में कानून व्यवस्था नष्ट हो गयी है। सरकार की पकड़ कानून व्यवस्था से समाप्त हो गयी है। बहुचर्चित मगरासा काण्ड का आज तक खुलासा नहीं हो सका। विधायकों की हत्या से सम्बन्धित जितने भी मामले गुप्तचर की जांच के लिए थे उसमें जांच पूरी नहीं हो सकी और 4-4 वर्ष से मामले बिना निस्तारण के पड़े हैं। सरकार पुलिस महानिरीक्षक की तलाश तक नहीं कर पा रही है। किसी भी कर्मचारी को सेवा में विस्तार न दिए जाने की स्पष्ट नीति के बावजूद जातिवादिता के चलते एक अक्षम पुलिस महानिरीक्षक को अपने पद पर बिठा रखा है। सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन में शासन द्वारा जातिवादिता की दुर्गन्ध फैलाकर वफादार कर्मचारियों में असन्तोष की भावना पैदा कर दी गयी है।

इस प्रदेश के जागरूक बेरोजगार, छात्रों को मार्ग प्रदर्शन करने पर लाठियों से पीटा गया। अधिकांशतः घायल अवस्था में नवयुवक और छात्र लखनऊ की जेल में सड़ रहे हैं। विगत एक महीने से प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक हड़ताल कर रहे हैं और 50 हजार के करीब जेल भी जा चुके हैं। इसी महीने प्रदेश के विश्वविद्यालय के अध्यापकों ने हड़ताल की तथा 16 फरवरी से महाविद्यालय के अध्यापक हड़ताल करने जा

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		रहे हैं। मार्च महीने से राज्य कर्मचारियों ने भी हड़ताल की सूचना दी है तथा समस्त अभियन्ताओं ने भी अपनी हड़ताल चलाई। प्रदेश की सरकार युवक, शिक्षक, कर्मचारी, किसान किसी की भी समस्या हल नहीं कर पा रही है। सत्ताधारी पार्टी के आपसी द्वन्द से प्रदेश में शासन का प्रशासकीय दखल समाप्त हो गया है। मन्त्रि परिषद् के कतिपय सदस्यों की ताकत में वृद्धि करने में भ्रष्ट अफसरों का मनोबल ऊंचा हो गया है। इस मन्त्रिमण्डल के मन्त्री और उनके आश्रय में पलने वाले अधिकांश अधिकारी प्रदेश की सामान्य जनता का अहित कर रहे हैं। एक तरफ अध्यादेश के द्वारा बिक्रीकर दाताओं को अतिरिक्त कर तथा मण्डी शुल्क बढ़ाकर किसानों को लूटा गया वहीं दूसरी तरफ बिना बजट के ही बस भाड़ों में वृद्धि हुई, नतीजा यह है कि करदाता तबाही के कगार पर हैं।
2	श्री रियासत हुसैन तथा अकबर हुसैन (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है-- 1--उर्दू, भाषा को प्रदेश में 8 वें दर्जे तक अनिवार्य पढ़ाने का उल्लेख। 2--प्रदेश में बेरोजगारी दूर करने हेतु किसी योजना का, 3--प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमत रोकने के लिए, 4--प्रदेश में विद्युत् को बढ़ाने की कोई स्कीम, 5--कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिये इस्तेमाल होने वाली सामग्री की बढ़ती हुई कीमतों पर रोक लगाने के सम्बन्ध में, 6--प्रदेश में एन0 एस0 ए0 का अनावश्यक रूप से लागू करने पर रोक लगाने के संबंध में, 7--कृषकों को गन्ने की मूल्य बकाया दिलाये जाने के सम्बन्ध में, 8--फूलन देवी, डाकू तथा उसके गिरोह को जिन्होंने मध्य प्रदेश में आत्म समर्पण किया था उनको उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अपराधों में सजा देने के लिये उत्तर प्रदेश में लाने के सम्बन्ध में, 9--मुरादाबाद में सन् 1980 में हुए दंगों में झूठे मुकदमे कायम किए गए मुकदमों को समाप्त किए जाने का।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का नाम
3	श्री फखरे आलम (उपस्थित किया जा चुका है)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय : किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बिन्दुओं की चर्चा नहीं की है— 1—प्रदेश में समान्य प्रशासन, शान्ति और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बद से बद्तर होती जा रही है। प्रदेश के लोगों का जीवन बिलकुल ही असुरक्षित हो गया है। पुलिस जन-सुरक्षा के प्रहरी होने के स्थान पर अपराधियों का संगठित गिरोह बनती जा रही है। हत्या लूट, बलात्कार, सामान्य बात बन कर रह गयी है। 2—प्रदेश के विभिन्न अंचलों फैजाबाद, गोण्डा, बहराइच मेरठ, मऊ, आजमगढ़, पनियरा, जौनपुर आदि में साम्प्रदायिक तनाव के कारण न जाने कितने व्यक्ति मौत के घाट उतार दिये गये। प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बनाने की दिशा में प्रशासन अक्षम और अयोग्य साबित हुआ है। हरिजनों पर होने वाला अत्याचार जारी है। उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की दिशा में सरकार की ओर से कोई ठोस और कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। 3—राज्य सरकार की ओर से संगठित रूप से संसदीय लोकतंत्र के विरोध में कार्य किये जा रहे हैं। विद्यार्थी, मजदूर, अध्यापक इन सभी के जनवादी आन्दोलनों को कुचला जा रहा है। 4—संयुक्त रूप से विद्यार्थी मोर्चे की ओर से चलाये जाने वाले छात्र आन्दोलन में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर न केवल लाठी चलाई गई बल्कि उनके सीने पर घोड़े की टाप तक चला दी गयी। 5—शिक्षा में व्यक्तिगत प्रबन्धकीय व्यवस्था को जारी रखा जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण किए जाने के पूर्व आश्वासन को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। शिक्षा की दोष प्रणाली को बदलने, रोजगारपरक शिक्षा लाभ कराने, शिक्षा में एकरूपता लाने तथा प्रबन्धतंत्र द्वारा शोषण और लूट को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी है। 6—वेतन आयोग की संस्तुतियों राज्य कर्मचारियों, माध्यमिक शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और स्वायत्त-शासी संस्थाओं के कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है और उनकी विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार ने कोई योजनाबद्ध कार्यवाही नही की है। 7—स्वायत्तशासी संस्थाओं—नगरपालिका, नगर महापालिका, जिला परिषदों का चुनाव न कराकर जनतंत्री इकाइयों को समाप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है केवल इन संस्थाओं के जनवादी स्वरूप को विखंडित किया जा रहा है बल्कि स्थानीय निकाय, अध्यापक और स्नातक क्षेत्र से

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		विधान परिषद् के सदस्य का चुनाव न कराकर उसकी सार्थकता नष्ट की जा रही है। 8—किसानों और गन्ना किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने और प्रदेश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्म निर्भर बनाने में सरकार पूर्णतया असफल रही है। 9—प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णरूप से विफल हो गयी है ? नगरीय और विशेषकर ग्रामीण अंचलों में जीवनोपयोगी वस्तुयें जनता को उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार की मूल्य नीति के कारण मंहगाई और बेरोजगारी निर्बाध गति से बढ़ती जा रही है।
4	श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—प्रदेश को एक स्वच्छ, दक्ष तथा संवेनदशील प्रशासन देकर यहाँ के किसानों, मजदूरों, महिलाओं, छोटे दुकानदारों तथा मुख्य रूप से निर्बल वर्ग के लोगों को राहत प्रदान कर उसे (प्रदेश) को चतुर्थमुखी विकास की ओर किंचित भी आगे बढ़ा पाने, शान्ति एवं व्यवस्था की दिशा में हो रही, निरन्तर गिरावट को रोकने और मन्त्री स्तर से लेकर नीचे तक सम्पूर्ण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में पूर्ण रूप से असफल रहने ! 2—गन्ना काश्तकारों को गन्ने का मूल्य 35 रुपए प्रति क्विन्टल दिलाने, बकाया ब्याज सहित तत्काल दिलाकर चालू खरीद का नगद मूल्य दिलाने, आउटसेटरों पर ढुलाई का किराया न लिये जाने, खाद पुल के नाम पर अनिवार्य कटौती रोकने तथा गन्ने पर से चुंगी न लिए जाने। 3—नागर तथा ग्रामीण स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथि निर्धारित करने के बाद भी उन्हें टालने पर दुख प्रकट करते हुए उन्हें तत्काल कराने। 4—सभी क्षेत्रों एवं स्तरों पर कायम सहकारी समितियों तथा बैंक आदि में जहाँ जहाँ भी प्रशासक नियुक्त है उन्हें तत्काल समाप्त कर उनमें व्याप्त भ्रष्टाचार की शिकायत की जाँच के लिए उच्च अधिकार सम्पन्न आयोग के गठन की घोषणा करते हुए उनके चुनाव तत्काल कराने, 5—वृद्धों और निराश्रित विधवाओं की पेंशन में वृद्धि कराने। 6—सताई जाने वाली बहुओं की शिकायतों की सुनवाई के लिए नारियों व प्रशासन की मिली जुली व्यवस्था विकसित करने।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		8—सरकारी तथा गैर सरकारी स्कूलों तथा माध्यमिक विद्यालयों में स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए कुपोषण और बाल्यकाल में घर कर लेने वाली बीमारियों की रोकथाम करने के लिए स्वास्थ्य परीक्षा और चिकित्सा का असरदार क्रियान्वयन करने,
		9—सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में बिकने वाली आवश्यक वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर उनमें दालें कपड़ा तथा वनस्पति घी आदि जोड़ने और प्रत्येक कार्ड धारक को आवश्यकता भर सामान शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में देना तथा वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने।
		10—बिक्रीकर समाप्त करके उसके स्थान पर राजस्व प्राप्ति हेतु उत्पादन कर लगाने अथवा मूल स्रोत पर कर लगाने तथा फिलहाल बिक्रीकर अध्यादेश जिसे वापस लेने के लिए प्रदेश के व्यापारी आन्दोलन कर रहे हैं, उसे तत्काल वापस लेने।
		11—पेड़ काटने के सम्बन्ध में एक व्यावसायिक नीति अपनाते हुए वन निगम की दुकानें सम्पूर्ण प्रदेश में खुलवाकर उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर ईंधन उपलब्ध कराना।
		12—खुले बाजार में सीमेन्ट का मूल्य कम करने हेतु प्रभावी कदम उठाने।
		13—बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित समस्त बेरोजगार अध्यापकों को वर्ष 84-85 के भीतर ही सेवा में अवश्य लने।
		14—विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत मजदूरों के वेतन एवं सेवा की शर्तों में सुधार क लिये अब तक घोषित वह अभिनिर्णय जो लागू नहीं किये जा सके हैं उन्हें तत्काल लागू करने।
		15—एक निर्धारित अवधि में सरकार द्वारा काम न दे पाने से बरोजगार नवयुवकों को भत्ता देन।
		16—विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रत्येक सत्र में न्यूनतम अवधि निर्धारित करन।
		17—सीतपुर नगर में स्पोर्टस स्टेडियम तथा नेशनल हाईवे पर बाईपास तुरन्त बनवान।
		18—पिछले शासन के समय बनाये गये सभी सम्पर्क मार्गों को तत्काल पक्का करने, अधरों को पूरा करन तथा वर्ष 1984-85 में जिले में सभी ग्रामों में मुख्य सड़कों स जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्गों, पुलियों, पुलों की बनवाने तथा प्रत्येक खत के लिए पानी की व्यवस्था करने।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		19--सीतापुर जिले के गाँजरी क्षेत्र में एक चीनी मिल के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने एवं मुआवजा देने, सीतापुर नगर में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए वाणिज्य तथा कृषि विषय पढ़ाने एवं कानून की कक्षाएं खोलने, हरगांव तीर्थ जीर्णोद्धार तथा सुन्दरीकरण का कार्य प्रारम्भ करने तथा सीतापुर नगर औद्योगीकरण के लिए विशेष योजना बनाने एवं नीमसार के चक्र तीर्थ की भांति मिश्रिख के दधीच कुण्ड का जीर्णोद्धार कराने, 20--विगत माह बस भाड़े में की गयी वृद्धि को वापस लेने, 21--राज्य कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 900 रुपया प्रतिमाह आवास एवं चिकित्सा भत्ता, पेंशन नियमों में सुधार, समयबद्ध वेतनमान एवं एक माह के वेतन के बराबर बोनस देने, 22--शिक्षा व्यवस्था में निजी प्रबन्ध तंत्र को समाप्त करने, माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त तदर्थ अध्यापकों का नियमितीकरण करने एवं मान्यता के साथ ही अनुदान देना प्रारम्भ करने, 23--स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, आई0 आर0 डी0 स्वतः रोजगार योजना एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वियन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चिन्ता प्रकट करते हुए, उसके निराकरण हेतु प्रभावी पग उठाने, 24--भिक्षुक गृहों के सुधार एवं रखरखाव की पर्याप्त व्यवस्था कराने, 25--मण्डी समितियों के चुनाव तत्काल कराने एवं किसानों पर लगाया गया एक प्रतिशत अतिरिक्त मंडी शुल्क तुरन्त वापस लेने, 26--प्रदेश में चुगी कर समाप्त करने, 27--सीतापुर जिले म मूंगफली की उपज तथा क्वालिटी में निरन्तर हो रही गिरावट की रोकथाम करके उसके विकास की रूपरेखा बनाने, 28--ग्राम प्रधानों को यात्राभत्ता तथा मासिक भत्ता देने उनके अधिकारों में वृद्धि कर उन्हें ग्राम प्रशासन का उत्तर-दायित्व सौपने।
5	श्री हरिवंश सहाय (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है-- 1--दहेज विरोधी कानून बनाने के संबंध में, 2--बेरोजगारों को रोजगार या बेरोजगारी का भत्ता दिलाने के संबंध में,

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3--हाई स्कूल तक मुफ्त, अनिवार्य एव रोजगार परक शिक्षा दिये जाने के सम्बन्ध में ,
		4--दस बीघे तक जमीन का लगान माफ करने के सम्बन्ध में,
		5--माध्यमिक विद्यालयों के राष्ट्रीयकरण करने एवं उनकी मांगों के संबंध में,
		6--मान्यता प्राप्त सभी माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में समान रूप से करने के सम्बन्ध में,
		7--दाम नीति की घोषणा करने तथा प्रत्येक वस्तु के दाम पर लागत खर्च से ड्योढ़े से ज्यादा न होने केसंबंध में,
		8--सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जाति के आरक्षण एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति देने के संबंध में,
		9--बस का किराया घटाने के संबंध में,
		10--खाद एवं कीटनाशक दवाओं का दाम कम करने के संबंध में,
		11--बिजली का दाम घटाने के संबंध में,
		12--भ्रष्टाचार, बेइमानी, घूसखोरी एवं भाई भतीजा-वाद समाप्त करने के संबंध में,
		13--गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिये ठोस नीति निर्धारित करने के संबंध में,
		14--मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने के सम्बन्ध में,
		15--बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित बेरोजगारों का तत्काल सेवा में लेने के सम्बन्ध में,
		16--गन्ने का मूल्य 30 रु0 प्रति क्विंटल करने तथा बकाये मूल्य की अदायगी करने के संबंध में,
		17--छोटे किसानों के कर्जों को माफ करने के सम्बन्ध में,
		18--पूर्वांचल के विकास के लिए पूर्वांचल विकास निगम की स्थापना के संबंध में,
		19--देवरिया जनपद में कृषि विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में,
		20--देवरिया जनपद की तहसील सलेमपुर में शुगर टेक्नोलाजी स्थापित करने के सम्बन्ध में,
		21--देवरिया जनपद के भाटपाररानी, भटनी एवं सलेम-पुर टाउन एरिया में ड्रेनेज निकालने तथा पेयजल योजना चालू करने के सम्बन्ध में,
		22--देवरिया जनपद के भाटपाररानी में मसाला उद्योग, भटनी में कागज का कारखाना खोलने के सम्बन्ध में,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम० सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23—सलेमपुर तहसील (जिला देवरिया) के सर्वांगीण विकास हेतु सलेमपुर में मुन्सफी अदालत की स्थापना, कागज का कारखाना, रोजगार दफ्तर, महिला अस्पताल, महिला डिग्री कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, रोजगार दफ्तर एवं सूचना केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में,
		24—देवरिया जनपद के भटनी में बिजली सब स्टेशन चालू करने तथा बनकटा में सब स्टेशन बनाने के संबंध में,
		25—फाजिलनगर गोली काण्ड के मुलजिमानों को तत्काल गिरफ्तार करने के संबंध में,
		26—जिला परिषदों के सड़कों पर काम करने वाले मजदूरों की सेवायें स्थायी करने के सम्बन्ध में,
		27—देवरिया जनपद के छोटी गंडक नदी में धनुकी, बड़कागाँव तथा सठियाँव में पक्का पुल बनाने के सम्बन्ध में,
		28—देवरिया जनपद के भाटपाररानी में महिला डिग्री कालेज तथा भटनी एवं बनकटा में बालिका हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में,
		29—देवरिया जनपद में खनुवा नदी में बलुआअकगान, बिन्दवलिया, झरनाघाट, मोहरौर, खैराट में रेगूलेटर बनाने तथा हाटा नाला में बाँध बनाने के सम्बन्ध में,
		30—सन 1980 से कार्यरत, प्रतीक्षा सूची एवं जमानत धनराशि जमा करने वाले परिचालकों को पुनः सेवा में लेने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को आदेश न दिये जाने के सम्बन्ध में,
		31—देवरिया जिलान्तर्गत भाटपाररानी विधान सभा क्षेत्र के कच्चेमार्गों को खड़ंजा व कंकरीट करने, खड़ंजे वाली सड़क को पक्का करने, सिरसियाँ से स्याही नाला तक की सड़क को बनाने के संबंध में,
		32—देवरिया जनपद के भाटपाररानी, बनकटा एवं भटनी में राजकीय नलकूप लगाने के सम्बन्ध में।
6—श्री राम गोविन्द (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
		किन्तु खेद है कि राज्य पाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—
		1—गन्ना किसानों के बकाये का तत्काल भुगतान करने के सम्बन्ध में,
		2—बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित किसानों की फसलों का मुआवजा देने के संबंध में,

क्रम सं0	प्रस्तावक नाम	संशोधन का रूप
		3—10जनवरी, 1984 को छात्र युवा प्रदर्शन पर अकारण लाठी चार्ज करने एवं छात्रों को बंदी बनाने वाले अधिकारियों को अभी तक दंडित न करने के सम्बन्ध में, 4—लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव न कराये जाने के सम्बन्ध में, 5—प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं इण्टरमीडिएट स्कूलों के छात्रों में बढ़ रहे असंतोष को दूर करने के सम्बन्ध में, 6—प्रदेश में इण्टरमीडिएट तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के सम्बन्ध में, 7—माध्यमिक शिक्षकों द्वारा चलाये जा रहे आन्दोलन में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने के संबंध में, 8—उर्दू को दूसरी राज्य भाषा बनाने के संबंध में, 9—बलिया जनपद में 5 बड़े उद्योग लगाने के संबंध में, 10—चिलकहर विधान सभा क्षेत्र के खुदाई के सम्बन्ध में, 11—चिलकहर ब्लाक के ग्राम मोदी में टोंस नदी पर पुल बनाने के संबंध में, 12—बलिया जनपद के लघु सीमान्त किसानों की अभी तक छूट न दिये जाने के सम्बन्ध में, 13—बलिया जनपद में सिंचाई विभाग में माइनर न खुदवाने और नहरों पर पुल न बनवाने के सम्बन्ध में, 14—सूखे एवं बाढ़ से तबाह बलिया जनपद के किसानों के लगान माफ करने के संबंध में, 15—किसानों को नियमित रूप से कृषि कार्य के लिये विद्युत आपूर्ति न करने के सम्बन्ध में।
7—श्री कुंवर सिंह नेगी श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी तथा डा0 शिवानन्द नौटियाल। (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, गंभीर खाद्यान्न संकट, कमर तोड़ मंहगाई, जर्जर, अर्थव्यवस्था, व्याप्त भ्रष्टाचार, भयंकर विद्युत संकट एवं मोटर गाड़ियों के किराये एवं भाड़े में में अप्रत्याशित वृद्धि से तथा चौपट पड़ी परिवहन व्यवस्था से त्रस्त जनता की असहनीय परेशानियों को दूर करने हेतु, एवं जनपद चमोली में दिनाँक 9 फरवरी, 84 को स्थान नन्द प्रयाग में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक भोटिया जनजाति के लोगों पर गोली वर्षा से एक व्यक्ति की मृत्यु तथा कई लोगों को घायल किये जाने तथा बाद में भोटिया जनजाति बस्तियों में जाकर उत्पीड़न किये जाने की भर्त्सना तथा इस जघन्य घटना की चर्चा,

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—राज्य के आकार एवं भौगोलिक स्थिति को देखते हुए राज्य के चतुर्मुखी विकास के लिए छोटी प्रशासनिक इकाइयाँ बनाने,
		3—औद्योगिक दृष्टि से शून्य जनपदों चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी एवं पौड़ी गढ़वाल को औद्योगीकरण के बारे में कोई उल्लेखनीय, पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन विकास हेतु समय-बद्ध कार्यक्रम की कोई घोषणा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में अन्य उद्योगों की भांति होटल व्यवसाय को भी राजकीय अनुदान, सुविधायें एवं प्रोत्साहन दिये जाने के संबंध में,
		4—पर्वतीय क्षेत्र की विषम भौगोलिक स्थिति एवं दुर्गमता को देखते हुए वहाँ सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु ट्रांसपोर्ट सबसीडी दिये जाने के संबंध में,
		5—वेतन आयोग की संस्तुतियों से राज्य कर्मचारियों, माध्यमिक शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के वेतनमानों में उत्पन्न विसंगतियों को दूर करने, राज्य कर्मचारियों के भविष्यनिधि के लेखे की सही, सरल एवं सुविधाजनक व्यवस्था,
		6—प्रदेश में व्यापारियों, माध्यमिक शिक्षक संघ एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा जारी हड़तालों के समाधान हेतु किसी निर्णय का उल्लेख,
		7—प्रदेश में सहकारी बैंकों के समस्त अस्थाई कर्मचारियोंकों राज्य कर्मचारियों की भांति नियमित किये जाने हेतु प्राविधान किये जाने के संबंध में,
		8—पर्वतीय क्षेत्र में राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों के पद काफी संख्या में रिक्त हैं, इसी प्रकार राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के पद काफी संख्या में रिक्त पड़े हैं। इन विभागों में पर्वतीय संवर्ग द्वारा की गयी नियुक्तियाँ कारगर सिद्ध नहीं हो पायी है। नियुक्तियाँ पाने के बाद अधिकाँश डाक्टर एवं अध्यापक जो कि मैदानी क्षेत्रों के थे पर्वतीय क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों में कार्य करने में अभ्यस्त न होने के कारण वहाँ से चले गये है जिससे रिक्तियाँ बनी पड़ी है। इस परिप्रेक्ष्य में पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ही जो कि वहाँ कार्य करने के लिये सहर्ष तैयार है और अभ्यस्थ है पर्वतीय संवर्ग में नियुक्त किये जाने चाहिये जिससे वहाँ कार्य सुचारु रुप से होता रहे, इसके संबंध में,
		9—पर्वतीय क्षेत्र में आलू, सेब, माल्टा इत्यादि के विपणन, भण्डारण, वर्गीकरण तथा इनके लिए समर्थन मूल्य एवं बीमा व्यवस्था के संबंध में और जनपद चमोली में विकास खण्ड घाट,

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		थराली एवं टेवाल विकास खण्डों में आलू बीज प्रमाणीकरण योजनाओं को स्वीकृति देने के संबंध में जिससे काश्तकारों को लाभ मिल सके,
		10——श्री बद्रीनाथ, केदारनाथ मंदिर समिति का वर्तमान स्वरूप धर्म-निरपेक्षता की भावना के विपरीत है और राजनीति से प्रेरित है, इसके पुर्नगठन के संबंध में,
		11——प्रदेश में वन्य जन्तु संरक्षणअधिनियम में हिंसक जानवरों द्वारा पालतू पशुओं एवं आदमियों के मारे जाने पर उचित मुआवजा दिये जाने, के संबंध में तथा वर्तमान व्यवस्था अत्यन्त दोषपूर्ण, पेचीदी है जिससे लोगों को उचित राहत नहीं मिल पा रही है, इसमें समुचित संशोधन किये जाने एवं इसी प्रकार वन संरक्षण अधिनियम से पर्वतीय क्षेत्र में विकास कार्यों में उत्पन्न गतिरोध को दूर करने तथा इसके अनुसंधान पर रोक लगाने हेतु प्रदेश सरकार के प्रयासों के संबंध में,
		12——जनपद चमोली में वन औषधियों एवं जड़ी बूटियों का अतुल भंडार है। वहाँ पर पर आधारित औषधि निर्माण उद्योग की स्थापना, उत्तराखंड विद्यापीठ (चमोली) में आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मंडल (चमोली) में हरवल इंस्टीट्यूट एवं टोगवालीटा चोगता (चमोली) में जड़ी बूटी फार्म की स्थापना के संबंध में ।
8——श्री नरेन्द्र सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है——
		1——उ0 प्र0 मन्त्रि मण्डल में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं समस्त नैतिक मूल्यों को समाप्त कर दिये जाने के संबंध में,
		2——प्रशासन में, सभी स्तरों पर बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को समाप्त कर स्वच्छ प्रशास दिये जाने के संबंध में।
		3——प्रतिदिन बढ़ती हुई कमरतोड़ मंहगाई को रोके जाने के संबंध में।
		4——प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली की दरों को कम करने के सम्बन्ध में तथा कृषकों को कम से कम 15 घन्टे बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में,
		5——शिक्षित एवं अशिक्षित नवयुवकों को रोजगार दिलाने के लिये कोई ठोस योजना एवं छात्रों में फैले घोर असंतोष को दूर करने के लिये कोई रोजगार पूरक योजना न बनायी जाने के सम्बन्ध में,
		6——प्रदेश के किसानों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का उचित मूल्य दिलाये जाने के संबंध में कोई ठोस नीति की घोषणा न किया जाना,

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7—प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था के ठप्प हो जाने के सम्बन्ध में, 8—कस्बा बड़ौत, जनपद मेरठ में सहकारी क्षेत्र में चीनी मिल लगाये जाने की घोषणा न किये जाने के संबंध में, 9—तहसील सरधना, जनपद मेरठ में चल रही चकबन्दी में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में, 10—सत्तापक्ष के जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन में अनुचित हस्तक्षेप के कारण, अधिकारियों में तथा जनता में व्याप्त असंतोष के संबंध में, 11—बिक्री कर समाप्त करके, उसके स्थान पर राजस्व हेतु उत्पादन कर लगाने के संबंध में, 12—पश्चिम उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित किये जाने के संबंध में।
9	श्री धनीराम वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—स्थानीय निकायों और सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र कराये जाने के संबंध में घोषणा, 2—काम के बदले अनाज योजना चालू करने के संबंध में, 3—वर्ष 1983 ई0 की धान की सिंचाई और रबी की पलेवटा नहीं हुई है अत. धान की सिंचाई और रबी की पलेवटा की आबपाशी की माफी के सम्बन्ध में, 4—1 प्रतिशत किसानों पर लगने वाले मंडी शुल्क को समाप्त करने के संबंध में घोषणा जो इसी वर्ष से प्रारम्भ किया गया है, 5—प्रदेश के किन्हीं-किन्हीं जनपदों में अभी नगर-पालिकाओं और टाउन एरियाज द्वारा शिक्षण शुल्क लिया जा रहा है, उसे समाप्त करने से संबंधित घोषणा, 6—हमारे जनपद इटावा की तहसील विधूना में अभी तक 1987 फसली की खरीद व 1988 फसली रबी के लगान की माफी की सरकारी घोषणा के बावजूद किसानों से लगान न लिये जाने की घोषणा से संबंधित, 7—प्रदेश की उत्तरोत्तर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कोई प्रभावी नीति की स्पष्ट घोषणा नहीं की गयी है, 8—जल भराव और बाढ़ समस्या समाप्ति से संबंधित किसी त्वरित एवं प्रभावी नीति की घोषणा।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रुप
		9—मण्डी समिति द्वारा वसूल किया गया मण्डी शुल्क का उपयोग मण्डी समिति क्षेत्र मेंसड़कों के बनवाने बाजारों में प्रकाश तथा पेयजल आदि की व्यवस्था में व्यय किये जाने से सम्बन्धित घोषणा,
		10—इस वर्ष सिंचाई, विद्युत एवं बसों के बढ़े हुए किराये को वापस लिये जाने से सम्बन्धित घोषणा,
		11—बजट प्रस्तुत करते समय सरकार की इस घोषणा के पश्चात कि प्रदेश में अब कोई नये टैक्स नहीं लगायेगे, तदनुसार कार्यवाही की घोषणा,
		12—पुलिस उत्पीड़न के विरुद्ध यदि कोई मुकदमा जनता द्वारा पुलिस पर कायम करना चाहती है तो तुरन्त कायम कराने और उसकी जांच किसी अवकाश प्राप्त जज से करवाने की घोषणा,
		13—यूरिया और डी0 ए0 पी0 खादों की कीमत क्रमशः 75 रुपये और 100 रुपये करने से सम्बन्धित घोषणा,
		14—प्रदेश के सम्पूर्ण बजट का कम से कम 50 प्रतिशत धन कृषि के उत्पादन बढ़ाने पर व्यय करने से संबंधित घोषणा,
		15—गेहूं के समर्थन मूल्य 200 रु0 प्रति कुन्टल एवं धान का मूल्य 175 रु0 प्रति कुन्तल करने की घोषणा,
		16—बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिये जाने से संबंधित घोषणा,
		17—प्रदेश के हाई स्कूलों एवं इण्टर कालेजों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवायें स्थायी करने से सम्बन्धित घोषणा नहीं की गयी है,
		18—प्रदेश की हाई स्कूल कक्षाओं में सामान्य विज्ञान अनिवार्य विषय किये जाने के पश्चात् अब तक विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है। न ही विद्यालयों में प्रयोगशालाओं तथा उपकरणों हेतु अनुदान ही दिया गया है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। इस समस्या के समाधान से संबंधित घोषणा,
		19—मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा,
		20—1500 से अधिक आबादी वाले ग्रामों की प्राथमिकता के आधार पर तहसील केन्द्र और ब्लाक केन्द्र तथा रेलवे स्टेशन से सड़क द्वारा जोड़ने की अविलम्ब घोषणा,

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21—ग्राम प्रधानों को एवं सहकारी संस्थाओं के संचालन को तथा जिला परिषद् सदस्यों आदि की तरह ही मार्ग-व्यय तथा भत्ता दिए जाने की घोषणा,
		22—ग्राम पंचायत क्षेत्र के विकास हेतु ग्राम सभा क्षेत्र के लगान का 1/6 भाग ग्राम सभाओं में ही छोड़ने की घोषणा,
		23—5,000 से अधिक आबादी वाले ग्रामों को सन् 1981 की जनगणना के आधार पर टाउन एरिया क्षेत्र घोषित करने की घोषणा,
		24—प्रदेश के प्रत्येक बाजार में उपभोक्ता भण्डार खोलने की घोषणा,
		25—प्रदेश में वर्ष 1980 से अब तक लगातार बाढ़, सूखा तथा उपज वृद्धि से किसानों की क्षति हुई है परन्तु लगान, सिंचाई, और कृषि कार्यों के लिए गए ऋणों के माफ किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा,
		26—जिन व्यक्तियों की 500 रुपए मासिक से कम आमदनी है उनके आश्रितों को निशुल्क शिक्षा एवं आवास तथा भोजन व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में घोषणा,
		27—दायित्वहीन मन्त्रिमण्डल पर बढ़ रहे अनियन्त्रित खर्चों पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के सम्बन्ध में घोषणा,
		28—गत शासन द्वारा निर्मित कच्चे मार्गों को पक्का कराए जाने तथा खड़ंजा लगे मार्गों पर गिट्टी डलवाकर कोलतार डलवाए जाने के सम्बन्ध में घोषणा,
		29—इटावा जनपद की विधूना औरया तहसीलों के भागों में विद्युतीकरण एवं दिबियापुर बेला, विधूना-बेला, तथा दिबियापुर सहायक विद्युतलाइनें जो नष्ट हो गयी हैं, पुनः ठीक करवाए जाने के सम्बन्ध में घोषणा,
		30—दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने के सम्बन्ध में घोषणा,
		31—इटावा जनपद में ऊसर भूमि सुधार की कोई कारगर योजना चलाए जाने के सम्बन्ध में घोषणा।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32--औरैया और विधूना तहसीलों में हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में घोषणा।
		33--18 वर्ष की आयु के लोगों को मतदान सूची में शामिल करने के सम्बन्ध में घोषणा।
		34--जनपद इटावा के कस्बा दिबियापुर अथवा पाता स्टेशन के निकट जिसका सर्वे हो चुका है, उर्वरक कारखाना स्थापित करने के संबंध में घोषणा।
		35--इण्टरमीडिएट बोर्ड एवं यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं के दो माह पूर्व से परीक्षाओं के अन्त तक शहरी और देहाती क्षेत्र में समान और नियमित रूप से विद्युत वितरण के सम्बन्ध में घोषणा।
		36--खेतिहर मजदूरों, लघु कृषकों एवं निर्बल वर्ग के बेरोजगारों हेतु प्रत्येक अदालत क्षेत्र में आवश्यकतानुसार लघु उद्योगों की स्थापना के सम्बन्ध में उस क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को रोजी रोटी की समस्या हल हो सके।
		37--हरिजनों एव पिछड़े वर्ग के निर्धारित आरक्षण को पूरा करने हेतु हरिजन एव पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की चयन समिति बनाने के संबंध में घोषणा।
		38--जितनी बिजली उतना पैसा उपभोक्ताओं से लेने की घोषणा के सम्बन्ध में।
		39--औरैया एव विधूना तहसीलों की यमुना सेंगर एवं अरिन्द नदियों के किनारे की लाखों असिंचित भूमि को सिंचित करने हेतु अतिरिक्त नलकूप लगाये जाने के सम्बन्ध में घोषणा।
		40--इटावा जनपद की औरैया एवं विधूना के मरसेन, दलितपुर हरचन्दपुर आदि ग्रामों की जिनकी आबादी 5000 से अधिक है सड़क से जोड़ने से सम्बन्धित घोषणा।
		41--प्रदेश की नहरों, रजवाहों की पटरियाँ जो यातायात के प्रमुख साधन बन सकती हैं। एव अनेकानेक ग्रामों को सड़क मार्ग से जोड़ सकती हैं। जिनसे न तो कास्तकारों की भूमि नष्ट होगी न ही मिटटी डालने एवं पुलिया बनवाने की आवश्यकताओं में सरकारी धन का अपव्यय होगा और न ही रजवाहों में खाइयाँ हो सकेंगी को, पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में।
		42--इटावा जनपद का विधूना कस्बा जो तहसील केन्द्र एवं टाउन एरिया भी है। अन्य तहसीलों जैसी विद्युत व्यवस्था के सम्बन्ध में।
		43--माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण के सम्बन्ध में।
		44--समान कार्य के लिये समान वेतन की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
10	श्री सरदार सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न लिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—प्रदेश में मंत्रियों एवं उच्चाधिकारियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जिसके फलस्वरूप तंत्र के छोटे-बड़े अधिकारियों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और आम जनता में बचैनी एवं भारी असंतोष है। 2—प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। दो पुलिस महानिदेशक, 17 आई0 जी0 और 57 डी0आई0जी0 होने के बावजूद भी यह सरकार अपराधों को नियंत्रित करने में असमर्थ रही है। थानों में अपराधों को न लिखने अथवा कम करके लिखने की प्रवृत्ति पुलिस बल में पनप रही है। पुलिस में भ्रष्टाचार अनुशासनहीनता एवं निरंकुशता बढ़ती जा रही है जिसको नियंत्रित करने में यह सरकार अपने को असहाय महसूस कर रही है। 3—प्रदेश के किसान को सरकार की गलत नीतियों ने तबाह कर दिया है। उसको उसकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। गन्ना कृषकों का करोड़ों रुपया बकाया है। सरकार की गलत नीतियों के कारण उसकी आर्थिक स्थिति जर-जर हो गयी है और आज वह अपने गन्ने को 9–10 रुपए प्रति कुन्तल के हिसाब से निजी स्वामित्व के मिलों को बेचने को मजबूर है। 4—प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाने में यह सरकार असफल रही है। बहराइच, मऊ (आजमगढ़), टाण्डा फैजाबाद तथा खुर्जा (बुलन्दशहर) में साम्प्रदायिक दंगे हुए। जिसके कारण प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव रहा और सैकड़ों, हजारों आदमियों को अपनी जान-माल से हाथ धोना पड़ा है, 5—उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, राज्य विद्युत परिषद् चीनी निगम एवं अन्य निगमों में करोड़ों, अरबों रुपयों का घाटा आया है। जो सरकार की अक्षमता, अर्कमण्यता, भ्रष्टाचार एवं निकम्मेपन का जीता-जागता उदाहरण है, 6—सदन और सदन के बाहर अनेक आश्वासन एवं कार्य-क्रमों की घोषणा करने के बावजूद भी सरकार स्थानीय निकायों का चुनाव नहीं करा सकी है। जिला परिषदों के चुनाव अधूरे पड़े हुए हैं। इसमें सरकार ने वायदा खिलाफी एवं असत्य घोषणायें किया है।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7——प्रदेश में भाई-भतीजावाद एवं बिरादरीवाद का बोल-बाला हो गया है। बिरादरी के आधार पर प्रदेश में मंत्रि-मण्डल का गठन, नियुक्तियाँ एवं स्थानान्तरण हो रहे हैं और कई जिलों में तो एक ही जाति के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। अल्पसंख्यकों अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग के अधिकारियों को उत्पीड़ित किया जा रहा है।
		8——प्रदेश में नौकरशाही का वर्चस्व बढ़ रहा है और जनवादी शक्तियों का ह्रास हुआ है। लालफीताशाही के फलस्वरूप विकास कार्यों की गति अति धीमी हो गयी है। जनता एवं लोक दल सरकार के द्वारा प्रारम्भ की गयी योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियाँ नष्ट प्रायः हो चुकी हैं।
		9——सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। सत्ता पक्ष के लोग इस प्रणाली से अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं। देहाती क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं का अभाव है। सहकारी दुकानों से गल्ला, चीनी, मिट्टी का तेल एवं नियंत्रित कपड़ा काले बाजार में बेच दिया जाता है। इस प्रणाली में असामाजिक तत्वों को प्रशासक पदों पर मनोनीत कर दिया गया है। इस कारण अच्छे कार्यकर्त्ताओं का मनोबल गिरा है।
		10——प्रदेश में लाखों किसान परिवार दैवी आपदाओं के कारण अपनी जान-माल से हाथ धो बैठे हैं। शासन उन्हें उचित राहत प्रदान करने में असमर्थ रहा है। आज भी भयंकर शीत लहरी में लाखों लोग जीवन मृत्यु से जूझ रहे हैं।
		11——धनाभाव से प्रदेश में चल रही विकास योजनाएं पूर्ण नहीं हो पा रही हैं। मन्त्रिमण्डल, नौकरशाही तथा सरकारी कार्यालयों में भारी फिजूलखर्ची हो रही है।
		12——प्रदेश के अस्पतालों में जीवनोपयोगी दवाओं का भारी अभाव है। दवाओं को काले बाजार में बेच दिया जाता है अथवा अस्पताल में फर्जी चोरी दिखाकर दवाओं को गायब कर दिया जाता है। इससे गरीब जनता को कोई राहत नहीं मिल पा रही है।
		13——ओवरा ताप गृह एवं मथुरा अस्पताल में हुए भयंकर अग्निकाण्ड व गोमती नाव दुर्घटना इस सरकार की निष्क्रियता, अक्षमता, अनुशासनहीनता, उदण्डता, निकम्मेपन एवं गैर जिम्मेदारी का ज्वलंत उदाहरण है। प्रदेश के अन्दर यह सरकार गरीबी, भुखमरी एवं बेरोजगारी पर नियंत्रण पाने में असमर्थ रही है। शिक्षित एवं अशिक्षित युवकों में निराशा, कुण्ठा एवं अपराधिक प्रवृत्ति का सृजन हुआ है।

क्रम-संख्या 0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14---प्रदेश के शिक्षकों में तथा अन्य कर्मचारियों में भारी असन्तोष है। माध्यमिक शिक्षा संघ हड़ताल पर हैं। इस कारण प्रदेश में अध्ययन, अध्यापन कार्य ठप्प पड़ा है। लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अन्धकार में है। अभिभावक चिन्तित हैं। 28 हजार लेखपालों के हड़ताल पर रहने के कारण प्रदेश का प्रशासन बहुत दिन तक ठप्प रहा है। न्यायपालिका भी कुंठित व आन्दोलित है।
		15---प्रदेश में उच्च न्यायालय की शाखाएं खोलने का मामला खटाई में पड़ गया है। जसवन्त सिंह आयोग का क्षेत्राधिकार केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया है। इससे प्रदेश की जनता एवं अभिवक्तागण उदास हैं और शीघ्र सुलभ एवं सस्ता न्याय मिलने की आशा अब क्षीण हो गयी है।
		16---शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए हैं और न ही कोई स्पष्ट नीति बनायी है।
		17---गत वर्ष बजट के समय से स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी जिलों में अभी तक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां नहीं पहुंची हैं। इस कारण जिले की योजनाएं ठप्प पड़ी हैं।
		18---मथुरा तेल शोधक कारखाने के पास पेट्रोकेमिकल कारखाना, फर्टीलाइजर एवं अन्य उद्योग लगाने में इस सरकार के प्रयास निराशाजनक हैं। इस कारण कारखाने से प्राप्त बाई प्रोडक्ट्स का उपयोग स्थानीय जनता नहीं कर पा रही है। क्षेत्रीय जनता को इस कारखाने से कोई लाभ नहीं हुआ है।
		19---मथुरा जिले की खारी एवं तेलिया पानी की समस्या को सदन एवं सदन के बाहर अनेक आश्वासनों के बावजूद भी यह सरकार अभी तक हल नहीं कर पाई है। मथुरा जिले में सिंचाई के लिए पानी का भारी अभाव है।
		20---मथुरा जिले की जल भराव एवं गर्की की समस्या से निपटने के लिए शासन ने जल निकास के लिए कोई भी कारगर कदम अभी तक नहीं उठाए हैं। पवित्र कुण्ड और क्षीर सागर, मानसी गंगा व अन्य पवित्र धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए जलाशयों एवं कुण्डों को विषाक्त एवं अशुद्ध जल के निकास के लिए और शुद्ध जल भरने के लिये कोई योजना इस सरकार ने नहीं बनाई है।
		21---अतिवृष्टि, अनावृष्टि ओलावृष्टि तथा शीत-लहरी से लगातार अनेक वर्षों से पीड़ित मथुरा जनपद के सभी सरकारी देयों एवं बैंक ऋणों व अन्य प्रकार के ऋणों से किसान को मुक्त नहीं किया है और आज भी उनकी वसूली उत्पीड़क एवं अपमानित तरीके से की जा रही है।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		22—मथुरा, वृन्दावन शहर यमुना नदी तथा आस-पास के क्षेत्रों में भारी जल एवं वायु प्रदूषण है। गन्दगी भी व्याप्त है। इसको दूर करने में सरकार असफल रही है।
		23—मुख्य मन्त्री व सत्ता पक्ष के अनेक मन्त्रियों के आश्वासन के बावजूद भी सरकार यमुना नदी पर वृन्दावन, शेरगढ़ व सिकन्दरा पर पुल का निर्माण नहीं करा सकी है।
		24—प्रदेश में एवं देश में साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा करने के लिए तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रतीक भक्त प्रवर कवि रसखान की समाधि का जीर्णोद्धार अभी तक नहीं किया गया है।
		25—मथुरा जनपद के धार्मिक स्थल, मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, महावन दाऊजी, गोवर्द्धन, जतीपुरा, आन्योर, नन्द-गांव, बरसाना आदि की सफाई, पानी बिजली, यातायात कानून एवं व्यवस्था को सुधारने में यह सरकार असफल रही है।
		26—महावन को अभी तक तहसील नहीं घोषित किया गया है।
		27—मथुरा जनपद की मांट तहसील में अभी तक शुगर मिल खोलने की घोषणा सरकार ने नहीं की है।
		28—ब्रज चौरासी कोस 'परिक्रमा मार्ग एवं अन्य परिक्रमा मार्गों को इस सरकार ने अभी तक पक्का एवं छायादार नहीं बनाया है।
		29—मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण कार्यालय में अनुमोदन हेतु लम्बित नई कालोनियों को शासन द्वारा शीघ्र अनुमोदित किया जायगा।
		30—मथुरा व वृन्दावन शहर में यमुना नदी पर पुराने घाटों की मरम्मत कराई जायगी तथा नए घाटों का निर्माण अविलम्ब कराया जायगा तथा दोनों ही शहरों में विद्युत शव-दाह गृहों का निर्माण कराया जायगा।
11	श्री सन्त बख्श रावत (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :— 1—प्रदेश के समस्त गन्ना किसानों को उनके गन्ने के बकाया मूल्य फरवरी, 1984 में ही निश्चित रूप से अदा कर दिया जायगा तथा किसानों की गन्ना बकाया धनराशि पर ब्याज केन यूनियन के समान उन्हें मिले अथवा केन यूनियन से ब्याज का भुगतान कराया जायगा।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—प्रदेश के समस्त किसानों को सस्ते मूल्य पर रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराए जायेंगे साथ ही सीमान्त कृषकों एवं लघु कृषकों को यूरिया उर्वरक पर छूट भी दिलायेंगे।
		3—प्रदेश के समस्त 5 बीघा तक भूमि वाले किसानों का लगान माफ किया जायगा।
		4—प्रदेश के समस्त किसानों को कृषि उत्पादन का निश्चित रूप से लाभकारी मूल्य दिया जायगा।
		5—शासन की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत सम्पादित किए जाने वाले समस्त कार्यों का निरीक्षण एवं सत्यापन ग्राम सभा प्रधानों, जिला परिषद के सदस्यों, ब्लाक प्रमुखों क्षेत्रीय विधायकों एवं संसद सदस्यों द्वारा कराया जायगा।
		6—प्रदेश के समस्त स्तरों के समस्त सरकारी विभागों एवं निगमों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों तथा भू0 पू0 सैनिकों के परिवारों को मिलने वाला आरक्षण कोटा वित्तीय वर्ष 84–85 में पूरा कर दिया जायगा।
		7—अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के उत्थान के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एक लघु उद्योग शासन स्तर पर स्थापति करके गरीबी रेखा से नीचे रहकर जीवन यापन करने वाले परिवारों को सेवा का अवसर सुलभ कराकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जायगा।
		8—लखनऊ जनपद में 1978 में शासन के निर्णय के अनुसार तहसील मोहनलालगंज में नगराम विकास खण्ड का सृजन किया जायगा।
		9—जनता एवं लोकदल पार्टी तथा वर्ष 1980–81 के बाद काँग्रेस पार्टी के शासन द्वारा विकास खण्ड गोसाईंगंज एवं मोहनलालगंज के विभिन्न ग्रामों में बने सम्पर्क मार्गों को पक्का किया जायगा।
		10—लखनऊ जनपद के की तहसील मोहनलालगंज जो जनपद की सबसे अधिक हरिजन आबादी वाली तहसील है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े होने के आधार पर लखनऊ जनपद में सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में भारी उद्योग लगाकर औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया जायगा और निश्चित रूप से विकास खण्ड गोसाईंगंज और मोहनलालगंज में हजारों एकड़ ऊसर भूमि वाले बड़े-बड़े भूभागों के एक-एक स्थान पर वित्तीय वर्ष 84–85 में एक-एक भारी उद्योग लगाया जायगा।

क्रम सं0	प्रस्तावक का काम	संशोधन का रूप
		11—लखनऊ–नगराम मार्ग, जो लखनऊ जनपद का सबसे पुराना मार्ग है, जिसका लगभग दो तिहाई भाग जनता तथा लोक दल की सरकारों द्वारा निर्मित किया गया है, निश्चित रूप से वित्तीय वर्ष 84–85 के अन्त तक पूरा करके पक्का कर दिया जायगा जिससे लखनऊ–नगराम की दूरी 48 कि0मी0 के स्थान पर 26 कि0मी0 हो जायगी और अनेक गाँव जुड़ जायेंगे।
		12—मोहनलालगंज तहसील के ग्राम हुलासखेड़ा के ऐतिहासिक स्थान जिसका उत्खनन प्रदेश की सांस्कृतिक विभाग द्वारा जनता पार्टी के शासनकाल से हो रहा है, जो प्रदेश का अत्यन्त प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है और लखनऊ राजधानी के निकट ऐतिहासिक स्थल है और जिसमें उत्खनन द्वारा दो हजार वर्ष से अधिक की प्राचीन एवं दुर्लभ वस्तुएं प्राप्त हुयी हैं के रख-रखाव के लिए हुलासखेड़ा में संग्रहालय एवं पर्यटको को आने-जाने के लिए मार्ग एवं विश्राम के लिए पर्यटक आवास-गृह तथा झील के सौन्दर्यीकरण हेतु झील के दोनों ओर मार्ग झील का सौन्दर्यीकरण एवं नौका विहार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी।
		13—लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज एवं मोहनलालगंज में ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रत्येक विकास खण्ड में एक-एक डिग्री कालेज की स्थापना की जायगी।
		14—लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज एवं मोहनलालगंज में लड़कियों को इण्टरमीडिएट तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए गोसाईगंज, अमेठी, सलेमपुर, नगराम, निगोहा, मोहनलालगंज और हुलासखेड़ा ग्रामों में एक-एक राजकीय इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना की जायगी।
		15—लखनऊ जनपद के विकास खण्ड गोसाईगंज की समस्त नहर की पटरियाँ (सर्विस रोड) को पक्का कराके ग्रामीण जनता को यातायात की सुविधा प्रदान की जायगी।
		16—लखनऊ जनपद में तहसील मोहनलालगंज, जो जनपद का सबसे अधिक (सघन) हरिजन आबादी का क्षेत्र है उसमें शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित समस्त जूनियर बेसिक एवं सीनियर बेसिक विद्यालयों के लिए भवन एवं छात्रों को बैठने के लिए यह पट्टी एवं अध्यापकों के बैठने के लिए कुर्सी, मेज की व्यवस्था की जायगी।
		17—तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज के अनेकों गाँव प्रतिवर्ष गोमती नदी की बाढ़ से प्रभावित होते हैं, और प्रशासन को प्रतिवर्ष राहत कार्य करना पड़ता है। इस समस्या के स्थायी हल के

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		लिए लेखना घाट से सलेमपुर तक जहाँ आवश्यक है तट बन्ध बनाकर बाढ़ से रोकथाम की जायगी ।
		18—शारदा सहायक परियोजना के चालू होने से सीपेज के कारण ग्राम टिकरिया मजरा पछाड़नगर सुल्खा खेड़ा मजरा सिठौली, सतईखेड़ा, मजरा भौरा कलाँ, जो सीपेज के कारण ध्वस्त होने की स्थिति में है, मकानों के ढह जाने के कारण किसी भी समय सैकड़ों लोगों के जीवन का खतरा है, के निदान के लिए पूरे के पूरे गाँवों के लोगों को शासकीय व्यय पर मकान बनाकर उपयुक्त स्थानों पर बसाया जायेगा और सीपेज से प्रभावित भूमि वाले किसानों को वर्ष 1978 से फसलों को हुई क्षति का मुआवजा दिया जायगा ।
		19—शारदा सहायक परियोजना के लोनी स्केप लोनी साइफन और हरदोइया स्केप के बन जाने के कारण अनेकों ग्रामों का आवागमन अवरुद्ध हो गया है अतएव लोनी स्केप पर एचवलिया पहास, सरई, कुदौली पंचसरा, महुरा खुर्द रहमतनगर से जोखन्छी मार्ग पर तथा सलेमपुर जलौदी नगर के बीच के स्केपों पर नए पुल बनाए जायेंगे ।
		20—लखनऊ जनपद में टेल्को की स्थापना लखनऊ-कुर्सी रोड पर किए जाने का प्रस्ताव है, जिसके कारण कई गाँवों के किसानों की कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जायगी और किसान भूमिहीन हो जायेंगे। खाद्यान्न के उत्पादन में कमी होगी। इसलिए टैल्को के इस उद्योग को गोसाईगंज मोहनलालगंज रोड पर पड़े बेकार हजारों एकड़ ऊसर एवं समतल भूमि पर स्थापित किया जायेगा ।
		21—प्रदेश की समस्त हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को बेसिक शिक्षा परिषद की भांति समान वेतन एवं अन्य सुविधाएं निर्धारित समय पर दिया जायगा और समस्त हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं को भवन निर्माण एवं मरम्मत हेतु शासन से प्राथमिकता के आधार पर धन दिया जायगा ।
		22—आई0 आर0 डी0 एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 80–81 से 83–84 तक का सत्यापन जन-प्रतिनिधियों के साथ जिले के उच्च अधिकारी करेंगे।
		23—प्रदेश की बिगड़ती हुई शाँति एवं व्यवस्था को देखते हुए पुलिस जनों को विशेष प्रशिक्षण, देश प्रेम की सेवा की भावना जाग्रत की जायेगी और पुलिस द्वारा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए एक जन-प्रतिनिधियों एवं उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त जज के साथ गठित आयोग द्वारा जांच की जायगी जो अपनी जांच रिपोर्ट शासन को एक वर्ष

क्रम-सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		में प्रस्तुत करेगा और दोषी पुलिस जनों पर मुकदमें चलाए जायेंगे तथा अच्छा कार्य करने वाले पुलिसजनों को पुरस्कृत भी किया जायगा ।
		24—गोमती नदी पर लखनऊ से हैदरगढ़ से नैपुराघाट के बीच करीब पचास कि०मी० की दूरी में कोई पुल नहीं है। अतः रायबरेली–लखनऊ की जनता को बाराबंकी और फैजाबाद जाने के लिए गौरिया लखनऊ शरीफाबाद, जनपद बाराबंकी के बीच तथा सलेमपुर, जनपद लखनऊ और जैसाना जनपद बाराबंकी के बीच गोमती नदी पर पुलों का निर्माण किया जायगा ।
		25—गोसाईगंज, जनपद लखनऊ और त्रिवेणीगंज, जनपद बाराबंकी में भारी गन्ने के उत्पादन होने के कारण मिल द्वारा समूचित पेराई न हो पाने के कारण विकास खण्ड गोसाईगंज, जनपद लखनऊ में एक चीनी मिल की स्थापना की जायगी ।
		26—तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ में चकबन्दी का जो कार्य चल रहा है, उसके कारण 80 प्रतिशत किसानों को अच्छे चक न मिल पाने के कारण व्याप्त असंतोष को दूर करने के लिए जनपद के किसी उच्चाधिकारी एवं जन-प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करके जांच की जायगी और दोषी चकबन्दी कर्मियों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही एवं किसानों को न्याय दिलाया जायगा ।
		27–प्रदेश में पुलिस उप निरीक्षकों की वरिष्ठता एवं कार्य-कुशलता के आधार पर थाने का चार्ज दिया जायगा ताकि पुलिस जनों में व्याप्त असन्तोष समाप्त हो साथ ही सभी श्रेणियों में पचास प्रतिशत पदोन्नतियां करके तथा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा प्राप्त आरक्षित अभ्यर्थियों के द्वारा आरक्षण कोटा पूर्ण किया जायगा ।
		28—प्रदेश में समस्त जिला परिषदों एवं स्थानीय निकायों के चुनाव मार्च, 84 तक अवश्य करा दिए जायेंगे ।
		29—प्रदेश की समस्त जिला क्षेत्र एवं प्रदेश स्तरीय समस्त सहकारी समितियों में नियुक्त प्रशासकों को बर्खास्त करके मार्च, 84 तक चुनाव करा दिये जायेंगे और हरिजन बाहुल्य साधन सहकारी समितियों में अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का कोटा प्रदान किया जायगा।
		30—प्रदेश के अनुसूचित जाति वित्त निगम से व्यक्तिगत सहायता के स्थान पर प्रदेश के समस्त जनपदों में एक-एक निगम द्वारा उद्योग स्थापित किया जायगा। जो स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए उत्पादन करेगा जिसमें सेवा का अवसर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराया जायगा ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31—जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बिछिया के अन्तर्गत ग्राम धूरखेत के समीप से बसहा झील से ग्राम तौरा होते हुए जो नाला निकालने हेतु कार्यवाही हो चुकी है उसे रोका जाय ताकि ग्राम तौरा के हरिजनों की भूमि न चली जाये। उपरोक्त नाले को नहर विभाग से निकाले गये नाले में मिला दिया जायगा जिससे झील का पानी निकल जायगा और ग्राम तौरा के हरिजन भूमिहीन होने से बच जायेंगे।
12	श्री श्याम नरायन तिवारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— 1—उत्तर प्रदेश के वन टाँगिया मजदूरों की बन्धुआ व दयनीय स्थिति को देखते हुए तुरन्त उनके पुराने सरकारी अनुबन्ध को रद्द करते हुए नए सिरे से दोनों पक्षों के बीच बात-चीत के आधार पर नए अनुबन्ध का प्रारूप बनेगा। उन्हें सभी सुविधाएं दी जायेंगी तथा वेतन, जमीन, व मकान की गारन्टी होगी। 2—वन विभाग में अर्से से काम करने वाले ठुठलिपिक की छटनी रोककर उन्हें तुरन्त काम पर लिया जायगा। तथा सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी पाने वाले इन कर्मचारियों को नियमित कर वेतन दर में उचित सुधार किया जायेगा। 3—पी0 डब्लू0 डी0 कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान वेतन व अन्य सुविधाएं प्रदान की जायेंगी तथा तीन वर्ष से काम करने वाले सभी कर्मचारियों को तुरन्त नियमित किया जायगा। 4—चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण कर मिल मजदूरों को सभी समान सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। 5—राज्य में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायगा तथा शिक्षकों को तुरन्त रिहा किया जायेगा। 6—लेखपालों की सभी जायज माँगों को मान लिया जायगा। 7—सीलिंग के सभी लम्बित मुकदमों को विशेष न्यायालयों द्वारा निपटाकर, गलत नामों से चुराई जमीनों को निकाल कर तुरन्त भूमिहीन गरीब किसानों में बाँटा जायगा तथा सीलिंग को 92 पर लागू करके और जमीन निकाली जायगी। 8—गोरखपुर जनपद के फरेंदा निर्वाचन क्षेत्र के जहाँ सिंचाई व यातायात की सुविधा नहीं के बराबर है, सभी गाँवों में तुरन्त नलकूप लगाया जायगा तथा सड़कें बनाई जायेंगी।

क्र० स०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
13	श्री माता प्रसाद पाण्डेय (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— 1—बस्ती जनपद के डुमरियागंज तहसील के बाढ़ग्रस्त गाँवों को बाढ़ से बचाने के लिए कोई उल्लेख, 2—बस्ती जनपद के इटवा, त्रिलोकपुर, मिसरौलिया, व खलीलाबाद, मुण्डेरवा, महुली, कलवारी, लालगंज आदि थानों में पड़ रहे निरन्तर डकैती व लूटपाट के बचाव का कोई उल्लेख, 3—बस्ती जनपद में इटवा विधान सभा क्षेत्र के चौगड़ा व गौरा मार्ग व इटवा से होरिलापुर मार्ग व भिटिया से गौरा व खोनियाव से गोरा तथा कठेला से होरिलापुर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कोई उल्लेख, 4—उ० प्र० में निरन्तर बढ़ रही बेरोजगारी, बेकारी की समस्या के निदान के लिए कोई कारगर उपायों का उल्लेख, 5—बस्ती जनपद में निरन्तर चेचक से हो रही मौतों के बारे में कोई उल्लेख, 6—भीषण मंहगाई दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है उस पर रोक लगाने का भी कोई उल्लेख, 7—किसानों के कृषि उपयोगी वस्तुओं के दाम जैसे खाद, बीज, डीजल, दवाइयों के निरन्तर बढ़ रहे दाम पर रोक लगाने का कोई उल्लेख,
14	श्री नन्द किशोर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— 1—दसवीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाय। 2—गौरी बाजार (देवरिया) में एक बड़ा उद्योग खोला जाय। 3—देसही देवरिया में विद्युत उपकेन्द्र बनाया जाय। 4—गौरी बाजार के पन्द्रह सौ आबादी वाले गाँवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाय। 5—गौरी बाजार में एक कन्या महाविद्यालय खोला जाय। 6—गण्डक नहर के इलाके को सीपेज से बचाने की कुशल व्यवस्था की जाय। 7—देवरिया जिले में डेरी विभाग की व्यवस्था की जाय। 8—गौरी बाजार के सभी प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनाने की व्यवस्था की जाय।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9—देवरिया, हाटा, सिसवा से नैपाल तक अन्तर्राष्ट्रीय सड़क बनाई जाय।
		10—गण्डक नहर की पटरियों पर खड़ंजा या कंकड़ की सड़क बनाई जाय।
		11—माध्यमिक शिक्षा का तुरन्त राष्ट्रीकरण किया जाय।
		12—किसानों को गेहूं का मूल्य 200/- रु0 कुन्तल दिया जाय।
15	श्री मोती लाल देहलवी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—वास्तविकता पूर्ण इस तथ्य को नहीं स्वीकारा कि इस सरकार के कार्य-काल में जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम उत्तरोत्तर बढ़ते जाने से प्रदेश के गरीबों का भरण-पोषण दूभर हो गया है। यह आश्वासन भी नहीं दिया गया कि दामों की लूट बन्दी की जायगी। 2—बिना रिश्वत कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है और रिश्वत सर्वोच्च स्तर पर ली जा रही है। 3—खाने-पीने की कोई चीज शुद्ध नहीं रह गयी है, जिससे प्रदेश की जनता भिन्न-भिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रही है। 4—बेरोजगारी दूर करने का कोई प्रभावी उपाय नहीं किया गया। बेरोजगारी का शोषण उच्च राजनैतिक स्तर के लोगों द्वारा किया जा रहा है। 5—घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम केवल प्रचार मात्र बना हुआ है, जो राजनैतिक लाभ के लिए किया जा रहा है। 6—खेतों में जल निकासी के उपाय न करने के कारण किसान संत्रस्त है। फसलों का नुकसान हो रहा है। 7—बन्द व खराब पड़े नलकूपों के ठीक न करने से तथा उन्हें यथावश्यक मात्रा एवं समय पर बिजली न देने से फसलों की बर्बादी होती रही है और हो रही है। 8—किसानों की फसलों का उचित मूल्य निर्धारित न करने से खेती हतोत्साहित हो रही है और प्रदेश का किसान निराश हो रहा है। 9—अधूरी पड़ी सड़कों व पुलों का निर्माण कार्य ठप्प पड़ा है। नई सड़कें व पुल आदि के निर्माण कार्य मन्त्रियों के क्षेत्रों या सत्ता पक्ष के महत्वपूर्ण भावी उम्मीदवारों के क्षेत्रों तक सीमित हैं और विरोधी विधायकों के क्षेत्रों की उपेक्षा जारी है।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10—वर्ष के अन्त तक अधूरी सड़कों व पुलों के निर्माण मुकम्मिल कर दिए जायेंगे तथा प्रत्येक गाँव में सड़क बना दी जायगी ।
		11—छात्रों व अध्यापकों का शोषण करके उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। छात्रों व अध्यापकों में घुटन है और वह आन्दोलित हैं। छात्रों पर दमन चक्र जारी है ।
		12—वर्ष के अन्त तक स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा तथा तमाम स्कूल समान रूप के कर दिए जायेंगे। निःशुल्क शिक्षा के जू0 हा0 स्कूल प्रत्येक न्याय पंचायत में खोल दिए जायेंगे अथवा तमाम निजी स्कूलों को जिला परिषद् से सम्बद्ध कर दिया जायगा ।
		13—अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों को राजनैतिक संरक्षण मिल रहा है। प्रदेशीय मन्त्री तथा सत्ता पक्ष के विधायक पुलिस पर दबाव डालकर पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। व्यक्ति को अपनी सुरक्षा पर विश्वास नहीं रह गया है। असामाजिक तत्व प्रोत्साहित हो रहे हैं ।
		14—अधिकाँश निगम घाटे पर चल रहे हैं, और उनके लाभ में चलने की आशा नहीं रह गयी है ।
		15—सरकार सरकारी धन का दुरुपयोग कर बिलासिता पूर्ण खर्च कर रही है ।
		16—मन्त्रियों के आदेशों का परिपालन नहीं हो रहा है और नौकरशाही की मनमानी रोकने में सरकार असमर्थ हो रही है ।
		17—हरिजनों का उत्पीड़न बढ़ रहा है और किसी भी विभाग में हरिजनों हेतु आरक्षित स्थान पूरे नहीं किए जा सके हैं ।
		18—सरकार के छोटे कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है और वह संत्रस्त हैं ।
16	श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है ।— 1—प्रदेश की मौजूदा सरकार दिशाहीन, बुद्धहीन, विवेकहीन, भ्रष्टाचार में लिप्त, फिजूल खर्च और किसान दुश्मन है। मौजूदा सरकार के रहते हुए किसान, मजदूर व कर्मचारियों का भला नहीं हो सकता। यह सरकार लोकप्रियता खो बैठी है, अधिकाँश मन्त्री भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और असामाजिक तत्वों के घेरे में हैं। हाल में हुए उप चुनाव से साबित हो गया है कि यह सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—गन्ने का घोषित मूल्य वाजिब नहीं है इसे 40/- (चालीस रुपए) कुन्तल होना चाहिए और लाखों रुपया किसानों का मिलों पर बाकी है, उसे भी दिलाने की कोई घोषणा ।
		3—बार-बार घोषणा करने के बाद भी इस सरकार द्वारा उर्दू को द्वितीय भाषा मन्त्रि मण्डल के अन्दरूनी उर्दू दुश्मन मन्त्रियों के कारण बार-बार विरोध करने के वजह से घोषित नहीं किया गया है। इससे बड़ा अल्पसंख्यकों को धोखा और उनका अपमान कोई नहीं हो सकता है ।
		4—प्रदेश में साम्प्रदायिक अशान्ति को दूर करने की कोई ठोस कोशिश इस सरकार द्वारा नहीं की गयी है। यह साम्प्रदायिक अशान्ति दूर करने में असमर्थ रही है ।
		5—यूरिया डाई तथा अन्य खादों के दाम आसमान छू रहे हैं इसे घटाकर जनता शासन के समय के मूल्य पर लाने की कोई घोषणा ।
		6—बस्ती जनपद प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है इसके उद्योगीकरण करने तथा इसके उन्मुखी किसास के लिए किसी समयबद्ध कार्यक्रम की कोई घोषणा ।
		7—बस्ती जनपद के उत्तरी भाग जैसे डुमरियागंज, इटवा, बढ़नी, नौगढ़, शोहरतगढ़ बाँसी में से किसी एक स्थान पर एक सरकारी चीनी मिल को स्थापना करने के कोई उल्लेख,
		8—बस्ती जिले में डुमरियागंज एक ऐसी तहसील जहाँ कोई डिग्री कालेज नहीं है यहां कोई राजकीय डिग्री कालेज खोलने की घोषणा नहीं की है।
		9—डुमरियागंज तहसील के लगभग 700 गाँव प्रत्येक वर्ष बाढ़ से तबाह व बर्बाद हो जाते है, इन्हें पाट कर ऊंचा करने, प्रत्येक गाँव सभा में एक मुफ्त नाव देने तथा इन गावों को बाढ़ योजना के अन्तर्गत पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए कोई घोषणा।
		10—राप्ती नदी के किनारों पर बाँध बाँधने की योजना ही बाढ़ की तबाही का कारण है। तहसील डुमरियागंज के अन्दर इस योजना को समाप्त करने की कोई घोषणा।
		11—वर्ष 83–84 की भीषण बाढ़ में डुमरियागंज तहसील के लगभग 600 गाँव मयरुण्ड घोषित हुए । उनमें से लगभग दो गाँवों को राहत सामग्री वितरित नहीं की गई उसे तत्काल वितरित करने का कोई उल्लेख ।
		12—तहसील डुमरियागंज के हजारों पढ़े-लिखे बेरोजगार नवजवानों को रोजी पर लगाने की किसी स्थायी योजना की घोषणा।

प्रश्न सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13—इस समय पूरी तहसील डुमरियागंज में चकबन्दी हो रहीं है। चकबन्दी के भ्रष्ट अधिकारी द्वारा खुलेआम किसानों की खुली लूट जारी है उनकी फरियाद सुनने एवं उन्हें नजात दिलाने का कोई उल्लेख।
		14—सरजू नहर परियोजना के अन्तर्गत बनाने वाली बड़ी नहरें अथवा माइनर जिन गाँवों से होकर जा रही है उसकी कटौती पूरे गाँव से होनी चाहिये, इसकी घोषणा।
		15—1977–78, 78–79 और 79–80 इन तीन वर्षों में जनता शासन एवं लोकदल के शासन द्वारा डुमरियागंज तहसील के उत्थान के लिए जितनी सड़कों की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, उन्हें बनाने के लिए अधिकाँश सड़कों पर मिट्टी का काम हो चुका है, उनकी मरम्मत, खड़ंजा लगाने एवं पुलिया बनाने का उल्लेख।
		16—पूरी डुमरियागंज तहसील कुछ तथा कथित गुण्डों तथा क्रिमिनलों के घेरे में है जिनका संबंध सत्ता पक्ष से है। उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री के आधार पर जाँच करके दण्डित करने एवं उनसे जनता को नजात दिलाने को कोई उल्लेख।
		17—शासन के बार-बार आश्वासनों के बावजूद भी मुन्सिफ अदालत की स्थापना डुमरियागंज में अब तक नहीं की गई। इसे स्थापित करने की तत्काल कोई घोषणा।
		18—काँग्रेस आई सरकार के जून, 1980 में सत्तारूढ़ होने के बाद भ्रष्ट अधिकारियों और दलालों की साजिश से पूरे डुमरियागंज की गरीब जनता पुलिस जुल्म और दलालों के घेरे से परेशान है जिसमें भवानी गंज थाना विशेष प्रकार से प्रभावित है। सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता इन अधिकारियों से चौथ वसूल कर उनका मनोबल बढ़ाते है उसे समाप्त करने का कोई उल्लेख।
		19—पूरे डुमरियागंज में सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (चीनी व मिट्टी के तेल) ठप्प हो गयी है। सभी सहकारी समितियों में काँग्रेस आई के प्रशासक नियुक्त कर दिये गये है, जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इन्हें समाप्त कर किसी नई व्यवस्था का उल्लेख।
		20—तहसील डुमरियागंज जनपद बस्ती की 80 प्रतिशत सहकारी समितियों में सचिवों द्वारा किसानों के नाम फर्जी कर्जे निकाल लिये गये है और इन गरीबों से जबरन वसूली की जा रही है। इन समितियों के कर्जों का सार्वजनिक रूप से सत्यापन कराने तथा इन्हें सतर्कता पुलिस द्वारा जाँच कराने का कोई उल्लेख।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21—तहसील डुमरियागंज के विकास खण्ड इटवा, भवावापुर, रुनियाँव के सम्पूर्ण गन्ना किसानों को गन्ना समिति बढ़नी के भ्रष्ट अधिकारियों से नजात दिलाने और समय से उनके भुगतान कराने की कोई घोषणा।
		22—प्रदेश में कक्षा 12 तक मुफ्त शिक्षा की कोई घोषणा। पूरे प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं की शिक्षा व्यवस्था लुंजपुंज हो गई है। 90 प्रतिशत स्कूलों में इमारत नहीं है, बच्चों के लिये टाट पट्टी आदि नहीं है इसकी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है।
		23—कुनव नदी पर चन्द्रीप घाट पर लकड़ी का पुल व राप्ती नदी के सिगारजोत घाट पर पक्का पुल बनाने का जो निर्णय जनता व लोकदल के शासन ने किया था उसकी घोषणा जबकि इन पुलों के बन जाने से लखनऊ की दूरी 60 कि0 मी0 कम और लाखों लाख हिन्दु भाइयों के तीर्थ स्थल अयोध्या की दूरी 50 कि0 मी0 कम हो जायेगी।
		24—पूरी तहसील डुमरियागंज बस्ती में जल निगम द्वारा लगाये जा रहे हैण्डपम्प, जिनकी लागत लगभग 10 से 15 हजार प्रत्येक आती है व उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार जैसे 50 और 60 बोर करके उससे अधिक का चार्ज करना गुण्डों के माध्यम से अधिकाँश ग्राम प्रधानों से न पूछकर अपने मन से गलत स्थान पर लगाना, गाँव वालों से बेगार लेकर मास्टर रोल पर भुगतान कर लेना तथा खुले बाजार में पाइपों को बेचना। इस सब मामले की खुली जाँच कराने की घोषणा।
		25—डुमरियागंज तहसील में लगातार सूखा और बाढ़ से किसान की दशा बिगड़ गई है उन पर सरकारी कर्जों का बोझ लद गया है उसे माफ करने का कोई उल्लेख।
		26—डुमरियागंज तहसील के सभी गाँवों को जो शेष बचे हैं एक समय बद्ध योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण करने की कोई घोषणा।
		27—राजकीय महिला चिकित्सालय डुमरियागंज में विगत चार वर्षों से कोई डाक्टर नहीं है उसकी नियुक्ति की कोई घोषणा।
		28—डुमरियागंज तहसील के अधिकांश राजकीय नलकूप खराब पड़े हैं, नालियाँ टूटी हुई हैं, उन्हें तुरन्त ठीक कराने की कोई घोषणा।
		29—राजकीय कन्या हाई स्कूल, डुमरियागंज जिसकी स्थापना 1978–79 में हुई थी उसकी बाउण्डरी बनाने, अध्यापिकाओं की कमी पूरी करने, उसे इण्टर करने तथा कालेज की बस को नियमित रूप से प्रत्येक दिन चलाने की कोई घोषणा।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		30—प्रदेश में लेखपाल संघ की ओर से की जा रही हड़ताल में अधिकाँश माँगे जायज हैं उन्हें मानने तथा उनकी सुख-सुविधा को अन्य कर्मचारियों और अधिकारियों की तरह करने की घोषणा।
17	श्री रामधनी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है— 1—जनपद गाजीपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में। 2—तहसील सैदपुर गाजीपुर में गवर्नमेंट डिग्री कालेज खोलने के सम्बन्ध में। 3—प्रदेश के हरिजनों के सामूहिक लूटपाट व हत्या से रक्षा करने के सम्बन्ध में। 4—ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे सामूहिक लूटपाट, अत्याचार से बचने एवं सुरक्षा के लिए प्रतिगाँव में बन्दूक देने के संबंध में। 5—तहसील सैदपुर जनपद गाजीपुर में कोई बड़ा उद्योग लगाने के सम्बन्ध में।
18	श्री ऊदल (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने निम्नलिखित का उल्लेख अपने अभिभाषण में नहीं किया। 1—प्रदेश की शांति व्यवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही है और चोरियाँ, डकैतियाँ, लूट हत्या, बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। इसको रोकने के लिये कोई ठोस योजना का संकेत। 2—प्रदेश के थानों की पुलिस द्वारा संविधान का उल्लंघन करके विधि के खिलाफ निरीह लोगों को घरों से पकड़कर फर्जी पुलिस डाकू मुठभेड़ दिखाकर इनकाउन्टर करना और लाखों फर्जी मुकदमे लिखकर चालान भी करना, जैसे 1/2—1—84 को कनखल थाना हसनपुर मुरादाबाद में पाँच व्यक्तियों की पुलिस डाकू मुठभेड़ में हत्या करके थाने की पुलिस द्वारा मुकदमा बनाने के सम्बन्ध में। 3—3—2—84 के आस पास आगरा, फतेहाबाद में सात व्यक्तियों को पुलिस द्वारा इनकाउन्टर किये जाने के सम्बन्ध में। 4—28/29—1—84 को थाना जहानाबाद जिला आजमगढ़ की पुलिस द्वारा सरजू भर गाँव रानीपुर मखारा की हत्या (इनकाउन्टर) करके पुलिस डाकू मुठभेड़ दिखाने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5——10 दिसम्बर, 83 को थाना करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर के एस0 ओ0 एन0 पी0 त्रिपाठी एवं अन्य पुलिस वालों द्वारा गाँव प्रधानपुर के एक ही परिवार के चार यादवों को पुलिस– डाकू मुठभेड़ में मारे जाने के सम्बन्ध में।
		6——सितम्बर, 83 में थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद की पुलिस द्वारा पुलिस-डाकू मुठभेड़ में तीन व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया जाना जिसमें करम सिंह उर्फ करमा हापुड़ के थे/शव भी परिवार को न देने के सम्बन्ध में।
		7——गाँव खजुरी थाना दिलदार नगर जिला गाजीपुर में शंकर यादव को फरवरी, 84 में फर्जी पुलिस-डाकू मुठभेड़ दिखाकर दिलदार नगर थाने की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने के सम्बन्ध में।
		8——25/26–11–83 को बोइल पुत्र बंशी गाँव समोगरा थाना फूलपुर जिला वाराणसी को फर्जी डकैती डालने के मुकदमे में फूलपुर एस0 ओ0 शेषनाथ राय व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा बुरी तरह से पीटने और बेहोशी की हालत में सर सुन्दर लाल अस्पताल बी0 एच0 यू0 वाराणसी में बेहोशी हालत में 3/4–12–83 को मर जाने ता0 28–11–83 से ही एस0 पी0, एस0, एस0 पी0 एवं डी0 आई0 जी0 वाराणसी एवं मा0 मुख्य मंत्री गृह सचिव को प्रार्थना पत्र देने पर किसी कार्यवाही के न किये जाने के सम्बन्ध में ।
		9——नवम्बर, दिसम्बर, 83 में अकेले गाजीपुर जिले की पुलिस द्वारा 9 इनकाउन्टर करने तथा पूरे प्रदेश में पुलिस के आतंक को खत्म करने के सम्बन्ध में।
		10——थानों की पुलिस द्वारा अपराधों को सही-सही न लिखने और अपराधों को छिपाने के संबंध में।
		11——सभी फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गये व्यक्तियों की न्यायिक जाँच न कराने के संबंध में और झूठे एवं फर्जी पुलिस डाकू मुठभेड़ के लिखे गये मुकदमों की जाँच किसी अन्य एजेंसी से कराने व अपराधों को रोकने में कारगर उपाय के संबंध में।
		12——प्रदेश की सिंचाई की ओर समुचित ध्यान न देने के सम्बन्ध में खासकर शारदा सहायक की मुख्य नहर द्वारा लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली तथा प्रदेश के अन्य जिलों में लाखों एकड़ किसानों की जमीन सीपेज सड़वी है, उससे बचाने के सम्बन्ध में।
		13——जमानियाँ, मिल्लीपुर, भैंसाँ, नरायनपुर, भुदौली, आदि पंप नहरों के पानी को टेल तक न पहुंचाने के सम्बन्ध में और नहरों की सीमाइलिंग एवं गूलों, माइनरों के निर्माण के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14—सोन लिफ्ट कैनाल मिर्जापुर को टाइम के अन्दर तैयार न करने के संबंध में और तीन बार बढ़ाकर उसके लिये धन काफी मात्रा में उपलब्ध न कराने के सम्बन्ध में।
		15—ज्ञानपुर लिफ्ट कैनाल की मुख्य नहर एवं माइनरों के ठीक से निर्माण न करने के सम्बन्ध में।
		16—शारदा सहायक 38 खंड जौनपुर की मुख्य नहर को समय के अन्दर निर्माण न करने एवं बरही नेवादा, बीकापुर, हर्मारपुर, धमहापुर, बड़ागाँव असवारी टेटुआ त0व जिला वाराणसी के किसानों को आज तक मुआवजा न देने के संबंध में।
		17—नाद नदी के उत्तर व दक्षिण ब्लाक पिंडरा व बड़ागांव त0 व जिला वाराणसी में 15 ट्यूबवेल विश्वबैंक का लगाकर पुराने 10 ट्यूबवेलों को मिला कर कलस्टर योजना को बनाने के सम्बन्ध में।
		18—नलकूपों की नालियों की मरम्मत के सम्बन्ध में तथा खराब नलकूपों की टी बोरिंग कराने के सम्बन्ध में।
		19—वरुणा नदी के उत्तरी किनारे ब्लाक बड़ागाँव वाराणसी में ट्यूबवेल लगाने के सम्बन्ध में।
		20—सार्वजनिक निर्माण विभाग वाराणसी ने वरुणा नदी में चौकाघाट के पुल को रोक लगा दिया है। इसकी आज तक मरम्मत न कराना और यातायात को अवरुद्ध करने के सम्बन्ध में।
		21—स्थान जलालपुर जिला जौनपुर में सई नदी के पुल को जो वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर है, जुलाई, 83 के पहले से रोक देना और उसकी मरम्मत पर वैकल्पिक व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में।
		22—फूलपुर सिधोरा मार्ग ब्लाक पिंडरा वाराणसी को डामर की सड़क न बनाने के सम्बन्ध में।
		23—2 ज्वालापुर मार्ग के धमहापुर से बरही नेवादा तक 10 किलोमीटर का निर्माण एवं बाबतपुर बड़ागाँव कूंडी कुस मार्ग ब्लाक बड़ागाँव जिला वाराणसी पर तीन वर्षों में एलाटमेन्ट के रुपये को न खर्च करने एवं सड़क के निर्माण में शिथिलता के सम्बन्ध में।
		24—अनेई कपसेठी मार्ग ब्लाक बड़ागाँव जिला वाराणसी को प्रा0 खंड-वाराणसी के द्वारा कार्य सम्पन्न न कराकर बाहर कर्दवा खंड को देना और कार्य में शिथिलता बरतने के संबंध में।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		25——स्थान अकोठा संराव ब्लाक बड़ागाँव वाराणसी में वरुणा नदी में पुल बनाने के सम्बन्ध में।
		26——मंगारी चौपुर मार्ग, 2——मंगारी सिंघोरा मार्ग व बरवाँ, रिमनपुर ऊदपुर मार्ग तथा देवराह सराँय से ओदार मार्ग व देवराई सराय से बरवाँ मार्ग ब्लाक पिंडरा व मंगारी हथियार मार्ग पिंडरा जिला वाराणसी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
		27——कठिराव तरसड़ा बरही नेवादा मार्ग, व ताड़ी से अनेई मार्ग तथा घमहापुर से बेलवा पिंडरा मार्ग ब्लाक बड़ागाँव जिला वाराणसी का निर्माण कराने के सम्बन्ध में।
		28——भदोही व नई बाजार वाराणसी की मुख्य सड़क को ऊंचा उठाने एवं किनारे नाली बनाने के सम्बन्ध में।
		29——स्थान पिंडरा बाजार, ब्लाक पिंडरा व मंगारी बाजार तथा सिंघोरा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में राजकीय कन्या हाई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में।
		30——प्राइमरी पाठशाला मरुई, झंझोर, समोगरा, चुप्पेपुर, गजेन्द्रा व जू0 हाई स्कूल किरतपुर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी में भवन न होने के सम्बन्ध में।
		31——कुसुमुरा, भीटी, बरजी, ब्लाक बड़ा गाँव, जिला वाराणसी के प्राइमरी पाठशाला की इमारत न होनेके सम्बन्ध में।
		32——गाँव कोर्रा दिनदासपुर, शाहपुर, तेलारी, ब्लाक पिंडरा में प्राइमरी स्कूल न खोलने के संबंध में।
		33——नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा, सूरज प्रसाद इंटर कालेज कठिराँव व सुभद्रा कुमारी इण्टर कालेज वसनी, जिला वाराणसी में साइन्स कक्षा एवं पुस्तकालय भवन हेतु धन की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में।
		34——स्थान कुवार, ब्लाक बड़ागाँव, जिला वाराणसी में जूनियर हाई स्कूल की इमारत न बनाने के सम्बन्ध में।
		35——परी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण न करने के सम्बन्ध में और इण्टर कालेजों तथा डिग्री कालेजों के अध्यापकों द्वारा आन्दोलन व जेल भरो सत्याग्रह को बातचीत द्वारा हल करने के सम्बन्ध में।
		36——प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूलों की बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पढ़ाई व्यवस्था ठीक न करने के सम्बन्ध में एवं टाट पट्टी, फर्नीचर, भवन आदि की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		37—किसानों की उपज का सही मूल्य न देने के सम्बन्ध में ।
		38—औद्योगिक वस्तुओं एवं कृषि जन्य वस्तुओं के मूल्य को अनुपात बनाने के सम्बन्ध में ।
		39—फसल बीमा योजना को पूरे प्रदेश में लागू न करने के सम्बन्ध में ।
		40—किसानों को पम्पिंग सेट के लिये 14 घण्टे बिजली न देने के सम्बन्ध में ।
		41—दैनिक, आपदाओं में नुकसान हुई फसलों की क्षति तुरन्त लगाकर सहायता पहुंचाने के सम्बन्ध में ।
		42—कृषि सम्बन्धित उपकरण, कीट नाशक दवाइयाँ एवं फर्टीलाइजर के बढ़े हुए मूल्यों को कम करने के सम्बन्ध में एवं नकली दवाइयाँ, फर्टीलाइजर आदि को रोकने में ।
		43—पिंडरा पी0 एच0 सी0 व बड़ागाँव पी0एच0सी0 वाराणसी में काफी मात्रा में दवाइयों के उपलब्ध न होने के सम्बन्ध में ।
		44—पिंडरा पी0 एच0 सी0 वाराणसी के उच्चीकरण की इमारत में नं0 2 व तीन के ईटों की जाँच करने के सम्बन्ध में ।
		45—मंगारी ब्लाक हेड क्वार्टर पिंडरा, वाराणसी में एक एलोपैथिक अस्पताल न खोलने के सम्बन्ध में, इसी तरह बाँदूपुर, धवकलगंज, ब्लाक बड़ागाँव, वाराणसी में अस्पताल भवन न बनने के सम्बन्ध में ।
		46—स्व0 रज्जब अली मेमोरियल अस्पताल बरही व बाँदा ब्लाक बड़ागाँव वाराणसी का निर्माण न करने के सम्बन्ध में ।
		47—भदोही नगरपालिका जिला वाराणसी की सभी सड़कों की दयनीय स्थिति के बारे में ।
		48—नोटीफाइड एरिया नई बाजार जिला वाराणसी के सभी मार्गों की दयनीय दशा एवं गंदगी कीचड़ को हटाने के सम्बन्ध में ।
		49—वाराणसी नगर निगम के अन्तर्गत पेयजल की सप्लाई ठीक न करने के सम्बन्ध में तथा 4 5 नलकूपों की मरम्मत न करने के सम्बन्ध में ।
		50—नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी में पेयजल की समुचित व्यवस्था न करने के संबंध में और सीवर लाइन ठीक से न बिछाने के सम्बन्ध में ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		51——नगरपालिका सुल्तानपुर में गंदगी से उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में और सफाई की समुचित व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में।
		52——नगरपालिका भदोही, जिला वाराणसी द्वारा ठीक से सफाई निर्माण, रोशनी, पानी, रास्ते की व्यवस्था न करने की जाँच करने के सम्बन्ध में।
		53——नगरपालिका वाराणसी के देहाती क्षेत्रों में सड़कों, यातायात के लिये मार्ग, रोशनी एवं पेयजल की व्यवस्था न करने के सम्बन्ध में।
		54——अरबन सीलिंग ऐक्ट में सक्षम अधिकारी को अधिकार देकर बड़े-बड़े शहरों में भूमिपतियों को जमीन को धारा 29 (1) व धारा 20 में अन्तर्गत छोड़ देना जिससे सीलिंग ऐक्ट की मंशा समाप्त हो गयी है, उसको ठीक व सुधार न करने के सम्बन्ध में।
		55——नदेसर पैलेस वाराणसी की जमीन, जो अरबन सीलिंग ऐक्ट के दफा 21 (1) के अन्तर्गत भू0 पू0 काशी नरेश व उनके परिवार को न देकर पैलेस, रसाल मुहल्ला एवं शील महल मलपुर कमच्छा वाराणसी छोड़ दी गयी है उसकी जाँच न करने के सम्बन्ध में।
		56——बिला सीलिंग से टूटे हुए टकसाल सिनेमा व गंगेज क्लार्क होटल वाराणसी के लिये नदेसर पैलेस व टवक साल मुहल्ले वाराणसी की जमीन पर निर्माण की जांच व कार्यवाही न करने के सम्बन्ध में।
		57——विजयानगरम् पैलेस मेलूपुर की जमीन व कटान मिल चौका घाट की जमीन को धारा 21 (1) व धारा 20 में मुक्त करने की जाँच न करने के सम्बन्ध में।
		58——मायूरगंज मोती महल वाराणसी की 20 सौ एकड़ जमीन को धारा 20 व धारा 21 (1) में छोड़ देना और जमीन को बेच कर उस पर कालोनी निर्माण की जाँच न करने के सम्बन्ध में।
		59——नदेसर पैलेस में अल्प योजना के अन्तर्गत 10 मकान व बाजार तथा गैरेज बिना नक्शे के बनाने की जाँच न करने के सम्बन्ध में तथा बिना नक्शों के हजारों अवैध निर्माण को रोकने के सम्बन्ध में।
		60——सीलिंग (अरबन सीलिंग ऐक्ट) से निकली जमीन को अवैधानिक रूप से मुक्त करने के संबंध में तथा जाँच न कराने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
19	श्री सुबेदार सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नाँकित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में-- (क) अभी हाल में गोमती नदी में डूबकर मरने वाले अनेकों युवा लोगों की अकाल मृत्यु के प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की गयी । (ख) प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के लाखों छात्र-छात्राओं को समुचित पठन-पाठन की व्यवस्था तथा उनकी परीक्षाएं समुचित रीति से सम्पन्न कराये जाने का आश्वासन नहीं दिया गया, । (ग) कृषकों, व्यापारियों, शिक्षकों छात्रों तथा राज-कर्मचारियों के बढ़ते असंतोष तथा उनकी समस्याओं के निराकरण के लिये कोई उल्लेख नहीं किया गया। (घ) माध्यमिक विद्यालयों तथा डिग्री कालेजों एवं विश्वविद्यालयों में कार्यरत तदर्थ अध्यापकों के नियमितीकरण का कोई आश्वासन नहीं दिया गया तथा इण्टरमीडिएट कालेजों से सम्बद्ध बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान को राजकोष से दिलाये जाने का आश्वासन नहीं दिया गया।
20	श्री राम सागर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है-- 1--जनपद बाराबंकी में आये दिन हो रही हत्याओं, चोरी, डकैती की घटनाओं को सरकार तुरन्त रोकेगी तथा जनता के जान माल की सुरक्षा की जायेगी । 2--जनपद बाराबंकी की शारदा समान्तर नहर के सीपेज पीड़ित कृषकों को सरकार मुआवजा देगी और जल भराव सीपेज को तत्काल रोकेगी । 3--जनपद बाराबंकी के गन्ना किसानों का बकाया दाम तुरन्त भुगतान सरकार करेगी तथा कृषकों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य देगी । 4--जनपद बाराबंकी के गन्ना किसानों का बकाया दाम बेसिक विद्यालय व सीनियर बेसिक विद्यालय के भवनों का निर्माण एक वर्ष के अन्दर करा देगी। 5--प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाशी को समाप्त कर एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी । 6--जनपद बाराबंकी में जनता लोकदल की सरकार ने जिन सड़कों का निर्माण शुरू किया था उन्हें पक्का किया जायेगा तथा वर्ष 84-85 की जिला योजना द्वारा प्रस्तावित रारी नदी के घटमापुर कल्यानी नदी का मवई घाट का पुल इसी बजट सत्र में बना दिया जायेगा ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		7——जनपद बाराबंकी के हैदरगढ़, भिटरिया, हैदरगढ़ से बाराबंकी तथा देवीगंज से बाराबंकी सड़क पर परिवहन समस्या समाप्त करने के लिये आवश्यकतानुसार पर्याप्त बसें चलायी जायेंगी।
		8——तहसील रामनेही घाट, जनपद बाराबंकी मवैया टिकर टिकरा, मऊगोरपुर, तहसील हैदरगढ़ के कोठी व कैसरगंज तथा देहड़ा पट्टी में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।
		9——जनपद बाराबंकी के तहसील राम सनेही घाट तहसील हैदरगढ़ व तहसील फतेहपुर मुख्यालयों पर एक-एक डिग्री कालेज की व्यवस्था की जायेगी।
		10——प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा विमुक्त जाति के लोगों की निर्धारित 28 प्रतिशत कोटा प्रत्येक प्रकार की नौकरी में पूरा तत्काल कर दिया जाये गा।
21	श्री रुद्रप्रताप सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है——
		1——ग्रामों में बच्चों के खेलने हेतु व्यवस्था किये जाने का।
		2——असहायता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु कोई प्राविधान किये जाने का।
		3——तदर्थ शिक्षकों के विषय में कोई घोषणा किये जाने का।
		4——ग्रामों में पेयजल की व्यवस्था किये जाने का।
		5——उ0 प्र0 में नदियों के कटान से राहत की व्यवस्था किये जाने का।
		6——पुलिस के भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश का प्राविधान किये जाने का।
		7——देवरिया जनपद के सलेमपुर तहसील एवं देवरिया तहसील में सिंचाई सुविधा का कोई प्राविधान किये जाने का।
		8——देवरिया जनपद में डेयरी विकास की व्यवस्था किये जाने का।
		9——12वीं कक्षा तक निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था किये जाने का।
		10——मड़वापाटन रामपुर अवस्थी तक पक्की सड़क की व्यवस्था किये जाने का।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की व्यवस्था किये जाने का ।
		12—पानी निकास की व्यवस्था किये जाने का ।
		13—भीखमपुर , गोरैया, मझवलिया इत्यादि ग्रामों में नलकूप की व्यवस्था किये जाने का ।
		14—पूर्वांचल में किसी भी विद्यालय में विज्ञान की शिक्षा नहीं है उसकी व्यवस्था रामपुर अवस्थी में किये जाने का ।
		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—
22	श्री राधेश्याम पटेल श्री राम नारायण सिंह, एडवोकेट तथा श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	1—प्रदेश के 1 से 7 एकड़ के किसानों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था की जाय तथा विद्युत आपूर्ति दिन में कम से कम 12 घंटे एवं कृषि हेतु विद्युत उपयोग पर सबसिडी दी जाय। प्रदेश के धान उत्पादक कृषकों को स्वयं उत्पादित धान कटने की अनुमति, चारा थ्रेशर आदि की भांति दी जाय।
		2—प्रदेश के कृषकों से मण्डी शुल्क मण्डी सीमा क्षेत्र न निर्धारित कर मण्डी स्थल पर ही शुल्क लिया जाय।
		3—प्रदेश में नगर तथा शहरी क्षेत्रों में उपजाऊ एवं तीन फसली भूमि का अधिग्रहण कर रोक लगायी जाय।
		4—प्रदेश में अनधिकृत भूमि का मुआवजा दिये बिना मौके पर कब्जा न किया जाय।
		5—प्रदेश में आलू कृषकों के हित रक्षा एवं प्रोत्साहन हेतु आलू पर आधारित उद्योग लगाये जायं तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य गन्ना की भांति सरकार द्वारा घोषित किया जाय।
		6—सम्पूर्ण प्रदेश में पिछड़े वर्ग के सभी कक्षाओं के छात्रों को छात्रवृत्ति अनिवार्य रूप से दी जाय।
		7—प्रदेश के तकनीकी मेडिकल प्रोद्योगिक शिक्षण संस्थाओं की प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों के चयन में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को पाँच अंकों का विशेष समर्थन दिया जाय।
		8—सम्पूर्ण प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को अन्यथा खादों की तरह यूरिया खाद में भी छूट दी जाय।
		9—सम्पूर्ण प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के नवयुवकों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु खेलकूद एवं व्यायाम के संसाधनों को प्रचुर मात्रा में विकास खंडवार उपलब्ध कराया जाय।

उत्तर प्रदेश विधानसभा

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
23	श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित का उल्लेख नहीं किया है— 1—प्रदेश में कानून व व्यवस्था में उत्तरोत्तर गिरावट हो रही है। इससे निपटने हेतु तात्कालिक कारगर ढंग से कार्यवाही का संकेत। 2—प्रदेश के हरिजन, अल्पसंख्यक एवं गरीब व्यक्ति की सुनवायी। 3—सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार व लूट का बोल बाला है। सीमान्त व लघु सीमांत एवं हरिजनों को मिलने वाली छूट को घूस रूप में लिया जा रहा है। फर्जी ढंग से लोगों पर कर्ज चढ़ाया जा रहा है और बिना सत्यापन के वसूली तेज की जा रही है। 4—उत्तर प्रदेश के पूर्वी जनपदों में कहार जाति (पिछड़ी जाति) के लोग अपने को गोड़ बता कर प्रमाण-पत्र लेते हुए एवं प्राथमिक कक्षाओं में अपने बच्चों की जाति कहार न लिखा कर गोड़ (अनुसूचित जाति) लिखा कर हरिजनों (अनुसूचित जातियों) को मिलने वाली सुविधाओं को लेते जा रहे हैं। कहार को गोड़ मानने या स्वीकार करने संबंधी कोई शासनादेश नहीं है। 5—किसानों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का लाभदायक मूल्य नहीं दिया जा रहा है। कारखाने में बनी वस्तुओं के साथ-साथ कृषि में प्रयोग होने वाली खादों, बीजों, कीटनाशक दवाइयों, पानी, बिजली, कृषि यंत्र के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इन पर विशेष रूप से छूट मिलनी चाहिये, ऐसा नहीं हो रहा है। 6—देश भर में शिक्षा एक समान होनी चाहिये। सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालियों के विश्वविद्यालयों आदि में अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति का आरक्षण पूरा होना चाहिये। 7—ग्रामीण क्षत्रों में शौचालयों की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। 8—गंडक समादेश परियोजना गोरखपुर में हुए कार्यों की जांच एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा करायी जाय क्योंकि इसमें काफी गोलमाल, खराब काम, गलत नियुक्तियां आदि हुई हैं। इसके लिए उत्तरदायी अधिकारी उप निदेशक, भूमि संरक्षण को निलंबित कर जांच करायी जाय। 9—खाद्यान्न योजना से बनी समस्त सड़कों को पक्का कराया जाय एवं आवश्यक स्थानों पर पुल पुलिया बनायी जाय।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10——महाराजगंज-गोरखपुर में जल जमाव बाढ़ विभीषिका से राहत दिलाने, कच्ची सड़कों को पक्का करने, नहरों व माईनरों पर पुलिया, पैदल पुलिया बनाने की बात नहीं कही गयी है । इनका निर्माण होना आवश्यक है ।
24	श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के संबंध में चर्चा नहीं की है :—— 1——माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, समान शिक्षा की नीति, उर्दू को दूसरी दर्जे की भाषा घोषित करने के संबंध में । 2——प्रदेश में किसानों के उत्पादन का लाभप्रद मूल्य निर्धारित करना तथा औद्योगिक उत्पादन मूल्यों से एक निश्चित संबंध रखना । 3——प्रदेश के मजदूरों विशेषतः चीनी, कपड़ा, बिजली एवं सीमेन्ट उद्योग में कार्यरत लोगों के संबंध में नया वेतन आयोग । 4——शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की गारन्टी अथवा जीवन भत्ता । 5——निगमों एवं सरकारी प्रतिष्ठानों में करोड़ों रुपयों की लूट और इनको जन प्रतिनिधियों के हवाले करने के संबंध में । 6——प्रदेश के भूमिहीन किसानों, हरिजनों, जन जातियों एवं अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना । 7——भूमिहीनों में अतिरिक्त भूमि का बंटवारा, वितरित भूमि पर कब्जा दिलाना तथा हरिजन बस्तियों में आवास, पानी एवं बिजली की व्यवस्था । 8——नौकरशाही का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा पुलिस प्रशासन को उच्छृंखलता पर अंकुश । 9——जनता पार्टी शासन में गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील को नई जिले का मुख्यालय तथा परतावल को नई तहसील बनाने का संकल्प । 10——अलाभकर जोत की लगान माफी । 11——प्रदेश में किसानों के लिये बिजली, सिंचाई के पानी की नियमित आपूर्ति । 12——घुघली, परतावल एवं सिसवा क्षेत्र समितियों का चुनाव ।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		13—टांगिया मजदूरों, भूमिहीनों एवं अनुसूचित जाति, एवं जन जातियों के पुनर्वास की व्यवस्था।
		14—गोरखपुर जिले की महराजगंज तहसील में महराजगंज एवं घुघली में राजकीय कन्या इण्टर कालेज तथा श्याम देउरवा में राजकीय इण्टर कालेज खोलने का आश्वासन।
		15—जनता पार्टी शासन में महराजगंज में महिला अस्पताल, पयास, खुशहाल नगर, भिठौली, सोहरौना तिवारी, श्याम देवरवा में आयुर्वेदिक चिकित्सालय, हरपुर महन्त और नटवा में एलोपैथिक तथा लक्ष्मीपुर देवरवा में पशु चिकित्सालय की स्थापना।
		16—गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील में चौमुखा तथा कुटिया, कप्तानगंज के बीच हरपुर माइनर पर पुल तथा ब्योरवा बुजुर्ग, विशुनपुर खुर्द, सोहरौना राजा, बांसपाल कोठी, बांसपाल पिपरवा तिवारी गांव के पास नहरों का पुल।
		17—महाराजगंज तहसील के महाराजगंज परतावल, मंगलपुर, बभनौली बुजुर्ग, पानियारा, निचलौल में कागज एवं दियासलाई उद्योग तथा घुघली में अलकोहल एवं चावल उद्योग की स्थापना।
25	श्री यमुना प्रसाद (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय — किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :— 1—जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर (फीडर चैनेल) तथा दरियाबाद समान्तर शारदा की सीपेज समस्या के निवारण हेतु नहरों को पक्का कर दिया जायेगा। 2—जनपद बाराबंकी की कल्याण नदी को फतेहपुर-बाराबंकी मार्ग के ग्राम कुतुलपुर से मसौली व सफदरगंज तक नदी को गहरा, चौड़ा तथा सीधा कर दिया जायेगा। 3—शारदा सहायक नहर के पश्चिमी भाग में सिंचाई हेतु पर्याप्त राजकीय नलकूप लगाये जायेंगे। 4—बाराबंकी अन्तर्गत जनता व लोकदल सरकार द्वारा पटाई गयी सड़कों को पक्का करा दिया जायेगा। 5—प्रदेश में दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त कर समान शिक्षा प्रणाली लागू की जायगी। 6—जनपद बाराबंकी के फतेहपुर तहसील अन्तर्गत कस्बा टिकैतगंज में राजकीय इण्टर कालेज तथा कस्बा फतेहपुर में रा0 कन्या इण्टर कालेज की स्थापना इसी वर्ष कर दी जायगी। 6—(अ) जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड फतेहपुर स्थित कुआँ डाँडा ड्रेस की खुदाई करके किसानों की फसल को बचाया जा सकेगा।

क्रम सं0	प्रस्ताव का नाम	संशोधन का रूप
		7—ग्राम अनवारी झील विकास खण्ड निन्दोरा जनपद बाराबंकी के पानी को रेट नदी में ड्रेन बनाकर गिरा दिया जायगा।
		8—जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर से रीवाँसीवाँ तक मार्ग सा0 नि0 वि0 द्वारा पक्का करा दिया जायेगा।
		9—बाराबंकी के तहसील मुख्यालय पर राजकीय बस स्टैंड के भवनों का निर्माण इसी वर्ष कर दिया जायेगा।
		10—जनपद बाराबंकी के ग्राम मिठवारा तथा अन्य गाँवों को डूबने से बचाने के लिए मिठवारा ड्रेन की तत्काल खुदाई प्रारम्भ कर दी जायेगी।
		11—जनपद बाराबंकी की कल्यानी नदी के पानी का निकास जब तक न किया जायेगा तब तक किसी प्रकार की उसमें ड्रेन नदी में नहीं गिराई जायेगी।
		12—जनपद बाराबंकी के थाना फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम बसरा के समीप सड़क पर सा0 नि0 विभाग की ट्रक दुर्घटना में 21 लोगों की हत्या की जाँच सी0 आई0 डी0 से कराई जायेगी तथा मृतकों के परिवारों को 25 हजार रुपए प्रति मृतक व्यक्ति की दर से दिया जायेगा।
		13—जनपद बाराबंकी के तहसील फतेहपुर स्थित सगरा झील (शाहपुर चकबदेखा) को मछली पालन हेतु ग्राम गोपालपुर के हरिजनों को 10 वर्षीय पट्टे पर तत्काल दे दिया जायेगा।
		14—जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर से ग्राम सिहाली तक 8 कि0 मी0 मार्ग सा0 नि0 विभाग द्वारा इसी वर्ष पक्का करा दिया जायगा।
		15—जनपद बाराबंकी की कल्यानी नदी की बाढ़ व अधिक जल समस्या के कारणों की जाँच करके पानी को कम किए जाने की तत्काल व्यवस्था की जायगी।
		16—बाराबंकी की कल्यानी नदी से प्रभावित खेतों योग्य भूमि का गत 20 वर्षों से जल भराव होता रहा है तथा फसलें नष्ट होती रही हैं, की जाँच कराकर भूमि का मुआवजा दे दिया जायगा।
		17—जनपद बाराबंकी अन्तर्गत दउखरिया ड्रेन पर ग्राम पैगुआ महनपुर के बीच एक पुल निर्माण सिचाई विभाग, द्वारा तत्काल इसी बजट सत्र में धन उपलब्ध कराकर वर्षा से पूर्व पुल बना दिया जायेगा।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
26	श्री रामस्वरूप निम (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है:— 1—उच्च न्यायालय इलाहाबाद और लखनऊ में न्याय-मूर्ति के पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के न्याय मूर्तियों के अनुपात में आरक्षण के अनुसार अविलम्ब नियुक्ति। 2—जिला न्यायालयों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोई भी सत्र न्यायाधीश एवं जिला जज नहीं है। 8 व 2 के अनुपात में आरक्षण के अनुसार पदोन्नति कर सत्र न्यायाधीशों के पदों पर नियुक्ति। 3—प्रत्येक श्रेणी के आरक्षण को पूरा करने तथा प्रत्येक विभाग में पूरा करने का ठोस कार्यक्रम अथवा नयी नियुक्ति एवं पदोन्नति करके विगत वर्षों से चले आ रहे आरक्षण कोटा जो अभी तक पूर्ण नहीं है, के अविलम्ब पूर्ण करना तथा जो अधिकारी इसके लिए अर्थात आरक्षण पूरा न करने के लिए दोषी हैं उनकी सूची घोषित करना ताकि प्रभावी कार्यवाही की जा सके । 4—जनपद सहारनपुर में गन्ने के क्षेत्र को देखते हुए नागल क्षेत्र में जिसका सर्वेक्षण करा लिया गया है अविलम्ब एक नई चीनी मिल खोलने के सम्बन्ध में । 5—जनपद सहारनपुर की एकबालपुर मिल रुग्णा-अवस्था को दूर करने के लिए तथा किसानों को बकाया के भुग-तान करने के लिए निश्चित कार्यक्रम की एवं तिथि के सम्बन्ध में। 6—जनपद सहारनपुर की चीनी मिल में उत्पन्न सीरे की मात्रा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र में एवं निजी क्षेत्रों में अल्कोहल बनाए जाने के लिए फैक्ट्री खोलने तथा निजी क्षेत्रों में लाइसेन्स की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में ताकि बेरोज-गारी, गरीबी एवं क्षेत्र की जनता को आर्थिक लाभ मिल सके। 7—सहारनपुर जैन डिग्री कालेज से अम्भेहटा चाँद, बड़गाँव से जड़ौदा पाण्डा तक की सड़क को पक्का किया जाय तथा जिन हिस्सों में अभी तक खड़ंजा भी नहीं लगा है, खड़जा लगवाने के सम्बन्ध में ताकि क्षेत्र के 30 ग्रामों को जोड़ा जा सके तथा 60,70 हजार जनसंख्या को आने-जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । 8—जनपद सहारनपुर में नागल, रेलवे मीरपुर फाटक से आम की दीपचन्दपुर, सोन्ढ़ा, सड़क जो बहुत ही दय-नीय अवस्था में है, की अविलम्ब मरम्मत कराई जाय तथा मरम्मत कराया जाना ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9—जनपद सहारनपुर के घाड़ क्षेत्र जो हिमालय की पहाड़ियों में लगभग चौरासी किलोमीटर के बीच में है, तथा जहाँ का मुख्य व्यवसाय बान बटना है, को सरकार की ओर से विशेष प्रोत्साहन देकर, विशेष कार्यक्रम के रूप में चलाने के सम्बन्ध में।
		10—सहारनपुर नगरी क्षेत्र में लकड़ी के धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिए तथा उक्त उद्योग पर आधारित जन-संख्या को आर्थिक सहायता देने के लिए कम कीमत पर शीशम की तथा और कीमती लकड़ी है जो फर्नीचर बनाने के काम आती है, सस्ते दामों पर मुहैया कराने के सम्बन्ध में।
		11—नगर क्षेत्र सहारनपुर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को जो चमड़े का कार्य कर रहे हैं उन्हे नई तकनीकी उपलब्ध कराए जाने की तथा आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाने की विशेष सहायता के रूप में घोषणा तथा सार्वजनिक क्षेत्र में एवं निजी क्षेत्र में उक्त धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिए बाजार एवं कच्चे माल की आसान सुविधा उप-लब्ध कराने के सम्बन्ध में ।
		12—तिलहन और दलहन की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को उक्त खेती के लिए बीमा की सुविधा देने के सम्बन्ध में ताकि फसल नष्ट होने पर किसान को आर्थिक हानि न हो सके।
		13—लघु उद्योग धन्धे को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार कच्चे एवं पक्के माल की जिम्मेदारी स्वयं वहन करने की गारन्टी ले तथा उन्हें ऋण दिलाने की आसान सुविधा दे ताकि उद्योगों को सुचारु रूप से चलाया जा सके एवं खेती के बढ़ते हुए भार को कम किया जा सके और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देकर बेरोजगार की समस्या का ठोस हल किया जा सके ।
		14—बिजली उत्पादन के लिए सरकार को उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करके सार्वजनिक क्षेत्र में तथा निजी क्षेत्र में प्रोत्साहन देकर कुटीर उद्योगों को खेती की सिंचाई समस्या को हल करने का प्रयास एवं ठोस कार्यक्रम तैयार करके आर्थिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान किया जा सके।
		15—बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस में कांस्टेबिलों एवं सब इंस्पेक्टरों की भर्ती को बढ़ाया जाय जोकि वास्तव में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं एवं जिम्मेदार हैं इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई अधिकारियों की पुलिस में संख्या कम की जाय तथा नीचे

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		के स्तर पर प्रत्येक थाने को वाहन एवं आधुनिक हथियार तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं दी जायं जिससे आठ घंटे से अधिक समय किसी से कार्य न लिया जाय। और क्रमशः शिफ्टों में तैनाती का क्रम कर दिया जाय ताकि पुलिस का कार्य सुचारु रूप से हो सके । 16—निर्बल वर्ग एवं पिछड़े वर्ग विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक में से एक अधिकारी उक्त जातियों के वर्ग का कर दिया जाय । 17—आई0 आर0 डी0 कार्यक्रम एवं स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान को सुचारु रूप से चलाने के लिए क्षेत्रीय समितियों को तथा जन प्रतिनिधियों को ऐसे अधिकार दिए जाँयं जो कि भ्रष्ट अधिकारी एवं कर्मचारियों के ऊपर प्रभावी कार्यवाही कर सके । 18—विधायकों को वाहन की सुविधा सरकारी अधिकारियों के अनुसार ही उपलब्ध कराई जाय ताकि वह अपने क्षेत्र का एवं अधिकारियों से सम्पर्क बनाकर जनता की सही सेवा कर सके । 19—परिवार कल्याण एवं चिकित्सा स्वास्थ्य की सुविधाओं के ऊपर प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाने के लिए एक ठोस कार्यक्रम तैयार किया जाय जिसमें प्रत्येक अस्पताल में एम्बुलेन्स की सुविधा तथा अस्पताल कम्पाउन्ड में कोआपरेटिव मेडिकल स्टोर जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं द्वारा अथवा कोआपरेटिव और सरकारी केमिस्टों द्वारा उसी अस्पताल से उसी अस्पताल के डाक्टरों की देखरेख में चलाया जाय ताकि सस्ती एवं सही दवाएं उपलब्ध हो सके ।
27	श्री बलवीर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न घोषणाएं नहीं की हैं:— 1—कृषि उत्पादन के दाम कृषि उत्पादन लागत के अनुसार 25 प्रतिशत मुनाफा लगाकर गेहूं के दाम 200 रु0 प्रति क्विटल, गन्ने का दाम 40 रु0 प्रति क्विटल दिया जायेगा । 2—उ0 प्र0 के हर न्याय पंचायत क्षेत्र पर स्नातक तक की शिक्षा का प्रबन्ध 1985 तक 500 रु0 तक की आय वालों के लिए निःशुल्क व्यवस्था बच्चों के लिए की जायगी ।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3—प्रदेश के हर न्याय पंचायत स्तर पर योगिक एवं कृषि प्रशिक्षण केन्द्र ग्रामीणों के लिए ग्राम्य विकास हेतु 1985 तक खोल दिए जायेंगे ।
		4—प्रदेश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण कर गरीब, मध्य व अमीरों के बच्चों को एक ही शिक्षा प्रणाली के तहत शिक्षा दिलाकर प्रदेश की गरीबी तथा पिछड़ेपन को दूर किया जायेगा ।
		5—प्रदेश के सभी ग्रामों में प्राइमरी पाठशालाओं की व्यवस्था सन् 85 तक कर दी जायगी ।
		6—प्रदेश के 10 हजार राजकीय नलकूपों के लिए शत-प्रतिशत सिंचाई के लिए 24 घंटे चलाने हेतु जनरेटर खरीद कर 300 घंटे प्रति वर्ष चलाने के बजाय 80000 हजार घण्टे प्रति वर्ष चलाकर सिंचाई का क्षेत्र 50 गुना किया जायगा ।
		7—ग्रामीण क्षेत्र में 1985 तक ग्रामीण भूमिहीन किसान, मजदूर हेतु रोटी और कपड़ा तथा मकान की व्यवस्था सन् 1985 तक कर गरीबी दूर की जाय ।
		8—ग्रामीण क्षेत्र में न्याय पंचायत स्तर तक निःशुल्क चिकित्सालयों तथा दवाइयों की व्यवस्था सन् 1985 तक की जायेगी ।
		9—1985 तक प्रदेश के सभी नदी नालों को गहरा तथा चौड़ा कराकर बाढ़ के पानी की निकासी हेतु बाढ़ की लानत (समस्या) को समाप्त किया जायगा ।
		10—1985 तक सभी नदियों पर बाँध बनाकर सूखे की लानत (समस्या) को खत्म किया जायगा ।
		11—1985 तक हर न्याय पंचायत क्षेत्र में पशुपालन विभाग की ओर से पशु चिकित्सालय खोलकर जानवरों के उपचार हेतु निःशुल्क व्यवस्था की जायगी तथा कृत्रिम अनुसन्धान व डेरी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे ।
		12—पूरे प्रदेश की चावल मिलों को खाद, तेल की समस्या हल करने हेतु चावल पालिश का तेल खाने योग्य बनाने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था के अनुसार स्टेबलाइजर लगवाने की व्यवस्था कर खाने के तेल की कमी दूर की जायगी तथा प्रदेश को खाने के तेल में आत्म-निर्भर बनाया जायगा ।
		13—पूरे प्रदेश में कृषि उत्पादन हेतु (औद्योगिक) ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था एवं गृह निर्माण हेतु सभी कृषकों को एक सस्ते दर पर ब्याज एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ऋण उपलब्ध कराकर ग्रामीणों का विकास किया जायगा ।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		14—प्रदेश के उन किसानों को जिनकी 1983 की रबी ओलावृष्टि से तथा 1983 की खरीफ बाढ़ से 50 प्रतिशत से अधिक नष्ट हो गयी है, का लगान, आबपाशी नहीं वसूला जायगा और कृषकों को एक हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जायगा ।
		15—प्रदेश के कृषि उत्पादन को देश के हर कोने में ले जाने पर लगी पाबन्दी खत्म को जायगी तथा कृषकों को केवल नजदीक की मण्डी में बेचने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा और उसे देश के किसी भी कोने में अपना कृषि उत्पादन बिना रोक-टोक ले जाने की व्यवस्था कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा सीधा किसान को गेट-पास जारी कर भेजने की व्यवस्था की जायगी। प्रदेश के कृषकों पर नया अतिरिक्त मण्डी शुल्क समाप्त किया जायगा ।
		16—व्यापारियों पर लगाया गया अतिरिक्त सेल्स टैक्स खत्म किया जायगा तथा सेल्स टैक्स प्रथा खत्म करके उत्पादन शुल्क लगाकर व्यापारियों का उत्पीड़न बन्द किया जायगा और उनकी माँगें मान ली जायेंगी ।
		17—प्रदेश के सभी कृषकों का गन्ना सरकार द्वारा घोषित मूल्य पर गन्ना सहकारी समितियों द्वारा ही खरीद कर गन्ना मिलों, गन्ना क्रेशरों को दिया जायगा जिससे गन्ना किसानों का उत्पीड़न बन्द हो जायगा ।
		18—प्रदेश के सभी चीनी मिलों के निकले खराब तत्वों से पावर अल्कोहल, गत्ता कागज, रबर एवं बाकी लगभग 80 उद्योगों की स्थापना करा कर किसानों को गन्ने का पूरा मूल्य दिलाया जायगा ।
		19—प्रदेश के सभी बेरोजगार स्नातकों को बेरोजगारी भत्ता देने की पूर्ण व्यवस्था 1985 तक कर दी जायगी ।
		20—प्रदेश में कृषि उत्पादन बीमा योजना को जीवन बीमा योजना के अनुसार कृषकों को स्वेच्छा से बीमा कराने की व्यवस्था बाढ़, ओला, वृष्टि, अग्नि तथा अन्य दैवी आपदाओं से राहत दिलाने हेतु की जायगी ।
		21—जिला परिषदों, टाउन एरियाओं, नगरपालिकाओं, नगर महापालिकाओं तथा प्रदेश की सभी सहकारी समितियों के तुरन्त चुनाव कराये जायेंगे ।
		22—कृषि विकास हेतु भूमिहीन मजदूरों, सीमान्त एवं छोटे कृषकों को पूर्वांचल से बेरोजगारी दूर करने हेतु रोजगार दफ्तर के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा बाम्बे प्रदेशों को विधिवत् रोजगार दफ्तर में रजिस्ट्रीकरण द्वारा रोजगार दिलाया जायगा ताकि मजदूरों का शोषण व उत्पीड़न न हो ।

क्रम-स0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		23—कृषि उत्पादन में काम आने वाले उपकरणों का मूल्य जैसे खाद कीटनाशक दवाइयाँ, डीजल मोबिल आयल इंजन के कल पुर्जे, ट्रैक्टर के कल पुर्जे तथा विजली के पुर्जे, कृषि यन्त्रों पर प्रदेश के लगाए गए सभी कर खत्म कर उनको अनुदान पर सस्ता कर के दिया जाय ।
		24—शासन के खर्चे जैसे जीप, गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ और केवल लखनऊ और मुख्यालयों पर बड़ी-बड़ी बिल्डिगें न बना करके घटाये जायेंगे और टैक्सों में कमी की जायगी ताकि जनता को राहत मिले ।
		25—भ्रष्ट मन्त्रियों तथा अधिकारियों को हटा कर दण्डित किया जायगा ।
		26—प्रदेश में शासन द्वारा घोषित सभी औद्योगिक उत्पादन केन्द्रों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जायगी ।
		26-(अ) प्रदेश में शासन द्वारा घोषित सभी औद्योगिक जनों तथा पिछड़ी जाति के नवजवानों का पुलिस द्वारा कत्ल नहीं होने दिया जायगा। मोदीनगर कपड़ा मिल के मजदूरों की सभी माँगें मान ली जायेंगी तथा मोदीनगर कपड़ा मिल को प्रदेश सरकार द्वारा अधिग्रहण कर नेशनल टेक्सटाइल मिल्स कारपोरेशन के जरिए पुन: चालू कर उन सभी बेकार मजदूरों को जोकि मोदी कपड़ा मिल में काम करते थे रोजगार दिलाया जायगा ।
		27—रामपुर जनपद में रुद्र विलास किसान सहकारी चीनी मिल लि0 विलासपुर के भागीदार कृषकों से गन्ना मूल्य में साढ़े पाँच रुपया प्रति क्विटल कटौती नहीं की जायगी तथा 15 फरवरी से किसानों की ओर से गन्ना पूर्ति न किए जाने के सम्बन्ध में हड़ताल की गयी घोषणा पर किसानों के प्रतिनिधियों से गन्ना मन्त्री बुलाकर वार्ता कर हड़ताल खत्म करायेंगे ।
		28—रामपुर जनपद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ खोली जायगी ।
		29—रामपुर जनपद में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जायगी ।
		30—रामपुर जनपद में स्वार तहसील में बहल्ला नदी पर खानपुर तथा मवला कलां ग्राम के समीप पुल निर्माण कराया जायगा ।
		31—रामपुर जनपद में तहसील स्वार में स्वार चिकित्सालय की बिल्डिग का पुनर्निर्माण कराकर चिकत्सालय का उच्चीकरण कराया जायगा ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		32--रामपुर जनपद के सभी ग्रामों को 1985 तक मेन सड़कों से नई सड़क बनाकर जोड़ दिया जायगा ।
		33--जनपद रामपुर में बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त पुलों को जो पीलाखार नदी पर विलासपुर स्वांर सड़क पर तथा रामपुर विलासपुर सड़क पर एवं दड़िहाल स्वांर सड़क पर पुल है, को चौड़ा कर पुर्ननिर्माण किया जायगा ।
		34--रामपुर जनपद जोकि सन् 1974 से पिछड़ा जिला घोषित है, में 4 भारी राजकीय तथा केन्द्रीय उद्योग लगाये जायेंगे ताकि गरीबों को रोजगार मिल सके और जनपद का पिछड़ापन दूर हो सके।
		35--जनपद रामपुर जो कि जनपद नैनीताल से सटा है, को जैसा जनपद नैनीताल में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाती है जनपद रामपुर को भी 24 घंटे की कृषि उत्पादन तथा औद्योगिक उत्पादन हेतु बिजली आपूर्ति की जायगी ।
		36--रामपुर जनपद में तहसील स्वांर में कस्बा दड़िहाल के करीब एक सहकारी गन्ना एवं चीनी मिल सन् 1985 तक लगाई जायगी ।
		37--जनपद रामपुर में चूंकि सभी नहरें सी क्लास की हैं और उनकी सिंचित क्षमता 25 प्रतिशत है जिसके कारण सिंचाई शत प्रतिशत नहीं हो सकती। सिंचाई को शत प्रतिशत करने हेतु विश्व बैंक की सहायता से जनपद रामपुर में 500 राजकीय नलकूपों का सन् 1985 तक निर्माण कराया जायगा ।
		38--उ0प्र0 के सभी बाढ़ग्रस्त ग्रामों के कृषकों का आबपाशी लगान माफ किया जायेगा तथा सभी विभाग की बकाया को छमाही 10 कश्तों में वसूल करने के आदेश जारी किये जायेंगे और हर किस्म की वसूली के लिए कृषकों का उत्पीड़न, जैसे कुर्की, वारंट, इत्यादि नहीं किए जायेंगे ।
		39--प्रदेश में निर्बल वर्ग, खेतिहर मजदूर तथा कृषकों के बीच पीस-वर्क प्रथा के नियम बनाकर सामंजस्य स्थापित कर गरीब, निर्बल वर्ग, भूमिहीन मजदूरों और सीमान्त कृषकों का उद्धार किया जायगा ।
		40--जनपद रामपुर चूंकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला घोषित है कि हर ग्राम में प्राइमरी स्कूल तथा हर 5 किलोमीटर में जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल तक की शिक्षा का प्रबन्ध 1985 तक कर दिया जायगा ।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
28	श्री विजय सिंह राना (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—— 1——प्रदेश में बिजली की दरें बढ़ीं, आबपाशी बढ़ और बसों का किराया बढ़ा इससे पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गयी है। इसके विपरीत प्रदेश सरकार ने किसानों की उन्नति के लिए कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए हैं। 2——भ्रष्टाचार, अराजकता और राजनीतिक गुण्डागर्दी जो इस प्रदेश में सत्ता के संरक्षण में पनप रही है, उसके रोकने के लिए कोई प्रभावकारी प्रयास किए जायेंगे। 3——शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की ज्वलंत समस्या सम्पूर्ण प्रदेश की अपरिहार्य आवश्यकता बन गयी है किन्तु उसके लिए यह शासन कोई प्रयास करेगा अथवा नहीं। 4——जनता पार्टी के शासन के बाद इस सरकार ने ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को खटाई में डाल दिया है फलतः गांव में विकास का कोई प्रयास सफल नहीं हो रहा है। 5——वर्तमान में गांव में न बिजली है न नहरों में पानी है और न राजकीय नलकूप ही कहीं चल रहे हैं ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण प्रदेश के किसानों की फसलें सूखे से झुलस रही हैं और शासन गूंगा और अन्धा बनकर बैठा हुआ है।
29	श्री मसरूर जाफरी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में जिला गोण्डा विधान सभा क्षेत्र उतरौला एवं प्रदेश की निम्न समस्याओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—— 1——उतरौला विधान सभा क्षेत्र राप्ती नदी से बाढ़ग्रस्त है और उसके बचाने तथा रसूलाबाद से श्रीदत्त गंज तक बांध बनाने के सम्बन्ध में। 2——उतरौला में किंग जार्ज इण्टर कालेज में इण्टर कक्षाओं में विज्ञान की संस्तुति वित्त मन्त्रालय से दिलाने के सम्बन्ध में। 3——उतरौला मुख्यालय पर आजादी के बाद आज तक राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण के सम्बन्ध में। 4——उतरौला पचपेड़वा रोड पर सिगारजोत घाट पर पुल बनाने के सम्बन्ध में। 5——प्रदेश के सभी विकास खण्डों में जो सम्पर्क मार्ग 77 से 82 तक बना है उसको पक्का करने के सम्बन्ध में।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		6——उतरौला विधान सभा क्षेत्र में कपोआ शेरपुर से श्री दत्तागंज की सड़क को पक्का करने के सम्बन्ध में।
		7——जनता एवं जन-प्रतिनिधियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गयी है तथा नौकरशाही उन्मुख रूप से अपना नग्न नृत्य कर रही है।
		8——हरिजन भाईयों, निर्बल वर्ग के लोगों को मकान बनाने हेतु अनुदान की धनराशि को 10,000 रुपया करने के सम्बन्ध में।
		9——प्रदेश के प्राइवेट कालेजों तथा शिक्षा का राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में।
		10——उतरौला में चीनी मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में।
		11——उतरौला मुख्यालय पर इस वर्ष शीघ्र मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।
		12——विधान सभा क्षेत्र उतरौला के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 घंटे विद्युत की सप्लाई को शहरी क्षेत्र की भांति 18 घण्टा सामान्य रूप से किये जाने तथा बढ़ी हुई विद्युत दर में कमी करने के सम्बन्ध में।
		13——उतरौला नोटीफाइड एरिया को म्युनिसिपलिटी बनाये जाने के सम्बन्ध में।
		14——प्रदेश की सरकार, प्रदेश को विकास की दिशा में तथा शान्ति व्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का समापन करने के सम्बन्ध में।
		15——किसानों के कृषि उपयोगी वस्तुओं के दाम जैसे खाद, बीज, डीजल, दवाइयों के निरन्तर बढ़े दाम पर रोक लगाने के सम्बन्ध में।
		16——खेद है कि उत्तर प्रदेश में निरन्तर बढ़ रहे बेरोजगारी, बेकारी की समस्या के निदान के लिये कोई कारगर उपायों का उल्लेख।
		17——उतरौला विधान सभा क्षेत्र में ग्राम सभा चीती के प्रधान की राजनैतिक हत्या तथा अधिकारी की साजिश से 23 जनवरी की रात में जो हत्या हुई है उस सम्बन्ध में कोई बात।
		18——गन्ने का मूल्य 40 रु0 क्विंटल करने के सम्बन्ध में।
		19——जनपद गोण्डा में सहकारिता विभाग द्वारा चारों तहसीलों के गरीब किसानों को कर्जा कर्जा बनाकर इस शताब्दी में सबसे बड़ा काण्ड किया है। कर्ज की माफी तथा उसकी जाँच कराने के सम्बन्ध में कोई उल्लेख।
		20——जनपद गोण्डा की चारों तहसीलों में सरकारी गोदामों द्वारा जो खाद मिलावट करके बिक्री की गयी है उसके सम्बन्ध में कोई उल्लेख।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
30	डा0 मोहम्मद उमर (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखि जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है—— 1——जनपद गोण्डा में सादुल्लानगर पर चद्रदीप घाट पर पुल बनाने से कृषकों तथा तीर्थ करने वाले गरीब यात्रियों को गोण्डा फैजाबाद तथा बस्ती से जोड़ती है इस सम्बन्ध में। 2——सादुल्लानगर महिला इण्टर कालेज खोलने के संबंध में। 3——सादुल्लानगर महिला चिकित्सालय खोलने के संबंध में। 4——सादुल्लानगर में चकबन्दी का अन्तिम उल्लेख खोलने के सम्बन्ध में। 5——सादुल्लानगर में बिजलीघर बनाये जाने के सम्बन्ध में।
31	श्री विश्वनाथ (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों की चर्चा नहीं की—— 1——उ0 प्र0 के गत विधान सभा के उप चुनाव में फाजिलनगर क्षेत्र में तीन व्यक्तियों की मतदान के दिन राजनैतिक निर्मम हत्या की गयी हालाँकि कुछ हत्याओं में हत्यारों के विरुद्ध नामजद रपट पुलिस में की गयी है फिर भी हत्यारे खुले आम घूम रहे हैं और पूरे क्षेत्र की जनता आतंकित एवं भयभीत है। 2——समुचित चिकित्सा के अभाव में नगरों से दूर के गाँवों में बड़ी संख्या में नागरिक रोगों से पीड़ित हैं। और गाँवों में अस्पताल खोलने के संबंध में राज्यपाल जी ने कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। जटिल रोगों का इलाज तथा आपरेशन आदि शल्य क्रियायें साधारण होम्योपैथिक डाक्टर अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं कर सकते है फाजिल नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसों को अच्छे अस्पताल में बदला जाय और महिला डाक्टरों को विशेष प्रबन्ध किया जाय। 3——शिक्षा के क्षेत्र में विशेषकर लड़कियों की शिक्षा के लिए ग्रामीण अंचलों में सुविधा नहीं है राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जाय। प्राथमिक विद्यालयों के भवन बनवाये जाय और शिक्षा में एक रूपता लायी जाय।

उत्तर प्रदेश संसदीय अध्ययन केन्द्र

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4——सघन खेती के लिए आवश्यकतानुसार पानी हेतु नलकूपों की सरकारी तथा गैर सरकारी स्तर पर लगवाने की व्यवस्था की जाय।
		5——प्रदेश में कृषि से होने वाली आय के अनुपात में कृषि पर जनसंख्या का भार रहना चाहिये। बड़े स्तर पर करोड़ों लोगों को खेती से हटाकर दूसरे धन्धों में लगवाना होगा और ऐसा तभी संभव है जब ग्रामीण अंचलों में औद्योगिक कारखानों का जाल बिछाया जाय और सीजनल उद्योगों के अलावा पूरे साल रोजगार देने वाले उद्योग लगाये जायें।
32	श्री कुबेर भण्डारी (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है——
		1——सत्तारूढ़ दल में समाज विरोधी तत्वों का समावेश हो जाने से पुलिस प्रशासन व सरकार विफल है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है।
		2——अनुसूचित जाति की आर्थिक दशा सुधारने में यह सरकार प्रयत्नशील है बिल्कुल नाकामयाब है अनुसूचित जाति को न तो सीलिंग भूमि ही दी जा रही है और न ही वास्तविक कब्जा ही दिया जा रहा है। यह सरकार का कहना है कि सीलिंग भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। जिला गोरखपुर में हजारों एकड़ भूमि पर आज भी कब्जा सरकार सुरेन्द्र सिंह मजीठिया का है तथा इस तरह से देवरिया जनपद में भी कई अवैधानिक नाम फर्जी कागज में अंकित है जो वास्तविक हकदार है उनका नाम नहीं है बल्कि उनको उत्पीड़ित किया जा रहा है वैसे नौतार ग्राम व तहसील हाटा में है क्षेत्र नेबुआ-नौरंगिया जो कई सरकारी अधिकारी फर्जी नाम अंकित कराये हैं।
		3——किसानों के लागत से कम मूल्य दिया जा रहा है। इस संबंध में कुछ नही कहा गया है।
		4——न तो समय से किसानों का गन्ना पेरा जा रहा है और न तो समय से गिरे गन्ने का पैसा देते हैं। वर्षों से किसान इन्तजार करता है। चीनी मिलों की क्षमता को तीव्र गति से विस्तार कार्यक्रम को नहीं चलाया जा रहा है। कई सरकारी चीनी मिले आज भी जर्जर हैं और चलने की दशा में नहीं है अधिकारीगण पैसा खा गये हैं।
		5——शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिये जाने की योजना के अन्तर्गत समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही। शिक्षित बेरोजगार युवकों को बैंक एवं संबंधित अधिकारी पैसा लेकर उत्पीड़न कर रहा है।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का काम	संशोधन का रूप
		6——प्रदेश के शहरी क्षेत्र में आवासीय सुविधा हेतु दुर्बल वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के भवनों का 1979 से अब तक मकान नहीं दिये गये बल्कि उच्च आय एवं माध्यम आय वर्गों को ही मकान दिये गये है और दिये जा रहे हैं। सरकार गरीबों को मकान देने में पूर्ण रूप से विफल है। 7——प्रदेश में पुल व पुलिया का निर्माण कम हो रहा है जो हो रहा है वह भी कमजोर एवं घटिया किस्म का सामान लगा-कर किया जा रहा है। 8——प्रदेश में परिवहन सेवा उपलब्ध कराये जबकि निगम ही घाटे पर है सरकार विफल है। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा में बच्चे नहीं पढ़ते है बल्कि उसमें बच्चों की बैठने की सुविधा नहीं है बच्चे खुले मैदान में बैठते हैं। शिक्षा में दोहरी व्यवस्था को खत्म किया जाय। जिन छात्रों ने टेक्निकल शिक्षा प्राप्त की है विगत कई वर्षों से बेकार हैं अभी तक रोजगार नहीं मिल पाया है जबकि विद्युत विभाग प्रदेश में सबसे बड़ा विभाग है। जिनमें नियुक्ति गत वर्षों से बन्द है। 9——मुन्सिफ तथा परगना मजिस्ट्रेट भी तहसील मुख्यालय पर नहीं बैठते है और न ही अदालत है प्रत्येक तहसील स्तर पर उपरोक्त अधिकारियों का मुख्यालय नहीं है। 10——सरकार विफल है बीस सत्री कार्यक्रम में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे है शासन की पकड़ अधिकारियों पर नहीं है। 11——सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्णतया विफल है क्योंकि सभी वस्तुओं के दाम दुगुने हो गये हैं।
33	श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न-लिखित का उल्लेख नहीं किया है—— 1——सलेमपुर विधान सभा क्षेत्र में छोटी गंडक के ऊपर चुनुकी घाट (विकास क्षेत्रवार) पर पुल बनाने हेतु सर्वेक्षण हो चुका है, जिले से इसकी योजना शासन को प्रेषित है। 2——सलेमपुर में महिला विद्यालय एवं नागरिकों को पीने के लिये पानी की व्यवस्था। 3——जारा (देवरिया में) महिला चिकित्सालय एवं मगहरा में सामान्य चिकित्सालय बनाने के संबंध में। 4——टाउन एरिया मंझोली राज में पीने के पानी की व्यवस्था।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5——तहसील सलेमपुर में स्वीकृत मुन्सिफी अदालत हेतु भवन एवं आवास जिसके आभाव में तहसील के नागरिकों को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है।
		6——सलेमपुर में किसी उद्योग के लगाए जाने की चर्चा नहीं है, जिससे इस अंचल के लोगों का विकास हो और पिछड़ापन दूर हो।
		7——खुखुन्दू विकास क्षेत्र मत्युन्डी में सब स्टेशन बनाए जाने की कोई चर्चा नहीं है। जबकि खुखुन्दू से 12 किलो-मीटर से निकट कोई रेलवे स्टेशन नहीं है आने-जाने की सुविधा मात्र राजकीय बस है।
		8——जुमूआर और हरखौली नाले को निकाल कर सैकड़ों गाँवों को जीवन देने हेतु जलाभाव से बचाने की तथा जलप्लावित भूमि को कृषि कार्य में लेकर उत्पादन बढ़ाने एवं क्षेत्रीय गरीबों को जीवन देने के संबंध में।
		9——टाउन एरिया सलेमपुर, जार, मझौली राज में गंदे पानी को निकालने के लिये नालियों के बनाने का जिसके अभाव में नाना प्रकार की बीमारी एवं गन्दगी का अम्बार लगा रहता है।
		10——मगहरा-थाना खुखुन्दू में पुलिस चौकी (स्थायी) बनाने की कोई चर्चा नहीं है, जो जनपद के पाँच थानों का सीमावर्ती क्षेत्र है।
		11——पिन्डो-जार-चनुकी, चनुकी–गटबर रोड को जिला परिषद से निकाल कर सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने के संबंध में।
		12——जनपद देवरिया में जंगल पार्टी द्वारा संगठित होकर अपहरण करने, अपहरण पर फिरौती लेने से, डकैती, हत्या आदि से रोकने हेतु किसी दिशा का बोध नहीं कराया गया है, जो देवरिया उत्तरी एवं बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र का आतंक पिछले कई वर्षों से बना है।
		13——मल्लाहों को सबल जीवन बिताने हेतु शिकार गाहो, घाटों का ठेका नदी के बालू आदि को सुगमता पूर्वक एवं वरीयता के आधार पर देने के संबंध में।
		14——गोंड एवं गोंड़ जाति के शाब्दिक विवाद का निराकरण नहीं किया गया है जिसके कारण प्रत्येक जनपदों में विवाद को स्थिति का निर्माण हो रहा है और सरकारी देय सुविधा से इस जाति के लोग वंचित हो जाते हैं।
		15——भागलपुर (देवरिया) पुल जो घाघरा नदी पर बनाने हेतु पिछले कई वर्षों से स्वीकृत है को अविलम्ब बनाकर विभिन्न जनपदों से जोड़ने के संबंध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		16—तहसील सलेमपुर (देवरिया) में स्वीकृत सूचना कार्यालय एवं सेवायोजन कार्यालय अब तक नहीं खोला गया जिसके अभाव में उचित जानकारी एवं रोजगार हेतु युवकों को भटकना पड़ता है।
34	श्री मुहम्मद आजम खां (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— खेद है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया गया है— 1—मौजूदा हुकूमत मे कमजोर को जीने का कोई हक नहीं रह गया है एक तरफ तो बलवान उसको दबाता है दूसरी तरफ हुकूमत की मशीनरी उसका दमन करती है। 2—50 प्रतिशत भूमि तो ऐसी है जिसको आवंटी भय के कारण न तो कब्जा कर सकता है और न ही उसकी शिकायत कर सकता है 25 प्रतिशत ऐसे है जो शिकायत की हिम्मत करते हैं तो तोड़ दिये जाते हैं और पुलिस उनके घरों से उनकी आबरू तक थानों में लाकर लूट लेती है। 10 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो परदे से ही हटा दिये गये है। बचे हुए लोग ऐसे हैं जिनको बेकार भूमि देकर एहसान के बोझ से लाद दिया गया है। 3—गांव में रहने वाला तो एक समय का भोजन भी पेटभर खाने के काबिल नहीं हो सका है। पुष्टाहार कार्यक्रम की तमाम सामग्री या तो अधिकारियों के पेट में मुद्रा के रूप में चली जाती है या उनका तंत्र बांटने के बहाने से अपने घरों को ले जाता है। 4—ईट बनाने के भट्ठों के बन्द रहने से जो मजदूर भूखा मरा है उसको क्या राहत पहुंचाई गई के विषय में। 5—तरह तरह से गरीबों की जमीन छीनकर अमीरों के लिए महल बनाये जा रहे है। जनपद के हजारों गरीब काश्तकारों के खेत छीन कर कोठियों की तामीर के संबंध में। 6—हरिजन और मुसलमानों के खून के सम्बन्ध में और जो मारे गये लूटे गये जलाए गये उनको इंसाफ क्या मिला और सरकार ने जालिमों को क्या सजा दी, इसके बारे में। 7—उर्दू भाषा के लिये एक शब्द भी न कहे जाने के बारे में।
35	श्री राम आसरे वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया— 1—मंहगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला में। 2—प्रदेश को विकास की दिशा देने में शासन अक्षम रहा है।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		3--किसानों, मजदूरों, मध्यमवर्गियों का शोषण उत्पीड़न बढ़ा है ।
		4--राज्य कर्मचारियों के आर्थिक उत्पीड़न से उनका असन्तोष चरम सीमा पर है ।
		5---महिलाओं एवं हरिजनों को सामाजिक न्याय नहीं दिलाया जा सका ।
		6---हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र में प्रस्तावित सहकारी चीनी मिल की स्थापना पर ढील-ढाल बरती गई है ।
		7---उक्त जनपद की माधोगंज, मल्लावां एवं कुरसठ टाउन एरियाओं को धन आवंटन में नकारा गया है ।
		8---मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र को राजकीय सेक्टर से पारित योजनाओं में स्थान नहीं दिया गया है ।
		9---अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिमों को राजकीय सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है ।
36	श्री गौरीशंकर भैय्या (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय--- किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में निम्नलिखित का जिक्र नहीं किया है ---
		1---प्रदेश में हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी ।
		2---शिक्षित बेरोजगारों को उनकी शिक्षा की डिग्री को प्रभूत मान कर ऋण देने की व्यवस्था की जायेगी ।
		3---उ0 प्र0 में बड़े पैमाने पर मिलावट जमाखोरी करने वाले लोगों के विरुद्ध तुरन्त तथा बड़े पैमाने पर कार्यवाही की जायेगी ।
		4---उ0 प्र0 में फसल बीमा योजना लागू की जायगी ।
		5---उ0 प्र0 में भूमि कर 30 प्रतिशत कम कर दिया जायगा ।
		6---प्रदेश में 1980 से विद्युत दर में की गयी बढ़ोत्तरी वापस ले ली जायेगी ।
		7---उ0 प्र0 रोडवेज द्वारा 1980 के बाद बढ़ाया गया किराया वापस कर लिया जायेगा ।
		8---उ0 प्र0 में सरकारी अस्पतालों तथा केमिस्ट की दुकानों पर मिलावटी दवाओं की बिक्री रोकने हेतु तुरन्त एवं सक्षम कार्यवाही की जायेगी ।
		9---प्रदेश में उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार रोकने के लिए एवं उसकी जांच के लिये विधायकों की कमेटी बनाई जायगी ।
		10---जनपद बलिया में बड़े उद्योग लगाकर जनपद में सर्वांगीण विकास का कार्य लिया जायगा ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—घाघरा नदी पर माओ, टोंस नदी पर इन्दरपुर एवं गंगहरा के मध्य तथा मगई एवं लकड़ा नाले पर क्रमश: दौलतपुर, कपरिया एवं बहादुरपुर के पास पी0 डब्लू0 डी0 विभाग द्वारा पुल का निर्माण किया जायेगा।
		12—फकना, गड़वार, टूटूवारी, चितबड़ा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
		13—ब्लाक सोहांव, गड़वार एवं हनुमानगंज में विशेष अनुदान देकर सभी प्राथमिक स्कूलों के भवनों के निर्माण किया जायेगा तथा प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल स्थापित किया जायेगा।
		14—सिंचाई के लिए ब्लाक गड़वार, सोहांव और हनुमानगंज में बन्द पड़े नलकूपों को ठीक करने उनकी नालिया बनाने के लिये सरकार द्वारा विशेष धनराशि आवंटित की जायेगी।
		15—कोपाचित निर्वाचन क्षेत्र के सभी गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा एवं समस्त गांवों को सड़कों से सम्पर्क बनाकर जोड़ दिया जायेगा।
		16—जनपद बलिया के ब्लाक सोहांव, ब्लाक गड़वार एवं हनुमानगंज में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 100 ट्यूबवेल लगाने की व्यवस्था की जायेगी।
		17—सभी गांवों को पेयजल योजना का लाभ दिया जायेगा।
		18—टटवारी, भरोली एवं नासिरपुर मार्ग को अविलम्ब पूरा किया जायेगा।
		19—ब्लाक गड़वार, हनुमानगंज एवं सोहांव में गन्ना विकास हेतु संघन कार्यक्रम चलाये जायेंगे।
		20—भरोली में एक डिग्री कालेज की स्थापना की जायेगी।
		21—सुराह ताल को पर्यटन केन्द्र के रुप में विकसित किया जायेगा।
		22—हनुमानगंज ब्लाक सोहाव एवं ब्लाक गड़वार के बाढ़ के अन्तर्गत घिरने वाले गांवों को मिट्टी से पटाई करने का काम किया जायेगा।
		23—जनपद के सभी गांवों में औसतन पांच व्यक्ति को जो असहाय एवं निर्धन हों को वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए योजना बनाकर कार्यवाही की जायेगी।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
37	श्री रामस्वरुप वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय-- किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित विषयों की चर्चा नहीं की-- 1---निरादर और दरिद्रता का एक साथ नाश करने के लिये सरकारी व भूमि पर इन्सानी बस्ती बसाना, जिसमें प्रदेश के अछूत, आदिवासी व प्रजाजन कहे जाने वाले भूमिहीन अथवा एक एकड़ तक भूमि वाले सारे परिवार बसाकर स्वावलम्बी बनाये जा सके। 2---उत्तर प्रदेश से हड्डी व खली की अमूल्य जैविक खादों की निर्यात पर पाबन्दी लगाना ताकि वे यहां के किसानों को सस्ती व आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो सके। 3---कृषि में साधन रूप में प्रयुक्त होने वाली चीजों, जैसे-ट्रैक्टर आदि कृषि यंत्र, खाद, बीज, पानी, डीजल तेल व कीटनाशक दवाइयां आदि पर से सरकारी टैक्सों की माफी करना ताकि किसान अधिक साधन सस्ते में जुटा कर खेती की पैदावार बढ़ा सके। 4---प्रदेश के हर विकास खंड में ऐसे अनुभवी योग्य अधिकारी की नियुक्ति जो कृषि यंत्र चलाने व मरम्मत तथा बीज, खाद पानी व कीटनाशक दवाइयों के संतुलित प्रयोग का प्रशिक्षण व सलाह दे सके। 5---सरकारी नौकरियों में अछूतों एवं पिछड़ों के लिये आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये साक्षात्कार में उन्हीं वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति करना। 6---राष्ट्रीय एकीकरण के लिये बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेदकर के सारे साहित्य को प्रदेश के सारे हरिजन छात्रावासों, हरिजन पुस्तकालयों, सरकारी अनुदान प्राप्त पुस्तकालयों एवं सरकारी पुस्तकालयों में अनिवार्य रूप से रखा जाना। 7---अछूत आदिवासी एवं प्रजाजन वर्ग के निर्बल लोगों को कुटीर उद्योग की शिक्षा देकर कच्चा माल व मशीन देकर पक्का माल निर्धारित दाम पर सरकार द्वारा खरीदना। 8---बेकारों को काम देने की समयबद्ध योजना की घोषणा ताकि पांच वर्ष में ही बेकारी समाप्त हो सके। 9---प्रदेश में वर्तमान बेकार बनाने वाली शिक्षा को समाप्त कर मानव की शिक्षा पा यक्रम की घोषणा। 10---प्रदेश में 6 से 14 वर्ष के सारे बच्चे व बच्चियों को वर्तमान अस्पतालों में दो पाली चलाकर अनिवार्य एवं सम शिक्षा देना।

क्रम-संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11—सारी शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करना ताकि जनतंत्र के अनुरूप एक सी शिक्षा सभी को नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा सके।
		12—नव जवानों को स्वावलम्बी बनाने और उच्च शिक्षा में निरर्थक भीड़ रोकने के लिये 14 वर्ष से अधिक के इच्छुक लड़के-लड़कियों को सभी विषयों की तकनीकी शिक्षा देना।
		13—निर्बल वर्ग को सस्ते दामों पर सभी जीवनोपयोगी वस्तुयें उपलब्ध कराने हेतु अनिवार्य राशन कार्ड की व्यवस्था चालू करना।
		14—दिन दहाड़े होने वाली डकैती, राहजनी और हत्याओं की बढ़ती संख्या पर प्रभावी अंकुश लगाने के कार्यक्रम की घोषणा ताकि प्रदेश अराजकता का शिकार होने से बच सके।
		15—प्रदेश की सारी सिंचन योग्य असिंचित भूमि को सात वर्षों में समी सीचने के संकल्प की घोषणा व कार्यक्रम।
		16—सरकारी उद्योगों में व्याप्त अक्षमता, अकुशलता एवं भ्रष्टाचार, के कारण होने वाले घाटे को समाप्त कर मुनाफे पर चलाने के उपाय की रूपरेखा प्रस्तुत करना।
		17—सारे देश को यातायात के लिये खोलने के संकल्प की घोषणा जिसमें नदी नालों पर पुल बनाकर प्रदेश के सारे गांवों को कच्ची सड़क बनाकर आवागमन के योग्य बनाना।
38	श्री प्रदीप कुमार यादव (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नांकित बातों का उल्लेख नहीं किया है— 1—आजादी के बाद के सालों में साधारण आदमी का भोजन गिरते-गिरते इतना कम और खराब हो गया है कि उसका दुष्प्रभाव संतति के शरीर में प्रकट होने लगा है, यथा बच्चे मां के पेट से ही बीमार पैदा होते हैं इस दिशा में कोई कदम उठाए जाने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया है। 2—सुरसा की भांति बढ़ती हुई मंहगाई के फलस्वरूप दामों की होने वाली इस लूट से किसान उपभोक्ता दोनों त्राहि त्राहि कर रहे हैं और इसका कारण सरकार की नीति हीनता है। जीवनोपयोगी वस्तुओं के दाम इस तरह बांधे गये कि दो फसलों के बीच किसी अन्न का दाम 20 प्रतिशत से ज्यादा न बढ़े और कारखाने में बने माल की बिक्री भाव लागत खर्च व ढुलाई खर्च से किसी भी सूरत में ड्योढ़े से ज्यादा न हो। 3—प्राइमरी व प्री-प्राइमरी स्तर के अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले स्कूल बन्द किये जाय और प्राइमरी स्तर से सभी बच्चों की पढ़ाई एक जैसे स्कूल में की जाय।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		4--पुलिस और जंगल विभाग के अनुचित कार्यों ने जलावन लकड़ी का भाव 125 रु0 प्रति कुन्तल तक पहुंचा दिया जनहित में लकड़ी की उचित व्यवस्था की जाय।
		5---जनपद बाराबंकी की तहसील राम सनेही घाट के परगना मवई बसौड़ी और हदौली में स्थिति मड़हा (तमसानदी) में हर साल वर्षान्त के दिनों में अतिवृष्टि तथा जल भराव से हजारों एकड़ भमि में लगी फसल तथा सैकड़ों गांवों के रास्ते बन्द हो जाते है और हजारों मकानात हर वर्ष गिर जाया करते हैं साथ ही सूखे के दिनों में भी लगभग 1/2 दर्जन नहरों का फालतू पानी उक्त मड़हा में निरन्तर गिरते रहने के कारण साल दर साल जल जमाव की स्थिति रहती है। शासन का ध्यान बार-बार आकर्षित करने के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं उल्टे किसानों से सींच और लगान भी वसूल किया जाता है। एसी दिशा में उक्त समस्या की स्थायी हल मड़हा को गहरा व चौड़ा तथा पक्का कराकर उसके पानी को घाघरा नदी में गिराये जाने की व्यवस्था करना ह।
		6---शारदा सहायक की पोषक नहर व उसके शाखाओं ने अपने किनारे के गांवों व खेतों में सीपेज से जल भराव की मुस्तकिल हालत पैदा कर दी ह जिससे सीतापुर, बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर और रायबरेली आदि जिलों के लाखों किसान परेशान है। एक तरफ जल जमाव के कारण किसानों की खेती में अन्न का दाना नहीं पैदा है और उनके मकानात नमी क कारण कमजोर होकर गिर रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार ऐसे किसानों से लगान व सींच वसूलती है और सीपेज से उद्धार के लिये कोई प्रभावी कार्यक्रम नहीं करती है। ऐसी दशा में प्राथमिकता के आधार पर स्थायी हल निकालना अत्यन्त आवश्यक है।
		7---गत वर्ष सरकार की अद्दर्शिता से घाघरा नदी में भीषण और प्रलंयकारी बाढ़ आ जाने के कारण जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट और फतेहपुर के किसानों की लाखों एकड़ खड़ी फसल तथा उनके घरों का सारा सामान नष्ट हो गया और वहाँ के निवासियों में भुखमरी की समस्या आज भी विद्यमान है। आवश्यकता इस बात की है कि क्रैश प्रोग्राम के तहत उक्त समस्या का निराकरण किया जाता, किन्तु ऐसा करने में शासन अब भी उदासीन है, ऐसी दशा में स्थानीय जनता को भुखमरी से उबरने हेतु ऐसी वहाँ पर सड़कों तथा पुलियों तथा बाँधों के निर्माण की योजना तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर कामशुरू कराया जाय।
		8---जनपद बाराबंकी की तहसील रामसनेही घाट के इलाके से बहने वाली गोमती नदी पर रेछघाट का पुल निर्माण कराया जाय ताकि जनपद सुलतानपुर को सीधा जोड़ा जा सके और हदौली नोटीफाइड एरिया में शिक्षा के विकास हेतु डिग्री कालेज की स्थापना की जाय।

क्रम-सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		9—जनपद बाराबंकी की प्रस्तावित तहसील रुदौली, रामनगर और दरियाबाद को बनाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाय।
		10—जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत चल रहे 75 प्रतिशत भवन रहित सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों की इमारतों के निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जावे।
39	श्री जटा शंकर सिंह (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न का उल्लेख नहीं किया है—
		1—उ0 प्र0 में जिला परिषदों एवं नगरपालिकाओं के चुनाव के संबंध में।
		2—जनपद बहराइच के नानपारा उपनगर पालिका को नगरपालिका बनाये जाने के संबंध में।
		3—जनपद बहराइच के महीपुरवा कस्बे को टाउन एरिया बनाये जाने के संबंध में।
		4—अभूतपूर्व भयंकर बाढ़ से शतप्रतिशत नष्ट नानपारा एवं धर्मापुर परगना तहसील नानपारा जनपद बहराइच की लगान समस्त प्रकार के कृषि देयों एवं सहकारी कर को तत्काल माफ किये जाने के संबंध में।
		5—जनपद बहराइच की बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित नानपारा तहसील में सभी प्रकार की सरकारी एवं बैंक संबंधी वसूलियों की तत्काल प्रभाव से स्थगित किये जाने के संबंध में।
		6—बाढ़ से प्रभावित समस्त बहराइच जनपद की नानपारा तहसील में ध्वस्त मकानों को बनाने हेतु लकड़ी एवं फूल को वन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
		7—जनपद बहराइच की नानपारा तहसील में वन विभाग की भूमि पर 50 से भी अधिक वर्षों से बसे भवानीपुर, बिछिया, टेढ़िया, कैलाशपुरी, हनुमानगढ़, महमूदनगर, विशुनटाडा; गोकुलपुर आदि जिनकी कुल संख्या दस है ग्रामों को रेवेन्यू विलेज घोषित किये जाने के संबंध में।
		8—विगत बाढ़ के भयंकर थपेड़ों से ध्वस्त नानपारा तहसील के भर्थापुर ग्राम को सुरक्षित स्थान पर बसाये जाने के संबंध में।
		9—हनुमानगढ़ी एवं भर्थापुर ग्राम के नागरिक जो समस्त भूमि घाघरा नदी की कटान से कट जाने के कारण भूमिहीन हो गये हैं, को भूमि अथवा अन्य जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

क्रम सं०	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		10—जनपद बहराइच की नानपारा तहसील में जिन ग्रामों को विगत वर्षों खर फूस, लकड़ी एवं जानवरों की चराई की माफी दी जाती थी और अब नहीं दी जा रही है उन्हें पुनः दिये जाने के संबंध में।
		11—जनपद बहराइच के नानपारा तहसील में स्थित उर्रा, चहलवा, सेमरीमलमला आदि अनेकों ग्राम सभाओं में 1981 से 1983 तक शासन की नीति के विपरीत तालाब, पोखरों एवं जल प्रणालियों के मत्स्य आखेट हेतु स्थानीय मछुओं को पट्टे न दिये जाने के संबंध में।
		12—नानपारा विधान सभा क्षेत्र के सभी ग्रामों की निकटस्थ पक्की सड़कों से जोड़ने वाले संपर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के संबंध में।
		13—बहराइच में सभी न्याय पंचायत केन्द्रों पर एलोपैथिक एवं ग्राम सभा स्तर पर सम्पूर्ण जनपद में होम्योपैथिक एवं आयुर्वेदिक औषधालयों के खोले जाने की योजना के संबंध में।
		14—प्रत्येक गाँव सभा में प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की सुनिश्चित (गारन्टेड) योजना के संबंध में।
		15—प्रत्येक ग्राम में छतयुक्त भवन, टाटपट्टी एवं अन्य सामग्री तथा अध्यापकों से सुव्यवस्थित प्रा0शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
		16—जनपद के प्रत्येक न्यायपंचायत क्षेत्र में जू0 हा0 स्कूल खोले जाने के संबंध में।
		17—नानपारा एवं मिहीपुरवा कस्बों में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में।
		18—जनपद बहराइच में नानपारा तहसील में जंगल के किनारों पर स्थित अधिकाँश गाँव सभाओं को जो कृषि योग्य भूमि वन विभाग द्वारा बलात्, धांधलीपूर्वक अपने कब्जे में रखी जा रही है को गाँव सभाओं कृषि कार्य हेतु वापस दिए जाने के संबंध में (उदाहरणार्थ ग्राम सभा मर्थापुर, बड़खरिया, खुजोली, गोरापिपरा आदि)।
		19—नानपारा के समस्त ग्रामों की हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण करने के सुनिश्चित प्रभारी योजना के तत्काल क्रियान्वयन के संबंध में।
		20—नानपारा के समस्त ग्रामों की सिंचाई हेतु सुनिश्चित योजना के संबंध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		21—जनपद बहराइच की नानपारा तहसील के विकास खण्ड मिहीपुरवा एवं बलहा में निर्माणाधीन नहरों द्वारा उत्पन्न समस्याओं (जैसे जल भराव से उत्पन्न कृत्रिम बाढ़ की जल-निकासी की सुविचारित योजना के क्रियान्वयन, ग्रामीण मार्गों पर पुल बनाये जाने, अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा सुनिश्चित रूप से उपलब्ध कराये जाने के तथा डिवाटरिंग के पानी से डूब रहे ग्रामों एवं स्रोतों को बचाए जाने) के संबंध में।
		22—नानपारा विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक अनुसूचित जाति एवं जनजाति (हरिजन एवं थारू) परिवार को आवासीय, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के उपलब्ध कराए जाने की गारन्टी योजना के संबंध में।
		23—वि0 खं0 मिहीपुरवा से सिमरोघटहो–महाराजसिंह नगर कठोतिया मार्ग पर सिमरोटही के निकट पुल बनाये जाने के संबंध में।
		24—नानपारा वि0 स0 क्षेत्र के प्रत्येक गाँव में निमार्णाधीन नहरों के कारण उत्पन्न जलभराव की स्थिति से बचाने हेतु प्रभावी योजना के संबंध में तथा जनता द्वारा वाँछित स्थलों पर नहरों के ऊपर पुल बनाये जाने के संबंध में।
		25—नारापारा गढ़ीघाट मार्ग के निर्माण एवं मार्ग पर वाँछित पुल बनाये जाने के संबंध में।
		26—ग्राम भर्थापुर तहसील नानपारा, जनपद बहराइच जो गिरजा बैराज के कारण अपनी पूरी कृषि योग्य भूमि के साथ, घाघरा नदी जन्मदाता गेरुआ एवं कोडियाला, नदियों की भयंकर कटान के कारण कट गया है को पुनर्वासित करने एवं समस्त भूमि का मुआवजा नहर विभाग द्वारा सुनिश्चित रूप में दिये जाने के संबंध में।
		27—बहराइच कतरनिया घाट मार्ग के निकलने वाले सफीडंडा-लौकाही मार्ग पर पुरानी सरजू एवं भादा नदियों पर पुल बनाये जाने तथा मार्ग पूरा कराने के संबंध में।
		28—गिरिजापुरी-कोडियाला मार्ग के बरदिया चौराहे से फकीरपुरी, थारू बाहुल्य गाँवों से होता हुआ नेपाल राष्ट्र सीमा क्षेत्र तक मार्ग बनाए जाने के संबंध में।
		29—कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारण कृषकों द्वारा चयनित समिति द्वारा किये जाने की योजना बनाये जाने एवं उसके तत्काल लागू किये जाने के संबंध में।
		30—कृषि उत्पादन एवं कारखाना उत्पादन के मूल्यों में एक सुनिश्चित साम्य-नीति के निर्धारण किये जाने के संबंध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		31—जनपद बहराइच के नानपारा तहसील में चकबन्दी नहरों हेतु काटी गई, कटौती की भूमि का मुआवजा संबंधित किसानों के दिलाये जाने के संबंध में।
		32—बरोजगार नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में।
		33—वन विभाग के अन्तर्गत आने वाली नानपारा तहसील की समस्त कृषि योग्य भूमि भूमिहीनों को 90 वर्ष मियादी पट्टे पर दिये जाने के संबंध में।
40	श्री थम्मन सिंह गहलौत (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—बिजनौर जनपद को पर्वतीय जिला (पहाड़ी जिला) घोषित करने। 2—बिजनौर जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने। 3—भूमि अभिलेखों एवं विवादों के मुकदमे सुनने के अधिकार नायब तहसीलदार, तहसीलदार एवं परगनाधिकारी (एस0 डी0 ओ0) से समाप्त कर तहसील मुख्यालय पर इन मुकदमों को सुनने के लिये एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने। 4—चीनी मिलों को आपूर्ति किये जाने वाले गन्ने के मूल्य का अगले ही दिन भुगतान करा देने की व्यवस्था बनाये जाने। 5—सहकारी गन्ना विकास समितियों के शीघ्र चुनाव कराने। 6—ग्रामीण क्षेत्रों में सांयकाल से लेकर रात्रि दस बजे तक नियमित रूप से बिजली आपूर्ति किये जाने की योजना। 7—कृषि उपज पर आने वाली लागत व उचित लाभ को जोड़ कर कृषि उपज के मूल्य निर्धारित करने के आश्वासन। 8—अफजलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जहाँ नहरों द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती वहाँ आगामी वर्ष में 30 नलकूप लगाकर सिंचाई व्यवस्था करा देने की योजना के संबंध में।
41	श्री गोपीनाथ वर्मा (उपस्थित किया हुआ माना गया)	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है— 1—प्रदेश में किसानों को गन्ना मूल्य बकाया भुगतान तथा खाद्य में कृषि बीज तथा कृषि यन्त्र जैसे ट्रैक्टर, पम्पिंग सेट आदि का मूल्य कम किये जाने जिससे कृषि क्षेत्र में विकास हो सके।

क्रमसं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		2—प्रदेश में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिये जाने का बुनकरों को कच्चा माल (स्टपुल) व रंगाई की व्यवस्था, पावरलूम व हैण्डलूम के उपकरणों को सस्ते दरों पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था ।
		3—मंहगाई, भ्रष्टाचार, घूसखोरी को समाप्त करने के सम्बन्ध मे ।
		4—प्रदेश मे (फैजाबाद) टाण्डा, जलालपुर, शोलेपुर, मुन्डेरा इंसवार, शाहजादपुर (अकबरपुर), आजमगढ़, कानपुर, बहराइच आदि स्थानों पर पावरलूम व हैण्डलूम उद्योग पर लगे बुनकरों के बने माल शासन द्वारा अनिवार्य रूप से क्रय हेतु मार्केट खोलकर सही व उचित मूल्य पर क्रय करने तथा बुनकरों के उद्योगों को समय तथा सस्ते दरों पर अनिवार्य रूप से विद्युत सप्लाई किये जाने व उद्योग हेतु लिये गये ऋण बकाया किस्तों में वसूल किये जाने के संबंध में।
		5—प्रदेश में टाण्डा, मऊ, बहराइच में विगत दिनों में हुए दंगों की न्यायिक जांच कराये जाने के संबंध में।
		6—टाण्डा व अन्य स्थानों पर दंगे के दौरान प्रभावित परिवारों को शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिलाये जाने के संबंध में ।
		7—प्रदेश में कर्मचारियों एवं छात्रों व व्यवसायी, शिक्षकों, मजदूरों द्वारा मांगों को लेकर चलाये जा रहे आन्दोलन व प्रदर्शनों को आपसी समझौते व न्याय संगत कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
		8—थर्मल प्रोजेक्ट ओबरा में अब तक हजारों बार अग्नि काण्ड की न्यायिक जांच कराये जाने के संबंध मे।
		9—जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना से प्रभावित करीब दो हजार परिवारों को परियोजना में नौकरी देने तथा प्रभावित परिवारों में से करीब 70 परिवारों द्वारा मास्टर रोल पर 240 दिन कार्य पूर्ण कर लिये जाने के पश्चात भी स्थाई किये जाने तथा परियोजना में प्रभावित परिवारों को छोटे छोटे निर्माण कार्यों पर लगाकर रोजगार दिये जाने तथा परियोजना अधिकारियों व सुरक्षा गार्ड द्वारा आये दिन गबन व चोरी भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।
		10—जनपद फैजाबाद में श्री लालबहादुर शर्मा ग्राम मुसौली थाना मालीपुर जनपद फैजाबाद जो थाना मालीपुर की पुलिस द्वारा थाने मे ही मिट्टी का तेल छोड़कर जला कर मारे जाने की जांच कराकर दोषी कर्मचारियों को दंडित किये जाने के संबंध मे।

क्र0 सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		11——जनपद फैजाबाद मे ब्लाक सुहावल के श्री असगर की हत्या थाना रौनाही की पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ दिखाकर किये जाने की जांच कराये जाने के संबंध मे।
		12——जनपद फैजाबाद टाण्डा, में सरयू नदी पर पीपे के पुल को पक्का पुल निर्माण कराये जाने व नगरपालिका टाण्डा के अन्दर मुहल्ला मुबारकपुर में प्रस्तावित सौ शैय्या का अस्पताल निर्माण कराये जाने के संबंध में।
		13——जनपद फैजाबाद में थर्मल प्रोजेक्ट निर्माण हेतु धन आवंटित करके निर्धारित समय के अन्दर निर्माण पूर्ण कराये जाने के संबंध में।
		14——प्रदेश में परिषदीय प्राइमरी पाठशाला जू0 हा0 स्कूल भवन हीन विद्यालयों के भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में।
		15——जनपद फैजाबाद में टाण्डा जैसे पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु जन सम्पर्क मार्गों व सिंचाई हेतु नहरों व नलकूपों का निर्माण कराकर आवागमन व समय पर सिंचाई हेतु व्यवस्था किये जाने के संबध में।
		16——जनपद फैजाबाद में नगर पालिका टाण्डा को सीमा को बढ़ा कर थर्मल प्रोजेक्ट शामिल किये जाने के संबंध में।
42——श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (उपस्थित किया हुआ माना गया)		प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—— किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है——
		(1) प्रदेश में विद्युत आपूर्ति चौपट है और कृषकों को उद्योगियों को उनके कार्य करने हेतु विद्युत आपूर्ति न होने पर भी शासन द्वारा एक पक्षीय निर्णय लेकर विद्युत दरों में वृद्धि किये जाने के संबंध में
		(2) सदन में बार-बार आश्वासन देने के बाद भी स्थानीय निकायों, मण्डी समितियों, जिला परिषदों के चुनाव सम्पन्न न कराये जा सकने के सम्बन्ध में।
		(3) प्रदेश के समस्त विकास कार्य ठप्प हो चुके है शासन तंत्र का नियंत्रण समाप्त हो चुका है जिससे प्रदेश का सम्यक् विकास सम्भव नहीं हो पा रहा है। क्षेत्रीय विषमता बढ़ी है, रोजगार के अवसर सिकुड़े है और कानून व्यवस्था पर सरकार की पकड़ ढीली हो गयी है। मंत्रि स्तर से नीचे के स्तर तक सम्पूर्ण प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने में पूर्ण रुप से असफल रहने के सम्बन्ध में।
		(4) बिक्रीकर समाप्त करके उसके स्थान पर राजस्व प्राप्त करने हेतु उत्पादन कर लगाने अथवा माल स्रोत पर कर लगाने के सम्बन्ध में।

क्रम सं0	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		5—जिला परिषद् तथा स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी का स्तर देने के बाद भी राजकीय सेवा में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के सम्बन्ध में।
		6—सरकारी नौकरियों तथा छात्रवृत्ति में पिछड़ी जाति के आरक्षण के संबंध में।
		7—गरीबी की रेखा से नीचे स्तर पर रहने वाली जनता के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए ठोस नीति निर्धारित करने के संबंध में।
		8—मंहगाई रोकने तथा बस किराया घटाने तथा सिंचाई की दरें कम, बिजली का दाम घटाने के संबंध में।
		9—सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों में बिकने वाली आवश्यक वस्तुओं की संख्या बढ़ाकर दालें, कपड़ा, कड़वा तेल, साबुन आदि जोड़ने तथा प्रत्येक कार्ड धारक की आवश्यकता पर सामानों तथा शहरी एवं ग्रामीण जनता के वितरण में सुधार के संबंध में।
		10—बुन्देलखण्ड के औद्योगीकरण के प्रति सरकार की उदासीनता की चर्चा न करने तथा बुन्देलखंड के औद्योगीकरण के लिए किसी योजना की घोषणा न किये जाने के संबंध में।
		11—बुन्देलखंड में बढ़ रही बेरोजगारी, भुखमरी के संबंध में चर्चा नहीं की गयी, मजदूरों को जिन्दा रखने के लिए किसी भी तरह के राहत कार्य कराने तथा बीड़ी मजदूरों की मजदूरी को बढ़ाने की घोषणा न किये जाने के सम्बन्ध में।
		12—शिक्षा का निगमीकरण करने के संबंध में सरकार जो देरी कर रही है उसकी चर्चा नहीं की।
		13—उ0 प्र0 के बुन्देखंड क्षेत्र में विकास आयोग गठित करने तथा क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु एक अरब धनराशि का प्राविधान करने के सम्बन्ध में।
		14—बुन्देलखंड क्षेत्र के बुनकरों को सस्ती दरों पर सूत दिलाने के संबंध में।
		15—बुन्देलखंड क्षेत्र के कर्वी तथा महोबा को जिला बनाये जाने के संबंध में।
		16—झांसी सम्भाग में सिंचाई की समुचित व्यवस्था करके सभी खेतों को पानी की व्यवस्था कराये जाने तथा खासकर लघु सिंचाई की योजना बड़े पैमाने पर बनाने के संबंध में।
		17—झांसी शहर में व्याप्त भीषण गंदगी को हटाकर सीवर लाइन बिछाकर सीवर योजना को प्रारम्भ करके जनजीवन की बीमारियों को बचाने के संबंध में।

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
		18--बुन्देलखंड विश्वविद्यालय को आवासीय विश्वविद्यालय बनाने के संबंध में ।
		19--झांसी में शिक्षा के प्रसार हेतु इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में ।
		20--बुन्देलखंड क्षेत्र की बोलचाल की सरल, सरस, समृद्ध साहित्य एवं विविध लोककला वाङ्मयमय से परिपूर्ण बुन्देली भाषा के सर्वोन्मुखी विकास के लिये बुन्देली अकादमी के तत्काल स्थापना के सम्बन्ध में ।
		21--झांसी में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोलने तथा आयुर्वेदि चिकित्सा विज्ञान के विकास हेतु तथा आयुर्वेदिक शोध संस्थान एवं अष्टाँग आयुर्वेदिक चिकित्सालय को सर्वोन्मुखी प्रगति हेतु प्रभावी योजना लागू करने तथा झांसी के आयुर्वेदिक महाविद्यालय में शिक्षण संबंधी सभी कमियों को समाप्त करने के सम्बन्ध में ।
		22--जिला अस्पताल झांसी की बढ़ोत्तरी करके अलग से महिला चिकित्सालय निर्माण करने के संबंध में ।
		23--झांसी तथा ललितपुर जनपद में सिंचाई के लिए समय पर ट्यबवेल तथा नहरों से पानी न दिये जाने से रबी की फसल की बुवाई न हो सकने के संबंध में ।
		24--ललितपुर जनपद में पत्थरों की खदानों के बन विभाग के पट्टा समाप्त होने के कारण हजारों मजदूरों के बेकार होने पर पुनः वन विभाग के पट्टा चालू करने के सम्बन्ध में ।
		25--झांसी नगर में तरुण-ताल बनाये जाने एवं झांसी नगर में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई (झांसी की रानी) का स्मरणीय लक्ष्मीताल के सुन्दरीकरण के सम्बन्ध में ।
		26--झांसी, महोबा, चरखारी के पेयजल संकट के तुरन्त नियंत्रण के संबंध में ।
		27--ललितपुर जनपद में नई तहसील घोषित न किये जाने के संबंध में ।
		28--तीन वर्ष से अधिक सेवारत राज्य कर्मचारियों का स्थायीकरण कर सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने के संबंध में ।
		29--झांसी नगर में विकास प्राधिकरण के गठित करने के संबंध में ।
		30--बुन्देखंड में दिन प्रति दिन बढ़ रहे पुलिस अत्याचार को रोकने के लिये किसी कार्यवाही की घोषणा न किये जाने के संबंध में ।
		31--उ0प्र0 में तदर्थ रुप से नियुक्त अध्यापकों की नियमितीकरण की घोषणा न किये जाने के संबंध में ।
		32--शासन द्वारा छात्रों पर किये जा रहे जुल्म का उल्लेख न किये जाने के संबंध में ।

पी0 एस0 यू0 पी0-एल0 409 विधान सभा (722)-1984-813 ।